13 दिसम्बर, 1994
अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

दिनांक 13 दिसम्बर, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

क्रम सं॰	कालम संख्या	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
1	67	3	(श्री अरबिंद नेताम)	(श्री अरविन्द नेताम)
2	79	5	श्री बृह्मानन्द मंडल	श्री ब्रह्मानन्द मंडल
3	82	16	वाकला के लापता ट्रक	चावल के लापता ट्रक
4	92	नीचे से 4	डा॰लाल बहादुर रावत	डा॰ लाल बहादुर रावल
5	94	10	श्री जनार्दन मिश्रा	श्री जनार्दन मिश्र
6	117	3	श्री शंकर सिंह वावेला	श्री शंकर सिंह वाघेला
7	134	नीचे से 5	(शिक्षा तथा संस्कृति विभाग)	(शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग)
8	260	नीचे से 10	श्री बासुदेव आचार्य	श्री बसुदेव आचार्य

विषय-सूची

दशम माला, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 5, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 1994/22 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	81—83	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	84—100	21—42
अतारांकित प्रश्न संख्या :	857—924, 926—934, 936—1004, 1007—1017, 1019—1072 और 1074—1087	43—239
चीनी आयात संबंधी ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में		240—266
श्री राम विलास पासवान		241—245
श्री विद्या चरण शुक्ल		246—247, 248, 265—266
श्री लाल कृष्ण आडवाणी		247—248, 252—253, 259—260
श्री शरद यादव		248—252
श्री इन्द्रजीत गुप्त		253—254
श्री गुमान मल लोढा		254—255
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी		255—256
श्री जसवन्त सिंह		256—257
श्री अमल दत्त		257—258
श्री चन्द्रजीत यादव		258—259
श्री बसुदेव आचार्य		260
श्री श्रीकान्त जेना		261
श्री भोगेन्द्र झा		261—262
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		265—266
सभा पटल रखे गए पत्र		266—269
संसदीय समितियां—कार्य सारांश—सभा पटल पर रखा गया		272
लोक लेखा समिति		
सतहत्तरवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		272
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति		
तेरहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		272

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
समिति के लिए निर्वाचन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	272—273
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) *1994–95*—**प्रस्तुत**	273
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1994–95—**प्रस्तुत**	274

लोक सभा

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 1994/22, अग्रहायण 1916 (शक)
लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

एशियाई खेल

+

*81. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सम्पन्न हुए हिरोशिमा एशियाई खेल, 1994 में कितनी भारतीय टीमों ने भाग लिया और उन्होंने किन-किन खेलों में भाग लिया;

(ख) भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते;

(ग) क्या अन्य देशों की तुलना में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन स्तर अपेक्षा से बहुत ही कम रहा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय टीमों का स्तर सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) हिरोशिमा में आयोजित 1994 एशियाई खेलों में 146 खिलाड़ियों ने निम्नलिखित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया था :

1. तीरंदाजी
2. एथलेटिक्स
3. मुक्केबाजी
4. केनोइंग और क्याकिंग
5. घुड़सवारी
6. गोल्फ
7. जूडो
8. हॉकी (महिला व पुरुष)
9. कबड्डी
10. रोइंग
11. निशानेबाजी
12. टेनिस
13. भारोत्तोलन
14. कुश्ती
15. याचिंग

(ख) भारत ने खेलों में 22 पदक जीते (स्वर्ण-4, रजत-3 और कांस्य-15)

(ग) और (घ). 1990 में बीजिंग में आयोजित गत एशियाई खेलों के प्रदर्शन की तुलना में सुधार हुआ है। 1994 एशियाई खेलों में भारत 8 वें स्थान पर रहा है, जबकि 1990 बीजिंग एशियाई खेलों मे 11 वें स्थान पर था। कुछ खेलों में प्रदर्शन का स्तर आशा से कम रहा तथा परिसंघों और भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के परामर्श से प्रदर्शन के मूल्यांकन का कार्य शुरू किया जा रहा है।

(ङ) सरकार ने खेलों के क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. सरकार ने 1998 एशियाई खेलों के लिए प्रतियोगिताओं और खेल विधाओं का ध्यानपूर्वक चयन करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की है और फिर लम्बी अवधि के लिए उन संसाधनों और विशेषज्ञताओं के लिए ध्यान केन्द्रित करेंगी।

2. हमारे जूनियर खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनके प्रदर्शन के स्तर में सुधार करने हेतु ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिभावान बच्चों को तैयार करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं को सरल बनाया जा रहा है।

3. संबंधित राष्ट्रीय परिसंघों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से चुनी हुई खेल विधाओं में खेल अकादमियां स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

4. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को ओलम्पिक और एशियाई खेलों की खेल विधाओं के लिए दीर्घकालीन विकास योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि खेल विधाओं के विकास के लिए सभी अवसर प्रदान किए जा सकें और इस योजना के एक भाग के रूप में एशियाई खेलों के अनुरूप चार वर्षीय विकास योजना तैयार की जा रही है। इन योजनाओं में एथलेटिक विकास, कोचिंग, क्लबों का विकास, देशीय टूर्नामेंट और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, उपस्कर और वैज्ञानिक सहयोग, व्यावसायिक और वित्तीय प्रबंध विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय परिसंघों ने पहले ही अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं, इनके साथ योजनाओं के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए पहले से ही वार्ता आरंभ की जा चुकी है।

5. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया जा रहा है, जिससे खेलों के विकास में कार्यरत एजेंसियों की भूमिका और दायित्वों का स्पष्ट सीमांकन एवं पहचान की जा सके और उनकी प्रबंध प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी.एस. चौहान : अध्यक्ष जी, पिछले हिरोशिमा खेलों में भारत को आठवां स्थान मिला। 1982 में भारत की पोजीशन 13 स्वर्ण पदक प्राप्त कर बहुत ऊपर थी। इसके बाद से हमारे खेलों का स्तर गिरता जा रहा है और इंटरनेशनल ईवेन्ट्स में चाहे ओलम्पिक हो या एशियन गेम्स हो, प्रोग्रेस होने की जगह हमारा डिक्लाइन होता जा रहा है। अध्यक्ष जी, स्थिति यह है कि आज खेल संस्थाओं और खेल संगठनों में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है आई.ओ.ए. और स्पोर्ट्स सलेक्शन समय पर नहीं होते हैं। 200 लोगों का

समूह हिरोशिमा गया जिसमें 146 खिलाड़ी थे और 54 ऑफिशियल्स थे। सिर्फ 25 परसेंट ऑफिशियल्स ही जा रहे हैं। हिरोशिमा गेम्स के लिये 11 महीने पहले बजट सैक्शन हुआ, उससे पहले हिरोशिमा गेम्स के लिये कोई तैयारी नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण मत करिये, अपना प्रश्न पूछिये। आपका भाव समझ लिया गया है।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : खेल का ईवेंट होने से 11 महीने पहले तक पैसा नहीं दिया गया। जब 15 दिन पहले तक चयन नहीं हुआ था तो अच्छा प्रदर्शन कैसे हो सकता था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी यह कंसीडर करेंगे कि कम से कम कोई ईवेंट होने से 2 वर्ष पहले खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण के लिये पैसा सैंक्शन कर दिया जाये ताकि उनकी ट्रैनिंग अच्छी तरह से हो सके, उनकी कोचिंग अच्छी तरह की जा सके। उनका सलैक्शन जल्दी होने के कारण खिलाड़ी पूरा ध्यान खेलों के ईवेंट पर दे सकेंगे।

श्री मुकुल वासनिक : सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हिरोशिमा एशियन गेम्स के लिये पहली बार सरकार ने 20 करोड़ रूपये का प्रावधान सिर्फ तैयारी के लिये किया था। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि अगर आखिरी समय चयन किया जाता है, आखिरी समय पर खर्चा किया जाता है तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकल सकते। मैं माननीय सदस्य की इस बात से भी सहमत हूं कि सलैक्शन जल्दी होना चाहिये। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस संबंध में हमने सभी फैडरेशन्स को गाइडलाइन्स भेजी थीं। उनमें यही कहा गया था कि कम से कम से कम 6 हफ्ते पहले उनके प्रोपोजल्स हमारे पास आ जाने चाहिये ताकि 4 हफ्ते पहले तक हम उन्हें क्लियर कर सकें या अपना निर्णय ले सकें। अधिकतर फैडरेशन्स ने इस आधार पर अपने प्रोपोजल हमें भिजवा दिये लेकिन दो–तीन फैडरेशन ऐसे थे जिनके प्रोपोजल्स बहुत बाद में आये जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें पैदा हुई। हम कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से कम से कम 6 हफ्ते पहले सभी फैडरेशन्स के प्रोपोजल्स हमारे पास आ जायें।

जहां तक दो साल पहले राशि आबंटित करने का सवाल है, हमने सभी फैडरेशन्स को अगस्त महीने में लिखा है कि वे चार साल का प्लान बनाकर हमें दें। उसके बाद हम उनके साथ बैठकर यह तय करेंगे कि सरकार क्या खर्चा करेगी, स्पोर्ट्स आथोरिटी क्या करेगी, फैडरेशन ने क्या करना है और उसमें यदि किसी प्राईवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग की मदद की या सहायता की जरूरत होगी तो उसके संबंध में भी फैसला लिया जायेगा। लेकिन आज तक हमारे पास सिर्फ 9 फैडरेशन्स के प्रोपोजल्स ही आये हैं, बाकी फैडरेशन्स ने इस तरह के प्रोपोजल्स अभी नहीं भेजे हैं जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने खेलों का स्तर बढाने के बारे में, खेलों का स्तर ऊंचा करने के संबंध में बताया कि कुछ कदम उठाये जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 23 हजार लड़कों को सलैक्ट किया गया था, उसमें से 13 हजार स्टूडैंट्स बाद में छोड़कर चले गये। एक और स्कीम में जिन 2008 स्टूडैंट्स का सलैक्शन हुआ था, उसमें से 1100 ही ट्रेनिंग ले पाये। मेरा मतलब है कि मंत्री जी जो कदम ले रहे हैं, वे ठीक नहीं हैं दूसरे, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं देख रहा हूं कि कहीं भी भूतपूर्व खिलाड़ीयों को स्पोर्ट्स में शामिल नहीं किया गया है। जो हमारे अर्जुन एवार्डीज हैं, गोल्ड मैडलिस्ट हैं, उनका उपयोग किसी भी स्तर पर नहीं किया जा रहा है। स्पोर्ट्स के 28 एसोसियेशन या फैडरेशन है लेकिन किसी में कोई भूतपूर्व खिलाड़ी नहीं हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज जब सभी रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन की हालत बहुत खराब है, उन्हें नौकरी देने के लिये, क्या उनकी सेवाओ को कोचिंग देने के लिये, खेल स्तर ऊंचा करने के लिये उपयोग में लाया जायेगा, क्या उन्हें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उचित स्थान देने का कोई विचार मंत्रालय में विचाराधीन है, क्या भूतपूर्व खिलाड़ियों का उपयोग किये जाने का सरकार का कोई विचार है?

श्री मुकुल वासनिक : माननीय सदस्य ने स्पोर्ट्स आथोरिटी की स्कीमों के बारे में जिक्र किया, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जैसा हमने चाहा, वैसे नतीजे तो प्राप्त नहीं हुये लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्पोर्ट्स आथोरिटी की स्कीमें पूरी तरह से नाकामयाब हैं। एशियन गेम्स के लिये हिरोशिमा में जो भारतीय कन्टीन्जेंट गया था उसमें 27 खिलाड़ी ऐसे थे जो स्पोर्ट्स आथोरिटी के माध्यम से तैयार किया गया था, जिनमें हॉकी के प्लेयर अनिल, आल्ड्रीन, साबू, रवि नायक आदि शामिल हैं जिन्होंने वहां बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे सब खिलाड़ी स्पोर्ट्स आथोरिटी द्वारा तैयार किये गये थे। इसलिये उनकी स्कीमों से कुछ फायदा तो पहुंचा है लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन करने के हिसाब से, हमने एक इंडीपैन्डैट सर्वे टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज द्वारा कराया था। उनकी रिपोर्ट हमारे पास आई है। हम उस पर इसी महीने पूरा फैसला करेंगे, निर्णय करेंगे। अभी तक उसके ऊपर हम कुछ एग्जामिन कर रहे हैं।

जहां तक अर्जुन अवार्डीज को इसमें शामिल करने का सवाल है, जितनी भी सलैक्शन कमेटी हैं, उनमें जितने भी स्पोर्ट आथोरिटी और सरकार की ओर से प्रतिनिधि शामिल होते हैं वे सिर्फ अर्जुन अवार्डी ही होते हैं और जिन खेलों में अर्जुन अवार्डी नहीं हैं सिर्फ उन्हीं खेलों में अन्य लोग नियुक्त होंगे, अन्यथा हर खेल की समिति में सिर्फ अर्जुन अवार्डीज ही रहेंगे।

भूतपूर्व खिलाड़ियों के बारे में कहना चाहूंगा कि हमने जो नयी स्कीम पेंशन की बनाई है उसके अनुसार ओलम्पिक खेलों में जिनको गोल्ड मैडल प्राप्त हुए हैं उनको दो हजार रूपए प्रति माह की पेंशन दे रहे हैं और जिन्होंने एशियन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं उन्हें डेढ़ हजार रूपए महीने पेंशन दे रहे हैं। जो पेंशन हमने शुरू की है उसके तहत 143 खिलाड़ियों को अब तक पेंशन दी है। एल.आई.सी. के माध्यम से जो हम यह स्कीम चला रहे हैं, उसको इस स्कीम के लिए हमने 2 करोड़ 57 लाख 46 हजार 468 रूपए जमा कर दिए हैं। इसके अलावा नैशनल वैलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट पर्सन्स के तहत हमने 69 खिलाड़ियों को पेंशन दी है। कुछ लोगों को लाइफ पेंशन दी है और 100 ऐसी फेमिलीज या स्पोर्ट पर्सन्स हैं जिनको हमने लम्पसम ग्रांट दी है।

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 1990 से 1994 के बीच में भारत ने

खेलों के मामले में अच्छी प्रगति की है। देश भर में से खेलों के लिए अच्छे प्रतिभाशाली लोगों का चयन हो, क्या इसके लिए मंत्री महोदय ने जिला स्तर पर कोई स्टेडियम आदि बनाने की योजना बनाई है जिससे कि निचले लैवल पर अच्छे स्पोर्टमैन तैयार हो सकें और उनके प्रोपर सलैक्शन की क्या योजना है?

श्री मुकुल वासनिक : अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट काम्पलैक्स बनाने की हमारी एक योजना है जिसके तहत 50 लाख रूपये तक की धनराशि दे सकते हैं बाकी रहा हुआ 50 प्रतिशत खर्च स्पोंसर को या स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। यदि उसका उपयोग अयूब खां जी करना चाहें, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी जो 4 वर्ष की योजना का जिक्र किया क्या उसका प्रपोजल मंत्री जी के पास आ गया है और क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि जो चार वर्ष की अवधि मंत्री जी ने चुनी है उस योजना के अच्छे नतीजे निकलने की उम्मीद उनकी समझ में आ रही है यदि हां, तो वह क्या है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बहुत सारे खेलों में हिस्सा लेता है, फिर चाहे एशियन खेल हो या ओलम्पिक खेल या वर्ल्ड कप उनमें ज्यादातर खेलों में हम पिछड़ते जा रहे हैं, तो क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक खेल जिनमें हम अच्छी परफांस कर सकते हों उनको चुनकर पहले से ही एडवांस मे तैयारी करके सिर्फ उन्हीं खेलों में भाग लें।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या यहां भाषण देना चाहते हैं। कृपया यदि आप प्रश्न करना चाहें, तो प्रश्न करें।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, हम हर इवेंट में पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी कुछ चुने हुए खेलों में जिनमें हमें अच्छी उम्मीद हो, उनकी एडवांस में तैयारी करके हम क्या खेलों में शामिल होने का विचार रखते हैं फिर वे चाहे एशियन खेल हों या ओलम्पिक खेल हों उनका अच्छी तरह से प्रशिक्षण देकर खिलाड़ियों को उन खेलों में उतारें ताकि अच्छे नतीजे मिल सकें?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा जाता है।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : हम न केवल भाग लेने वालों का चयन करेंगे बल्कि हम उन विशिष्ट खेल विधाओं का भी पता लगायेंगे जिनमें हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी भाग लें। वह प्रक्रिया जारी है और इस माह अथवा अगले माह हम इस बात को अन्तिम रूप दे देंगे कि हम 1996 के एशियाई खेलों में किन–किन खेल विधाओं में हिस्सा ले रहे हैं।

जहां तक दीर्घावधि विकास योजनाओ का संबंध है, इन चार वर्ष की योजनाओं के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है केवल नौ संघों ने ही अब तक अपनी योजनाएं भेजी हैं। उन्हें परसों तक अपनी योजनाएं भेज देनी थीं जो कि अंतिम तिथि थी। लेकिन उनमें से अधिकांश ऐसा करने में असफल रहे हैं।

इन योजनाओं में शारीरिक विकास, प्रशिक्षण निर्वहण, सहभागिता, क्लबों का संपूर्ण विकास, राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तालिका प्रमुख खेलों का आयोजन, वित्तीय प्रबंधन, खेल विज्ञान, खेल मनोविज्ञान तथा अन्य अनेक बातें शामिल हैं। यह एक व्यापक योजना होगी। मुझे विश्वास है कि एक बार हम यह योजना लागू कर दें, तो हम निश्चय ही खेलों में सफलता प्राप्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर खेल के गिरते हुए स्तर पर चर्चा हो रही है लेकिन यह सवाल केवल प्रश्नोत्तर काल का नहीं है। इस पर आप चर्चा कराइये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर पार्लियामेंट में चर्चा कराइये।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर चर्चा चाहिए तो वह मैं करा दूंगा लेकिन प्रश्न काल में केवल प्रश्न कीजिये और चर्चा काल में चर्चा कीजिये। प्रश्न काल में चर्चा और चर्चा काल में प्रश्न नहीं होना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : जो यह प्रश्न आया है मैं उसी पर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। जब एशियाई खेल शुरू होने वाले थे तो मैंने पहले ही पार्लियामेंट में कह दिया था कि ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, उससे कोई उपेक्षा नहीं की जा सकती और यह बात सत्य साबित हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसके लिए जितना भी पैसा अलॉटमेंट कर दें लेकिन हमारे देश में जो खेल की संस्कृति व खेल की व्यवस्था चलाई जा रही है, उससे खेल का उत्थान नहीं हो सकता।

मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो खेल मूलतः गांव में होते हैं और कुछ जातियां जो खेल से, स्वाभाविक व प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई होती हैं, क्या उन बच्चों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना सरकार ने बनाई है। अगर बनाई है तो मुझे बताने का कष्ट करें। मैं आपको बता दूं कि गांव में बहुत सी जातियां हैं जैसे मल्लाह जाति है। इनको अगर तैराकी की शिक्षा, किसान जो है उनको घुड़सवारी की शिक्षा, जो नट हैं उनको जिमनास्टिक की शिक्षा तथा कुछ कुस्ती वाली विशेष जातियां होती हैं, अगर उन सबको प्रशिक्षित किया जाये तो मैं समझता हूं कि गांव में खेल की संस्कृति की बढ़ती व उससे खेल का विकास हो सकता है।

आपने देखा होगा कि चीन ने बहुत दिनों तक एशियाई खेलों में व ओलम्पिक खेलों में भाग नहीं लिया और अभी पिछले आठ सालों से इन खेलों में भाग लेकर पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है और अभी एशियाड में भी प्रथम स्थान बनाये रखा है तो ऐसा कौन सा कारण है? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं हमारी सरकार इस तरह की किसी योजना की खोज करती?

मुकुल वासनिक : मैं यह कहना चाहूंगा कि खेल का विषय राज्य सरकार के अधीन आता है लेकिन उसके बावजूद जो सवाल माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास कोई योजना है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप समझ नहीं रहे है। यह आपकी समझ के बाहर है।

श्री मुकुल वासनिक : मैं यह कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स ऑथारिटी की जितनी भी स्कीम्स हैं जैसे नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट

कांटेस्ट, एस.ए.जी. स्कीम्स, एस.पी.डी. सेंटर, आर्मी कॉर्प्स स्पोर्ट्स कम्पनीज, स्पोर्ट्स होस्टल्स, तो इन सभी स्कीम्स में ग्रामीण व शहरी विभाग में से चयन किया जाता है और इन सेंट्रर्स में इनको ट्रेनिंग देने की कोशिश होती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी धनराशि केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध होती है, उससे अगर सारे भारत में पैसा खर्च करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो सकते।

श्री वीरेन्द्र सिंह : जितना पैसा दिया जाता है वह काफी है। उसी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।

श्री मुकुल वासनिक : जहां तक नेशनल टीम के सलैक्शन का सवाल है।

[अनुवाद]

हमने सार्वजनिक तथा निज़ी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ राष्ट्रीय टीम चयन संघ को यह आश्वासन दे दिया है कि यदि उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए निवेश किया तो उन्हें कर में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि वे अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में हिस्सा लेने के लिए हमारी राष्ट्रीय टीम तैयार करने में मदद देते हैं तो जो कुछ भी राशि सरकार के पास उपलब्ध हैं, उसे पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्रों, दूर-दराज के क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग रखा जा सकता है, जहां कोई अन्य नहीं जा सकता, केवल सरकार ही वहां पहुंच सकती है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, वीरेन्द्र सिंह जी ने जो सवाल पूछा है, वह बड़ा बुनियादी सवाल पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना सवाल पूछिये। किसी दूसरे का सवाल मत पूछिये।

श्री छेदी पासवान : मेरा सवाल उसी से जुडा है लेकिन उनका सवाल बड़ा बुनियादी है।

अध्यक्ष महोदय : उनके सवाल पर मैं आपको पूछने नहीं दूंगा। अगर आप पूछेंगे तो उसे मैं डिसएलोऊ कर दूंगा। आपका कोई सवाल है तो आप पूछिये।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर पर खेलकूद के माहौल को तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स अथोरिटी ऑफ इण्डिया की तरफ से ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, महिला खोज प्रतियोगिता, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता कराई जाती है लेकिन इसके लिए राशि बहुत कम दी जाती है। ब्लाक स्तर पर खेल कराने के लिए 250 रूपये और जिला स्तर पर खेल कराने के लिए भी मात्र 250 रूपये दिये जाते हैं। हम समझते हैं कि यह मात्र औपचारिकता भर रह गई है। इस राशि को बढ़ाने के लिए सरकार विचार कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि खेलकूद गांव से ही बढ़ता है और देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है?

श्री मुकुल वासनिक : जो राशि सरकार के पास उपलब्ध है, उसी में से प्रावधान किया गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो राशि उपलब्ध कराई गई है, वह इतनी नहीं है कि उसमें [illegible] कुछ किया जा सके। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर [illegible] और से हम राशि प्राप्त करके ग्रामीण स्तर पर ज्यादा खर्च कर [illegible] तो निश्चित रूप से उस दिशा में कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी. मरबनिआंग (शिलांग) : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षित एथलीटों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है। इन एथलीटों को उनकी किशोरावस्था से ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब इन एथलीटों की उम्र 18-19 वर्ष हो जाती है, तब भारतीय खेल प्राधिकरण उन पर ध्यान नहीं देता और उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। अब उनमें से कुछ तो प्रशिक्षण के इन वर्षों के दौरान, बहुत ही अच्छे एथलीट साबित हुए हैं। हमने देखा है कि एक एथलीट 30 वर्ष की आयु तक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।

इसलिए, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित उत्कृष्ट एथलीटों और उन एथलीटों को, जो भविष्य में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, और सहायता देने का इरादा रखती है?

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, हम उत्कृष्ट खिलाड़ियों का निश्चय ही ध्यान रखते हैं चाहे वे भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त हों अथवा उन्होंने कहीं और प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। महोदय, मैं आके माध्यम से सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि वर्ष 1994 के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण के कुछ प्रशिक्षणार्थियों तथा कुछ अन्य प्रशिक्षणार्थियों को, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, नकद पुरस्कार दिया जाएगा तथा 67 खिलाडियों को इस महीने की 17 तारीख को 54,23,992 रू. की पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी। इनमें कुंजु रानी जैसी लड़की भी शामिल है, जो मणिपुर के एक दूरस्थ गांव से संबंध रखती है, उसे भी कम से कम 9 लाख रू. की पुरस्कार राशि प्राप्त होगी।

महोदय, इसलिए, हम इनका अवश्य ध्यान रखते हैं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट सुझाव है तो वे मुझसे बातचीत कर सकते हैं, हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 82 श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, कृपया एक अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। अब हमें ऐसा न करने दें। हमने पहले ही दूसरे प्रश्न के लिए बुला लिया है। श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या। वे अनुपस्थित हैं। श्री काशीराम राणा।

श्री याइमा सिंह युमनाम : अनेक मौकों पर मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने से वंचित किया गया है। इसलिए, विरोध स्वरूप मैं इस सभा से बाहर जा रहा हूं।

11.24 म.पू.

इस समय श्री याइमा सिंह युमनाम सभा से उठकर चले गए

कम वर्षा

\+

*82. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री काशीराम राणा

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान कम वर्षा के कारण देश के कई भागो मे सूखे की स्थिति पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इससे कौन-कौन से राज्य प्रभावित हुए है और प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र को सूखा-प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इसके परिणाम स्वरूप अनुमानतः कितनी फसल को हानि हुई;

(घ) क्या किसी केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है,

(ङ) यदि हां, तो इस दल के निष्कर्ष क्या है;

(च) राज्य सरकारो द्वारा कितनी विशेष सहायता की मांग की गई और वास्तव में उन्हें कितनी धनराशि दी गई, और

(छ) खाद्यान्नो की मांग की पूर्ति हेतु प्रभावित राज्यो के सहायतार्थ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून, 1994 के दौरान अपर्याप्त वर्षा एवं सूखा से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों मे मौसम की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, हालांकि अब तक किसी भी क्षेत्र को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनंतिम मूल्यांकन के अनुसार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में क्रमशः 21.14 लाख हैक्टेयर तथा 8.68 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने सूखा ग्रस्त क्षेत्रों मे राहत उपायो के लिए क्रमशः 344.00 करोड रूपये और 231.70 करोड रूपये की केन्द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 1994-95 के आपदा राहत कोष में से केन्द्रीय अंश की समस्त राशि, जो क्रमशः 49.21 करोड तथा 20.25 करोड रूपये है, हाल ही में उपर्युक्त राज्य सरकारों को दे दी गई है।

(छ) भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को संकट क्षेत्रों की मांग पूरी करने वाले गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न स्टाक करने का निदेश दिया है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में कम वर्षा से जो सूखे की स्थिति पैदा हुई, उसमें सरकार की ओर से सहायता के लिए जो मैमोरेण्डम मिले, उसमे आन्ध्र प्रदेश की ओर से 344 करोड रूपये की और कर्नाटक की ओर से 231 करोड रु. की सहायता मांगी गई। लेकिन न तो सरकार ने वहा कोई टीम भेजी और न ही सहायता दी। सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा कि नैचुरल कैलेमिटीज के लिये जो क्राइटीरिया तय किया गया है, उसके अनुसार ही सहायता मिलेगी। मै इस बारे मे माननीय मंत्रीजी जी से जानना चाहता हूं कि नैचुरल कैलेमिटीज के लिये जो नॉम्स तय किये गये हैं, इससे अधिक नुकसान अगर किसी स्टेट में होता है तो क्या सरकार उस क्राइटीरिया में बदलाव लाने के लिये तैयार हैं या नहीं चाहे सूखा हो, चाहे अतिवृष्टि हो, इससे नुकसान बहुत अधिक होता है। गुजरात मे अतिवृष्टि से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसके लिये 800 करोड रूपये का मास्टर प्लान बनाया गया, लेकिन उसके अनुसार एक भी पैसा नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में नैचुरल कैलेमिटीज के लिये जो नॉम्स बने हुए हैं, उनमें सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है या नहीं? इसके अलावा सरकार को जो आवेदन सहायता के लिये भेजे जाते हैं, उनके अनुसार वह सहायता टीमें क्यों नहीं भेजती है?

श्री अरविन्द नेताम अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने अपने मैमोरंडम में जो माननीय सदस्य ने राशि की बात की है, वह मांगी थी। आप सब यह जानते हैं कि सातवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के साथ मिल करके नैचुरल कैलेमिटीज फंड के सम्बन्ध में जो नीति तय की है, उसके तहत हम राज्य सरकारों को मदद देते हैं और इससे हम बंधे हुए है। जो राशि जिस किसी के हिस्से में आती है, वही दी जा सकती है। यह राशि चार इनस्टॉलमैंट्स के हिसाब से दी जाती है। इन दोनों राज्यों को भी इसी हिसाब से इनस्टॉलमैंट्स में राशि दी गई। जहां तक बात नीति में परिवर्तन करने की है, राज्य सरकारें चाहे तो दसवें वित्त आयोग के सम्मुख बैठकर नीति बदल सकती हैं। हमे इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने नीति परिवर्तन की बात इसलिये की कि जहां 344 करोड़ रूपये की मांग होती है, वहा सिर्फ 49 करोड रूपये ही मिलते हैं और जहां 231 करोड रूपये की आवश्यकता होती है, वहां 28.25 करोड़ रूपये ही मिलते हैं। इसी प्रकार से गुजरात में एक हजार करोड रूपये से भी ज्यादा का नुकसान हुआ लेकिन केवल 85 करोड रूपये ही मिले। इसलिये हम चाहते है कि बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन हो। मेरा स्पष्ट सवाल यह है कि सरकार ने अप्रैल 1993 में एक टैक्निकल कमेटी बनायी थी। श्री हनुमतैय्या राव इसके चेयरमैन थे। उसने 35 सिफारिशें की थी। इन 35 सिफारिशों में डी.पी.ए.पी. एरिया के लिये प्रोग्राम बनाया गया था और डैजर्ट डैवलपमैंट प्रोग्राम बनाया गया था, कितनी सिफारिशो को सरकार ने इम्पलीमैंट किया? सरकार पूरी सिफारिशें कब तक लागू करेगी और अब तक सरकार ने इस पर कितना खर्चा किया है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से बिल्कुल हमदर्दी रखता हूं कि पैसा ज्यादा होना चाहिये। दसवें वित्त आयोग की रिकमंडेशन्स आनी है। शायद उसमे [illegible] जाये। हमारे पास बहुत कुछ साधन है जिनके द्वारा ड्राऊट प्रोन एरियाज की स्थिति सुधारने और उनकी सहायता करने

के लिये कार्य किया जा सकता है। इसमें एक ड्राऊट मैनेजमैंट प्रोग्राम है। किस तरीके से इसको रोकना है, उसके अधीन पैसा खर्च किया जाता है। हमारे पास ड्राऊट प्रोन एरिया प्रोगाम भी इसके मुत्तालिक है। 1973 और 1975 के बीच अन्दाजे के तौर पर 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान था। इसमें आधा पैसा सरकार और आधा राज्य सरकार देती है। एक डैजर्ट डैवलपमैंट प्रोग्राम है। इसमें 511 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया। यह 1977-78 से चालू है। एक जे.आर.वाई. योजना है। इसके द्वारा लोगों को काम दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना है। एक मिलियन वैल्स प्रोग्राम है जिसमें 10 लाख कुएं खोद करके सिंचाई का प्रबन्ध किया जाता है। एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम में भी हमारे पास 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान है। इस तरीके से हम सारा काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पैसा पूरा नहीं पड़ता है, क्योंकि काम ज्यादा होता है। साइक्लोन भी आते हैं, क्वंडर भी आते हैं और इसके साथ ओलावृष्टि और तूफान भी आते हैं। मैं जानता हूं, इससे नुकसान ज्यादा होता है और इनसे गरीब पिटता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि दसवें वित्त आयोग में बैठकर दोबारा काम किया जाए। वैसे 1987-88 में सबसे ज्यादा सूखा पड़ा था और उसके लिए 9वें वित्त आयोग द्वारा पैसा ज्यादा दिया गया था। हर राज्य को दिया गया था। उस वक्त फैसला हुआ, स्टेट्स की मजबूरी थी कि हमें पैसा दे दिया जाए, हम अपना प्रबन्ध स्वयं करेंगे और केन्द्रीय सरकार का हाथ नहीं होना चाहिए। उस वक्त 9वें वित्त आयोग में यह बात आकर रह गई। अब इसको हटाने के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिश आ गई है। मेरा ख्याल है कि अब परिवर्तन होगा, जिससे हम मिलकर, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार, काम करेंगे और प्रावधान कर सकेंगे। इससे ड्राउट प्रोन क्षेत्रों को लाभ होगा और हम सभी भाइयों की सहायता कर सकेंगे। इसके लिए जितना आप प्रयत्नशील हैं, उतना हम भी हैं।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हनुमनतैय्या कमेटी के बारे में जवाब नहीं दिया।

श्री बलराम जाखड़ : यह उसी में आएगा।

[अनुवाद]

श्री अंकुशराव टोपे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यद्यपि अपर्याप्त वर्षा के कारण महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, फिर भी उस क्षेत्र को फसल प्रभावित क्षेत्र के रूप में क्यों नहीं दर्शाया गया है और महाराष्ट्र राज्य को केन्द्रीय सहायता क्यों नहीं प्रदान की गई है।

श्री अरविन्द नेताम : महोदय, यह सच है कि महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है, लेकिन हमें इस बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कितने क्षेत्र में नुकसान हुआ है। जो धनराशि प्राकृतिक आपदा राहत कोष से देय थी, हमने पहले ही महाराष्ट्र सरकार को दे दी है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया गया है कि महाराष्ट्र मे अकाल की स्थिति है और यह भी बताया गया है कि महाराष्ट्र की तरफ से कुछ नहीं आया है। महोदय, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं। कृषि मंत्री, श्री बलराम जाखड़ जी, भी वहां जाकर आए हैं। आपने देखा है कि वहां किस प्रकार की हालत है और वहा से कुछ नहीं आया है। महाराष्ट्र सरकार का कोई भी कारण हो, उनकी रूचि न हो, यह भी हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार को समय नहीं मिला, यह भी हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ... **(व्यवधान)** उन्होंने मांग अभी तक भेजी नहीं है, ऐसा बताया है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक मांग भेजी नहीं है, ऐसा उत्तर में बताया गया है।...**(व्यवधान)** आपने उत्तर सुना नहीं है। आप मंत्री जी का उत्तर सुनिए।....**(व्यवधान)** मेरा प्रश्न यह है कि जब इस प्रकार की स्थिति निर्माण हुई है और महाराष्ट्र सरकार ने मांग भेजी नहीं है, तो आप यह अपने आप नहीं कर सकते हैं कि वहां के गरीब किसानों की सहायता हो और आप अपने आप वहां टीम भेजकर, जो नुकसान हुआ है, उसका अन्दाज लेकर महाराष्ट्र सरकार की सहायता करें।

श्री बलराम जाखड़ : हम फटाफट रिलीज करते हैं, उसमें कोई देरी नहीं करते हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा स्पैसिफिक प्रश्न है, केन्द्र सरकार अपनी टीम भेजकर वहां जो नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी लेगी या नहीं?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मैंने कई बार बताने की चेष्टा की है, जो निर्धारित पद्धति है, उसको बदलने की आवश्यकता है और वह दसवें वित्त आयोग में होगी। आप उसको भेजें या न भेजें, सारा कुछ होता है, लेकिन बात उतनी है, जितनी कि मैं बता रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, एक स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने ब्यौरा नहीं भेजा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे कम से कम अब अपना एक दल वहां भेजेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझा है।

[हिन्दी]

फटाफट करेंगे जो एप्रोप्रिएट है, वह जरूर करेंगे।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का राजस्थान से बहुत अच्छा संबंध रहा है और राजस्थान सबसे अधिक सूखाग्रस्त प्रदेश रहता आया है....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप उसी जगह पर जा रहे हैं। उन्होंने पूछा है ये स्कीम्स क्या हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : महोदय, मैं यह कहना चाहता हू कि यह साल भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार में सौभाग्यशाली साल रहा है कि इस साल सूखा नहीं पड़ा। मेरा निवेदन यह है कि आप जो केन्द्रीय अध्ययन टोली भेजते हैं, उसके लिए क्या आपने कोई नियम बनाए हुए हैं, बार-बार राज्य सरकारों के आग्रह करने के बावजूद भी अध्ययन टोलियां जाती हैं और वे अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट देती हैं। रिपोर्ट दे देने के बावजूद भी वे जितनी राशि की अनुशंसा करते हैं उतनी धनराशि भी केन्द्र सरकार मुहैया नहीं करवाती। गाडगिल फार्मूला बना था उसके बाद आज आप हनमंतैया समिति की बात कर रहे हैं, कृपा करके जहां अकाल पड़े वहां स्वतः अपनी इच्छा से केन्द्र सरकार अध्ययन टोली स्वयं भेजे, बार-बार

राज्य सरकार के आग्रह पर ध्यान न देकर स्वयं अपना दायित्व निर्वहन करें, यही मेरा निवेदन है....(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री ओस्कार फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, हम प्रकृति की दया पर निर्भर हैं या तो सूखा पड़ता है और या फिर बाढ़ आ जाती है। जो कुछ भी धनराशि आप आपदा राहत के लिए रखते हैं, वह पर्याप्त नहीं होती है। हमारे मंत्रीजी ने पहले ही कहा है कि सूखे से लड़ने के लिए उनके पास योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं।

मैं कर्नाटक के बारे में पूछ रहा हूं क्योंकि कर्नाटक सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वर्ष भी भीषण बाढ़ आई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जहां तक कर्नाटक का संबंध है; नियोजित कार्यक्रमों से कितने एकड़ भूमि की अथवा अतिरिक्त अन्न के उत्पादन की उपलब्धि हुई है।

श्री बलराम जाखड़ : यह जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जानी है।

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में सूखे से लगभग 21.24 लाख हेक्टर भूमि प्रभावित हुई है जिसके लिए मात्र 49.21 करोड़ रू. आबंटित किए गए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इसे प्राकृतिक आपदा माना है। सरकार ने आपदा को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं? इससे पूर्व, राजस्थान और बिहार में सूखे के दौरान काफी सहायता प्रदान की गई थी। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि जब आन्ध्र प्रदेश में इस समय 21.14 लाख हेक्टर भूमि सूखे से प्रभावित हुई, तो उसके लिए केन्द्र द्वारा कोई सहायता क्यों नहीं दी जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए आपके पास क्या मानदंड हैं?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों में ऐसी कोई आपदा नहीं आई जिसे राष्ट्रीय आपदा माना जाए। हमने किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है। जो कुछ भी किया गया है वह सही तरीके से किया गया है।

श्री शरत पटनायक : हाल ही में केन्द्रीय दल ने उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। लेकिन मुझे खेद है कि उड़ीसा को सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि उड़ीसा को हमेशा सूखे की समस्या का सामना करना पड़ा है, तो क्या भविष्य में उड़ीसा को सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। अनेक योजनाएं हैं और उन योजनाओं के अन्तर्गत इस समस्या का समाधान किया जाना है। माननीय मंत्री जी द्वारा उन योजनाओं का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

श्री शरत पटनायक : महोदय, केन्द्रीय दल द्वारा उड़ीसा का दौरा पहले ही किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : ये केन्द्र तथा राज्य की योजनाओं के अन्तर्गत हैं।

हावड़ा-मुम्बई मेल में आग लगना

\+

***83. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :**
श्री अनिल बसु :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोटापहाड़ तथा चक्रधरपुर स्टेशनों के बीच हावड़ा–मुम्बई मेल के एक सवारी डिब्बे में हाल ही में आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस घटना में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ग) मृतकों तथा घायलों के आश्रितों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस घटना के कारणों की कोई जांच करायी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(च) वर्ष 1994 के दौरान अब तक ऐसे कितने अग्निकांड हुए हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या निवारक उपाय किये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (छ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). जी, हां। 26.10.94 को जब 8001 डाउन मुंबई–हावड़ा मेल, दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के राउरकेला–चक्रधरपुर खंड के लोटापहाड़ तथा चक्रधरपुर स्टेशनों के बीच चल रही थी, तब इसके दूसरा दर्जा शयनयान सवारी डिब्बे में आग लग गई। इस अग्नि दुर्घटना में प्रभावित सवारी डिब्बे में से 29 शवों के अवशेष निकाले गए थे। तथापि बाद में चक्रधरपुर नगरपालिका के प्राधिकारियों ने 27 पहचाने गए शवों सहित 35 व्यक्तियों के बारे में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए थे। इस दुर्घटना में 4 यात्री गंभीर रूप से तथा 13 अन्य सामान्य रूप से घायल हुए थे।

(ग) पहचाने गए मृतकों के आश्रितों तथा घायल यात्रियों को 2,87,500 रूपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था। मृतकों के आश्रितों तथा घायलों को मुआवजे का भुगतान दावाकर्ताओं द्वारा दावा दायर करने तथा रेल दावा अधिकरण द्वारा डिक्री किए जाने के बाद किया जाएगा।

(घ) और (ङ). दक्षिण–पूर्व सर्कल के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा सांविधिक जांच की जा रही है जिनकी अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(च) चालू वर्ष के दौरान नवंबर, 1994 तक यात्री गाडियों में आग लगने की पांच दुर्घटनाएं हुई हैं।

(छ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) यात्री गाडियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने के खतरों के संबंध में विभिन्न माध्यमों के माध्यम से यात्रियों में चेतना जगाना।

(2) गाड़ियों में ज्वलनशील ले जाने वाले यात्रियों, फेरी वालों और सामान बेचने वालों को पकड़ना।

(3) "तत्क्षण कार्रवाई दल" नामक एक पायलट योजना, जो मुख्यतः आरक्षित सवारी डिब्बों में प्रवेश करने वाले अप्राधिकृत यात्रियों, संदेहास्पद और ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने से रोकने हेतु शुरू की गई है।

(4) सवारी डिब्बों में बिजली उपकरणों का समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री गाड़ियों में खतरे की जंजीर का यंत्र ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, अनुरक्षण डिपुओं में गहन जांचें की जाती हैं।

(6) रेल परिसरों में स्थानों पर और गाड़ियों में अग्नि-शमन यंत्रों की व्यवस्था करना।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, दुर्घटना 26 अक्तूबर को हुई थी और 27 तारीख को रेल प्राधिकारियों ने उन 29 व्यक्तियों की सूची निकाली थी, जो दुर्घटना में मारे गए थे। अंतिम सूची में उल्लिखित इन 29 व्यक्तियों की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। फिर भी, मृतकों के परिवारजनों को परेशान करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हमने सुना है कि माननीय मंत्री स्वयं उस स्थान पर गए थे और वह वहां 20 मिनट तक रहे थे। मैं नहीं जानती कि उन्होंने मृतकों और जीवित बचे व्यक्तियों को कितना-कितना समय दिया। मैं जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय ने वहां स्वयं या किसी उत्तरदायी अधिकारी के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया कि जिन व्यक्तियों के नाम सूची में हैं उनके परिवारजनों को मृत्यु प्रमाण-पत्र अविलंब प्रदान किया जाए। यदि उन्होंने ऐसा किया था, तो परेशान करने की बात कैसे हुई? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? मृतकों के परिवारजनों की कठिनाइयों को देखते हुए, मैं जानना चाहती हूं कि क्षतिपूर्ति की राशि कब तक दी जाएगी। यह बात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि क्षतिपूर्ति के मामले में ऐसी कठिनाइयां न हों?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, सबसे पहले मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं वहां केवल 20 मिनट तक नहीं था बल्कि दो घंटे तक था। जहां तक मृत्यु प्रमाण-पत्र का संबंध है, यह स्थानीय प्राधिकारियों का कार्य है। रेलवे ने अभी-अभी ब्यौरा दिया है। जहां तक क्षतिपूर्ति का संबंध है, यह दावा न्यायाधिकरण का कार्य है, जो दावों की सत्यता की जांच करने के बाद क्षतिपूर्ति देता है। जब एक बार इसका निपटान हो जाएगा, तो इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, उत्तर संतोषजनक नहीं है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या दुर्घटना को देखते हुए मृतकों के परिवारजनों को क्षतिपूर्ति देने का कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है। मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं और न ही पहले जो मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या उन्होंने मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कोई प्रयास किए हैं, उसके उत्तर से संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट नहीं हूं।

महोदय, अब मेरा प्रश्न यह है कि प्रश्न (च) के उत्तर में यह कहा गया है कि नवंबर, 1994 तक पांच दुर्घटनाएं हुई हैं जो काफी अधिक हैं। इससे यह पता चलता है कि 26 अक्तूबर को जो कुछ हुआ, वह आगे भी हो सकता है। ऐसी स्थिति है, प्रणाली में ऐसी कमियां हैं, रेलवे प्राधिकारियों की ऐसी गलतियां हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। इसलिए महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि आरक्षित डिब्बों आदि में अप्राधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए मंत्री महोदय कौन सी प्रायोगिक योजना तत्काल शुरू करना चाहते हैं। मैं योजना का विस्तृत ब्यौरा जानना चाहती हूं और क्या इससे आरक्षित डिब्बों में गार्ड की उपस्थिति तथा गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सकेगा ताकि अप्राधिकृत व्यक्ति उनमें प्रवेश न कर सकें और क्या खतरे की जंजीर के यंत्र के ठीक कार्य करने को सुनिश्चित किया जा सकेगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं यह भी जानना चाहती हूं....

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सा है। मैं इस योजना का और ब्यौरा चाहती हूं क्योंकि....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : इस प्रश्न के भाग (ख) में कहा गया है कि सांविधिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। समिति की अंतिम बैठक 8 नवंबर को होनी थी। उसके बाद एक महीना बीत गया है। सांविधिक जांच समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत की है और रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र कराने के लिए क्या किया जा रहा है?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : जहां तक योजना का संबंध है, हमने आरक्षित डिब्बों के लिए एक दल गठित किया है। एक टी.टी. उन गाड़ियों में प्रत्येक शयनयान में होगा जिनमें डिब्बों के बीच का रास्ता नहीं है, एक टी.टी. दो शयनयान श्रेणी डिब्बों में होगा, एक टी.टी. उन एम.जी. गाड़ियों के तीन शयनयान श्रेणी डिब्बों में होगा जिनमें बीच का रास्ता है। एक सवाहक पांच ऊपरी दर्जे के डिब्बों के पयवेक्षण के लिए होगा। ऊपरी दर्जे के डिब्बे में एक डिब्बा परिचारक का होगा लेकिन दो प्रथम-दर्जे के डिब्बों में एक परिचालक होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक वरिष्ठ प्रशिक्षित टी.टी., दो रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिक, दो डिब्बा परिचारक तथा दो सफाई वाले एक दल के रूप में जाएंगे। वे गाड़ी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मुद्दा यह है कि वे वहां नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह उस योजना के बारे में बता रहे हैं, जो वह क्रियान्वित कर रहे हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : वास्तव में ऐसा ही है। वह दल सभी डिब्बों में जाएगा और देखेगा कि क्या यात्री सुरक्षित हैं, क्या असली यात्री यात्रा कर रहे हैं, क्या कोई बाधा उपस्थित की जा रही है, क्या कोई उपस्कर कार्य कर रहा है या नहीं। इस दल द्वारा इन सबकी निगरानी की जाएगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जांच का क्या हुआ?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : हम उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जांच आयुक्त उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार जब यह रिपोर्ट आ जाएगी, हम इसे प्रस्तुत कर देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : इधर हाल में रेल दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दुर्घटनाओं पर ही विस्तृत चर्चा मत कीजिए, कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। क्या सरकार 30 प्रतिशत पुराने डिब्बों को बदलने पर विचार कर रही है जिनका अभी भी उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसी कारण ये सभी दुर्घटनाएं हो रही हैं?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : नवीकरण और डिब्बों को बदलना यह एक सतत् प्रक्रिया है। हर वर्ष हम आवश्यकता का आकलन करते हैं। यह नई बात नहीं है। यदि यह 30 प्रतिशत है तो हम 30 प्रतिशत को बदल देंगे, यदि यह 50 प्रतिशत है, तो हम 50 प्रतिशत को बदल देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा नहीं किया जा रहा है। पुराने डिब्बों को बदला नहीं गया है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : यह सतत् प्रक्रिया है। हम उनमें सुधार कर रहे हैं।

श्री शरद दिघे : यह बताया गया है कि सांविधिक जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस अग्निकांड के कारण जानने के लिए किसी प्राधिकरण द्वारा कोई प्रथम दृष्टया रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या नवंबर, 1994 तक आग लगने की अन्य जांच दुर्घटनाओं के बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध है। क्या रेलवे में हुए इन अग्निकांडों में कोई समान कारण है?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : यह बिल्कुल अलग बात है। यह रेलवे से संबंधित नहीं है। यह ज्वलनशील सामग्री के बारे में है जो यात्री अपने साथ ले जा रहे थे। यह बात जीवित बचे यात्रियों ने बताई है जिनसे हम अस्पताल में मिले थे। यह कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है। हमने यह बात जीवित बचे उन यात्रियों से सुनी है जो अस्पताल में हैं, जो इस अग्निकांड के शिकार हुए हैं। उनकी बातों के आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि यह बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट नहीं था, बल्कि ज्वलनशील सामग्री के कारण ऐसा हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्न भिन्न है। सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इन पांचों दुर्घटनाओं के कोई समान कारण हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : कभी–कभी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है लेकिन यह बिल्कुल अलग बात है जिसके लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं है....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दूसरे सदस्य को पूछने दीजिए, आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, उस समय अनेक दिन तक जो समाचार प्रकाशित हुए थे, उनके अनुसार तथा इस दुर्घटना के यात्रियों अथवा जीवित बचे यात्रियों ने संवाददाताओं को जो बताया उसके अनुसार रेलवे प्राधिकारियों ने इन डिब्बों में खतरे की जंजीर के यंत्र को निष्क्रिय कर दिया था। इसलिए, किसी भी आकस्मिक स्थिति में, यात्री गाड़ी को कैसे रूकवाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है या नहीं, ऐसा क्यों किया गया और भविष्य में इस संबंध में कोई कार्यवाही करने के बारे में उनका क्या विचार है।

दूसरा, जो लोग बच गए थे उन्होंने प्रैस को बताया कि कोई परिचारी अथवा परिचालक मुझे उनका पदनाम नहीं मालूम है, जो कि रेलगाडी चलने के बाद वहां थे, वे रात के समय बीच के रास्ते से दूसरे डिब्बे में चले गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उस डिब्बे में जहां आग लगी और दूसरे डिब्बे के बीच आप बीच के प्रवेशद्वार से जा सकते थे। उसने वह प्रवेशद्वार भी बंद कर दिया था, इसलिए यात्री उस रास्ते से भी बाहर नहीं जा सकते थे।

मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में रेलवे क्या प्रक्रिया अपनाती है और उन्होंने क्या निर्देश दे रखे हैं। दूसरी बात यह कि उस डिब्बे में कोई भी नहीं था, न तो कोई परिचारी था और न ही कोई परिचालक था, जो कि यह देख सके कि कोई अनधिकृत व्यक्ति तो इस डिब्बे में नहीं घुस रहा है। कोई भी डिब्बे में चढ़ सकता है और उतर सकता है। मैं नहीं जानता कि क्या वे ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहे थे अथवा नहीं। जांच द्वारा कुछ पता लगेगा अथवा कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन इन यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? कृपया हमें बताइए।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, यहां तक कि बीच के प्रवेशद्वार वाली रेलगाड़ियों का संबंध है रात के समय के दौरान जब रात का खाना परोस दिया जाता है और खाने का काम समाप्त हो जाता है तो बीच के प्रवेशद्वार को बन्द कर दिया जाता है। वहां कोई भी नहीं होगा और परिचारी अगले डिब्बे में होगा। दूसरा, जहां तक कि अलार्म चेन का संबंध है जांच और रिपोर्टों के अनुसार यह पाया गया है कि यह कार्य कर रही थीं।

वास्तव में, दो बातें हुईं। पहली जब स्टेशन मास्टर ने देखा कि रेलगाड़ी आग पकड़ रही है तो उसने अगले स्टेशन नियंत्रण' को सूचित किया कि वह ओवर हैड लाइन्स को बन्द कर दे ताकि रेलगाड़ी को रोका जा सके। चालक ने भी यह कहा है कि उसको संकेत मिल गए थे और उसने ब्रेक लगाए। इसलिए अलार्म चेन के खराब होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब यात्रियों ने चेन खींची तब चालक को संकेत मिला और उसने ब्रेक लगाए...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अनधिकृत लोगों के अन्दर आने के बारे में आप क्या कहेंगे?...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : इस दुर्घटना के बाद मैंने 10 से भी अधिक बार रेल मंत्रालय तथा रेल विभाग के अधिकारियों से बात की। इसलिए, मुझे बेहतर जानकारी है क्योंकि मेरे पास सभी दस्तावेज तथा कागज हैं।

मैं अनेक लोगों से भी मिली और साक्ष्य के अनुसार यह एक गंभीर दुर्घटना थी। कोई कोच परिचारी अथवा परिचालक नहीं था। एफ-6 डिब्बे को पूर्णतः बन्द कर दिया गया था, यहां तक कि लोग डिब्बे से बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि अलार्म चेन भी खराब थी। जो लोग बच गए हैं वे मुझसे मिले हैं और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया है। यह वास्तविकता है।

मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि बिना किसी से पूछताछ किए और बिना उपयुक्त जांच के उन्होंने यह कहा है कि इस दुर्घटना के लिए रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है?

दूसरा, मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि उन्होंने केवल 35 व्यक्तियों को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। महोदय, मेरे पास आरक्षण सूची है जिसे हावड़ा स्टेशन पर प्रकाशित किया गया था और उस सूची के अनुसार एफ-6 डिब्बे में 70 व्यक्ति थे और 30 से भी अधिक व्यक्ति आरएसी सूची में थे। लेकिन उन्होंने केवल 35 व्यक्तियों को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि अन्य व्यक्तियों का क्या हुआ और मरने वाले लोगों की वास्तविक संख्या क्या है। कोई भी आज तक यह नहीं जानता।

मैं कई बार इस मामले के पीछे लगी रही और मैंने पाया कि मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को बुरी तरह से परेशान किया गया है।

मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि सरकार इस मामले को बिहार सरकार के साथ कब उठाएगी ताकि मृतकों के सभी परिवारों को मृत्यु प्रमाण-पत्र मिल सकें? यदि उन्हें मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं मिलता तो वे रेलवे ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते और न ही वे जीवन बीमा निगम के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें भविष्य निधि ग्रेच्युटी की राशि भी नहीं मिल सकती जो कि मृतक की जीवनभर की बचत है। उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसलिए एक तरीका होना चाहिए। महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी को केवल एक निवेदन करूंगी। मैं यह कहने के लिए केवल एक मिनट लूंगी क्योंकि यह दुर्घटना बहुत गंभीर है।

महोदय, क्या ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती जिसमें यदि रेलगाडी के अन्दर कोई घटना घटती है तो रेल-चालक को स्वयं ही अलार्म सिगनल मिल जाएं और वह रेलगाडी रोक दे। यह दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि कोई सूचना नहीं पहुंचाई जा सकती, सूचना देने में रूकावट पड़ गई, कोई परिचारी नहीं था और यह खेदजनक बात है कि अलार्म सिगनल ने कार्य नहीं किया। यदि ऐसा होता रहा है तो यात्रियों का जीवन खतरे में है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इस प्रणाली को ध्यानपूर्वक बनाएं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, जहां तक मेरे वक्तव्य का संबंध है, मैंने स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है और मैंने यह कभी नहीं कहा कि रेलवे इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि इस मामले की जांच की जानी है और जांच प्राधिकारी को निष्कर्ष देना है...**(व्यवधान)**

कृपया एक मिनट रूकिए और मुझे जवाब देने दीजिए।

जहां तक कि मृत्यु प्रमाणपत्र का संबंध है, मैंने श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में पहले ही कहा है कि राज्य सरकार उन्हें प्रमाण-पत्र देगी। जहां तक हमारा संबंध है हम केवल आरक्षण चार्ट से संबंध रखते हैं। वास्तवकि यात्रियों के नामों, जिन्होंने टिकट खरीदे हैं, को आरक्षण चार्ट में विर्निदिष्ट किया जाता है। हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। ये वो यात्री हैं जो वहां हैं। **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उनका राज्य सरकार के साथ कोई सामंजस्य नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ : हमें मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में विलम्ब होने संबंधी शिकायतें मिली हैं। हमने इस बारे में बिहार सरकार से बातचीत की। हमने राज्य सरकार के प्राधिकारियों और अपने अधिकारियों को उनकी सहायता करने के लिए कहा है। सब कुछ किया गया...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, अब तक कुछ नहीं किया गया है। कृपया मंत्रीजी से कहिए कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में कदम उठायें। यह एक गंभीर मामला है। मंत्रीजी को रेलवे प्राधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश देने चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें अभी मृत्यु प्रमाणपत्र मिलने हैं। आप इस मामले को स्वयं क्यों नहीं उठाते...**(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ : यह हमारी शक्तियों के अधीन नहीं है। यह राज्य सरकार की शक्तियों के अधीन है...**(व्यवधान)**

इसके अतिरिक्त हमने रेल मंत्रालय को परामर्शदात्री समिति की एक संसदीय समिति नियुक्त की है जो कि उस जगह का दौरा करेगी और सभी पहलुओं पर गोर करेगी। हम यहां कुछ नहीं छिपा रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, मृतकों के सभी परिवारों को मृत्यु-प्रमाण पत्र मिल जाएं। कृपया ऐसा करने में उनकी मदद कीजिए। इतना ही काफी है।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनौपचारिक रूप से यह कहा गया था कि कुछ यात्री अथवा कुछ विक्रेता अथवा फेरी वाले ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहे थे और उस ज्वलनशील पदार्थ के कारण ही 26 अक्तूबर, 1994 को बम्बई-हावड़ा मेल में आग लग गई। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि वे रेल अधिनियम के तहत और अधिक कड़ी सजा देने के लिए क्या संशोधन लाएगे ताकि ऐसे लोगों को उचित सजा दी जा सके। दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि रेल विभाग तथा बिहार सरकार के बीच किस तरह का समन्वय स्थापित किया गया ताकि मृतक व्यक्तियों के बारे में यही सूचना प्राप्त की जा सके और मृत्यु और मृत व्यक्तियों की सही स्थिति प्राप्त की सके।

अध्यक्ष महोदय : आप बिहार सरकार से भी बात करें।

डा. मुमताज अन्सारी : इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं उनको दूसरे प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यदि आप उनके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : एक ऐसा अधिनियम है जिसमें विशेषतया बिना लाइसेंस के फेरी वालों को डिब्बों में जाने की अनुमति नहीं दी जाती और इसका कडाई से पालन किया जा रहा

है। कभी–कभी जब यातायात बहुत अधिक होता है और अनेक स्टेशन बीच में आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग डिब्बों में घुस आयें। लेकिन ऐसी स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए नियमित प्रणाली है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अवकृष्ट भूमि का पुनरूद्धार

[अनुवाद]

*84. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री बलराज पासी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और वन विकास संस्थान" ने जल–ग्रहण क्षेत्रों में जल–शेडों का निर्माण करके अवकृष्ट भूमि के पुनरूद्धार हेतु एक नई प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) इससे हिमालय के पर्यावरण के पुनरूद्धार सहित सामाजिक–आर्थिक विकास में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) इस संस्थान द्वारा शुरू किये गये अनुसंधान/विकास संबंधी अन्य प्रमुख कार्य कौन–कौन से हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ). "गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और वन विकास संस्थान" नामक कोई संस्थान नहीं है। तथापि, गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान ने अवक्रमित जलसंभरों के पुनरूद्धार हेतु "ढालू जल संभर पर्यावरणीय इंजीनियरी प्रौद्योगिकी" नामक एक पैकेज की रूपरेखा तैयार की है।

इसकी मुख्य–मुख्य विशेषताओं, संभावित लाभों और संस्थान द्वारा किए जा रहे व्यापक अनुसंधान और विकास कार्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान ने अवक्रमित जलसंभरों के पुनरूद्धार के लिए "ढालू जलसंभर पर्यावरणीय इंजीनियरी प्रौद्योगिकी" के एक प्रौद्योगिकी पैकेज की रूपरेखा प्रस्तावित की है। इस पैकेज में खुली चराई पर रोक, जल से पैदावार में सुधार, चारे की आपूर्ति में वृद्धि, भूमि कटाव पर नियंत्रण, जहां पर संभव हो वहां पर मिश्रित फसल प्रणाली अपनाना, वन कृषि के लिए देशी पादप प्रजातियां उगाना और जैव खादों के प्रयोग पर बल देते हुए मृदा प्रबंधन शामिल हैं। यह पैकेज फील्ड परीक्षणाधीन है। इस अभिगम का व्यापक स्तर पर अनुप्रयोग फील्ड परीक्षणों के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

अपने प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात् भूमि और जल संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण धारणीय पारि–प्रणाली विकास, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकीय अर्थ–व्यवस्था और पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण, हिमालयी पारिस्थितिकी पर जैव प्रौद्योगिकी और विकास की सूचना प्रणाली के तहत यह संस्थान पर्यावरणीय प्रबंधन के बहुविषयी पक्षों में अनुसंधानात्मक अध्ययन करता है।

मक्खन और घी का अभाव

*85. **श्री श्याम बिहारी मिश्र :**
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा विशेष रूप से दिल्ली में अगस्त, 1994 से दूध, मक्खन और घी की भारी कमी और अभाव चल रहा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा मक्खन का पश्चिमी एशिया और श्रीलंका को लगातार निर्यात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान मक्खन और घी के मूल्यो में भारी वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मक्खन के लोकप्रिय ब्राण्डों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(च) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1994 में मक्खन का बिक्री मूल्य कितना था;

(छ) क्या सरकार का विचार खुले बाजार में बिक्री हेतु मक्खन और बटर–आयल का आयात करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) दूध, मक्खन और घी की कमी पर नियंत्रण पाने और उन्हें उपभोक्ताओं को उचित दरों पर उपलब्ध कराने के विचार से किए जाने वाले अन्य उपाय क्या हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1994 के दौरान देश में, विशेषकर दिल्ली में दूध, मक्खन तथा घी की कमी रही।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). 1993 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 1994 की इसी अवधि में सहकारी समितियों द्वारा बेचे गए मक्खन के मूल्य मे प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 29 प्रतिशत, 43 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत रही। उन्होंने माह अगस्त, सितंबर तथा अक्तूबर, 1994 के दौरान क्रमशः 90 रूपये, 100 रूपये तथा 115 रूपये प्रति कि.ग्रा. की औसत दर से मक्खन बेचा।

(छ) और (ज). सरकार का मक्खन आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को, खुले बाजार में बेचने के लिए 20,000 मी.टन बटर ऑयल आयात करने की अनुमति दी गई है।

(झ) विशेष कर दिल्ली में दूध, मक्खन तथा घी जो कमी थी वह काफी हद तक बेहतर हो गई है तथा इनके मूल्य भी अब गिरने लगे हैं। मक्खन सुपर बाजार तथा मदर डेयरी के माध्यम से बेचा जा रहा है। सरकार को भविष्य में इन उपभोज्य वस्तुओं की कमी की कोई आशंका नहीं है।

विश्वविद्यालयों को धन देना

*86. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों को धन देने संबंधी वर्तमान नीति की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्वविद्यालयों में वित्तिय संकट को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग). केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनके रख–रखाव और विकास का पूरा खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधायिकाओं के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनके रख–रखाव और विकास का खर्च संबंधित राज्य सरकारें पूरा करती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करता है और वह भी उनकी आवश्यकता का एक भाग। मुख्यतः यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को उचित योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान प्रदान करे।

एक्शन, 1992 के कार्यक्रम के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यायमूर्ति (डा.) के. पुन्नाया की अध्यक्षता में 1992 में एक समिति गठित की है जो अन्य बातों के अलावा वर्तमान नीति, केन्द्रीय/मानद विश्वविद्यालयों और दिल्ली के कालेजों को विकास और अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने के मानदण्डों और पद्धति की जांच करेगी यह अध्ययन करेगी कि ये संस्थान किस हद तक अपने संसाधन जुटा रहे हैं तथा उनके द्वारा जुटाए जा रहे संसाधनों के अनुपात में वृद्धि करने के लिए विशेष उपायों के सुझाव देगी और यह समिति इन संस्थानों की सम्पूर्ण लागत दक्षता का पता लगाएगी और इस संबंध में सुधार लाने के लिए सुझाव देगी। पुन्नाया समिति ने इस संबंध में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं :–

* सरकार/राज्य को विश्वविद्यालयों के आवश्यक अनुरक्षण और विकास की आवश्यकताओं को एक मुख्य जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें धन उपलब्ध कराते रहना चाहिए।
* नौवीं योजना से आगे एक नियम के रूप में नए कार्यक्रमों के अलावा जिनके लिए इकाई लागत निर्धारित नहीं की गई है या जिनके लिए इसका निर्धारण करना कठिन होगा, अनुदान कार्यों की इकाई लागत से संबंधित होना चाहिए।
* अनु . के अन्तर्गत अनेक कार्यों के लिए भारी राजसहायता की समीक्षा करनी होगी और उसमें काफी हद तक कमी करनी होगी।
* कर्मचारियों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण बढ़े खर्च की समीक्षा करनी होगी और जहां कहीं आवश्यक हुआ उसमें दृढ़ता से कमी करनी होगी।
* विकास अनुदानों को शैक्षणिक लेखा परीक्षा प्रणाली से जोड़ना होगा और प्रत्येक विश्वविद्यालय को निष्पादन संकेतन विकसित करने होंगे।
* विद्यार्थी–अध्यापक का अनुपात 1 : 12 होना चाहिए।
* अध्यापन और गैर–अध्यापन कर्मचारियों का अनुपात घटाकर 1 : 3 तक लाया जाना चाहिए।
* शिक्षण शुल्क में तत्काल प्रभाव से वृद्धि की जानी चाहिए और मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए इसमें आवधिक समायोजन किया जाना चाहिए।
* बढ़ती लागत के एक बड़े भाग को वसूली के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेलकूद शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए।
* सभी अवास्तविक आवर्ती लागतों को पूरा करने के लिए छात्रावास शुल्क को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाना चाहिए और उचित समय पर साथ ही पूंजीगत लागत में संशोधन किया जाना चाहिए। जहां कहीं छात्रों के हित प्रभावित होते हैं वहां–वहां संसाधन जुटाने के लिए चर्चा में छात्रों को शामिल किया जाना चाहिए।
* विश्वविद्यालयों को राजस्व अर्जित करने के लिए अपने खेल के मैदानों, प्रेक्षागृहों इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं को किराए पर देना चाहिए और जिन पाठ्यक्रमों की मांग है उनके अल्पकालिक आयोजन भी करना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2.2.1994 को हुई अपनी बैठक में पुन्नाया समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इस समिति की रिपोर्ट और उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार केन्द्रीय, राज्य और मानद विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भी उनके विचारार्थ और उनसे संबंधित सुझावों को मान लेने के लिए भेज दी गई है।

राष्ट्रीय आपदाओं के कारण हुई हानि

*87. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
डा. पी. वल्लल पेरूमान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कुल कितना क्षेत्र हाल के चक्रवात, भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुआ;

(ख) राज्य–वार फसलों को हुई क्षति और धन–जन की हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने परिवारों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाल कर राहत शिविरों में आश्रय दिया गया;

(घ) केन्द्र सरकार ने राज्य–वार प्रभावित परिवारों को कितनी और किस प्रकार की सहायता प्रदान की;

(ङ) जिन केन्द्रीय दलों ने बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा किया है उनके द्वारा की गई सिफारिशों, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, हाल ही के चक्रवातों, भारी वर्षा तथा बाढ के कारण फसलों के नुकसान, मकानों की तोड़–फोड़ और मनुष्यों की मौत का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	राज्य का	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित फसल क्षेत्र (000 है.)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोंपडियाँ	मृत व्यक्तियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	338.0	79172	144
2.	कर्नाटक	10	0.4	2431	34
3.	तमिलनाडु	21	2.0	46733	69
4.	पांडिचेरी	3	0.3	1000	00

(ग) आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी में लगभग क्रमशः 57,000, 12,000 और 300 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया तथा उन्हें आश्रय प्रदान किया गया।

(घ) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपदा राहत कोष में से केन्द्रीय अंश की चौथी किश्त को क्रमशः 12.30 करोड़ रू. तथा 7.31 करोड़ रूपये की धनराशियां अग्रिम तौर पर दे दी ताकि वहां की सरकारें राहत और पुनर्वास के उपाय कर सकें।

(ङ) और (च). किसी केन्द्रीय दल ने प्रभावित राज्यों का दौरा नहीं किया।

नारियल उत्पादक

***88. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल उत्पादकों को भी ऐसे सभी प्रकार के लाभ/विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, जो अन्य तिलहन उत्पादकों को उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो नारियल उत्पादकों को जिन लाभों से वंचित रखा जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो त्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). केरल में चिरस्थाई तिलहन बीज–नारियल के विकास के लिए केरल सरकार से एक परियोजना प्राप्त हुई थी, अनेक समस्याओं को दूर करने और एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के लिए जिसकी एक ग्रुप ने जांच की थी। कोर ग्रुप ने निम्नलिखित घटकों की सिफारिश की है :

(1) पम्प सेटों और ड्रिप/स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई

(2) छोटे और सीमान्त किसानों को उर्वरकों पर राज सहायता।

(3) किसानों को प्रशिक्षण।

कोर ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किए प्रस्तावों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है और नारियल विकास बोर्ड की आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

रेलगाड़ियों का समय पर चलना

***89. श्री तारा सिंह :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों के समय पर चलने और सुरक्षा संबंधी मामलों में रेलवे के कार्य–निष्पादन में पूरे देश में दिन–प्रति–दिन गिरावट आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी से चलने वाली उन रेलगाडियों का ब्यौरा क्या है जो गत छः महीने के दौरान समय पर नहीं चल सकीं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इस संबंध में अपने कार्य–निष्पादन में सुधार करने हेतु कोई रणनीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का समय–पालन जो आठवें दशक के शुरू में लगभग 73 प्रतिशत था, सुधार कर लगभग 87 प्रतिशत हो गया है। गाडी दुर्घटनाओं की संख्या भी 1984-85 में 812 थी, 1993-94 में घटकर 520 हो गई है।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली/हजरत निज़ामुद्दीन से चलने वाली उन मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का विवरण जो पिछले छः माह से विलंब से चली, इस प्रकार है :–

	गाडी का नाम	जितने दिन विलंब से चलीं
1	2	3
1.	1450 निज़ामुद्दीन–जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस	17
2.	2002 नई दिल्ली–भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस	3
3.	2004 नई दिल्ली–लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस	2
4.	2005 नई दिल्ली–कालका शताब्दी एक्सप्रेस	10
5.	2011 नई दिल्ली–चण्डीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस	6

1	2	3
6.	2013 नई दिल्ली–अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस	1
7.	2304-2382 नई दिल्ली–हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस	7
8.	2392 नई दिल्ली–पटना मगध एक्सप्रेस	10
9	2302-2306 नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी	1
10.	2402 नई दिल्ली–पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस	9
11.	2408-2410-2412 निजामुद्दीन–नागपुर/ बिलासपुर/जबलपुर–गोण्डवाना एक्सप्रेस	30
12.	2418 नई दिल्ली–इलाहाबाद प्रयागराज एक्सप्रेस	12
13.	2420 नई दिल्ली–लखनऊ गोमती एक्सप्रेस	45
14.	2422 नई दिल्ली–भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस	2
15.	2424 नई दिल्ली–गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस	2
16.	2425 निज़ामुद्दीन–जम्मूतवी राजधानी एक्सप्रेस	1
17.	2430 निज़ामुद्दीन–बेंगलूर राजधानी एक्सप्रेस	2
18.	2432 निज़ामुद्दीन–त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस	4
19.	2480 निज़ामुद्दीन–लोण्डा गोवा एक्सप्रेस	10
20.	2497 नई दिल्ली–अमृतसर शाने-पंजाब एक्सप्रेस	1
21.	2554 नई दिल्ली–बरौनी वैशाली एक्सप्रेस	4
22.	2616 नई दिल्ली–मद्रास ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस	6
23.	2618 निज़ामुद्दीन–मंगलौर मंगला एक्सप्रेस	3
24.	2622 नई दिल्ली–मद्रास तमिलनाडु एक्सप्रेस	11
25.	2626 नई दिल्ली–त्रिवेन्द्रम केरल एक्सप्रेस	4
26.	2628 नई दिल्ली–बेंगलूरू कर्नाटक एक्सप्रेस	10
27.	2724 नई दिल्ली–हैदराबाद आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस	6
28.	2802 नई दिल्ली–भुवनेश्वर पुरूषोत्तम एक्सप्रेस	22
29.	2816 नई दिल्ली–पुरी एक्सप्रेस	3
30.	2952 नई दिल्ली–मुंबई राजधानी एक्सप्रेस	5
31.	2954 निज़ामुद्दीन–मुंबई अगस्त क्रान्ति राजधानी एक्सप्रेस	3
32.	3040 दिल्ली–हावड़ा जनता एक्सप्रेस	9
33.	4004 निज़ामुद्दीन–आगरा छावनी अन्तर–नगरीय एक्सप्रेस	8
34.	4006 निज़ामुद्दीन इंदौर एक्सप्रेस	27
35.	4008 दिल्ली–मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर एक्सप्रेस	7
36.	4014 दिल्ली–सुल्तानपुर एक्सप्रेस	3
37.	4024 दिल्ली–फर्रूखाबाद कालिंदी एक्सप्रेस	7
38.	4033 दिल्ली–जम्मूतवी मेल	7
39.	4041 मसूरी एक्सप्रेस	9
40.	4048 दिल्ली–गोण्डा एक्सप्रेस	8
41.	4056 ब्रह्मपुत्र मेल	5
42.	4058 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस	9
43.	4084–4084–ए दिल्ली कटिहार महानंदा/ न्यू जलपाईगुड़ी लिंक एक्सप्रेस	15
44.	4085 नई दिल्ली–सिरसा एक्सप्रेस	11
45.	4230 नई दिल्ली–लखनऊ मेल	14
46.	4545 दिल्ली–सहारनपुर एक्सप्रेस	
47.	4553 दिल्ली–ऊना हिमाचल एक्सप्रेस	29
48.	4556 दिल्ली–बरेली एक्सप्रेस	24
49.	4589 दिल्ली–भटिन्डा एक्सप्रेस	20
50.	4645 नई दिल्ली–जम्मूतवी शालीमार एक्सप्रेस	4
51.	4647 फ्लाइंग मेल	97
52.	4650 दिल्ली–मुजफ्फरपुर सरयू यमुना एक्सप्रेस	23
53.	4659 नई दिल्ली–अमृतसर एक्सप्रेस	17
54.	4674 दिल्ली–मुजफ्फरपुर शहीद एक्सप्रेस	35
55.	2403 दिल्ली–जम्मूतवी एक्सप्रेस	31
56.	4519 नई दिल्ली–श्री गंगानगर एक्सप्रेस	10
57.	2413 दिल्ली–जयपुर एक्सप्रेस	10
58.	4681 नई दिल्ली–लुधियाना एक्सप्रेस	37
59.	5013 दिल्ली–काठगोदाम एक्सप्रेस	19
60.	5610 दिल्ली–गुवाहाटी अवध आसाम एक्सप्रेस	9
61.	5622 नई दिल्ली–गुवाहाटी एन.ई. एक्सप्रेस	13
62.	7022 दक्षिण एक्सप्रेस	19
63.	8302 निजामुद्दीन–सम्बलपुर हीराकुड एक्सप्रेस	3
64.	8476 नीलांचल एक्सप्रेस	1
65.	4095 हिमालयन क्वीन	1

(ग) और (घ). जी, हां। यात्री गाडियों के समय पर चलने पर सभी स्तरों पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है और निष्पादन में सुधार लाने के लिए पूरे तंत्र में सुधार किया गया है। गाड़ियों के समय पर चलने पर डिवीजनल, जोनल और बोर्ड स्तर पर दैनिक आधार पर निगरानी रखी जाती है। आवधिक तौर पर समय की पाबंदी के संबध में विशेष अभियान चलाए जाते हैं और जो गाड़ियां समय पर नहीं चल रही होती हैं वरिष्ठ अधिकारी उन पर विशेष निगरानी रखते हैं। सभी अटकावों का विश्लेषण किया जाता है और दण्डात्मक कार्रवाई सहित तुरन्त सुधारात्मक/निरोधात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

फूलों का उत्पादन

***90. श्री पंकज चौधरी :**

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फूलों के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि के लिए अन्य देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप फूलों के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी; और

(घ) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान

*91. **डा. असीम बाला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कृषि अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) इसके लिए सिंचित, वर्षा सिंचित और शुष्क कृषि क्षेत्रों में क्षेत्र-वार कितना-कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) देश में खेती के अंतर्गत कुल भूमि की तुलना में इन क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत अनुपात कितना है; और

(घ) इन क्षेत्रों में उत्पादन की दृष्टि से प्रतिशत अनुपात कितना है; और

(ङ) कृषि अनुसंधान में पूंजी निवेश हेतु भावी योजना क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में किया गया निवेश निम्न प्रकार है :-

वर्ष	व्यय (करोड़ों में)
1991-92	358.66
1992-93	369.78
1993-94	423.16

इसमें विभिन्न राज्यों द्वारा किया गया व्यय शामिल नहीं है।

विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत उपर्युक्त व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

(ख)

वर्ष	सिंचित	बारानी	शुष्क भूमि	कुल
1991-92	107.92	222.06	28.68	358.66
1992-93	113.42	226.18	30.18	369.78
1993-94	129.41	262.43	31.32	423.16

(ग) देश में खेती योग्य से खेती की गई भूमि के संबंध में इन वर्गों का प्रतिशत-वार अनुपात निम्न-वार है :-

सिंचित	25.71%
बारानी	40.49%
शुष्क भूमि	18.44%

(घ) इन वर्गों में उत्पादन का प्रतिशत-अनुपात कृषि मंत्रालय के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों से आकलित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :

वर्ग	प्रतिशत
सिंचित	56.12%
बारानी	33.26%
शुष्क भूमि	10.61%

(ङ) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए आठवीं योजना में 300.00 करोड़ रूपये का आवंटन किया है। गैर-योजना संबंधी जरूरतें साल दर साल आधार पर पूरी की जाती हैं।

1994-95 का योजना आवंटन 275 करोड़ रूपये है और 1995-96 के लिए प्रस्तावित आवंटन 383.50 करोड़ रूपये हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

*92. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ दल ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मध्यावधि मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग). शिक्षा विभाग ने पूर्ण साक्षरता अभियानों का किस स्तर पर कितना प्रभाव पड़ा है इसका मूल्यांकन करने के लिए प्रो. अरूण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। दल ने यह अनुभव किया है कि परिवर्तनशील प्रभाव की धारणाओं से युक्त पूर्ण साक्षरता अभियान का परिणाम यह हुआ है कि इसका महिलाओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन हुआ है। ब्यूरोक्रेसी संवेदनशील बनी है और सामाजिक कार्यकर्ता पैदा हुए हैं। दल के अनुसार, साक्षरता उपलब्धियों की अस्थिरता तथा नवसाक्षरों की पूर्वस्थिति में लौट जाने की समस्याएं, पूर्ण साक्षरता अभियान की मजबूरियां हैं। दल ने सिफारिश की है कि निरक्षरता को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को विकासशील तथा गहन शिक्षित समाज तैयार करने के लक्ष्य में बदला जाए तथा साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के सभी चरण एक धाराप्रवाह में होने चाहिए। दल ने हिन्दी भाषी राज्यों की ओर अधिकाधिक ध्यान दिए जाने की भी सिफारिश की है।

विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट को व्यापक रूप से विचार-विमर्श के लिए परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी

***93. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रणाली विकसित की है जिससे कृषि उत्पादन में 200 से 300 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन राज्यों में इस नई प्रौद्योगिकी को लागू किया गया है/किया जाएगा;

(घ) क्या कृषि योग्य एवं गैर–कृषि योग्य भूमि में, जिसमें शुष्क और वर्षा सिंचित क्षेत्र भी शामिल हैं, भू–संरक्षण और वानस्पतिक तरीके भी उक्त प्रणाली के अंतर्गत आते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) कृषि वैज्ञानिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलाजी) विकसित करने हेतु कृषि जलवायु विशिष्ट अनुसंधान में कार्य कर रहे हैं। अधिक उत्पादकता हासिल करने में प्राप्त की गयी सफलता एक जैसी नहीं है। उन्नत कृषि प्रबंध से 100 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि की रिपोर्ट मिली है।

(ख) उन्नत प्रबंध विधियां विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग–अलग हैं, लेकिन इसके मुख्य संघटक ये हैं–उन्नत कल्टीवर्स का इस्तेमाल, उन्नत मृदा एवं जल प्रबंध विधियां, वैज्ञानिक पौध विधियां आदि।

(ग) प्रमाणिक प्रौद्योगिकियों को अमल में लाने के लिए विस्तार प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को 27 राज्य कृषि विश्वविद्यालय किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

(घ) और (ङ). गैर कृषि योग्य एवं वर्षा पर निर्भर स्थितियों के तहत मृदा एवं जल संरक्षण उपायों जैसे–यांत्रिक और वानस्पतिक अवरोध, स्वाभाविक स्थितियों में वर्षा के जल की संरक्षण विधियां और कृषि वानिकी पर आधारित कृषि पद्धति एवं जल संभर (वाटरशेड) कार्यक्रमों के द्वारा स्थिर उत्पादकता के लिए सस्य पद्धति को उन्नत बनाने पर बल दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

साक्षरता दर

***94. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में पुरूषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर को बढ़ाये जाने के मामले को उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई व्यापक योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग). वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में 7 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की 48 प्रतिशत से अधिक निरक्षर जनसंख्या बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में रहती है। इसके अनुसार इन राज्यों में विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत आने वाले प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, देशभर में और विशेषकर इन राज्यों में महिला एवं पुरूष दोनों वर्गों की साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए कार्यनीति तैयार करते हैं। प्राथमिक शिक्षा पद्धति को मजबूत करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के अलावा, विदेशों से सहायता प्राप्त कार्यक्रम भी आरम्भ किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत इन राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य, आठवीं योजना के अन्त तक देश के 345 जिलों को शामिल करना है। पूर्ण साक्षरता अभियानों द्वारा अब तक शामिल किए गए 282 जिलों में से 93 जिले उपरोक्त उच्च प्राथमिकता वाले चार राज्यों के हैं तथा 19 जिले गुजरात के हैं। सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत सभी जिलों को शामिल करने के लिए एक उपर्युक्त योजना तैयार करें।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रमों में, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन तथा उन्हें शिक्षारत रखने, महिला शिक्षकों की नियुक्ति और पाठ्यचर्या में स्त्री–पुरूष के बीच भेदभाव को समाप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षरता कार्यक्रमों में प्रायः दो तिहाई महिला शिक्षार्थी हैं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

***95. श्री एम. रमन्ना राय :**

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं, चावल, चीनी, अनाज, दालों, मसालों, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों में अगस्त, 1994 से लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निगरानी रखने हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख). अगस्त, 1994 से चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण सलंग्न है।

(ग) और (घ). मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में मूल्यों की अनुवीक्षा के लिए सचिवों की विशेष कार्यवाही समिति, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करती है। इसके अलावा जनवरी, 1994 में नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में नियमित आधार पर आवश्यक वस्तुओं की अनुवीक्षा और आपूर्ति तथा मूल्यों के पूर्वानुमान हेतु अंतर्मंत्रालयिक समन्वय समिति का गठन किया है। यह समिति, देशीय उत्पादन में वृद्धि लाकर, विभिन्न केंद्रों में उचित वितरण करके, जब भी आवश्यक समझा जाए अतिरिक्त आयात करके और निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर खाद्य तेलों, दालों, खाद्यान्नों, सब्जियों, आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचति कार्रवाई किए जाने हेतु सिफारिशें करती है।

(ङ) सरकार ने बढ़ती कीमतों को उचित सीमा के भीतर नियंत्रित रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उक्त तीन समितियां मूल्य स्थिति की समीक्षा करती हैं और संबंधित प्राधिकारियों को उचित एवं समय से कार्यवाही करने की सलाह देती है। जो वस्तुएं कम आपूर्ति में हैं उनका आयात किया जा रहा है, ताकि बाजार में उनकी उपलब्धता आसान बनी रहे। चीनी, पामोलीन और कपास के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है। सार्वजनकि वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाया जा रहा है ताकि इसके लाभ दुर्गम क्षेत्रों तक भी पहुंच सकें। राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य कानूनों के अंतर्गत जमाखोरों, कालाबाजारियों और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

माह के अंत में आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य

वस्तु/केंद्र	थोक मूल्य (प्रति क्विंटल)				खुदरा मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)				प्रतिशत उतार-चढ़ाव	
	अगस्त 1994	सितम्बर 1994	अक्तूबर 1994	नवम्बर 1994	अगस्त 1994	सितम्बर 1994	अक्तूबर 1994	नवम्बर 1994	थोक मूल्य नव., 94– अगस्त, 94	खुदरा मूल्य नव., 94– अगस्त, 94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चावल										
दिल्ली	625	600	615	625	8.50	8.50	8.50	8.50	स्थिर	स्थिर
बम्बई	691	691	750	750	8.50	8.00	10.00	8.50	+8.5	स्थिर
मद्रास	670	702	692	692	7.50	7.80	7.80	7.80	+3.3	+4.0
कलकत्ता	650	670	660	670	6.70	6.90	6.90	9.30	+3.1	+38.8
गेहूं										
दिल्ली	405	405	4.25	4.25	5.00	5.50	5.50	5.50	+4.9	+10.0
बम्बई	675	675	675	675	8.00	6.50	8.00	8.00	स्थिर	स्थिर
मद्रास	641	641	652	682	7.50	7.00	7.00	7.50	+6.4	स्थिर
चने की दाल										
दिल्ली	1540	1620	1675	1455	18.00	18.00	20.00	19.00	−5.5	+5.6
बम्बई	1675	1751	1865	1865	20.00	18.00	22.00	22.00	+11.3	+10.00
मद्रास	1735	1773	1910	1743	10.50	19.00	20.00	18.50	+0.5	स्थिर
कलकत्ता	1625	1680	1730	1680	16.50	18.00	18.00	20.00	−1.5	+21.2
तुर दाल										
दिल्ली	1325	1400	1350	1250	18.00	18.00	18.50	17.00	−5.7	−5.6
बम्बई	1601	1601	1701	1701	19.00	18.00	20.00	20.00	+6.2	+5.3
मद्रास	1730	1777	2010	1995	19.00	19.00	22.00	22.00	+15.3	+15.0
कलकत्ता	1630	1640	1550	1350	17.00	18.00	19.00	22.00	−17.2	+29.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चीनी										
दिल्ली	1390	1450	1350	1220	15.50	16.00	15.00	13.50	−12.2	−12.9
बम्बई	1370	1370	1245	1150	14.80	14.50	13.80	12.50	−15.1	−15.6
मद्रास	1298	1198	1135	1838	13.25	12.40	11.60	10.75	−20.0	−18.9
कलकत्ता	1370	1385	1270	1240	14.00	14.30	14.00	14.50	−9.5	+1.4
वनस्पति										
दिल्ली	3833	3920	3860	4067	41.00	41.00	41.00	42.00	+ 6.1	+ 2.4
बम्बई	3853	3973	3887	3880	42.00	40.00	43.00	43.00	+ 0.7	+ 2.4
मद्रास	3967	3967	3968	4000	42.00	43.00	43.00	43.00	+ 0.8	+ 2.4
कलकत्ता	4120	4120	4253	4200	42.00	44.00	43.00	47.00	+ 1.9	+ 11.9
मूँगफली का तेल										
दिल्ली	4033	4167	4133	4267	46.00	46.00	46.00	47.00	+5.8	+ 2.2
बम्बई	3930	3930	3660	3580	42.00	40.00	41.00	40.00	−8.9	− 4.8
मद्रास	3800	3350	3400	3650	42.00	37.00	38.00	40.00	+ 3.9	− 4.8
सरसों का तेल										
दिल्ली	3080	3133	3166	3500	34.00	34.00	34.00	37.00	+ 13.6	+ 8.8
बम्बई	3653	3653	3687	3687	34.00	40.00	40.00	40.00	+ 0.9	+ 17.6
कलकत्ता	3300	3250	3160	3400	34.00	35.00	35.00	40.00	+ 3.0	+ 17.6
लाल मिर्च *										
दिल्ली	1900	2700	3100	3200	4.00	4.00	4.00	4.00	+ 68.4	स्थिर
बम्बई	1800	1900	2050	1975	4.40	4.40	4.40	4.40	+ 9.7	स्थिर
कलकत्ता	2800	3000	3400	3200	6.00	6.00	7.50	7.50	+ 14.3	+ 25.0
मिट्टी का तेल (प्रति लीटर)										
दिल्ली	−	−	−	−	2.57	2.57	2.57	2.57	−	स्थिर
बम्बई	−	−	−	−	2.53	2.53	2.53	2.53	−	स्थिर
मद्रास	−	−	−	−	2.80	2.80	2.80	2.80	−	स्थिर
कलकत्ता	−	−	−	−	2.80	2.80	2.80	2.80	−	स्थिर

स्रोत : (1) राज्यों में नागरिक आपूर्ति विभाग

(2) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग

(3) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

*** कृपया ध्यान दें : लाल मिर्च के खुदरा मूल्य रु. में प्रति सौ ग्राम के लिए है।**

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का उत्पादन

***96. श्री राम कृपाल यादव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है;

(ख) वर्ष 1993–94 के दौरान प्रमुख उत्पादों का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितने भू–भाग में इन मदों की खेती की जा रही है;

(ग) अन्य देशों की तुलना में देश में प्रमुख फलों और सब्जियों के उत्पादन का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्में और कीट प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के संबंध में धीमी प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है।

(ख) 1993–94 के लिए मुख्य फलो और सब्जियो के क्षेत्र और उत्पादन पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (ङ). मुख्य फलों और सब्जियों की अधिक उपज देने वाली किस्मो के विकास में पर्याप्त प्रगति हुई है। इनमें से कुछ कृमियों और रोगो का प्रतिरोध करने में सक्षम है।

विवरण

फसल	विश्व के उत्पादन में अंश की प्रतिशतता (1992)	
	भारत	उच्चतम
1. आम	58.86	58.86 (भारत)
2. संतरा	3.33	34.42 (सं. रा. अमरीका)
3. कागजी नींबू और नींबू	8.07	10.26 (इटली)
4. केला	14.10	14.10 (भारत)
5. सेब	2.53	11.31 (सं. राज्य अमरीका)
6. अनन्नास	7.81	18.11 (थाइलैंड)
7. आलू	5.30	16.64 (चीन)
8. टमाटर	14.50	14.50 (भारत)
9. प्याज़	17.79	17.79 (भारत)

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय

***97. श्री के. प्रधानी :**
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में पुस्तकालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने पुस्तकालय खोले जाएंगे; और

(ग) सरकार की योजना के अनुसार इन पुस्तकालयों के वित्त–पोषण और भावी रख–रखाव संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 500 स्कूल–सह–ग्रामीण पुस्तकालय खोलने के लिए एक आरंभिक योजना तैयार की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) पहले वर्ष में, आवर्ती और अनावर्ती, दोनों लागते केंद्र सरकार द्वारा वहन की जायेंगी। दूसरे वर्ष से, आवर्ती लागत संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा वहन की जायेगी।

विवरण

स्कूल - सह - ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना

वर्ष 1994-95 के दौरान ग्रामीण पुस्तकालयों का राज्य-वार वितरण

1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	33
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	16
4.	बिहार	53
5.	गोवा	5
6.	गुजरात	19
7.	हरियाणा	10
8.	हिमाचल प्रदेश	5
9.	जम्मू तथा कश्मीर	5
10.	कर्नाटक	22
11.	केरल	17
12.	मध्य प्रदेश	35
13.	महाराष्ट्र	33
14.	मणिपुर	5
15.	मेघालय	5
16.	मिज़ोरम	5
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	19
19.	पंजाब	11
20.	राजस्थान	23
21.	सिक्किम	5
22.	तमिलनाडु	25
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	79
25.	पश्चिम बंगाल	34
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	3
2.	चंडीगढ़	3
3.	दादर तथा नगर हवेली	3
4.	दमन और द्वीव	3
5.	दिल्ली	3
6.	लक्षद्वीप	3
7.	पांडिचेरी	3
	कुल	500

[हिन्दी]

दलहन और तिलहन

*98. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री मंजय लाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान दलहनों और तिलहनों का कितना उत्पादन हुआ है तथा इनकी मांग कितनी है;

(ख) क्या दहलनों और तिलहनों को उत्पादन दर तथा जनसंख्या की वृद्धि दर के बीच कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो कितना;

(घ) सरकार द्वारा दलहनों और तिलहनों की वर्तमान मांग को पूरा करने तथा इनका मूल्य कम करने की दृष्टि से इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या दलहनों और तिलहनों के अधिकतम उत्पादन के लिए कोई उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकी की शीघ्र सीधे अथवा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) वर्ष 1993–94 के दौरान दालों का सम्भावित उत्पादन 14.21 मिलियन मीटरी टन तथा तिलहनों का सम्भावित उत्पादन 21.72 मिलियन मीटरी टन है। 1994–95 के दौरान दालों की आवश्यकता 15.5 मिलियन मीटरी टन और तिलहनों की आवश्यकता 22.00 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है। तदनुसार, इन फसलों में से क्रमशः दालों के लिए 15.5 मिलियन मी. टन तथा तिलहनों के लिए उत्पादन लक्ष्य 22.0 मिलियन मीटरी टन नियत किए गये हैं।

(ख) और (ग). वर्ष 1980–81 से 1992–93 की अवधि के लिये दालों के उत्पादन को अखिल भारतीय मिश्रित वृद्धि दर 1.49 प्रतिशत तथा तिलहन उत्पादन की यह दर 5.97 प्रतिशत रही है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि दर 4.14 प्रतिशत (1981–1991) रही है।

(घ) दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को बीजों के उत्पादन और वितरण, छिड़काव सेटों, उन्नत कृषि उपकरणों, राइजोवियल कल्चर तथा किसानों के खेतों पर प्रमुख साधारण और समेकित कृमि प्रबन्ध प्रदर्शन आयोजित करने जैसे मुख्य आधारभूत आदानों पर सहायता दी जाती है।

(ङ) और (च). दलहनों और तिलहनों में अनेक अच्छी किस्में विकसित की गई हैं, जो न केवल अधिक पैदावार देती हैं बल्कि वे रोग और कृमि रोधी भी हैं। इन किस्मों के अतिरिक्त, उन्नत उत्पादन और संरक्षक प्रौद्योगिकी भी विकसित की गई है। पिछले तीन वर्षों (1991–93) के दौरान देश की विभिन्न कृषि जलवायुवीय स्थितियों के लिये उपयुक्त विभिन्न फसलों हेतु दालों की 25 तथा तिलहनों की 41 किस्में विकसति की गई हैं।

(छ) अद्यतन नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिये किसानों के खेतों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परषिद् के संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा प्रमुख प्रदर्शनों के आयोजन के लिये राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों के कृषि विभागों के विस्तार कार्मिकों द्वारा किसानों के खेतों पर सामान्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

मुम्बई उपनगरीय रेल

*99. **श्री राम कापसे :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई की उपनगरीय रेल प्रणाली में सुधार लाने संबंधी परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार भी इस प्रस्ताव में शामिल एक पक्ष है;

(घ) यदि हां, तो किन शर्तों के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना में भाग ले रही है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश के किसी अन्य महानगर के संबंध में इसी प्रकार की परियोजना प्रस्तावित की है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). बम्बई शहर परिवहन परियोजना'–II (बी यू टी पी–II) ' के नाम से जानी जाने वाली परियोजना, जिसमें बम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली के ग्रेडोन्नयन हेतु सरसरी तौर पर निम्नलिखित 13 घटक शामिल हैं, पर विश्व बैंक के साथ विचार–विमर्श चल रहा है :–

1. कुर्ला–बान्द्रा संपर्क, माहिम में लो लैवल तथा उपरिपुल।
2. बोरीवली–विरार चौहरीकरण (पहले चरण में भायंदर तक)।
3. सान्ताक्रुज तथा बोरीवली के बीच पांचवीं लाइन।
4. पश्चिम रेलवे की तीव्र लाइनों पर लंबी गाड़ियों (12 कार) का उपयोग करके सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने हेतु स्टेशन/रेलपथ के ढांचे में परिवर्तन।
5. बिजली तथा सिगनल व्यवस्था को सुदृढ़ करके पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे की मुख्य लाइनों तथा कुर्ला–मानखुर्द लाइन का अधिकतम उपयोग।
6. वाशी–तुर्भे–कालवा नई लाइन का निर्माण तथा ई एम यू सेवाओं को चलाने के लिए मौजूद खंड को उपयुक्त बनाना।

7. 5 करोड़ रुपये प्रति रेक की दर से लगभग 55 मौजूदा रेकों की पुनः इंजीनियरी तथा अभिकल्प में सुधार।

8. बोरीवली–भायंदर क्षेत्र में पश्चिम रेलवे (12 कार) के लिए एक नए डिपो सहित नए डिपुओं की व्यवस्था।

9. मानखुर्द सेमी टर्मिनस तथा कुर्ला–मानखुर्द चौथे रेलपथ के लिए भूमि/स्लम आर एंड आर।

10. मौजूदा अभिकल्प के रेकों के लिए 7.26 करोड़ रुपये प्रति रेक की दर से 44 नए रेक।

11. 7.26 करोड़ रुपये की दर से 45 गतायु रेकों का बदलाव

12. पश्चिम रेलवे के स्टेशन में सुधार।

13. मध्य रेलवे के स्टेशन में सुधार।

आवश्यकता की पहचान करने, परियोजना के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने तथा वित्तीय उलझनों आदि का पता लगाने के प्रयोजन से विश्व बैंक ने निम्नलिखित 5 अध्ययन करने के लिए बैंक प्रोजेक्ट प्रिपेरेशन फेसीलिटी फंड में से 3.0 मिलियन अमेरीकी डालर का एक ऋण अनुमोदित किया है :–

(i) सम्मिलित उपनगरीय परिचालनों के लिए वित्तीय तथा संस्थागत अध्ययन।

(ii) प्रणाली योजना अध्ययन तथा उपनगरीय प्रणाली के लिए अनुरूपी माडल का विकास।

(iii) ई एम यू के पुनर्निर्माण के लिए विशिष्टियां निर्धारित करने हेतु अध्ययन।

(iv) बंबई में मौजूदा डी सी कर्षण को ए. सी. कर्षण में बदलने हेतु अध्ययन।

(v) तकनीकी आर्थिक अध्ययन तथा मुख्य रेल निवेशकों के लिए विस्तृत अभिकल्प का विकास।

[हिन्दी]

मत्सय संसाधन

*** 100. श्री साईमन मरान्डी :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मत्स्य संसाधनों का पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) समुद्री और अन्तर्देशीय अप्रयुक्त मत्स्य संसाधनों का फायदा उठाने हेतु क्या योजनाएं आरम्भ की गई हैं/आरम्भ किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने और इनके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति तैयार करने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) देश में मछली संसाधनों का उपयोग समुद्री और अन्तर्देशीय मत्स्यिकी की क्षमता का पता लगाकर किया जाता है। लेकिन, क्षमता के इष्टतम स्तर तक उपयोग के लिये अपेक्षित सीमा तक बुनियादी सुविधाओं की अभिवृद्धि की आवश्यकता होती है, जिनमें मत्स्यन बेड़े, साज–सामान और जनशक्ति, समुद्र तट पर बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था, मछली पकड़ने और पालने की प्रौद्योगिकी का उन्नयन और उपयोगकर्त्ता समूह को उसका अंतरण, पर्याप्त पूंजी उपलभ्यता और साथ ही पर्यावरण पर किसी कुप्रभाव के प्रति सतत् निगरानी, सम्मिलित हैं। इस प्रकार संसाधनों का इष्टतम स्तर तक उपयोग एक निश्चित समयावधि के दौरान ही किया जा सकता है।

(ग) अन्तर्देशीय और समुद्री मछली संसाधनों के उपयोग के लिए चल रही कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं :–

I कृषि मंत्रालय

(1) ताजा जल मछली पालन;

(2) समेकित खारा जल मछली फार्म विकास;

(3) मुख्य पत्तनों पर मत्स्यिकी बन्दरगाह सुविधाएं;

(4) छोटे पत्तनों पर मत्स्यिकी बन्दरगाह सुविधाएं;

(5) परंपरागत नौकाओं का मोटरीकरण;

(6) प्लाइवुड से बनी नौकाओं का प्रयोग आरम्भ करना;

(7) मध्यम लम्बाई की नौकाएं चलाना आरम्भ करना;

(8) 20 मीटर से कम लम्बाई की मत्स्यन नौकाओं के लिये हाई स्पीड डीजल आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति;

(9) कृत्रिम चट्टानों (रीफ) और समुद्र में मछली पालन के जरिए संसाधनों में वृद्धि;

(10) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त झींगा और मछली पालन परियोजना;

II खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(1) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा प्रसंस्करण के लिये सहायता अनुदान;

(2) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की प्राप्ति के लिये ब्याज–राजसहायता प्रदान करने हेतु गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर राजसहायता;

(3) विविधिकृत मत्स्यन के लिये राजसहायता;

(4) भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण;

III वाणिज्य मंत्रालय

(1) निर्यात उत्पादन–मछली पकड़ना;

(2) निर्यात उत्पादन – मछली पालन;

(3) नई प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण लागू करना;

(4) मंडियों को बढ़ावा देना;

(घ) जी, हां।

उत्तर प्रदेश में रेल-परियोजना

857. श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) इनके पूर्ण होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इनको पूर्ण करने के लिए संशोधित समय–अवधि क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं की मूल अनुमानित निर्माण लागत क्या थी तथा इस लागत में कितनी वृद्धि हुई; और

(ङ) इन परियोजनाओं को संशोधित समय–अवधि के अनुसार पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डीजल इंजन मरम्मत एकक का स्थानान्तरण

858. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अंगुल स्थित डीजल इंजन मरम्मत एकक को अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव से रेल कर्मचारी और स्थानीय लोग क्षुब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस एकक को स्थानान्तरित न होने देने तथा इसे अंगुल में ही बने रहने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

घटिया खाद्यान्नों का भण्डार

859. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के भंडार में पिछले तीन वर्षों में वर्ष–वार गेहूं तथा चावल की जो मात्रा मानवीय उपयोग के लिए अयोग्य घोषित की गई थी, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन भंडारों का निपटान किस प्रकार किया गया; और

(ग) खाने के अयोग्य भंडार और कुल खाद्यान्न भंडार के बीच का वर्ष–वार अनुपात कितना है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है :–

(आंकड़े मीटरी टन में)

वित्तीय वर्ष	गेहूं	चावल
1991–92	11235.346	8634.841
1992–93	4674.194	5633.415
1993–94	9717.123	1621.156

(ख) मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित क्षतिग्रस्त स्टाक का पशु चारा, मुर्गी दाना, औद्योगिक इस्तेमाल और खाद के रूप में निपटान किया जाता है।

(ग) कुल औसत स्टाक की तुलना में क्षतिग्रस्त स्टाक का वर्षवार अनुपात निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	प्रतिमास रखा गया औसत स्टाक	क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का कुल स्टाक	प्रतिमास/रखे गए औसत स्टाक की तुलना में क्षतिग्रसत स्टाक की प्रतिशतता
1991–92	11851775	19870.187	0.17
1992–93	9738810	10307.609	0.11
1993–94	16846863	11338.279	0.07

रेलवे स्टेशन हेतु सौर ऊर्जा

860. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने रेलवे स्टेशनों, रेलवे कर्मचारियों की आवासीय कालोनियों तथा रेलवे के कार्यालयों में सस्ती दर पर सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गाड़ियों का अनियमित चलना

861. श्री तरित वरण तोपदार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों ने सियालदाह मंडल के बारासात–हसनाबाड खंड में गाड़ियों के अनियमित रूप से चलने के विरोध में हाल ही में लेबूताला हाल्ट स्टेशन पर प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो वहां गाड़ियों के अनियमित रूप से चलने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। बहरहाल, यात्रियों ने 21.11.94 को लबूतला हाल्ट स्टेशन पर प्रदर्शन किया था जो बिराटी से एस–606 इच्छामति पैसेंजर का ठहराव समाप्त करने

तथा पैसेंजर गाड़ियों को कर्षित करने के लिए डब्ल्यू डी एस–6 रेल इंजन की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शताब्दी एक्सप्रेस

862. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा तथा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाने हेतु विदेशी पर्यटकों तथा वाणिज्यिक संगठनों की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) इस संबंध में जनता आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इसकी जांच की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

आंध्र प्रदेश में होस्टल

863. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में कामकाजी पुरूषों और महिलाओं के लिए तथा उच्च कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों के होस्टलों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में ऐसे छात्रावासों के निर्माण के लिए कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) उनमें से कितनों को मंजूरी दी जा चुकी है और इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत होस्टलों की संख्या नीचे दी गई है :–

क्र. सं.	स्कीम	आंध्र प्रदेश में स्वीकृत होस्टलों की सं. (1993-94 तक)	अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत होस्टलों की सं. (1993-94 तक)
1	2	3	4
1.	बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण हेतु सहायता	35	657
2.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	2525	18308
3.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल		
4.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल (छठी योजना से)	222	937
5.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल (छठी योजना से)	12	316
6.	अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम स्कूल (1990–91 से)	16	167
7.	निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर (1993–94 से)	1	23

(ख) और (ग). वर्ष 1991–92, 1992–1993 और 1993–94 के दौरान इन होस्टलों के निर्माण के लिए प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की स्कीमवार संख्या और सहायता अनुदान के रूप में अनुमोदित राशि नीचे दी गई है :–

क्र. सं.	स्कीम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृति होस्टलों की संख्या	अनुमोदित राशि (रू. लाखो में)
1.	बच्चों के लिए दिवस देखभाल केंद्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण हेतु सहायता	14	9	131.25
2.	अनुसूचित जाति की लडकियों के लिए होस्टल	189	189	563.00
3.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल	38	38	484
4.	अनुसूचित जनजाति की लडकियो के लिए होस्टल	10	10	84.42
5.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	7	7	79.74
6.	अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम स्कूल	11	11	69.50
7.	निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लडकियों के लिए शैक्षिक परिसर	1	1	5.28

(ग) बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण हेतु सहायता की स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में आवेदक एजेंसियों को पूर्वापेक्षित दस्तावेज भेजने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता शिकायत निवारण संबंधी राष्ट्रीय आयोग

864. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता शिकायत निवारण संबंधी राष्ट्रीय आयोग की वर्तमान सदस्यता संबंधी विवरण क्या है;

(ख) क्या आयोग में कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इन पदों को अभी तक न भरने के क्या कारण हैं, और

(घ) इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) वर्तमान सदस्यगण में निम्नांकित 5 सदस्य हैं

(1)	न्यायमूर्ति श्री वी. बी. इराडी	अध्यक्ष
(2)	श्री वाई. कृष्ण	सदस्य
(3)	न्यायमूर्ति श्री बी.एस. यादव	सदस्य
(4)	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. चड्ढा	सदस्य
(5)	डा. (श्रीमती) तामराजक्ष्मी	सदस्य

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

आमान परिवर्तन

865. **श्री महेश कनोडिया** :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के मेहसाना जिले और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बड़ी और छोटी रेल लाइनों की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या इन जिलों की जनसंख्या और पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार उक्त जिलों में रेल लाइन का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) ऐसी सूचना रेलवे के मंडलवार आधार पर रखी जाती है, न कि सिविल जिलेवार।

(ख) जी, हां।

(ग) महेसाणा–वीरमगाम, महेसाणा–अहमदाबाद तथा महेसाणा–मारवाड़ खण्डों के आमान परिवर्तन का कार्य आरंभ कर दिया गया है जो 1995–96 में पूरा हो जाएगा।

जौनपुर जिले में शाहगंज से आजमगढ़ जिले में मऊ तक आमान परिवर्तन आरंभ किया गया है तथा आने वाले वर्षों में इसे पूरा कर दिया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रीरामपुर और बाली की बीच चौथी रेल लाइन

866. **श्री सुदर्शन रायचौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पूर्वी रेलवे के श्रीरामपुर और बाली सेक्शन के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस लाइन के निर्माण का कार्य कब शुरू होगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यातायात की मात्रा की दृष्टि से फिलहाल इस लाइन की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं बनता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खड़गपुर-भुवनेश्वर रेल लाइन का विद्युतीकरण

867. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में खड़गपुर–भुवनेश्वर मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). योजना आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। योजना आयोग की स्वीकृति के बाद संसद को उनके अनुमोदन तथा धनराशि के आबंटन के लिए लिखा जाएगा।

सवारी डिब्बों का निर्माण

868. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपूरथला रेलवे कोच फैक्टरी में निर्मित सवारी डिब्बे मानक स्तर के नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सवारी डिब्बों का मानक स्तर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला द्वारा बनाए गए सवारी डिब्बे विशिष्ट मानक के हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते। गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है तथा परिचालनिक अनुभव पर आधारित फीड बैक के आधार पर इसमें समय-समय पर आशोधन/सुधार किए जाते हैं।

[हिन्दी]

चल विज्ञान प्रदर्शनियां

869. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और अन्य राज्यों में कौन-कौन से स्थानों पर विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र द्वारा चल विज्ञान प्रदर्शनियां लगाई जा रही/लगाई गई हैं; और

(ख) इन प्रदर्शनियों का उद्देश्य क्या है और इन पर प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). गुजरात और अन्य राज्यों में निम्नलिखित स्थानों पर विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र द्वारा चल विज्ञान प्रदर्शनियां लगायी जा रही/लगाई गई है :-

जिला विज्ञान केन्द्र, धर्मपुर से संचालित चल विज्ञान प्रदर्शनी द्वारा गुजरात के जिन जन-जातीय क्षेत्रों को कवर किया गया है, वे वलसाद, डांग और भड़ौच जिलों में हैं। कवरेज व्यापक रूप से किया गया है।

बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता, श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भुवनेश्वर, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, गुवाहाटी और जिला विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया से संचालित चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयों द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बंकुरा व मिदनापुर के जनजातीय क्षेत्रों, बिहार के दक्षिण बिहार और छोटा-नागपुर क्षेत्रों, उत्तर तथा उत्तर-पश्चिमी उड़ीसा के सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्रों तथा असम के जनजातीय क्षेत्रों को कवर किया जाता है।

विश्वेश्वरैय्या औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय, बंगलौर, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, तिरूपति, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र-कालीकट, तिरूनेलवेली व गुलबर्ग के जिला विज्ञान केन्द्रों द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के जनजातीय क्षेत्र कवर किए जाते हैं।

महाराष्ट्र व गुजरात के जनजातीय क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र नेहरू विज्ञान केन्द्र बंबई, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र भोपाल, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र-धर्मपुर द्वारा कवर किए जाते हैं।

राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्र राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, दिल्ली, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा कवर किए जाते हैं।

चल विज्ञान प्रदर्शनियों का उद्देश्य उन ग्रामीण लोगों तक विज्ञान को पहुंचाना है जो कि सामान्यतः विज्ञान केन्द्रों को देखने के लिए शहरों और जिला कस्बों तक नहीं पहुंच पाते हैं। आहार व पोषण, पर्यावरण, ऊर्जा आदि जैसे प्रासंगिक विषयों से संबंधित प्रदर्शों को जनजातीय क्षेत्रों में चल बस द्वारा ले जाया जाता है और वैज्ञानिक सिद्धांतों का सम्प्रेषण करने के प्रयोजनार्थ विस्तृत रूप से प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों को इन पहलुओं के प्रति जागरूक बनाना है और लोगों के दिमागों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को उत्पन्न करना भी है।

1993-94 के दौरान, चल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयों को संचालित करने पर वहन किए गए आवर्ती व्यय का इकाई-वार ब्यौरा इस प्रकार है :-

	(लाख रुपयों में)
दक्षिण क्षेत्र	
विश्वेश्वरैय्या औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बंगलौर	0.81
जिला विज्ञान केन्द्र, गुलवर्ग	0.10
जिला विज्ञान केन्द्र, तिरूनेलवेली	0.52
क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, तिरूपति	0.12
पश्चिम क्षेत्र	
नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई	0.65
जिला विज्ञान केन्द्र, धर्मपुर	0.12
क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, नागपुर	0.26
क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भोपाल	0.20
क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कालीकट	0.09
उत्तर क्षेत्र	
राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, दिल्ली	0.56
क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, लखनऊ	0.17
पूर्व क्षेत्र	
बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता	0.77
श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना	0.32
जिला विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया	0.23
उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, बुर्दवान	0.18
क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भुवनेश्वर	0.22
क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, गुवाहाटी	0.05
उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, धेनकनाल	0.01
कुल	5.37

[अनुवाद]

रेल भूमि

870. **श्री मोहन रावले :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक उपयोग हेतु देश में रेल भूमि के विस्तृत भूभाग को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या पट्टे से संबंधित औपचारिकताएं निर्धारित कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ङ) रेल भूमि को वाणिज्यिक उपयोग हेतु पट्टे पर देने से सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है, और प्राप्त धनराशि किस प्रयोजनार्थ व्यय किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

अविराम (नॉन-स्टाप) चलने वाली रेलगाड़ियां

871. **श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों के बीच अविराम (नॉन–स्टाप) चलने वाली रेलगाड़ियां शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). जी, नहीं। अविरामी गाड़ियों का चलना परिचालनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि कर्मीदल बदलने, पानी भरने जैसे परिचालनिक कारणों के कारण कुछ ठहराव दिए जाने आवश्यक होंगे।

[हिन्दी]

पर्यावरण तथा वानिकी परियोजनाएं

872. **श्री छेदी पासवान :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता से शुरू की गई पर्यावरण और वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय और विदेशी सहायता से आरम्भ की गई पर्यावरणीय और वानिकी परियोजनाओं के ब्यौरे और उनकी वित्तीय और भौतिक दोनों उपलब्धियां संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार की नीधि की मात्रा	स्थिति	गत तीन वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान उपलब्धि	
					वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विकास	100 प्रतिशत	जारी	28.15	वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित लक्ष्य
2.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के आस–पास पारि–विकास	राष्ट्र उद्यानों के आस–पास रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आजीविका मुहैया करना	100 प्रतिशत गैर–आवर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	जारी	69.11	उपरोक्त
3.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालिक उत्तरजीवितता सुनिश्चित करना	100 प्रतिशत गैर–आवर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	जारी	23.59	उपरोक्त
4.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षम आबादी सुनिश्चित करना	100 प्रतिशत गैर–आवर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	जारी	139.07	उपरोक्त
5.	काबर झील का संरक्षण	काबर झील प्रबन्ध कार्य योजना का कार्यान्वयन	100 प्रतिशत	जारी	31.36	उपरोक्त

1	2	3	4	5	6	7
6.	आधुनिक वन अग्नि शमन पद्धतियां	वनों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए वन अग्नि शमन	100 प्रतिशत	जारी	6.00	उपरोक्त
7.	अवक्रमित वनों के पुनःरूद्धार में अनुसूचित जनजातियों व निर्धन ग्रामीण का सहयोग	अवक्रमित वनों में जैवभार संसाधन आधार सुधारना	100 प्रतिशत	जारी	53.63	उपलब्ध नहीं
8.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारिता के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता लाना	100 प्रतिशत	जारी	1.75	6 जिलों में गठित
9.	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	अभिनिर्धारित ईंधन की लकड़ी की कमी वाले जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारे की आपूर्ति में वृद्धि करना	50 प्रतिशत	जारी	856.01	22,508 हैक्टेयर
10.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद उगाना	100 प्रतिशत	जारी	189.88	5,400 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया
11.	बीज विकास स्कीम	उन्नत बीजों के लिए आधारभूत संरचना का विकास	100 प्रतिशत	जारी	6.00	वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित लक्ष्य
12.	समन्वित वनीकरण एवं पारिविकास परियोजना स्कीम	वनीकरण और पारि–विकास को प्रोत्साहन देना	100 प्रतिशत	जारी	79.64	उपलब्ध नहीं
13.	गंगा कार्य योजना	गंगा नदी का प्रदूषण निवारण	100 प्रतिशत	जारी	1581.00	5 नगरों को शामिल किया गया
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें :						
14.	यूनिडो सहायता के तहत "धनबाद क्षेत्र में पर्यावरणीय मास्टर योजना" पर एक परियोजना	धनबाद क्षेत्र में पर्यावरणीय अध्ययन करना	परियोजना को 1992 में आरम्भ किया गया था और इस समय इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।			
15.	यू.एन.डी.पी. के तहत पारि–विकास पर जी.ई.एफ. परियोजना	पारि–विकास परियोजना का विकास एवं कार्यान्वयन	पारि–विकास पर एक परियोजना तैयार करने के उद्देश्य से निवेश–पूर्व सर्वेक्षण करने के लिए पलामू बाघ रिजर्व के लिए 4.75 लाख रूपए की राशि मुहैया की गई है।			

[अनुवाद]

दानकुनी में टर्मिनल स्टेशन

873. **श्री हन्नाम मोल्लाह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानकुनी में प्रस्तावित टर्मिनल स्टेशन के कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक सपूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पूर्व रेलवे ने 6.00 करोड़ रूपये की लागत पर स्वीकृत डानकुनी स्टेशन का एक नोडल माल टर्मिनल (चरण–1) के रूप में विकास करने का कार्य शुरू किया है। 1993–94 के अंत तक 1.00 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं तथा 1994–95 में 87 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। कार्य को 1996–97 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

रेलों के यात्री डिब्बों को बदलना

874. **श्री राम कापसे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों के यात्री डिब्बों को उनके इस्तेमाल की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जोन–वार इस प्रकार इस्तेमाल में लाये जा रहे रेल यात्री डिब्बों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यथा समय उनको न बदलने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) सवारी डिब्बे आयु–एवं–हालत के आधार पर नाकारा किये जाते हैं। नाकारा किए गए सवारी डिब्बों को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सवारी डिब्बों के बदलाव की योजना आयु–एवं–हालत के आधार पर बनाई जाती है। जब कभी इन सवारी डिब्बों को आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है तो उन्हें बदल दिया जाता है।

शताब्दी एक्सप्रेस

875. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेलवे के विभिन्न मार्गों पर शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). धनबाद के रास्ते हावड़ा और बोकारो के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और व्यावहारिक तथा औचित्यपूर्ण पाए जाने पर इस पर कार्रवाई की जाएगी।

तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस

876. **श्री सुब्रत मुखर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस को अलग–अलग–एक सीधे हल्दीबाड़ी से और दूसरी कूचबिहार से चलाने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

877. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत खाद्यान्नों की सप्लाई उठाने में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुओं का मूल्य खुले बाजार के बराबर है;

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले चावल तथा गेहूं के मूल्यों को कम करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों से गेहूं और चावल की राज्य–वार कुल कितनी मांग है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 1994–95 में अप्रैल से अक्तूबर तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का 69.93 लाख मीटरी टन उठान हुआ था जबकि पिछले वर्ष (1993–94) की इसी अवधि के दौरान यह मात्रा 79.89 लाख मीटरी टन थी।

(ख) और (ग). कम उठान होने के मुख्य कारण 1992–93 और 1993–94 (जुलाई–जुन) के लगातार दो फसल वर्षों में मोटे अनाजों, गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन होने की वजह से खाद्यान्नों की बेहतर स्थानीय उपलब्धता होना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य खुले बाजार के मूल्यों से कम हैं। तथापि, पिछले वर्षों में खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि होने के कारण गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और खुले बाजार के मूल्यों के बीच का अन्तर फिलहाल कम हो गया है।

(घ) और (ङ). गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों का संशोधन प्रभावी नहीं किया गया है जबकि इसे 1.4.1994 से प्रभावी किया जाना था और साधारण, बढ़िया और उत्तम चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को भी आस्थगित रखा गया है जबकि इनमें 1.10.1994 से 60/–रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की जानी थी।

(च) 1994–95 के लिए राज्यवार चावल और गेहूं की कुल मांग (अनंतिम) बताने वाला विवरण उपाबन्ध के रूप में संलग्न है।

विवरण

1994-95 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल और गेहूं की मांग (अनन्तिम)

(लाख मीटरी टन में)

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल	गेहूं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	21.90	1.80
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.87	0.24
3.	असम	4.71	3.94
4.	बिहार	3.72	7.14
5.	गोवा	0.67	0.48

1	2	3	4
6.	गुजरात	4.14	6.42
7.	हरियाणा	0.36	1.55
8.	हिमाचल प्रदेश	1.44	1.80
9.	जम्मू और कश्मीर	5.20	3.50
10.	कर्नाटक	11.72	6.00
11.	केरल	22.94	6.75
12.	मध्य प्रदेश	5.60	5.88
13.	महाराष्ट्र	8.58	12.00
14.	मणिपुर	1.20	0.32
15.	मेघालय	2.40	0.44
16.	मिजोरम	1.22	0.25
17.	नागालैंड	0.95	0.66
18.	उड़ीसा	5.44	4.75
19.	पंजाब	0.17	2.10
20.	राजस्थान	0.46	14.44
21.	सिक्किम	0.56	0.10
22.	तमिलनाडु	12.00	3.60
23.	त्रिपुरा	1.94	0.36
24.	उत्तर प्रदेश	5.50	11.86
25.	पश्चिम बंगाल	9.32	10.15
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.31	0.08
27.	चंडीगढ़	0.04	0.25
28.	दादरा और नागर हवेली	0.06	0.02
29.	दमन और द्वीव	0.06	0.03
30	दिल्ली	2.40	9.16
31.	लक्षयद्वीप	0.06	0.01
32.	पांडिचेरी	0.24	0.09
		136.19	116.17

(अ)—अनन्तिम

पब्लिक यूटीलिटीज रेग्यूलेटरी कमीशन

878. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पब्लिक यूटीलिटीज रेग्यूलेटरी कमीशन" गठित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस कमीशन के प्रस्तावित ढांचे का ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या हैं;

(ग) किन–किन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (पब्लिक यूटीलिटी सर्विसेज) को इस आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाएगा; और

(घ) सरकार इस निकाय का गठन कब तक कर देगी?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) यह मामला विचाराधीन है और इस चरण पर कोई समय सीमा सूचित नहीं की जा सकती है।

चीनी उत्पादन में पूंजी निवेश

879. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी का कुल उत्पादन कितना–कितना हुआ और उससे पिछले तीन वर्षों की तुलना में इसका प्रतिशत कितना रहा;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान चीनी उद्योग में पूंजी निवेश में तेजी से वृद्धि हुई;

(ग) यदि हां, तो 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान पृथक–पृथक रूप से चीनी उद्योग में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(घ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित चीनी और पिछले वर्ष में बढ़ी/घटी प्रतिशत्त निम्नानुसार है :–

चीनी वर्ष	उत्पादित चीनी (लाख टन)	पिछले वर्ष के दौरान (+) बढी/घटी (–) प्रतिशतता
1991–92	134.11	11 प्रतिशत (+)
1992–93	106.09	21 प्रतिशत (–)
1993–94	98.12 (अनंतिम)	7.5 प्रतिशत (–)

(ख) और (ग). चूंकि चीनी मिलें विभिन्न क्षेत्रों की हैं इसलिए उनकी परिसम्पत्ति के मौजूदा लिखित मूल्य के आधार पर चीनी उद्योग में कुल पूंजीगत निवेश का विस्तृत विवरण खाद्य मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). चीनी वर्ष 1991–92 के दौरान खुले बाजार मे खुदरा चीनी मूल्य 7.90 रू./किलो से 11.25रू./किलो के बीच रहे, जबकि 1992–93 के दौरान 9.00 रू./किलो से 12.75 रू./किलो के बीच थे। चीनी वर्ष 1993–94 के लिए खुले बाजार में खुदरा चीनी मूल्य 10.70 रू./किलो से 17.30 रू./किलो के बीच रहे।

सोयाबीन बीज के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता

880. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश ने सोयाबीन बीज के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सोयाबीन बीज आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सोयाबीन के बीज के आयात से बचने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) . वर्ष 1993-94 में सोयाबीन का उत्पादन 46.3 लाख मीटरी टन (संभावित) था जबकि इसका लक्ष्य 31.0 लाख मीटरी टन का रखा गया था। जब कि 1994-95 के प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि इस अवधि में यह उत्पादन 37.2 लाख मीटरी टन का होगा जबकि लक्ष्य 40.0 लाख मीटरी टन का है इस प्रकार इसमें इस वर्ष 2.8 लाख मीटरी टन की मामूली गिरावट नजर आती है।

(ग) और (घ). इस समय सोयाबीन का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सभी सोयाबीन उत्पादक राज्यों में सोयाबीन सहित तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत् बीजों का उत्पादन और वितरण करने, जिप्सम और पाइराइट, उन्नत फार्म उपष्करों, छिड़काव करने वाले सेटों का वितरण करने, राइजोबियल कल्चर, किसानों के खेतों में अग्रणी और सामान्य प्रदर्शनों का आयोजन कराने के लिए सहायता दी जाती है।

मध्य प्रदेश में रेल लाइनें

881. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-कौन सी रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी;

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(ग) सरकार ने इन रेल परियोजनाओं के कार्य को समय से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में निर्माण के लिए हाथ में ली गई नई लाईन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाएं तथा इन परियोजनाओं पर सितंबर, 1994 तक किया गया खर्च नीचे दिए गए हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में इन परियोजनाओं पर किए जाने वाले खर्च की राशि इन योजना शीर्षों के लिए वार्षिक योजनाओं, जिन्हें अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, में योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले आबंटन पर निर्भर करेगी।

	नई लाइनें		सितंबर, 1994 तक खर्च (करोड़ रूपयों में)
1	2		3
I.	शिवपुरी-ग्वालियर-भींड के रास्ते गुना-इटावा रेल लाइन		107.79
II.	सतना-रीवां (पूरी हो गई है)		42.19
	आमान परिवर्तन		
I.	नीमच-रतलाम		2.00
	दोहरीकरण		
I.	भोपाल और इटारसी के बीच दोहरी लाइन के लिए होशंगाबाद में नर्मदा पुल (पूरा हो गया है)		12.90
II.	चंबल पुल (हेतमपुर-घेर दोहरीकरण)		15.38
III.	कीरतगढ़-कालाआखार-(पूरी हो गई है)		91.00
IV.	बिलासपुर-अकलतारा-तीसरी लाइन		14.36
V.	अन्नास पुल-पंचपिपलिया सुरंग और माही पुल (पंचपिपलिया-माहीपुल-पूरा हो गया है)		11.86
VI.	पिरूमरोड-बेरचा और बोलाई-अकोदिया (बोलई-अकोदिया-पूरी हो गई है)		19.83
VII.	बैरागढ़-फांदा		11.05
VIII.	कालापीपल-फांदा	कार्य बंद कर दिया गया है।	00.02
IX.	मकसी-बैरागढ़	हाल ही में तीन ब्लाक खंडों पर पुनः कार्य शुरू कर दिया गया है। अनुमान स्वीकृत हो जाने के बाद कार्य वास्तविक रुप से शुरू कर दिया जाएगा।	

(ग) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए रेलवे को पर्याप्त धनराशि तथा रेलपथ सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ही पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

अभियांत्रिक और प्रौद्योगिकी के बारे में नए विनियम

882. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 के अंतर्गत अभियांत्रिक और प्रौद्योगिकी के बारे में नए प्रस्तावों को तैयार करने के बारे में नए विनियमों को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने हाल ही में विनियम तैयार किए हैं जिनकी अधिसूचना जारी की जा रही है। ये विनियम नई तकनीकी संस्थाओं को आरम्भ करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने, पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों को आरम्भ करने तथा दाखिल क्षमता आदि को स्वीकृति देने के संबंध में है। इन विनियमों में, निर्धारित समय-अनुसूची में पूरा किए जाने के लिए विकेन्द्रीकृत, सहभागिता प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन, संवीक्षा की क्रियाविधि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विश्वविद्यालय, वि. अनु. आ., विशेषज्ञ समितियों इत्यादि के विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन, शामिल है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न के मूल्य

883. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं और चावल के वर्तमान भण्डार कितने-कितने हैं;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम की इनको सस्ती दर पर बेचने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों वस्तुओं को किस मूल्य पर खरीदा गया था और इस समय उनका विक्रय मूल्य क्या है और इन खाद्यान्नों को किस दाम पर बेचने का विचार है;

(घ) इसके कारण कितना नुकसान होने की संभावना है और घाटे से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) सरकार ने 1994 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को कितनी राजसहायता दी है और 1995 के दौरान कितनी राज सहायता दिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वितरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य नीचे दिए गए हैं :

(रुपए प्रति क्विंटल, गोदाम से)

	साधारण	बढ़िया	उत्तम
चावल	537.00	617.00	648.00
गेहूं	402.00		

सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रुपए कम है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल खुली बिक्री के माध्यम से बेचे जाते हैं और ऐसे बिक्रियों के लिए निर्धारित किए गए मूल्य सलंग्न विवरण II और III में दिए गए हैं। माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य से 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम मूल्य पर गेहूं इस शर्त पर जारी किया जाता है कि ब्रेड कम मूल्यों पर बेची जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति के छात्रवासों को भी समपुष्ट सार्वजनिक वितरण की दरों पर गेहूं सप्लाई किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार सृजन योजनाओं में लगे लाभभोगियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दरों से कम दर पर, 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं सप्लाई किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम को भी कुछेक शर्तों के अध्यधीन निर्यात सीमा के अन्दर गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूं की खरीदारी की जाती है और चावल की वसूली मिल मालिकों से निर्धारित दर पर लेवी के जरिए की जाती है और कस्टम मिलिंग धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की जाती है। वर्ष 1994-95 के लिए वसूली प्रासंगिक खर्च, बोरियों का मूल्य, दुलाई, भण्डारण, ब्याज आदि जोड़ने के बाद भारतीय खाद्य निगम की इन खाद्यान्नों की लागत निम्नानुसार है :

(रुपए प्रति क्विंटल)

चावल	गेहूं
724.00	562.45

(घ) और (ङ). भारतीय खाद्य निगम डिपो से खाद्यान्नो के निर्गम मूल्य और उनकी इकानमिक लागत के बीच अन्तर की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता के रूप में की जाती है। 1993-94 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को 5,537 करोड़ रुपए की राजसहायता रिलीज की गई थी। वर्ष 1994-95 के लिए राजसहायता हेतु बजट प्रावधान 4000 करोड़ रूपये है।

विवरण—I

पहली नवम्बर, 1994 को केन्द्रीय और राज्य सरकार के खाते पर खाद्यान्नों का प्रत्यक्ष स्टाक

अनन्तिम **(हजार मीटरी टन में)**

अनाज	केन्द्रीय पूल में स्टाक		जोड़	राज्य	सकल जोड़
	भारतीय खाद्य निगम के पास	राज्य सरकारों/ राज्य सरकारों की एजेन्सियों के पास		सरकारों के खाते पर	(केन्द्र+राज्य)
1	2	3	4	5	6
चावल	12828.80	2609.00*	15437.80	723.35	16161.15
गेहूं	8208.80	6769.10**	14977.90	126.60	15104.50
मोटे अनाज	नग.	0.00	नग.	99.00	99.00
जोड़	21037.60	9378.10	30415.70	948.95	31364.65

(नग.) – 50 मीटरी टन से कम।

(*) – हरियाण, पंजाब और दूसरे राज्यों के पास।

(**) – हरियाणा और पंजाब के पास।

विवरण-II

नवम्बर, दिसम्बर, 1993, जनवरी से अक्तूबर, 1994 तक के लिए प्रत्येक क्षेत्र हेतु गेहूं की खुली बिक्री के लिए निर्धारित किए गए मूल्य

(दर रूपए प्रति मीटरी टन)

राज्य का नाम	नवम्बर, 93	दिसम्बर, 93 और जनवरी, 94	फरवरी और मार्च, 94	अप्रैल से जुलाई, 94	अगस्त और सितम्बर, 94	अक्तूबर और नवम्बर, 94	दिसम्बर, 94
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पंजाब/हरियाणा/उत्तर प्रदेश	3850/-	3850/-	4100/-	4100/-	4150/-	4200/-	4150/-
दिल्ली	4050/-	4050/-	4250/-	4250/-	4250/-	4300/-	4200/-
राजस्थान	4000/-	3950/-	4150/-	4150/-	4200/-	4250/-	4200/-
जम्मू और कश्मीर	4000/-	4000/-	4200/-	4200/-	4250/-	4300/-	4200/-
हिमाचल प्रदेश	4000/-	4000/-	4200/-	4200/-	4250/-	4300/-	4200/-
महाराष्ट्र	4450/-	4400/-	4650/-	4500/-	4550/-	4600/-	4550/-
गुजरात	4300/-	4250/-	4450/-	4350/-	4400/-	4450/-	4400/-
मध्य प्रदेश	4100/-	4000/-	4200/- *4100/-	4100/-	4150/-	4200/-	4150/-
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा	4400/-	4250/-	4400/-	4350/-	4400/-	4450/-	4400/-
बिहार	4300/-	4190/-	4350/-	4300/-	4350/-	4400/-	4350/-
तमिलनाडु	4500/-	4500/-	4750/-	4600/-	4650/-	4700/-	4650/-
आन्ध्र प्रदेश	4450/-	4450/-	4700/-	4550/-	4600/-	4650/-	4600/-
कर्नाटक	4550/-	4550/-	4750/-	4600/-	4650/-	4700/-	4650/-
केरल	4600/-	4600/-	4800/-	4600/-	4650/-	4700/-	4650/-

* मध्य प्रदेश के लिए खुली बिक्री के अधीन गेहूं के मूल्य 4-3-1994 से घटाकर 4100 रूपये मीटरी टन कर दिए गए थे।

नोट : अक्तूबर, 1993 माह के लिए बिक्री खुली टेण्डर इन्क्वायरी के आधार पर की गई।

विवरण-III

जनवरी, 1994 से अक्तूबर, 1994 तक के दौरान चावल की खुली बिक्री के लिए भा. खा. नि. द्वारा घोषित मूल्य

दर रू./मी. टन

राज्य का नाम	जनवरी, 94	*फरवरी, से मई, 94	जून, 94 से जुलाई, 94 तक	**अगस्त, 94 और सितम्बर, 94	अक्तूबर, 94 से दिसम्बर, 94 तक
पंजाब		6600/-	6550/-	6550/-	7050/-
हरियाणा	बिक्री टेण्डर इंक्वायरी	6600/-	6550/-	6550/-	7050/-
उत्तर प्रदेश	के आधार पर की गई	6600/-	6550/-	6550/-	6800/-
दिल्ली		6700/-	6600/-	6600/-	6900/-
राजस्थान		6600/-	6550/-	6550/-	6900/-
जम्मू और कश्मीर		6600/-	6550/-	6550/-	6900/-
हिमाचल प्रदेश		6600/-	—	—	—
महाराष्ट्र		6800/-	6700/-	6650/-	6800/-
गुजरात		6800/-	6700/-	6650/-	6800/-
मध्य प्रदेश		6600/-	6550/-	6550/-	6700/-
बिहार		6600/-	6550/-	6550/-	6800/-
पश्चिम बंगाल		6600/-	6550/-	6550/-	6800/-
उड़ीसा		6600/-	6550/-	6550/-	6750/-
तमिलनाडु		7000/-	6700/-	6650/-	6800/-
आन्ध्र प्रदेश		6600/-	6550/-	6550/-	6700/-
कर्नाटक		7000/-	6700/-	6650/-	6800/-
केरल		7100/-	6700/-	6650/-	6800/-

*बढ़िया चावल कच्चा और सेला दोनों के लिए मूल्य उत्तम चावल के मूल्यों से 200 रू. प्रति मी. टन कम है।

**बढ़िया चावल के मूल्य उत्तम चावल के मूल्यों से 300/- रूपये कम है।

[अनुवाद]

सीतारामपुर-पटना-मुगलसराय रेल लाइन का विद्युतीकरण

884. डा. राम चन्द्र डोम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीतारामपुर–पटना–मुगलसराय सैक्शन के विद्युतीकरण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) निर्धारित समय के कार्य को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सम्पूर्ण सैक्शन को कब तक विद्युतीकृत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). सीतारामपुर–झाझा खंड पर कार्य प्रगति पर है। सीतारामपुर जमतारा खंड पर कार्य मार्च, 95 तक शुरू किए जाने की संभावना है। सीतारामपुर झाझा खंड के कार्य को जून, 1996 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। झाझा–मुगलसराय खंड हेतु सिरोपरि उपस्कर संविदा के लिए निविदाओं पर कार्यवाही की जा रही है। कार्यों पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

(ग) कार्य को मार्च, 99 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तम्बाकू की मांग और खपत

885. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू की घरेलू मांग तथा खपत का मूल्यांकन करने हेतु तम्बाकू क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी वर्ष में तम्बाकू की अत्यधिक कमी की प्रत्याशा है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषकों को सहायता के लिए कोई योजना बनाई है ताकि तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : *(क) और (ख). वाणिज्य मंत्रालय हर वर्ष फ्लू–क्योर्ड–वर्जीनिया तम्बाकू (एफ. सी.वी. तम्बाकू) को फसल क्षेत्र के लिये योजना बनाते वक्त फ्लू–क्योर्ड–वर्जीनिया तम्बाकू की जरूरतों के बारे में निर्यातकों व्यापारियों और स्वदेशी सिगरेट उद्योग से परामर्श करता है।*

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). अधिक उपज देने वाली किस्मों की निर्मुक्ति के साथ–साथ केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित समुचित उत्पादन प्रौद्योगिकी से औसत उत्पादकता 1957-58 के 728 कि. ग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 1992-93 में 1390 कि. ग्रा. प्रति है. के स्तर तक पहुंच गई है। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान तम्बाकू की उन्नत किस्मों के गारण्टीशुदा शुद्ध बीज सप्लाई करने वाली एजेंसी है।

[हिन्दी]

"धारा" तेल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप

886. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत दिल्ली क्षेत्र में धारा तेल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति के समुदाय से सम्बद्ध आवेदकों की संख्या कितनी है;

(ग) कितने आवेदकों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप मंजूर की गई;

(घ) ऐसे आवेदकों के नाम क्या हैं, जिन्हें उनके आवेदन–पत्रों की स्वीकृति दिये जाने के बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान नहीं की गई तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इन आवेदकों को कब तक डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान किये जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ). राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपने फल तथा सब्जी खुदरा केन्द्रों तथा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के डिलरशिप केन्द्रों के माध्यम से धारा ब्रान्ड खाद्य तेलों का विपणन कर रहा है। जिसे समूचे देश में धारा ब्रान्ड तेल के वितरण के लिये एकमात्र एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।

31 मार्च, 1994 से तिलहनों/खाद्य तेलों के मण्डी हस्तक्षेप क्रियाकलाप बन्द कर दिये जाने की वजह से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपने ही खर्च पर धारा ब्रान्ड खाद्य तेलों का विपणन कर रहा है।

1994 के दौरान इस मंत्रालय को दिल्ली क्षेत्र के लिये धारा तेल के वितरण के लिये 3 आवेदन प्राप्त हुये थे जिसमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का एक आवेदन शामिल है तथा इनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को भेज दिया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

887. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के मधुबनी जिले में राजनगर में एक कृषि विज्ञान क्षेत्र स्थापित करने के लिए संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजनगर में भूमि, भवन और सडक तथा रेल लाइन जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो राजनगर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) वहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) (क). जी हां,

(ख) श्री भोगेन्द्र झा, सांसद लोक सभा ने अपने अर्ध–सरकारी पत्र संख्या 129/92 दिनांक 28-5-92 के द्वारा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को मधुबनी जिले के राजनगर में एक कृषि केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा था।

(ग). जी हां, महाशय।

(घ) और (ङ). मधुबनी जिले के चांदपुरा–बसईथा गांव में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्वीकृति दी जा चुकी है। दूसरा कृषि विज्ञान केन्द्र उसी जिले में खोलने पर अभी विचार नहीं किया जा सकता ।

[अनुवाद]

नदियों के जल पर डिटर्जेंटों का प्रभाव

888. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1994 के दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" (दिल्ली) में "डिटर्जेंट्स से जल प्रदूषण पीने लायक नहीं रहेगा नदियों का पानी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नदियों के जल पर डिटर्जेंटों के प्रभाव के संबंध में किसी प्रकार के सर्वेक्षण का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे खतरनाक डिटर्जेंटों के उत्पादन पर तत्काल रोक लगाने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(च) सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सतही जल में डिटर्जेंटों के जीवन चक्र विश्लेषण तथा उन पर डिटर्जेंटों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ स्थापित किया है। इस अध्ययन के विचारार्थ-विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. विभिन्न जैव-अवक्रमण परीक्षणों तथा विकास, द्वारा प्रमुख सक्रिय संघटकों (एल.ए.बी.एस. तथा ए.ओ.एस.) के जैवीय और अजैवीय (वायुजीवी और वायुनिरपेक्षी) अवक्रमण का परीक्षण, अंशशोधन, विभिन्न मझोले स्तर की प्रयोगशालाओं द्वारा सरलता, लागत, उपयुक्तता, समय आदि के अधीन भारत के लिए आदर्श उपयुक्त पद्धति का मानकीकरण।

2. पर्यावरणीय गति और बल गति की अर्थात स्थायित्व, अवक्रमण, जैव-आवर्धन और मूल उत्पाद की अत्यधिक एवं स्थायी विषाक्तता तथा विभिन्न जलचर प्रजातियों के मध्यवर्ती अवक्रमण के अनुसार एल ए बी एस तथा ए ओ एस संबंधी जीवनचक्र विश्लेषण। पर्यावरणीय क्षेत्रों, चुनिंदा क्षेत्रों में जल और अवमल में सल्फेक्टेंट अवशिष्टों का तीव्र मूल्यांकन।

3. डिटर्जेंटों से पर्यावरणीय सुरक्षा तथा मानक मानदण्ड परीक्षणों एवं निगरानी हेतु सिफारिश पर एक वृहद दस्तावेज तैयार करना।

(घ) और (ङ). इस अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार डिटर्जेंटों में प्रयुक्त रसायनों के उत्पादन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना उचित नहीं है।

(च) सरकार द्वारा जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

1. सरकार ने साबुन और डिटर्जेंटों की इकोमार्किंग हेतु मानदंड पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं;

2. छोटी औद्योगिक इकाइयों को बहिस्राव शोधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सहायता देने के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं;

3. जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना की गई है;

4. अवशिष्ट न्यूनीकरण और अवशिष्ट पुनः प्रयोग को बढ़ावा देने के ध्येय से पर्यावरणीय संपरीक्षा आरंभ की गई है;

5. उद्योगों के स्थान-निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

महिला समृद्धि योजना

889. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री बापू हरि चौरे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री गुरूदास कामत :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुल :
श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत 15 अक्तूबर, 1994 तक राज्यवार कितने बचत खाते खोले गए और उनमें कितनी राशि जमा की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर ब्याज के रूप में कितनी राशि देय है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में इस योजना के संचालन में कमियां और डाककर्मियों द्वारा कदाचार बरते जाने की बात आई है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन में कदाचार को समाप्त करने और दोषों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख). महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत 31-10-94 तक जमा राशि तथा खोले गए खातों की कुल संख्या को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है। एक वर्ष की लॉक-इन अवधि के लिए जमा कराई गई राशि (अधिकतम 300 रू.) पर 25 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि देय है। एक वर्ष की लॉक-इन अवधि के पूरा होने से पहले और जमा कराए जाने के एक माह के बाद यदि कुछ राशि निकलवा ली जाती है, तो 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय है। इन खातों पर देय ब्याज और प्रोत्साहन की वास्तविक राशि खातों में जमा प्रत्येक राशि की अवधि पर निर्भर करेगी।

(ग) से (ङ). तीन डाकखानों में अनियमितताओं के मामले डाक विभाग के ध्यान मे लाए गए हैं। गुजरात सर्कल के जूनागढ़ डिवीजन में 6 खाते 17 वर्ष की आयु की अवयस्क बालिकाओं द्वारा खुलवाए गए। महाराष्ट्र सर्कल में धोराकिंगांव शाखा डाकखाने मे एक महिला ने दो अलग अलग नामों से दो खाते खुलवाए, एक अपने विवाह-पूर्व नाम से और दूसरा विवाह के पश्चात् अपने नए नाम से। इसके अलावा डाकखाने के वितरण अधिकारक्षेत्र से बाहर रहने वाले जमाकर्ताओं के कुछ खाते खोले गए। इसी प्रकार, महाराष्ट्र सर्कल के दुगांव शाखा डाकखाने में कुछ खाते ऐसे जमाकर्ताओं द्वारा खुलवाए गए, जो कि वास्तव में शहरी क्षेत्रों में रह रहे थे।

ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। डाक सर्कलों के चीफ पोस्टमास्टर्स जनरल से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में शाखा डाकखानो में नियमित रूप से जांच करें। समेकित बाल विकास सेवा प्रभारी

रा... [illegible] से भी कहा गया है कि वे खातों, विशेषकर कम जमाराशि वाले खातों की जांच करवाएं।

विवरण

अक्तूबर, 1994 तक खोले गए महिला समृद्धि योजना खाते

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अक्तूबर, 1993 से अक्तूबर, 1994 के दौरान खोले गए खातों की संख्या	जमा राशि
1.	आंध्र प्रदेश	1322953	102243506
2.	अरूणाचल प्रदेश	217	29620
3.	असम	198405	10973160
4.	बिहार	153514	14125594
5.	दिल्ली	2350	407184
6.	गोवा	13709	2145320
7.	गुजरात	93319	18024700
8.	हरियाणा	107460	17401641
9.	हिमाचल प्रदेश	44518	9638412
10.	जम्मू और कश्मीर	14788	1469909
11.	कर्नाटक	463529	46782933
12.	केरल	126223	9859748
13.	मध्य प्रदेश	468533	29693177
14.	महाराष्ट्र	241034	33229344
15.	मणिपुर	3681	103992
16.	मेघालय	386	24412
17.	मिजोरम	2156	227434
18.	नागालैंड	402	58420
19.	उड़ीसा	138555	17349298
20.	पंजाब	190488	18621163
21.	राजस्थान	83798	13777878
22.	सिक्किम	575	12808
23.	तमिलनाडु	1429615	54281625
24.	त्रिपुरा	7749	592890
25.	उत्तर प्रदेश	702416	75298915
26.	प. बंगाल	96822	15329038
27.	चण्डीगढ	2089	110362
28.	दादर और नागर हवेली	1391	158424
29.	दमन और दीव	187	29556
30.	पांडिचेरी	12349	392323
	जोड़	5923211	492392786

सुपर बाजार द्वारा खरीद

890. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार स्थानीय रूप से केवल ऐसी ही मदें खरीद रहा है जो मांग-पत्र पर केवल एक बार ही जारी होने वाली मदें हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सुस्थापित नीति का पालन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख). सुपर बाजार ने सूचित किया है कि स्थानीय खरीद का सहारा केवल उन वसतुओं के लिए लिया जाता है जो भण्डार की नियमित वस्तु-सूची में शामिल नहीं हैं। ये वस्तुएं सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा भेजे गए मांग-पत्र के प्रति ली जाती है और ऐसी खरीद करने के लिए एक नियत प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर खरीदी जाती हैं। ये प्रायः एक समय के लिए अभिप्रेत वस्तुएं होती हैं और यदि उनकी बार-बार मांग होती है तो उन्हें नियमित वस्तु-सूची में शामिल कर लिया जाता है।

कम्प्यूटर विश्वविद्यालय

891. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कम्प्यूटर विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु. शैलजा) : (क) और (ख). सरकार के पास राजीव गांधी राष्ट्रीय संगणक एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान नामक एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संस्थान की स्थापना के लिए कार्यपद्धति का पता लगाने के लिए एक संचालन समिति गठित की गई है। समिति प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए स्थान का सुझाव भी देगी।

[हिन्दी]

कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टल

892. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल के निर्माण के लिए कितनी अनुदान राशि (प्रतिशत में) दी है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में इस तरह के होस्टल कहां-कहां खोले गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) वर्ष 1993-94 में महाराष्ट्र में संगठनों को दिये गए अनुदान की राशि 22.03 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों को दिये गए अनुदान की राशि 77.97 प्रतिशत थी।

(ख) एक विवरण सलग्न है।

विवरण

वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान जिन स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल स्वीकृत किये गए, उनका विवरण

क्र. सं.	राज्य	स्थान
1.	2.	3.
1.	आंध्र प्रदेश	1. चित्तूर
		2. इलुरू
		3. हैदराबाद
		4. करीमनगर
		5. नालगोंडा
		6. विशाखापटनम–2 होस्टल
2.	अरूणाचल प्रदेश	1. नहरलागुन
		2. तेजु, लोहित
3.	असम	1. बारीपद
		2. गुवाहाटी
4.	गुजरात	1. राजकोट
		2. सवारकुण्डला
5.	कर्नाटक	1. बेलगांव
		2. चित्रदुर्ग
		3. गुलबर्गा–2 होस्टल
		4. हुमनाबाद
		5. रायचूर
		6. तुमकुर
		7. वीरपुर ग्राम, बीजापुर
6.	केरल	1. कालीकट
		2. चलाकुडी
		3. गुरूवयूर
		4. कोनीकोड
		5. कोदामंगलम
		6. पत्तनमन्निट्टा
		7. त्रिशूर
		8. ताइकाड
		9. वाडापुरम मनीपाड ग्राम, कोट्टायम
		10. वायनाड
7.	मध्य प्रदेश	1. भोपाल (होस्टल विस्तार)
		2. खरगांव
8.	महाराष्ट्र	1. अहमदनगर
		2. बल्लारशा, चन्द्रपुर
		3. भंडारा
		4. बम्बई (होस्टल विस्तार)
		5. चोपडा, जलगांव
		6. धुले
		7. गडचन्दूर, चन्द्रपुर
		8. जलगांव–2 होस्टल
		9. कोल्हापुर
		10. नागपुर
		11. नासिक
		12. पारभनी
		13. पुणे–2 होस्टल
		14. शिरपुर, धुले
		15. उदगिर, लादूर
9.	मणिपुर	1. इम्फाल
10.	नागालैंड	1. मोकोकचुंग
11.	पंजाब	1. अमृतसर
12	राजस्थान	1. भरतपुर
13.	तमिलनाडु	1. मद्रास
14.	उत्तर प्रदेश	1. भबाना, बस्ती
15.	पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता
		2. 24 परगना
16.	चण्डीगढ	1. चण्डीगढ
17.	दिल्ली	1. आर.के.पुरम, नई दिल्ली

[अनुवाद]

कबोनो जलग्रहण क्षेत्र

893. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केन्द्र प्रायोजित योजना "नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण" के अन्तर्गत नदी घाटी परियोजना के कबोनो जल ग्रहण को आठवीं योजना में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हां।

(ख) 10 वर्ष की अवधि में 150 करोड़ रूपये की लागत से 1.09 लाख हैक्टेअर क्षेत्र का उपचार किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) आठवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में इस योजना में कबोनो स्रवण क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के नियंत्रणाधीन करना

894. **श्री ललित उरांव :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के धनबाद, मैथन, बोकारो, भूली, गोविंदपुर और कोयलनगर स्थित केन्द्रीय विद्यालयों को कलकत्ता क्षेत्र के नियंत्रण से हटाकर भुवनेश्वर क्षेत्र के नियंत्रणाधीन कर दिया गया है;

(ख) क्या इन विद्यालयों की कलकत्ता अथवा पटना की तुलना मे भुवनेश्वर से दूरी कम है;

(ग) क्या नियंत्रण-क्षेत्र बदलने के समय इन विद्यालयों के शिक्षकों से क्षेत्र संबंधी विकल्प नहीं मांगे गए थे और उन्हें भुवनेश्वर क्षेत्र मे रहने हेतु बाध्य किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विद्यालयों को पुनः अपने मूल क्षेत्र के नियंत्रणाधीन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क). जी हां।

(ख) से (च). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि उडीसा में केन्द्रीय विद्यालयों के अलावा, केन्द्रीय विद्यालयों का पुनः वितरण विस्तृत अध्ययन तथा विभिन्न प्रशासनिक जरूरतों, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की सख्या और अन्य प्रासंगिक घटकों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1993 मे किया गया था। शिक्षकों से विकल्प लेने की कोई कार्य विधि नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक, एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में और एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण मांग सकते हैं।

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों की मांग

895. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू उपभोग के लिए फलों और सब्जियों की अपेक्षित मात्रा का आंकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). आठवीं योजना के अन्त तक मोटे अनुमान के अनुसार फलों और सब्जियों की घरेलू मांग क्रमशः 41.17 और 95.66 मिलियन टन होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित चीनी

896. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित आयातित चीनी को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अक्तूबर, 1994 तक कुल कितनी चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनुबंधित तथा जारी की गई?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एस टी सी/एम एम टी सी द्वारा आयात की गई चीनी की मात्रा लगभग 9.77 लाख टन है। अक्तूबर, 1994 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए रिलीज की गई चीनी की मात्रा 3.43 लाख टन थी।

[हिन्दी]

निजाम के आभूषण

897. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम के कीमती आभूषणों को खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) (क) से (ग). जी, हां। दिनांक 20-10-1994 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 173 आभूषणों की कीमत 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज समेत 217,50,02,530 रूपये होती है।

दिल्ली सहारनपुर मार्ग

898. **श्री बारे लाल जाटव :**
श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-शामली-सहारनपुर मार्ग पर नई रेलगाडी चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली से शामली उपरोक्त मार्ग का विद्युतीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक इस मार्ग का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). शाहदरा–शामली–सहारनपुर खंड के विद्युतीकरण के लिए लागत तथा व्यवहार्यता सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, संसाधनों की अनुपलब्धता तथा अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता के कारण फिलहाल इस कार्य को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेल लाइनों के पास झोंपड़ियां

899. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार से मुम्बई क्षेत्र में रेल मार्ग से झोंपड़ियों को कम से कम 20 मीटर दूर हटाने में सहायता करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो दूर हटाई जाने वाली ऐसी झोंपड़ियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने मध्य रेलवे से इन झोंपडियों को बसाने के लिए रेलवे की फालतू पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). महाराष्ट्र सरकार ने उन आठ स्थानों, जहां वे गाड़ी परिचालन के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, से अतिक्रमणों को हटाने, और यदि ऐसा करना संभव नहीं हो तो रेल पथ से 20 मीटर की न्यूनतम दूरी तक खाली स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया है, सर्वप्रथम महाराष्ट्र सरकार ने उपयुक्त चार–दीवारी का निर्माण करके रेल पथ के केन्द्र से 30 फुट के अन्तर्गत किए गए अतिक्रमण हटाने के लिए अपनी अभिरूचि दर्शायी है, हटाई जाने वाली झुग्गियों की वास्तविक संख्या और हटाने का तरीका राज्य सरकार के अंतिम उत्तर पर निर्भर करेगा।

मैट्रो रेल, कलकत्ता

900. श्री चित्त बसु :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता मेट्रो रेल सेवाओं के क्षेत्र का आगे विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार में किन–किन क्षेत्रों को लाए जाने का विचार है; और

(ग) यह विस्तार कब तक संभव हो सकेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी विद्यार्थियों के लिए संस्थाएं

901. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ चयनित संस्थाओं को विदेशी विद्यार्थियों के लिए खोलने के संभावना का जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजना के लिए कौन–कौन सी संस्थाऐं का चयन किया गया है; और

(घ) इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु. शैलजा) : (क) से (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार उच्च शिक्षा के लिए संसाधन उत्पन्न करने और विदेशी विद्यार्थियों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने की कार्य पद्धतियां तैयार करने के लिए आयोग ने प्रसिद्ध शिक्षाविदों और शैक्षिक प्रशासकों की एक समिति स्थापित की है। समिति ने अभी तक अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

तम्बाकू की खेती

902. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में तम्बाकू की खेती का विस्तार करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में तम्बाकू की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में इस नकदी फसल की खेती आरंभ करवाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) गुजरात में गैर–फ्लू क्योर्ड–वर्जीनिया तम्बाकू उगाया जा रहा है। गुजरात में फ्लू–क्योर्ड–वर्जीनिया तम्बाकू की खेती आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेल बुकिंग कार्यालयों का बंद किया जाना

903. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**
श्री बृहमानन्द मंडल :
श्री एन. जे. राठवा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कुछ आरक्षण और माल बुकिंग कार्यालयों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बुकिंग कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार पुनः नियोजित किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). किसी भी आरक्षण कार्यालय को बंद करने का प्रस्ताव नहीं है। रेलों को ऐसे माल गोदाम बन्द करने के अनुदेश दिए गए है, जहां माल यातायात बहुत ही कम है तथा जो परिचालन की दृष्टि से अलाभप्रद है। ऐसे माल गोदामों को बंद करने के कारण यदि कोई कर्मचारी फालतू हो जाते हैं तो उनकी रेलों में पुनः तैनाती कर दी जाती है तथा उनकी छंटनी नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

पार्सल गाड़ियां

904. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :**
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और मुम्बई के बीच वडोदरा और सूरत से होकर जाने वाली कोई नई साप्ताहिक पार्सल गाड़ी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य स्थानों पर भी ऐसी पार्सल गाडियां शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी हां। नई दिल्ली और बम्बई के बीच एक साप्ताहिक पार्सल गाडी चलाने की योजना बनाई गई है, बशर्ते यातायात प्राप्त हो। बहरहाल, पर्याप्त पार्सल यातायात की कमी के कारण, सितबंर और अक्तूबर, 1994 में पार्सल गाडी बम्बई से तीन दिन और नई दिल्ली से चार दिन चलाई गई है।

(ग) से (ङ). हाल ही में शालीमार और वाडी बन्दर के बीच एक पार्सल गाडी चलाई गई है। यह गाड़ी अक्तूबर और नवम्बर 1994 में शालीमार से दो दिन और वाडी बन्दर से दो दिन चलाई गई है। अन्य स्थानों के बीच पार्सल गाडियां चलाना गाड़ी भार पार्सल यातायात की प्राप्ति कर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

रेलवे भर्ती बोर्ड

905. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं तथा प्रत्येक बोर्ड का अधिकार क्षेत्र कहां तक है;

(ख) क्या पूर्वी जोन में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा श्रीनगर को छोड कर सभी केन्द्रों में रद्द कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) रेलवे भर्ती बोर्डों की संख्या 19 है। प्रत्येक रेलवे भर्ती बोर्ड का अधिकार क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

रे.भ.बो.	अधिकार क्षेत्र
1	2
1. अहमदाबाद	पश्चिम रेलवे के वडोदरा, राजकोट, भावनगर मंडल तथा संबंधित विभाग जैसे सिगनल कारखाना, साबरमती तथा रेल विद्युतीकरण परियोजना वडोदरा
2. अजमेर	पश्चिम रेलवे के अजमेर, जयपुर, कोटा तथा रतलाम मंडल तथा अजमेर, दाहोद और कोटा बीकानेर, जोधपुर में स्थित रेल कारखाने
3. इलाहाबाद	उत्तर रेलवे के जोधपुर, बीकानेर, इलाहाबाद, लखनऊ तथा मुरादाबाद मंडल तथा डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी
4. भोपाल	मध्य रेलवे के झांसी, जबलपुर तथा भोपाल मंडल तथा दक्षिण–पूर्व रेलवे के बिलासपुर तथा नागपुर मंडल/ झांसी, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, भोपाल तथा रेल विद्युतीकरण भोपाल के यांत्रिकी कारखाने/ भंडार विभाग
5. बेंगलूर	दक्षिण रेलवे के बेंगलूर तथा मैसूर मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे का हुबली मंडल तथा पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूर
6. भुवनेश्वर	दक्षिण पूर्व रेलवे के, खोरधा रोड, चक्रधरपुर तथा- संबलपुर मंडल

1	2
7. बम्बई	मध्य रेलवे का मुख्यालय, बम्बई, भुसावल, शोलापुर तथा नागपुर मंडल तथा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय तथा बम्बई मंडल
8. कलकत्ता	पर्वू रेलवे के आसनसोल हवड़ा, तथा सियालदह मंडल तथा मुख्यालय दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा तथा खड़गपुर मंडल तथा मुख्यालय, चिरेका, खड़गपुर कारखाना तथा मैट्रो रेलवे, कलकत्ता
9. चंडीगढ़	उत्तर रेलवे का मुख्यालय, नई दिल्ली, उत्तर रेलवे के दिल्ली तथा अम्बाला मंडल, रे.को.फै. कपूरथला, जगाधरी कारखाना, भंडार विभाग शकूर बस्ती तथा डिपुका, पटियाला
10. गुवाहाटी	पूर्वोत्तर सीमा के अलीपुरद्वार, लगडिंग तथा तिनसुखिया मंडल
11. गोरखपुर	पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी, इज्जतनगर, लखनऊ मंडल तथा मुख्यालय
12. जम्मूतवी	उत्तर रेलवे का फिरोजपुर मंडल तथा डिपुका पटियाला तथा रे.को.फै. कपूरथला तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में निर्माण परियोजनाएं.
13. मद्रास	दक्षिण रेलवे के मद्रास, तिरूचिरापल्ली तथा मदुरई मंडल तथा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय तथा सवारी डिब्बा का खाना, मद्रास
14. मालदा	पूर्व रेलवे का मालदा मंडल तथा पूर्वोत्तर सीमा के कटिहार मंडल के दार्जिलिंग पर्वतीय खंड
15. मुजफ्फरपुर	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर तथा सोनपुर मंडल
16. पटना	पूर्व रेलवे के धनबाद, दानापुर तथा मुगलसराय मंडल तथा पूर्वोत्तर सीमा का कटिहार मंडल (दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे को छोड़कर) तथा चिरेका के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती
17. रांची	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार मंडल के लिए केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए, पूर्व रेलवे के धनबद, दानापुर तथा मुगलसराय मंडल तथा दक्षिण पूर्व रेलवे का चक्रधरपुर
18. सिकंदराबाद	दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद (ब.ला.) हैदराबाद (मी.ला.), गुंतकल तथा विजयवाड़ा मंडल तथा द.म.रेलवे का मुख्यालय/ दक्षिण मध्य रेलवे के सभी कारखाने, दक्षिण पूर्व रेलवे का वाल्तेरू मंडल तथा भारतीय रेल सिगनल इंजी. तथा दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद
19. तिरूवनंतपुरम	दक्षिण रेलवे के पालघाट तथा तिरूवनन्तपुरम मंडल

ओलिव रिडले सी टरटल

906. **श्री रवि राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओलिव रिडले सी टरटल्स इस वर्ष प्रशान्त महासागर से उड़ीसा में गाहिरमत्था में नहीं आये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गाहिरमत्था में इनके न आने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विगत की भांति, इस वर्ष भी ओलिव रिडले समुद्री टर्टल बसेरे के लिए उड़ीसा के गहिरमत्था तट पर आए थे।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

चावला के लापता ट्रक

907. **श्री विजय कुमार यादव : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर और लुधियाना में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से भेजे गए चावल से लदे अनेक ट्रक लापता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस षड्यंत्र के बारे में कोई जाँच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार पाए गए ट्रांसपोटरों और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में खनन कार्य

908. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान तथा अन्य राज्यों में उन क्षेत्रों में भी पर्यावरण के नाम पर खनन कार्य पर रोक लगा दी गई है जहां वन नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन नियमों में परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। पर्यावरण के अनुकूल खनिज संसाधनों का धारणीय विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 27-1-1994 को एक अधिसूचना जारी की है (4-5-94 को यथा संशोधित) जिसमें नई परियोजनाओं या उन परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त लगाई गई है जिसका बताई गई प्रारंभिक सीमाओं से अधिक विस्तार किया जाना है। केन्द्र सरकार ने 7-5-92 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें अरावली क्षेत्र के पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कुछ प्रस्तावित गतिविधियां आरम्भ करने से पूर्व पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी लेनी होगी।

(ख). जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बागवानी के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र

909. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में खाद्यान्नों की खेती और बागवानी के अन्तर्गत कितना–कितना क्षेत्र आता है; और

(ख) खाद्यान्नों और बागवानों के अन्तर्गत फसलों के उत्पादन में कितने–कितने किसान लगे हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क). 1988-89 से 1990-91 के दौरान गुजरात राज्य में खाद्यान्नों की खेती तथा बागवानी के तहत कुल क्षेत्र (अद्यतन उपलब्ध) का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(हजार हैक्टे. में)

वर्ष	खाद्यान्न	फल तथा सब्जियां
1988-89	4704	150
1989-90	4779	169
1990-91	4730	170

(ख) खाद्यान्नों तथा बागवानों फसलों के उत्पादन में लगे हुये कृषकों की संख्या से संबंधित अलग–अलग आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1990-91 को कृषि संगणना के अनुसार गुजरात राज्य में प्रचालनात्मक जोतों की संख्या 35.17 लाख थी।

[हिन्दी]

विदेशों से तकनीकी सहायता

910. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1992-93 और 1993-94 के दौरान विभिन्न कृषि परियोजनाओं के लिए कुछ यूरोपीय देशों से कोई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सहायता देने वाले देशों के नाम सहित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन देशों द्वारा दी गई वित्तीय और अन्य तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में कृतिक बल

911. **डा. मुमताज अंसारी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ रेलगाडियों में विशेष कृतिक बल तैनात किया है; और

(ख) यदि हां तो किन–किन रेलगाड़ियों में यह बल तैनात किया गया है और किन–किन रेलगाडियों में यह बल तैनात किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी हां, हाल ही में त्वरित कार्रवाई दल बनाए गए हैं, और निम्नलिखित जोडी गाड़ियों में तैनात किये गए हैं :

(1) 5659/5660 कामरूप एक्सप्रेस
(2) 2621/2622 तमिलनाडु एक्सप्रेस
(3) 2627/2628 कर्नाटक एक्सप्रेस
(4) 2625/2626 केरल एक्सप्रेस
(5) 2553/2554 वैशाली एक्सप्रेस
(6) 8002/8001 हवड़ा–बंबई मेल
(7) 8475/8476 पुरी–नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस
(8) 1019/1020 कोणार्क एक्सप्रेस
(9) 1081/1082 कन्याकुमारी एक्सप्रेस
(10) 2419/2420 गोमती एक्सप्रेस
(11) 4042/4041 मसूरी एक्सप्रेस
(12) 4517/4518 ऊंचाहार एक्सप्रेस
(13) 2903/2904 फ्रंटियर मेल
(14) 9901/9902 दिल्ली–अहमदाबाद मेल
(15) 2723/2724 ए.पी. एक्सप्रेस
(16) 2311/2312 कालका मेल
(17) 3031/3032 दानापुर एक्सप्रेस आवश्यकता के आधार पर गाड़ियां क्षेत्रीय रेलों को इस प्रयोजन के लिए नामित करने की शक्तियां दी गई हैं.

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना

912. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री जौर्ज फर्नान्डीज :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाखिले, अवरोधन, शिक्षा परिणाम, पाठयक्रम तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण इत्यादि के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के संबंध में अनेक राज्यों में हाल ही में एक गहन अध्ययन करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अध्ययन के परिणामस्वरूप देश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कौन–कौन से परिवर्तन लाना चाहती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कु. शैलजा) : (क). जी, हां।

(ख) और (ग). जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की परियोजनागत योजना प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मूलभूत अध्ययन कराये गए थे ताकि चुनिन्दा जिलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के वर्तमान स्तर तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले की योजनाओं को विकसित करने के लिए ठोस आधार प्रदान किया जा सके। ये अध्ययन 8 राज्यों के 46 जिलों में कराए गए थे। इन अध्ययनों से यह पता चला कि इन जिलों में से कई जिलों में शिक्षण उपलब्धि के स्तर बहुत ही कम है। अध्ययन निष्कर्षों से कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुआयामी शिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर समन्वित शिक्षाशास्त्र तथा शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्यचर्या विकास जैसी जिले की योजनाओं में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के निर्देश तथा संबंधित कार्यनीतियों को तैयार करने में सहायता प्राप्त हुई है।

मत्स्यकी विकास

913. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक/ अन्य विदेशी एजेंसियों के किसी दल ने देश में मत्स्यकी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत का, विशेष रूप से केरल का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एजेंसियों द्वारा 1994-95 के दौरान विशेष रूप से केरल में मत्स्यकी को बढ़ावा देने के लिए कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवायी गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विश्व बैंक के केवल एक पर्यवेक्षक मिशन ने झींगा और मछली पालन परियोजना की समीक्षा करने के लिये सितम्बर, 1994 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया।

(ग) देश में इस समय कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त कुल सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजना का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	परियोजना की अवधि	विदेशी सहायता देने वाली एजेंसी	सहायता की रकम
	2	3	4	5
1. हिमाचल प्रदेश में नोराड को सहायता से ट्राउट मछली पालन।	हिमाचल प्रदेश सरकार	1988–94 अप्रैल, 1995 तक आगे बढ़ाई गई है	नार्वे	मार्च, 1994 तक 9.5 मिलियन नार्वेजियन क्रोने तथा अप्रैल, 1995 तक की बढ़ाई गई अवधि के लिये 1.7 मिलियन नार्वेजियन क्रोने।
2. टादरी (कर्नाटक) में इण्डो–डेनिश मात्स्यिकी परियोजना, चरण-II	कर्नाटक सरकार	1993–95	डेनमार्क	327.00 लाख रूपये
3. कुवेती सहायता से झींगा पालन के लिये केरल परियोजना	केरल सरकार	5वर्ष (1989–94)	कुवेत कोष	35.00 करोड़ रुपये
4. केरल मे जलाशयों में पिंजरों में मछली पालन।	केरल सरकार	1992 से तीन वर्ष	जर्मनी	डी.एम. 4,90,000

1		2	3	4	5
5.	केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविकी और इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचिन तथा समुद्री अनुसंधान संस्थान बर्जन के बीच संस्थागत सहयोग।	सिफनेट कोचिन	तीन वर्ष जनवरी 1994 से दिसम्बर 1996 तक।	नार्वे	19,10,000 एन. ओ.के.
6.	डैनिना सहायता के साथ सिफनेट के दो प्रशिक्षण पोतों पुनरूद्धार के लिए परियोजना।	सिफनेट कोचिन	5 वर्ष (1993–98)	डेनमार्क	14.5 मिलियन डी.के.के.
7.	दी.ओ.बी.पी.चरण-III के अन्तर्गत समुद्र तटीय मात्स्यिकी प्रबंध।	बी.ओ.बी.पी. मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल राज्यों में।	1994 से 5वर्ष	डेनमार्क/जापान	3.00 मिलियन अमेरिकी डालर
8.	बी.ओ.बी.पी. के तन्त्र के अंतर्गत प्राप्ति उपरान्त मछली परियोजना।	बी.ओ.बी.पी. (आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में)	1993–97 पांच वर्ष	ओ.डी.ए यू. के.	पांऊंड 970,100
9.	झींगा और मछली पालन परियोजना।	आन्ध्र प्रदेश बिहार, उड़ीसा उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल	1992–99	विश्व बैंक	95.00 मिलियन अमेरिकी डालर

पशुओं की बीमारियों के लिए रोग-निदान किट

914. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या पशुओं की बीमारियों के लिए रोग–निदान किटों का निर्माण करने हेतु गैर–सरकारी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी उद्यमियों को राज्य–वार कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का विचार है; और

(घ) राज्य–वार कितने गैर–सरकारी उद्यमी ऐसे किटों का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क). जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों में अध्यापक

915. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सभी नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों की बहुत कमी है जिससे पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विद्यालयों में अनेक वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) (क). जी, हां।

(ख) से (ग). नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि इसने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के उप–निदेशकों को तात्कालिक तथा अल्पकालिक उपाय के तौर पर संविदा/ अंश कालिक आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दिया है।

पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए, विभागीय पदोन्नति समिति की शीघ्र ही बैठक हो रही है ताकि पात्र प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में पदोन्नत किया जा सके। अन्ततः, नवोदय विद्यालय समिति ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों की रिक्तियों को नियमित आधार पर भरने के लिए 1-10-94 तथा 10-9-1994 को विज्ञापन प्रकाशित किया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में बी.एड. प्रवेश का रद्द किया जाना

916. **श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :**
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस वर्ष के लिए बी.एड. के सभी प्रवेश रद्द कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता

917. **श्री सूरज मंडल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दस करोड़ किशोर निरक्षर हैं और प्रत्येक चार में से तीन महिलायें निरक्षर हैं;

(ख) क्या सबसे अधिक निरक्षरता अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क). वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, 7 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वर्ग की साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत है। 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों की संख्या अनुमानतः 11 करोड़ है। महिलाओं की साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत है।

(ख) और (ग). वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर निम्नवत् है :–

	व्यक्ति	पुरूष	महिला
अन.जाति	37.41	49.91	23.76
अनु.ज. जाति	29.60	40.65	18.19

(घ) प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, पढाई बीच में छोडने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम, देश में निरक्षरता–उन्मूलन के लिए त्रिकोणीय कार्यनीति तैयार करते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साक्षरता कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

रेल बस

918. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजस्थान मे बड़ी लाइन की पहली रेल बस चलनी शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की सेवा शुरु की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) बडी लाइन की 5 तथा मीटर लाइन की 5 रेल बसों के लिए आर्डर दिए गये हैं जिनमें से एक बडी लाइन की रेल बस प्राप्त की गई है। ये रेल बसें उन अलाभप्रद शाखा लाइनों पर चलाई जाएंगी जहां यातायात का घनत्व कम है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठन

919. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकरण को विनियमित करने और उस पर निगरानी रखने के लिए कोई प्रणाली विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई) 1986 में यह प्रावधान है कि समुचित प्रबंधन के अधीन सामाजिक कार्य करने वाले समूहों सहित गैर–सरकारी तथा स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में शुरू की गई योजनाओं में संस्वीकृति से पूर्व स्वयंसेवी एजेंसियों के प्रस्तावों के मूल्यांकन और बाद में उनके अनुश्रवण के लिए अंतर्निर्मित तंत्र है।

मूल्यों में अंतर

920. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 नवम्बर, 1994 के दैनिक आबजर्वर में "प्लान टु चेक होल सेल रीटेल प्राइस मैच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आज उपगोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कोई नई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की सम्भावना है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) (क). जी हां।

(ख) उपर्युक्त रिपोर्ट कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मुल्यों का अनुमान लगाने के लिए एक प्रतिमान विकसित करने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उपलभ्यता की स्थिति की अनुवीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर अंतर्मंत्रालयिक समितियां गठित करने हेतु अनुरोध किए जाने के संदर्भ में है। उपर्युक्त प्रतिमान तैयार करना, सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों के रूखों की अनुवीक्षा करने के लिए चलती रहने वाली गतिविधि का एक भाग है। जुलाई, 1994 में, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलभ्यता की स्थिति की अनुवीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर अंतर्मंत्रालयिक समितियां गठित करने का अनुरोध किया था। इसके प्रत्युत्तर में, अब तक, नौ राज्य सरकारों ने ऐसी समितियां गठित की है।

(ग) और (घ). सरकार उपयुक्त कदम उठा कर आम उपभोक्ताओं के हितों की सदैव रक्षा करती है।

लेवी चीनी

921. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 में गन्ना पेराई मौसम के दौरान लेवी चीनी कम उपलब्ध होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सितंबर, 1994 के अंत तक देश में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लेवी चीनी की कितनी मात्रा उपलब्ध थी;

(घ) 1994-95 के दौरान लेवी चीनी की कितनी मात्रा उपलब्ध होने की संभावना है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपगोक्ताओं को वितरण हेतु कितनी चीनी की आवश्यकता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चीनी की कमी, यदि हो, को पूरा करने के लिए चीनी आयात करने का है; और

(च) यदि हां, तो अब तक चीनी की कितनी मात्रा का आयात किया गया है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) सितंबर, 1994 के अंत में लेवी चीनी का अनुमानित स्टॉक, पिछले मौसम की इसी तारीख को 7.5 लाख टन की तुलना में, लगभग 5 लाख टन था।

(घ) और (ङ). देशी तथा आयातित चीनी के अग्रनयन स्टॉक और 1994-95 के चल रहे मौसम के लिए देशी चीनी के उत्पादन में से लेवी चीनी की उपलब्धता और पहले अनुबंधित मात्रा में से आयातित चीनी के आ जाने को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि , 1994-95 मौसम के दौरान, पी डी एस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान आबंटन हेतु लेवी चीनी की पर्याप्त उपलब्धता होगी।

(च) 1993–94 मौसम के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 30-11-94 तक, अनुमानित अनुबंधित चीनी की 9.77 लाख टन की मात्रा में से 9.64 लाख टन पहले ही देश में पहुंच गई है।

[अनुवाद]

पुरी-कोणार्क समुद्र तट पर निर्माण

922. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार की "पुरी–कोणार्क मेरिन ड्राईव" पर बड़े–बड़े होटलों के निर्माण की योजनाओं तथा "कोणार्क बालूखंड सैंचरी" में चल रहे पुल तथा सड़क निर्माण के कार्य को पूरा करने हेतु आगे कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). उड़ीसा राज्य सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत पुरी और कोणार्क के बीच समुद्र तट पर विशेष पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 233.24 है. वन भूमि के अंतरण के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। कोणार्क बालुखण्ड अभयारण्य में पुल और सड़क के चालू निर्माण कार्य के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनें

923. **श्री राजवीर सिंह :**
डा. लाल बहादुर रावत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान नई रेल लाइनों के बिछाने पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ख) 1994-95 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) स्थिति इस प्रकार है :–

1992-93	272.25 करोड रूपये
1993-94	239.29 करोड रूपये

(ख) 1994-95 में इस प्रयोजन के लिए बजट में 191.04 करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

दुर्लभ जड़ी-बूटियां

924. श्री दत्ता मेघे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी–बूटियो के संरक्षण व इनकी उपज को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रयास किस प्रकार किए गए है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली दुर्लभ और संकटापन्न जड़ी–बूटियों का अनेक परिरक्षण प्लाटों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, जीवमंडल रिजर्व तथा आरक्षित वन क्षेत्रों में संरक्षण और बचाव किया जाता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भी औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज प्रदान करने वाले वृक्षों के संरक्षण के लिए एक योजना चलाई जा रही है जो कि शतप्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ ही साथ, वन क्षेत्रों और उनके आसपास की भूमि में औषधीय पौधों का भंडार फिर से भरने की व्यवस्था है। मंत्रालय के तहत विभिन्न अनुसंधान संस्थानों नामतः भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई), देहरादून तथा उष्णकटिबंधी वानिकी अनुसंधान संस्थान (टी.एफ.आर. आई.), जबलपुर में कई दुर्लभ और सकटापन्न औषधीय जड़ी–बूटियों की खेती की तकनीकें विकसित कर ली गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय/गोदाम

926. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास गुजरात के जिन क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय/गोदाम अभी तक नही हैं वहा उन्हें खोलने के कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित कर लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि जहां कहीं आवयश्क है वहां नया जिला कार्यालय स्थापित करने की दृष्टि में गुजरात क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के ढांचे का पुनर्गठन करने से संबन्धित एक प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन है। उनका यह भी प्रस्ताव है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भरूच में 10,000 मीटरी टन क्षमता के एक गोदाम का निर्माण किया जाए।

[हिन्दी]

मातृभाषा में शिक्षा

927. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री जनार्दन मिश्रा :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर–अक्तूबर, 1994 में कर्नाटक सरकार द्वारा आठवीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने के बारे में दायर याचिका पर फैसला दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने और स्कूल जाने वाले बच्चों पर किताबों के बोझ को कम करने के संबंध में एक व्यापक नीति सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) इस सबंध में राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). कर्नाटक सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

चीनी मिलों को लाइसेंस

928. श्री संतोष कुमार गंगवार :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चीनी मिलों को स्थापित करने हेतु निर्धारित लाइसेंस मानदडों को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नयी प्रक्रिया कब तक लागू की जाएगी?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). लाइसेंस मुक्त विकल्प सहित चीनी मिलों की वर्तमान लाइसेंस नीति विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों की इमारतें

929. **श्री रामपाल सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय विद्यालय अपने भवनों में चल रहे हैं तथा उन विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा जिनका अपना कोई भवन नही है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोल दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये विद्यालय नहीं हैं; और

(घ) इन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय कब तक खोले जाने की सम्भावना है और ये कब से अपना कार्य शुरू कर देंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य के 116 केन्द्रीय विद्यालयों में से 63 केन्द्रीय विद्यालय स्थायी भवनों में कार्य कर रहे हैं। जहां तक अस्थायी भवनों में कार्य करने वाले 53 केन्द्रीय विद्यालयों का संबंध है, उनकी स्थिति निम्नवत् है :–

(1) 16 केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।

(2) 13 केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों का काम, योजना स्तर पर है।

(3) 24 केन्द्रीय विद्यालयों के लिए प्रायोजक संगठन/राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भूमि स्थानान्तरित की जानी है।

(ख) से (घ). जिलावार केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कोई पद्धति नहीं है। केन्द सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बाहुल्य वाले स्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के अनुरोध पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं, बशर्ते कि भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

उत्पादन एककों को अलग करना

930. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने उत्पादन एककों को भारतीय रेल से अलग करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस पहलू की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं;

(ख) से (घ). प्रश्न नही उठते।

पुराने डिब्बों को बदलना

931. **श्री अमल दत्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरिक्त आवश्यकता और पुराने/बेकार डिब्बों (वैगन) को बदलने के लिए डिब्बे अधिग्रहीत करने की क्या नीति है;

(ख) क्या इस नीति को वास्तव में लागू किया जा रहा है;

(ग) डिब्बों को बेकार घोषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(घ) डिब्बों को बेकार घोषित करने के लिए इस मानदंड को लागू करने हेतु डिब्बों की जांच पड़ताल करने की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) वर्ष 1993–94 के दौरान बेकार डिब्बों के प्रयोग के कारण पटरी से डिब्बे उतरने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) बढते हुए यातायात के लिए मालडिब्बों की खरीद यातायात की अनुमानित मांग तथा मालडिब्बा उपयोग की कुशलता के आधार पर की जाती है। बदलाव संबंधी आवश्कता को भी अलग से ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) . मालडिब्बों को आयु एवं हालत के आधार पर नाकारा किया जाता है। जो माल डिब्बे मरम्मत हेतु अलाभप्रद हैं परंतु जिन्होंने सामान्य परिचालन के दौरान अपनी जीवट आयु पूरी नहीं की हैं, उन्हें भी प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण तथा संबद्ध वित्त द्वारा जांच कर लिए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा नाकारा कर दिया जाता है।

(ङ) 1993-94 के दौरान नाकारा मालडिब्बों के कारण गाड़ी के पटरी से उतरने की कोई घटना नही हुई थी।

कपास के बीजों का वितरण

932. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बिहार में कपास उगाने वाले किसानों को कुल कितनी मात्रा में कपास का बीज वितरित किया गया;

(ख) राज्य में कपास की जिन विभिन्न किस्मों के बीजों को उगाया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और (कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). कपास बिहार की मुख्य फसल नहीं है। यह थोडे में ही उगायी जा रही है। अतः कपास के प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की अधिसूचित किस्मों की मांग नहीं है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर रेलवे

933. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे में क्षतिग्रस्त निर्मली और सरायगढ़ खंड की मरम्मत के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और इस रेलवे लाइन से नेपाल को मिलने वाले लाभों का आकलन करने के लिए क्या विश्लेषण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां; 1977 में सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) और (ग). कोई प्रगति नहीं की गई क्योंकि सर्वेक्षण से यह पता चला था कि परियोजना अलाभप्रद होगी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

934. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सदस्य कौन–कौन है;

(ख) क्या उक्त आयोग का कोई भी सदस्य कृषि क्षेत्र से संबद्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कृषि विशेषज्ञों को आयोग का सदस्य नियुक्त किए बिना कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का क्या औचित्य है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संरचना निम्न प्रकार है :

1. अध्यक्ष	एक
2. सदस्य (सरकारी)	दो
3. सदस्य (गैर–सरकारी)	तीन
4. सदस्य सचिव	एक

(ख) से (घ). इस समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष एक ख्याति प्राप्त कृषि अर्थशास्त्री हैं। आयोग के सदस्य और सदस्य सचिव भी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्हें कृषि मूल्य नीति का अनुभव है। इसके अलावा, तीन गैर सरकारी सदस्य हैं जिनको कृषि उत्पादन और उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के बारे में पार्याप्त जानकारी हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा :

936. **श्री मंजय लाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 नवम्बर, 1994 के "हिन्दुस्तान" (पटना संस्करण) में "उत्तर बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की सांसदों की मांग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर बिहार में सूखे के कारण किसानों तथा श्रमिकों की दयनीय दशा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(च) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बिहार सरकार ने सूचना दी है कि राज्य के किसी भी भाग को अत्यधिक वर्षा की कमी के कारण सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(घ) से (च). ये प्रश्न नहीं उठते।

सुपर बाजार

937. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय भण्डार की तुलना में सुपर बाजार में एक ही ब्रांडों के सामान का अधिक मूल्यों पर खरीद और बेच रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ). सुपर बाजार दी कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, दिल्ली और केन्द्रीय भंडार दी सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉइज कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली दो भिन्न–भिन्न पंजीकृत सहकारी समितियां हैं और दो अलग–अलग

प्रबंध समितियों द्वारा शासित होती हैं। इन दोनों संस्थाओं के अपने स्वतंत्र व्यापारिक दिशा–निर्देश/मानदण्ड हैं और सरकार नीतिगत रूप से उनके दैनिक कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। ये संस्थाएं अपने व्यापारिक व्ययों और स्थानीय बाजार में प्रचालित मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने खुदरा मूल्य निर्धारित करती हैं। बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत अपने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में मूल्य–निर्धारण के प्रतिमानों का अनुपालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

चीनी का उत्पादन

938. **श्री विजय नवल पाटील : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या अक्तूबर, 1994 से आरंभ होने वाले मौसम में चीनी उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य के बारे में केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय और नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में परस्पर मतभेद है;**

(ख) **यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ग) **मतभेदों के बारे में दोनों मंत्रालयों द्वारा क्या कारण दिए गए हैं तथा चीनी के उत्पादन और वितरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;**

(घ) **क्या चीनी उत्पादन–लक्ष्यों के बारे में मतैक्य न होने के कारण चीनी का आयात करते रहना पड़ेगा; और**

(ङ) **चीनी की कमी को समाप्त करने हेतु सरकार ने क्या नीति बनाई है ?**

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ). 1994-95 के चीनी मौसम के उत्पादन में से देशी लेवी चीनी सहित देशी तथा आयातित चीनी के उन्नयन स्टॉक के साथ तथा 1993-94 के चीनी मौसम में पहले अनुबंधित आयातित चीनी के आ जाने पर यह अनुमान लगाया गया है कि 1994-95 के मौसम के दौरान आन्तरिक जरूरत को पूरा करने के लिए वर्तमान आबंटन हेतु लेवी चीनी की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में समन्वित डेयरी विकास

939. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री हरि केवल प्रसाद :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के उन पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में जहां दुग्ध क्रांति कार्यान्वित नहीं की गई, "समेकित डेयरी विकास योजना" के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उपलब्धि क्या रही;

(ख) इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लिए वर्ष 1994-95 हेतु धनराशि का कोई आवंटन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) गैर–ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड, पूर्वांचल तथा तराई क्षेत्र के लिए तीन परियोजनाएं फरवरी तथा मार्च, 1994 के दौरान अनुमोदित की गई थीं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं :–

क्र. सं.	विवरण	बुन्देलखंड क्षेत्र	पूर्वांचल क्षेत्र	तराई क्षेत्र
1	2	3	4	4
1.	डेयरी सहकारी समिति के संगठन (कार्यात्मक)	475	795	505
2.	**कृषक सदस्य**	22,250	40,820	22,660
3.	**दुग्ध अधिप्राप्ति (लीटर प्रति दिन)**	16,650	28,990	17,910
4.	**दुग्ध विपणन (लीटर प्रति दिन)**	9,000	18,610	6,750
5.	**डेयरी संयंत्र क्षमता (हजार लीटर प्रति दिन)**	30.00	20.00	–
6.	**प्रशीतन संयंत्र क्षमता (हजार लीटर प्रति दिन)**	0.00	20.00	30.00

इन लक्ष्यों की उपलब्धियां अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त की जानी हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य को इन तीन परियोजनाओं के लिए आवंटित तथा आज की तारीख तक निर्मुक्त निधियां इस प्रकार हैं :–

क्र. सं.	परियोजना का नाम	तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल अनुमोदित लागत	1993-94 के दौरान निर्मुक्त निधियां (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	बुन्देलखंड क्षेत्र	459.93	50.00
2.	पुर्वांचल क्षेत्र	468.49	100.00
3.	तराई क्षेत्र	314.47	40.00
	योग	1242.89	190.00

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार से आज की तारीख तक प्राप्त नहीं हुआ है, अतः किसी प्रकार की निधियां आवंटित नहीं की गई हैं।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु सहायता

940. **डा. साक्षीजी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य में प्रदूषण नियंत्रण की निम्नलिखित स्कीमों हेतु वित्तीय सहायता मांगी है :–

(1) विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत एक केन्द्रीय प्रयोगशाला और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 11 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के लिए वैज्ञानिक उपस्कर और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए;

(2) माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में लोकहित के मुकदमें के मामलों से संबंधित खर्चों की पूर्ति के लिए निधियां;

(3) छोटी और मझोली कृषि और अर्द्ध कृषि आधारित लुग्दी और कागज मिलों में संसाधन का पुनर्चक्रण तथा अपशिष्ट न्यूनीकरण तथा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों के विशेष संदर्भ में नगर मल जल शोधन संबंधी परियोजनाओं हेतु;

(4) ताजमहल के आसपास चलाए जाने हेतु 10 बैटरी बसों की खरीद;

(ग) (1) विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केन्द्रीय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 6.89 करोड़ रुपए के वैज्ञानिक उपस्करों और अन्य सुविधाओं हेतु संस्वीकृति मिल गई है।

(2) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किए गए व्यय की पूर्ति के ध्येय से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 24.01 लाख रुपए की धनराशि रिलीज की गई है।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छोटी और मझौली कृषि और अर्द्ध कृषि आधारित लुग्दी और कागज मिलों में संसाधन का पुनर्चक्रण और अपशिष्ट न्यूनीकरण तथा श्रेणी 2 और 3 शहरों के विशेष संदर्भ में नगर मल जल शोधन हेतु पहली किस्त के रूप में 9 लाख रुपए की धनराशि रिलीज की गई है।

(4) ताजमहल के आसपास चलाए जाने के लिए 10 बैटरी बसों की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 40 लाख रुपए की धनराशि रिलीज की गई है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संगठन

941. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कार्यरत उपभोक्ता संगठनों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन संगठनों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन संगठनों को दी गई धनराशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) देश में 500 से अधिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं। राज्य वार ब्यौरा देने वाली निदेशिका संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) और (ग). जी हां। गत दो वर्षों 1992-93 और 1993-94 के दौरान संगठनों को दी गई सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान, 23 उपभोक्ता संगठनों को कुल 1,80,000/–रु. की सहायता दी गई थी। अक्तूबर, 1992 में कृषि भवन में लगी आग में सम्बन्ध अभिलेख नष्ट हो गए हैं। हाल ही में, उपभोक्ता कल्याण निधि 27-1-1994 से कार्यशील बना दी गई है जिससे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन उपभोक्ता संरक्षण संबंधी गतिविधियां चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93

राज्य	संगठन का नाम	सहायता अनुदान की राशि
1	2	3
बिहार	उपभोक्ता सेवा संघ, मुजफ्फरपुर, बिहार	12,000/–रु
गुजरात	कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद	15,000/–रु.
हरियाणा	1. कंज्यूमर्स एसोसिएशन, यमुनानगर	10,000/–रु.
	2. श्री भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी	6,375/–रु.
कर्नाटक	कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रिसर्च फाउन्डेशन, हुबली, कर्नाटक	13,500/–रु.
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण समिति, भोपाल	16,500/–रु.
महाराष्ट्र	1. सांगली जिला ग्राहक पंचायत, सांगली	15,000/–रु.

1.	2.	3.
	2. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, हिंघनघाट	7,500/–रु.
उड़ीसा	1. उड़ीसा कंज्यूमर एसोसिएशन, कटक	9,000/–रु.
	2. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, राउरकेला	7,500/–रु.
पश्चिम बंगाल	कंज्यूमर एक्शन फोरम, कलकत्ता	25,000/–रु.
दिल्ली	1. महिला दक्षता समिति नई दिल्ली	7,500/–रु.
	2. प्रगतिशील महिला समिति, नई दिल्ली	15,000/–रु.
	कुल	1,59,875/–रु.
वर्ष 1993-94		
असम	डिब्रूगढ़ ग्राहक मंच, डिब्रूगढ़, असम	25,000/–रु.
केरल	कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ केरल, त्रिवेंद्रम	25,000/–रु.
महाराष्ट्र	1. वूमेन ग्रेजुएट्स यूनियन, बम्बई	24,000/–रु.
	2. मुम्बई ग्राहक पंचायत, बम्बई	9,000/–रु.
उडीसा	1. उत्कल महिला समिति, कटक	24,000/–रु.
	2. सुरख्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल, नयागढ़	25,000/–रु.
	3. सर्वोदय समिति, कोरापुट	22,125/–रु.
	4. नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, धेनकनाल	9,000/–रु.
	5. उड़ीसा कंज्यूमर्स एसोसिएशन, कटक	6,750/–रु.
राजस्थान	मारुति सेवा समिति, उदयपुर	15,000/–रु.
तमिलनाडु	कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तिरुचिरापल्ली	24,000/–रु.
पश्चिम बंगाल	कंज्यूमर्स एक्शन फोरम, कलकत्ता	26,250/–रु.
दिल्ली	1. कंज्यूमर्स फोरम (पंजीकृत), नई दिल्ली	15,000/–रु.
	2. साई डेवलपमेंट कन्सल्टेन्सी सर्विसेज, मंगलापुरी, नई दिल्ली।	11,000/–रु.
	कुल	2,61,125/–रु.

उर्वरकों पर राज सहायता

942. श्री सोमजी भाई डामोर :
श्री गुमान मल लोढ़ा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को अब तक उर्वरकों पर कितनी राज सहायता दी गई है;

(ख) क्या गत दो वर्षों की तुलना में राज सहायता में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजसहायता का केवल किसानों के लाभार्थ उपयोग किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ). अनुमानतया यह प्रश्न कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा 1994-95 के लिये कार्यान्वित की जा रही रियायती अनियंत्रित उर्वरक योजना से संबंधित है। राज्यों को कोई आबंटन नहीं किया गया है लेकिन राज्यों/संघ शाषित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत बिक्री संबंधी रिपोर्टों के आधार पर निर्माताओं/आयातकों (एम.ओ.पी.) को रियायत निर्मुक्त की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शाषित प्रदेशों को 1992-93 में 339.73 करोड़ रु. तथा 1993-94 में 517.34 करोड़ रु. की रकमें निर्मुक्त की गई है। 1994-95 के दौरान 550/– करोड़ रुपये की पूर्वानुमानित आवश्यकता के मुकाबले अभी तक 250 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर रेलवे पर विकास कार्य

943. श्री लाल बाबू राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे को कितना घाटा या लाभ हुआ;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान इस जोन में पटरियों के नवीकरण, विद्युतीकरण और अन्य विकास कार्यों के संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर कितनी राशि व्यय की जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे को हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	राशि करोड़ रुपए में
1991-92	312.49
1992-93	392.19
1993-94	380.00

(ख) 1993-94 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे की उपलब्धियां और विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

खोली गई नई लाइनें

रुद्रपुर–लालकुंआ 14 कि.मी.

पूरा किया गया आमान परिवर्तन

(1)	लालकुंआ–काठगोदाम	29 कि.मी.
(2)	सीतापुर–महमूदाबाद	60 कि.मी.
(3)	महबूबनगर–बुद्धवल	38 कि.मी.
(4)	इलाहाबाद–वाराणसी	123 कि.मी.
	जोड़	264 कि.मी.

पूर्वोत्तर रेलवे ने 1993-94 के दौरान 85 कि.मी. (पूर्ण रेलपथ नवीकरण इकाइयां) के लक्ष्य की तुलना में 100 कि.मी. में नवीकरण किया गया और चालू वर्ष अर्थात् 1994-95 के लिए 110 कि.मी. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अक्तूबर, 94 तक लगभग 59 कि. मी. में नवीकरण कार्य पूरा कर दिया गया है।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 1994-95 के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मुजफ्फरपुर–रक्सौल का आमान परिवर्तन 94-95 में पूरा हो जाएगा।

निम्नलिखित कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा :-

(क) **नई लाइनें**

(1) कटरा–फैजाबाद नई ब.ला.लाइन (7.00 कि.मी.)

(2) बगहा–छितौती लाइन का पुनर्स्थापन (2841 कि.मी.)

(ख) **आमान परिवर्तन**

(3) सगौली–नरकटियागंज (5900 कि.मी.)

(4) छपरा–औंडिहार (171.00 कि.मी.)

(5) समस्तीपुर–दरभंगा (37.24 कि.मी)

(ग) उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि 82.97 करोड़ रुपए है।

ई.एम.यू. गाड़ियां

944. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री हाराधन राय :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री अमल दत्त :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में आरम्भ की गई ई.एम.यू. गाड़ियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या व्यस्ततम समय के दौरान दक्षिण रेलवे और पूर्वी रेलवे के आसनसोल–आद्रा, आसनसोल–वर्धमान, हावड़ा, सीलडाह और खड़गपुर सैक्शन में ई.एम.यू. गाड़ियां आरम्भ करने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :

(क)	मध्य	53
	पश्चिम	48
	पूर्व	27
	दक्षिण पूर्व :	15
	दक्षिण	44
	उत्तर	16

(ख) से (घ). मुख्य लाइन के लिए उपयुक्त ई.एम.यू. स्टाक की नई किस्म जो कि ई.एम.यू. कहलाती है, 11-07-94 से आसनसोल–वर्धमान खंड पर चलाई गई है। इस प्रकार के और स्टाक का निर्माण होने पर, इस खंड पर तथा आद्रा–आसनसोल खंड पर भी ऐसी और सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव हैं। वर्तमान में, परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यस्त अवधि के दौरान हावड़ा सियालदह तथा खड़गपुर मंडलों पर अतिरिक्त ई.एम.यू. सेवाएं चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अहमदाबाद और पुणे के बीच रेलगाड़ी

945. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद और पुणे के बीच एक दैनिक द्रुतगामी गाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो वह कब तक शुरू कर दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां तथा संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

946. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने विश्वविद्यालय खोले जाने हैं;

(ख) क्या उत्तरी दिल्ली में अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह विश्वविद्यालय कार्य कब करने लग जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संसद ने अगस्त, 1994 में आवश्यक विधान लागू किया गया है। इस समय, वर्ष 1994-95 के दौरान अन्य कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय नहीं है।

(ख) सरकार ने दिल्ली में "अम्बेडकर विश्वविद्यालय" नामक कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

भीटारकनिका और कोनार्क बालूखंड अभयारण्य की अधिसूचना का रद्द किया जाना

947. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीटारकनिका और कोनार्क बालूखंड अभयारण्यों को अनधिसूचित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य विधान सभा आगामी सत्र में भित्तरकनिका एवं कोणार्क–बालूखण्ड अभयारण्यों को अनधिसूचित नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रियायती दरों पर खाद्यान्न

948. **श्री लोकनाथ चौधरी** :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से निर्धन लोगों को दिये जाने के लिए रियायती दरों पर खाद्यान्न आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव सरकार के पास कब से लम्बित हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ). यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ समाज के आर्थिक रूप से सुविधाहीन लोगों तक पहुंचें, देश के 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और निर्धारित पहाडी क्षेत्रों के तहत आने वाले ब्लाकों में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पहले से ही इन क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न विशेष राज सहायता प्राप्त दरों पर जारी किए जा रहे हैं, जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों को जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रु. प्रति क्विंटल कम हैं। इस समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु कोई अनुरोध केन्द्रीय सरकार के पास लंबित नहीं है।

नारियल तेल

949. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्लीय बसा (फैटी एसिड्स) के आयात के परिणामस्वरूप नारियल तेल के व्यावसायिक उपयोग में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मानित विश्वविद्यालय

950. **डा. सुधीर राय** :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन–किन संस्थानों ने मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने हेतु आवेदन किये हैं;

(ख) मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा उन संस्थानों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1992, 1993 तथा वर्ष 1994 के दौरान अभी तक यह दर्जा प्राप्त कर लिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार के पास विचाराधीन पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा उपरोक्त अनुरोध कब तक मान लिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जिन संस्थाओं ने 1992 और उसके बाद सम विश्वविद्यालय स्तर के लिए आवेदन किया है, 30 नवम्बर 1994 की स्थिति के अनुसार उनके नाम संलग्न-विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जिन 36 संस्थाओं को सम विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया है, उनके नाम दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

निम्नलिखित संस्थानों को 1992, 1993 तथा (अभी तक) 1994 (09-12-1994 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया है।

1992 : (1) बंगाल इंजीनियरी कॉलेज, हावड़ा (पश्चिम बंगाल)

1993 : (1) गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र विज्ञान, पुणे

(2) मणिपुर उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल

(3) श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम

1994 : (1) श्री रामचन्द्र चिकित्सा कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, मद्रास

(2) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर

(ग) और (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित संस्थाओं को विश्वविद्यालयवत का स्तर प्रदान करने की सिफारिश की है, बशर्ते वे कुछ सुनिश्चित शर्तें पूरी करते हों :

(1) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली

(2) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला

(3) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज, ग्वालियर

(4) राष्ट्रीय मानसिक रूप से विकलांगों का संस्थान, सिकन्दराबाद

(5) राष्ट्रीय दृष्टिहीन व्यक्तियों का संस्थान, देहरादून

(6) अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर व्यक्तियों का संस्थान, बंबई

(7) राष्ट्रीय शारीरिक रूप से विकलांगों का संस्थान, कलकत्ता

(8) राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज, नई दिल्ली।

इन संस्थाओं को विश्वविद्यालयवत का स्तर प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई शर्तें अभी पूरी की जानी हैं।

एक समय–सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि कुछ नीति–निर्णय संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा लिए जाने हैं।

विवरण-I

30 नवंबर, 1994 की स्थिति के अनुसार उन संस्थानों के नाम जिन्होंने सम विश्वविद्यालय स्तर के लिए आवेदन किया था :

(1) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली

(2) वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे

(3) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला

(4) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज, ग्वालियर

(5) राष्ट्रीय मानसिक रूप से विकलांगों का संस्थान, सिकंदराबाद

(6) राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांगों का संस्थान, देहरादून

(7) अलीयावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, बंबई

(8) राष्ट्रीय शारीरिक रूप में विकलांगों का संस्थान, कलकत्ता

(9) मद्रास सामाजिक कार्य स्कूल, मद्रास

(10) राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली

(11) प्राच्य दर्शनशास्त्र संस्थान, वृंदावन

(12) गुर्दा रोग एवं अनुसंधान केन्द्र संस्थान, अहमदाबाद

(13) इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, बंबई

(14) भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान, नई दिल्ली

(15) भारतीय स्वास्थ्य प्रबंध अनुसंधान संस्थान, जयपुर

(16) थान्थई पेरियार मणियामम्ई प्रौद्योगिकीय महिला संस्थान, तमिलनाडु

(17) विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान, सालेम

(18) प्लाविका अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर

(19) केरल कला मंडलम्, त्रिचूर

(20) भारत उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मद्रास

(21) मोन्टेसरी महिला कलाशाला, विजयवाड़ा

(22) राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कलकत्ता

(23) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

(24) राजकीय संस्कृति कॉलेज, कलकत्ता

(25) बाबा मुंगिया चिकित्सा कॉलेज एवं अनुसंधान केन्द्र अगरतल्ला

(26) वसंतदादा चीनी संस्थान, पुणे

(27) वेल्लोर क्रिश्चियन ग्रामीण संस्थान, वेल्लोर

(28) पर्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी

(29) विवेकानंद कॉलेज, तिरूवेदकम्

(30) मंदर विद्यापीठ, बांका

(31) राष्ट्रीय संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मादीचल

(32) इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद्, नोएडा

(33) विहार योग भारती, मुंगेर

(34) वाराणसी संस्कृत विद्यालय, नई दिल्ली

(35) अरूलमिगु कलासालिंगम इंजीनियरी कॉलेज, श्रीविलिपुथुर

(36) आदिपराशक्ति धर्मार्थ चिकित्सा, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक न्यास, मेलमारूवयूर

(37) अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली

(38) ललित कला कॉलेज, बंगलौर

(39) इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद

(40) सेंट जॉन्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान अकादमी, बंगलौर

(41) राष्ट्रीय सामाजिक कार्य एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर

(42) श्री जी.एस. प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर

(43) क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, वारांगल

(44) प्रबंध प्रौद्योगिकी संस्थान, गाजियाबाद

(45) के.जे. अस्पताल–के.जी. अनुसंधान प्रतिष्ठान, मद्रास।

विवरण-II

संस्थाएं जिन्हें सम विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया है

1. श्री अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर
2. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली
3. बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी
4. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा
5. केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद
6. केन्द्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान, सारनाथ
7. केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, बम्बई
8. दयालबाग शैक्षिक संस्थान, दयालबाग
9. दक्कन कालेज स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान संस्थान, पुणे
10. गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधी ग्राम
11. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
12. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
13. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
14. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
15. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
16. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर
17. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई
18. जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
19. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर
20. राजस्थान संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
21. आयोजना और वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली
22. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
23. राष्ट्रीय संग्रहालय सोसायटी कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
24. श्री सत्य साई उच्च अध्ययन संस्थान, प्रशांति निलायम
25. टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई
26. थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला
27. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे
28. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
29. जैन विश्व भारतीय संस्थान, लाडनून
30. बन अनुसंधान संस्थान, देहरादून
31. बंगाल इंजीनियरी कॉलेज, हावड़ा
32. गोखले राजनीति और अर्थ शास्त्र संस्थान, पुणे
33. मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल
34. श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कॉचीपुरम
35. श्री रामचन्द्र चिकित्सा कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, मद्रास
36. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर

खाद्य सहायता के लिए समझौता

951. श्री मनोरंजन सुर :
डा. बसंत पवार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन–किन देशों से खाद्य वस्तुओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ग) इस सहायता से कौन–कौन से राज्य लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या सरकार खाद्यान्नों को आयात करने की बजाय अपनी ओर से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और एफ.सी.आई. की ओर से भण्डारण के लिए किसी एजेंन्सी पर आश्रित है जिसे बफर स्टाक की बढ़ती हुई मांग के कारण भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ङ). जी, नहीं। सरकार ने किसी भी देश से खाद्य के लिए नकद अथवा माल के रूप में कोई सहायता नहीं मांगी है। तथापि, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू.एफ.पी.) जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एक संगठन है, विकास और पोषाहार कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत सहित विकासशील देशों को खाद्य सहायता प्रदान कर रहा है। भारत उन सदस्य देशों में से एक है जो विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए नकद अथवा माल के रूप में अंशदान भी करते हैं। चूंकि देश में खाद्यान्नों की स्थिति अच्छी है इसलिए सरकार का खाद्यान्नों का आयात करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार के पास भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक स्तर बहुत ऊंचा है।

मवेशियों की संख्या

952\. **प्रो. प्रेम धूमल :**
श्री सुशील चन्द वर्मा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पशुओं/मवेशियों की संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रति हजार मानवीय जनसंख्या के अनुपात में मवेशियों की संख्या कितनी है; और

(ग) मानव तथा मवेशियों की अनुपातिक संख्या की दृष्टि से अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, कोलम्बिया, ब्राजील इत्यादि की तुलना में भारत की क्या स्थिति है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). जी, हां। 1987 की पशु संगणना के अनुसार गोपशुओं की संख्या 195.87 मिलियन थी। प्रति हजार मानव जनसंख्या पर गोपशुओं का अनुपात 249 था। अन्य देशों की स्थिति (1990) इस प्रकार है :

अर्जेन्टीना	1593
आस्ट्रेलिया	1352
कोलम्बिया	750
ब्राजील	986
विश्व	242

संस्कृत को लागू करना

953\. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द खन्डूरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में संस्कृत को एक वैकल्पिक (सांविधिक विकल्प) विषय के रूप में शामिल किये जाने संबंधी एक रिट याचिका में सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह अवधारणा जाहिर की थी कि अकेले संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय स्वीकार करके न्यायालय धर्मनिरपेक्षवाद के विरुद्ध कार्य करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस अवधारणा के तहत सरकार ने 'धर्मनिरपेक्षवाद' की क्या परिभाषा मानी है;

(ग) ऐसी अवधारणा जाहिर करने का आधार, उद्देश्य तथा सम्भावित परिणाम क्या हैं, और

(घ) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय तथा सरकार द्वारा उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 4-10-94 के अपने निर्णय में भारतीय सांस्कृतिक विरासत और धर्मनिरपेक्षता के सम्पूर्ण संदर्भ में संस्कृत भाषा के स्थान से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की है, तथापि सरकार या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस बात का दावा नहीं किया गया कि संस्कृत को वैकल्पिक विषय का दर्जा देना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध होगा। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायालय के स्थगन आदेश को खारिज करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए आवेदन में यह उल्लेख किया गया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सितम्बर, 1988 की भाषा शिक्षण स्कीम, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कभी लागू नहीं की गई, में भी ऐच्छिक या अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत का प्रावधान किया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नही उठते।

(घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 4-10-94 के अपने निर्णय में बोर्ड को यह निदेश दिया है कि वह विचाराधीन पाठ्यक्रम में संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करे और तीन महीने की अवधि के अन्दर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

954\. **श्री रामनिहोर राय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चुनार, मिर्जापुर जिले के लिए एक केन्द्रीय विद्यालय मंजूर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान बजट में इस विद्यालय के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह विद्यालय कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि चुनार जिला मिर्जापुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए माननीय संसद सदस्य श्री राम निहोर राय का अनुरोध प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने मिर्जापुर के जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव भेजे ताकि केन्द्रीय विद्यालय खोलने के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रस्ताव के औचित्य पर विचार किया जा सके। जिला मजिस्ट्रेट का जवाब प्रतीक्षित है। जिला मजिस्ट्रेट से अपेक्षित प्रस्ताव के प्राप्त होने पर ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन अग्रिम कार्रवाई कर सकता है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुकिंग काउंटर

955\. **श्री अष्ठभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रियों को नई दिल्ली स्थित आरक्षण केन्द्रों पर वापसी-टिकटों के आरक्षण कराने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी दिशा की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों हेतु आरक्षण कराने के लिए ऐसे आरक्षण केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). वापसी यात्रा आरक्षणों की बुकिंग के लिए नई दिल्ली की कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली से 20 स्थान जुड़े हैं। इच्छुक यात्रियों को लगभग उतने ही समय इंतजार करना पड़ता है जितना वे अपनी दिल्ली से बाध्य यात्रा के लिए करते हैं क्योंकि इन गंतव्यों के लिए आगे तथा वापसी आरक्षण किसी भी काउंटर से प्राप्त किए जा सकते हैं। बहरहाल, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास आरक्षण प्रणालियों से जुड़े स्थानों से वापसी यात्रा टिकटों की बुकिंग के लिए इच्छुक व्यक्तियों को मुख्य कम्प्यूटर केन्द्रों के बीच सीमित सम्बद्धता होने के कारण अधिक समय इंतजार करना पड़ता है। जब कभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों के जालतंत्र की स्थापना की जाएगी तब इस समस्या पर काबू पाने में सहायता मिलेगी।

रेलवे अधिकारियों में असंतोष

956. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पदों के संवर्गों के वर्गीकरण के संबंध में रेलवे अधिकारियों में व्यापक असंतोष है;

(ख) क्या "ख" वर्ग के पदोन्नत रेलवे अधिकारियों ने पदोन्नति संबंधी मानदण्ड तथा रेलवे अधिकारियों के विभिन्न वर्गों के पदों के वर्गीकरण के पुनर्निर्धारण के संबंध में कोई प्रतिवेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ). रेलों के ग्रुप "ख" के प्रमोटी अधिकारी, सिविल सेवा परीक्षा और सम्मिलित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के आधार पर ग्रुप "क"/ कनिष्ठ वेतनमान में सीधे भर्ती किए गए सहायक अधिकारियों और ग्रुप "ख" में सहायक अधिकारियों के रूप में पदोन्नत व्यक्तियों के वेतनमानों में भिन्नता तथा सहायक अधिकारियों के वर्गीकरण का मामला उठाते रहे हैं।

ग्रुप "क"/कनिष्ठ वेतनमान और ग्रुप "ख" के बीच भिन्नता को पूर्व में एक के बाद एक गठित वेतन आयोगों ने औचित्यपूर्ण समझा है। ग्रुप "क"/कनिष्ठ वेतनमान में सीधे भर्ती किए गए अधिकारी 2200-4000 रुपए के वेतनमान में हैं और जो पदोन्नति पर ग्रुप "ख" में नियुक्त किए गए हैं, को 2000-3500 का वेतनमान दिया गया है। ये वेतनमान चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए हैं जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार और कार्यान्वित किया गया है।

राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र

957. श्री बीर सिंह महतो : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला केन्द्र की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बसवा राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीजन टिकटधारक

958. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) . क्या कानपुर–इटावा, उत्तर प्रदेश के सीजन टिकटधारकों ने अपनी परेशानियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां,

(ख) कानपुर और इटावा के बीच गोमती एक्सप्रेस में सीजन टिकटधारियों को यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।

(ग) 5-12-1994 से गोमती एक्सप्रेस के अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने के लिए सीजन टिकटधारियों को अनुमति दे दी गई है।

मोबाइल वैन

959. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान केरल सरकार की तरफ से मोबाइल वैनों की खरीद के लिए और अधिक सहायता राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख). केरल सरकार से 1994-95 के दौरान 90 वैनों की खरीद के लिए 360 लाख रु. की वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। निधि की कुल उपलभ्यता तथा वैनों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता के लिए अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की पारस्परिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को वर्ष 1994-95 के दौरान 10 वैनों की खरीद के लिए 40 लाख रु. की राशि मंजूर की है।

राज्यों को उर्वरकों की आपूर्ति

960. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री पी.पी. कालियापेरूमल :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री एन.जे. राठवा :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के लिए अक्तूबर, 1994 तक प्रत्येक राज्य को विभिन्न किस्म के उर्वरकों की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई ;

(ख) क्या गत दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष के दौरान राज्यों को इन उर्वरकों की कम आपूर्ति हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार ने राज्यों को उर्वरकों की आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) न्यून विश्लेषण वाले नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर से 10 जून, 1994 से नियंत्रण हटा लिए जाने के परिणामस्वरूप यूरिया ही केवल ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है जो अनिवार्य जिंस अधिनियम, 1955 के अधीन राज्यों को आबंटित किया जाता है। अनिवार्य जिंस अधिनियम के अधीन आबंटनों तथा खरीफ 1994 (पहली अप्रैल से 30 सितम्बर, 1994) के दौरान यूरिया की उपलब्धता और बिक्री तथा रबी 1994-95 (पहली अक्तूबर, 1994 से 31 मार्च, 1995) के दौरान अनिवार्य जिंस अधिनियम के अधीन आबंटन और 31-10-94 तक उपलब्धता तथा विक्रय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग). पिछले तीन खरीफ और रबी मौसमों के दौरान प्रमुख राज्यों में यूरिया की उपलब्धता और खपत/बिक्री दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) और (ङ). 31 अक्तूबर, 1994 तक देश में यूरिया की उपलब्धि कुल मिलाकर संतोषजनक थी लेकिन कुछ राज्यों से स्थानीय कमी की सूचनाएं मिली थीं और वैकल्पिक संसाधनों के जरिय सप्लाई बढ़ाकर कमी दूर करने की कार्यवाही की गयी थी।

विवरण-I

खरीफ 1994 तथा रबी 1994-95 के दौरान यूरिया का अनिवार्य जिंस अधिनियम के अंतर्गत आबंटन उपलब्धता और बिक्री

(हजार मीटरी टन में)

		खरीफ 1994 (पहली अप्रैल से 30 सितम्बर 94)			रबी 1994-95 (पहली अक्तूबर 94 से मार्च 95)		
क्र.सं.	राज्य.	ई.सी.ए आबंटन	उपलब्धता* 1-4-94 से 30-9-94 तक	बिक्री 1-4-94 से 30-9-94 तक	ईसी.ए आबंटन	उपलब्धता* 1-10-94 से 30-10-94 तक	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	907.04	887.20	776.82	1,102.97	306.68	206.37
2.	कर्नाटक	421.55	414.36	386.83	351.35	97.88	74.02
3.	तमिलनाडु	214.50	250.45	224.29	510.40	103.95	71.31
4.	गुजरात	367.82	423.68	391.05	487.30	112.04	88.81
5.	मध्य प्रदेश	600.82	601.79	560.25	500.50	163.99	78.15
6.	महाराष्ट्र	1,008.70	966.08	900.68	666.60	164.25	48.89
7.	राजस्थान	363.00	414.34	352.34	489.50	111.52	50.75
8.	हरियाणा	462.00	473.48	439.93	643.50	134.73	66.46
9.	पंजाब	878.42	914.40	867.49	1,122.00	196.71	126.43
10.	उत्तर प्रदेश	1,765.50	1,814.93	1,675.44	2,603.70	454.80	146.75
11.	बिहार	569.88	519.87	491.09	601.08	99.18	50.28
12.	उड़ीसा	214.89	167.94	157.23	108.60	43.00	19.93
13.	पश्चिम बंगाल	337.77	347.60	334.27	552.83	64.40	36.47

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	असम+उत्तर पूर्वी राज्य	94.53	67.58	72.32	83.68	13.12	7.18
15.	अन्य	174.72	178.49	156.06	135.13	31.15	18.21
	कुल	8,381.14	8,442.19	7,786.09	9,959.14	2,097.40	1,070.01

*राज्यीय संस्थागत एजेंसियों के यहां पड़े स्टाक को छोड़कर।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में यूरिया की आपूर्ति और उपयोग।

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	खरीफ 1992		खरीफ 1993		खरीफ 1994	
		उपलब्धता	उपयोग	उपलब्धता	उपयोग	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	697.35	645.75	998.47	748.89	887020	776.82
2.	कर्नाटक	348.42	310.77	412.05	375.78	414.36	380.83
3.	तमिलनाडु	263.40	221.44	278.63	217.57	250.45	224.29
4.	गुजरात	386.71	339.94	361.45	355.71	423.68	391.05
5.	मध्य प्रदेश	512.79	475.86	594.89	540.31	601.79	560.25
6.	महाराष्ट्र	877.28	809.14	968.27	888.83	966.08	900.68,
7.	राजस्थान	290.38	241.45	337.78	292.44	414.34	352.34
8.	हरियाणा	446.46	321.67	525.07	431.63	473.48	439.93
9.	पंजाब	865.67	780.92	1,004.15	817..14	914.40	867.49
10.	उत्तर प्रदेश	1,637.60	1,370.45	1,873.19	1,512.11	1,814.93	1,675.44
11.	बिहार	499.04	423.70	462.78	425.50	519.87	491.09
12.	उड़ीसा	187.37	160.46	205.20	170.47	167.94	157.23
13.	पश्चिम बंगाल	311.15	274.01	335.87	290.88	347.60	334.27
14.	असम–उत्तरी पूर्वी राज्य	70.34	63.26	91.81	95.81	67.58	72.32
15.	अन्य	150.57	131.92	165.98	147.27	178.49	156.06
	कुल	7,524.53	6575.74	8,615.59	7,310.34	8,442.19	7,786.09

(हजार टन में)

रबी 1992-93		रबी 1993-94		रबी 1994-95	
उपलब्धता	उपयोग	उपलब्धता	उपयोग	1-10-94 से 31-10-94 तक उपलब्ध	1-10-94 से 31-10-94 तक बिक्री
9	10	11	12	13	14
1,036.16	918.02	1,052.61	968.29	306.68	206.37
335.05	264.81	334.87	307.55	97.88	74.02
544.61	479.59	477.60	423.25	103.95	71.31
498.02	468.93	430.41	421.73	112.04	68.81
513.44	430.42	502.67	418.15	163.99	78.15

9	10	11	12	13	14
565.39	432.42	558.38	547.15	164.25	48.85
422.80	395.88	452-6.96	382.64	111.52	50.75
578.96	557.69	667.80	565.96	134.73	66.46
1,065.79	994.20	1,260.86	979.99	196.71	126.43
2,378.27	2,192.26	2,564.74	2,278.74	454.80	146.75
566.96	490.67	532.39	486.06	99.18	50.28
110.31	71.25	97.60	83.61	43.00	19.93
550.39	473.93	511.66	471.91	64.40	36.47
69.28	54.36	88.44	71.61	13.12	7.18
115.88	105.24	121.24	113.37	31.15	18.21
9,351.31	8,329.95	9,654.23	8,520.01	2,097.40	1,070.01

[हिन्दी]

प्लास्टिक अपशिष्ट

961. **श्री केशरी लाल :**
डा. पी.वल्लल पेरूमान :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोतल आदि के निर्माण के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्लास्टिक कचरे का पुनः प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है;

(घ) यदि हां, तो उससे उत्पन्न प्रदूषण और इसके दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात को अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में किसी गैर-सरकारी संगठन से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये प्रतिबन्धात्मक उपाय क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). संशोधित निर्यात-आयात नीति (1992-1997) के अनुसार लाइसेंस धारियों को छोड़कर किसी और के लिए एक्रेलिक फाइबर अपशिष्ट; एक्रेलिक टी अपशिष्ट; एक्रेलिक के ऊपरी हिस्से के अपशिष्ट तथा सभी प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्टों (पीईटी बॉटल अपशिष्ट को छोड़ कर) के आयात की अनुमति नहीं है। प्लास्टिक अपशिष्टों के आयात के लिए अब तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ग) अधिकांश प्लास्टिक वस्तुओं का पुनश्चक्रण परिसंकटमय नहीं होता है बशर्ते कि इस प्रकार की सामग्री में कभी कोई विषाक्त वस्तु रखी गयी हो।

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1988 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम) 1987 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसके आधार पर निर्यात लाइसेंसों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

प्रदूषण संबंधी समिति

962. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित की गई उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। दिल्ली में पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए श्री आर. राजामणी, सचिव (पर्यावरण एवं वन) की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 3 अगस्त, 1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अनेक सिफारिशें कीं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

यानीय प्रदूषण

1. सात अभिनिर्धारित स्थानों–पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कनाट प्लेस, चांदनी चौक, दरियागंज क्रासिंग, शकरपुर क्रासिंग, धौला कुंआ और आश्रम क्रासिंग के आसपास यानीय प्रदूषण की जांच अधिक प्रभावी ढंग से की जाए।
2. यातायात क्रासिंग के नजदीक और चाराहों पर बस स्टाप नहीं बनाए जाने चाहिए।
3. सड़कों पर ट्रकों को चलाने की अनुमति केवल रात्रि 9.00 बजे के बाद ही दी जाए।
4. चुनिन्दा सड़कों पर लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया जाए।
5. प्रातःकाल 8.00 बजे से 11.00 बजे के बीच उचित समय निर्धारण कर के सुबह कार्यालय/व्यापार के समय को विनियमित किया जाए।
6. कनाट सर्कस और कनाट प्लेस को आगे चलकर वाहन मुक्त क्षेत्र बना दिया जाए।
7. व्यस्त बाजार क्षेत्रों में पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया जाए।
8. अलग पैदल पथों की व्यवस्था की जाए और साइकिल ट्रैकों को बढ़ावा दिया जाए।
9. समक्रमिक यातायात संकेत प्रणाली का विस्तार किया जाए ताकि अधिक मार्गों को कवर किया जा सके।
10. रिंग रोड पर यातायात की अधिकता वाले स्थानों पर अधिक फ्लाई ओवर बनाए जाएं।
11. चौराहों पर रुकने का समय (लालबत्ती रहने का समय) लिख दिया जाए और चौराहों पर इंजिन को अनावश्यक न चलाने के प्रति जन–जागरूकता पैदा की जाए।
12. चांदनी चौक और कनाट प्लेस जैसे भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों के बाहर पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की जाए और वहां से प्रदूषण रहित वाहनों को शटल सेवा की सुविधा प्रदान की जाए।
13. व्यस्त क्षेत्रों में चुनिन्दा मार्गों पर इलैक्ट्रिक ट्राली प्रणाली अथवा तीव्र गति के ट्रामों का परीक्षण किया जाए। तथापि, ट्रामों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का भी ध्यान रखा जाए।
14. यातायात को दिल्ली से बाहर से होकर निकालने के लिए बाई–पासों का शीघ्र निर्माण किया जाए।
15. सभी सरकारी वाहनों की प्रदूषण नियंत्रण की जांच की जाए और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
16. वाहनों की उपयुक्त आयु निर्धारित की जाए।
17. सेना द्वारा बेचे गए वाहनों के पुनः पंजीकरण की समीक्षा की जाए।
18. तिपहिए आटो रिक्शों के बदले चार पहिए वाली टैक्सियां चलाई जाएं।
19. बसों में अधिक भीड़–भाड़ और वाहनों में अधिक भार के लदान को प्रभावी ढंग से रोका जाए।
20. सी एन जी ईंधन से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का परीक्षण किया जाए और साथ ही संचालन एजेंसियां इन वाहनों का उचित रख–रखाव भी सुनिश्चित करें।

घरेलू अपशिष्ट जल-प्रदूषण

1. गंदे नालों को बरसाती नालों के साथ नहीं जोड़ा जाए।
2. निचले क्षेत्रों में कीचड़ के जमाव को रोकने के लिए उचित मल–जल व्ययन प्रणाली की व्यवस्था की जाए।
3. अंतरिक परिधीम और मुख्य सीवर बिछाने में उचित समन्वयन होना चाहिए।
4. अवरुद्ध सीवरों को साफ किया जाए और उन्हें चालू किया जाए।
5. सीवर लाइन इस ढंग से बिछाई जाए ताकि उप मृदीय जल प्रदूषित न हो।
6. 1260 एम एल डी की वर्तमान मल–जल शोधन क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए और उन संयंत्रों का अनुरक्षण बेहतर ढंग से किया जाए। सभी विद्यमान संयंत्रों का दर्जा बढ़ा दिया जाए ताकि वे द्वितीय स्तर का अपेक्षित शोधन कर सकें।
7. प्रस्तावित मल–जल शोधन संयंत्रों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र भूमि आबंटित की जाए। नए शोधन संयंत्र तेजी से लगाए जाएं।
8. प्रत्येक जिले में पर्याप्त मात्रा में मल–ज़ल शोधन संयंत्र लगाए जाएं।

औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण

1. अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों में आने वाले सभी उद्योगों को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा लेने चाहिए।
2. बड़े और मझौले पैमाने के उद्योगों में वर्तमान बहिस्राव शोधन संयंत्रों की मासिक मानिटरिंग की जानी चाहिए। इन उद्योगों को स्व–निगरानी क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए।
3. नजफगढ नाला बेसिन पर जल प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
4. सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को बढावा दिया जाना चाहिए। लक्ष्य उद्योगों से कानून के उपबंध के अनुसार प्रभावी ढंग से निपटा जाना चाहिए।

औद्योगिक वायु प्रदूषण

1. मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों की मासिक निगरानी की जानी चाहिए।
2. ताप विद्युत संयंत्रों को उत्तम किस्म का कोयला दिया जाए।
3. दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी नए ताप विद्युत संपन्न की अनुमति नहीं दी जाए।
4. ओल्ड माडल मार्शल टाइप होट मिक्स प्लाण्ट्स को नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए। दुर्दान्त इकाइयों को कानून के अनुसार बन्द कर दिया जाए।
5. इस्पात रोलिंग मिलों, मिट्टी के बर्तन सुखाने की भट्टियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदूषण नियंत्रित करना चाहिए।
6. दिल्ली से ईट के भट्टों को समाप्त कर दिया जाए और राख की ईटों के निर्माण उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

1. घरेलू ठोस अपशिष्टों के बिलगाव की सम्भावनाओं का पता लगाया जाए।
2. अधिक गौशालाएं बनाई जाएं और सब्जी बाजार के ठोस अपशिष्टों को बिनकर इन गौशालाओं को दिया जाए।
3. परिसंकटमय अपशिष्ट को जमा करने के लिए भूमि की शिनाख्त की जाए।
4. बड़े अस्पतालों को विषैले अपशिष्ट को विनष्ट करने के लिए उपयुक्त ट्रान्सीनरेट्र स्थापित करने चाहिएं।
5. नर्सिंग होमों और औषधालयों से परिसंकटमय और गैर–परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए उचित व्यवस्था की जाए।
6. तिमारपुर के सन्सीनरेटर को पुनः चालू करने के लिए प्रायोगिक अध्ययन किया जाए।
7. उपयुक्त पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के बिना कोई नया लैण्ड फिल स्थल नहीं खोला जाए।
8. एक व्यापक ठोस अपशिष्ट प्रबंध कार्य योजना तैयार की जाए।
9. वर्तमान लैण्ड फिल स्थलों की उचित निगरानी की जाए।
10. अपशिष्टों के पुनश्चक्रण को बढ़ावा दिया जाए बशर्ते इससे आगे और कोई प्रदूषण न हो।
11. खड़ंजों और पैदल मार्गों के निर्माण में राख के प्रयोग पर भी विचार किया जाए।
12. जैव गैस पैदा करने के लिए ठोस अपशिष्ट के उपयोग हेतु परीक्षण किया जाए।
13. जब तक राख का पूरा उपयोग सुनिश्चित न हो जाए राख को कोयला ढोने वाले खाली रैकों में भरकर कोयला खान में वापस लाया जा सकता है।
14. जैव अपशिष्टों की कम्पोस्टिंग को प्रोत्साहित किया जाए।

ध्वनि प्रदूषण

1. शांत क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए और जन संचार माध्यमों तथा प्रमुख होर्डिंगों के जरिए उनका उचित प्रचार किया जाए।
2. लाउडस्पीकरों के प्रयोग को प्रभावी ढंग से विनियमित किया जाए।
3. अनावश्यक शोर से बचने के लिए सरकारी बसों का उचित रख–रखाव किया जाए।
4. अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल तथा अन्य बस टर्मिनलों पर हार्न बजाने को प्रभावी ढंग से रोका जाए।
5. सड़क के बीचों बीच और किनारों पर स्थानीय किस्म की झाड़ियां उगाई जाएं और पौध रोपण को निरन्तर प्राथमिकता दी जाए।

सामान्य

1. पर्यावरण के प्रतिकूल क्षेत्रों में कोई नया उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाए।
2. प्रतिकूल क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए वृहद् योजना 2001 के अनुसार नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाए।
3. परिसंकटमय उद्योगों को चरणबद्ध तरीके से बन्द किया जाए।
4. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में पर्याप्त कार्मिक, प्रशिक्षण और उपकरण शामिल करके उसको सुदृढ़ बनाया जाए।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
6. प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सर्वोत्तम अनुरक्षित औद्योगिक इकाई के लिए पुरस्कार संस्थापित किए जाएं।
7. जब तक जल आपूर्ति सीवर और/अथवा मल–जल शोधन संयंत्र बरसाती पानी के नालों तथा ठोस अपशिष्ट निपटान प्रबंध जैसे अपेक्षित सेवाओं की व्यवस्था न कर ली जाए तब तक किसी कालौनी/सोसायटी हाऊसिंग स्कीम की अनुमति नहीं दी जाए।
8. पर्यावरणीय कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
9. पर्यावरणीय अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों को पदनामित किया जाए।
10. सोलर कुकरों और ईंधन बचाने वाले चूल्हों को प्रोत्साहन दिया जाए।
11. कच्चे बहिस्राव मानकों पर विचार किया जाए।

समिति ने भारत सरकार के विचारार्थ और शीघ्र कार्रवाई के लिए निम्नलिखित सिफारिशें भी कीं :

1. मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शीघ्र शुरू किया जाए।
2. दिल्ली सर्कुलर रेल को पुनः सक्रिय किया जाए और उसकी बारम्बारता बढ़ा दी जाए। इस सुविधा को सड़क परिवहन से जोड़ा जाए।
3. मिलावटी ईंधन और तेल की आपूर्ति को रोका जाए।
4. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत बायो मेडिकल नियमों को शीघ्र अधिसूचित किया जाए।
5. दो पहिए वाले वाहनों में वर्तमान दो स्ट्रोक वाले इंजिन के बदले चार स्ट्रोक वाले इंजिन लगाए जाएं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति गठित की है। इस समिति ने राजामणि समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अब तक तीन बैठकें आयोजित की हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बुवाई हेतु विमानों का उपयोग,

963. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भेंट किये गये वायुयानों और हेलिकाप्टरों सहित उनके मंत्रालय के अधीन वायुयानों और हेलिकाप्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन विमानों का उपयोग अग्निशमन अथवा बीज बोने के लिए किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार विवरण क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन विमानों के दुरुपयोग की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास 2 हेलिकाप्टर उपलब्ध हैं। मंत्रालय का एक अन्य वायुयान पाइपर सेनेका III, 25 अगस्त, 1994 को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में करोली गांव के निकट एक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये वायुयान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण विधियों से संबंधित यू.एन.डी.पी. से सहायता प्राप्त परियोजना के एक भाग के रूप में प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण के प्रयोजन से अधिप्राप्त किए गए थे। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान समाप्त हो गई और तत्पश्चात वर्ष 1991, 92, 93 और 94 के दौरान पाइपर सेनेका वायुयान और लामा हैलीकाप्टर मंत्रालय के पास रहे और मंत्रालय द्वारा इनका उपयोग वन एवं वनरोपण सर्वेक्षण गतिविधियों तथा मंत्रालय से संबंधित कार्यों के लिए किया गया। बेल जेट रेंजर हैलिकाप्टर मंत्रालय द्वारा केवल 11-5-94 को ही प्राप्त किया गया है और वह उड़ाने लायक नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ). प्रश्न नहीं उठते।

नयी रेल लाइन

964. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोट्टायम और सबरी माला के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या;

(ग) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वेक्षण कार्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इस सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय अपेक्षित है; और

(घ) क्या अभी सर्वेक्षण कार्य शुरू नहीं हुआ है, यदि हां, तो क्यों ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) सर्वेक्षण 21 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है। कार्य एक वर्ष में पूरा हो जाएगा। धनराशि हेतु यथापेक्षित समूची मांग क्रमशः 94-95 और 95-96 में पूरी की जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापन पर व्यय

965. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1992-93 और 1993-94 के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा समाचार पत्रों को सीधे अथवा डी.ए.वी.पी. आदि के द्वारा पर्यावरण और वन से संबंधित दिये गये विज्ञापनों पर व्यय की गई धनराशि का भाषा–वार विवरण क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : 1992-93 में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से दिए गए विज्ञापनों पर कुल 22,92,240/–रुपए और रु. 1993-94 में रु. 13,29,580/– रुपए खर्च हुए। 1992-93 में समाचार पत्रों को सीधे कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। 1993–94 के दौरान सीधे समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों पर 26388/– रुपये खर्च किए गए, अंग्रेजी के विज्ञापनों पर 6,388/– रुपए और हिन्दी के विज्ञापनों पर 20,000/– रूपए खर्च किए गए।

1992-93 तथा 1993-94 के दौरान समाचार–पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के लिए भाषावार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I और विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

क. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापनों के लिए 1992-93 के दौरान भाषावार खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	भाषा	राशि (रुपए)
1.	अंग्रेजी	1224577.00
2.	हिन्दी	863230.00
3.	उर्दू	35491.00
4.	पंजाबी	5005.00
5.	मराठी	16676.00
6.	गुजराती	26902.00
7.	असमी	2411.00
8.	बंगला	41808.00
9.	उड़िया	10699.00
10.	तमिल	23658.00
11.	तेलुगु	9724.00
12.	मलयालम	23075.00
13.	कन्नड़	8984.00
	कुल खर्च	22,92,240.00 रु.

ख. समाधार पत्रों में सीधे दिए गए विज्ञापन

-शून्य-

विवरण-II

क. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापनों पर 1993-94 के दौरान भाषावार विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण।

क्रं.सं.	भाषा	खर्च राशि (रुपए)
1.	अंग्रेजी	619998.00
2.	हिन्दी	390486.00
3.	उर्दू	30259.00
4.	पंजाबी	7950.00
5.	मराठी	47690.00
6.	गुजराती	21199.00
7.	सिन्धी	616.00
8.	असमी	11488.00
9.	बंगला	90824.00
10.	उड़िया	16608.00
11.	तमिल	28311.00
12.	तेलुगु	17644.00
13.	मलयालम	32410.00
14.	कन्नड़	13125.00
15.	मिजो	972.00
	कुल खर्च	13,29,580.00

ख. समाचार पत्रों में सीधे दिए गए विज्ञापन

अंग्रेजी 6,388/'-रुपए

[हिन्दी]

खांडसारी एकक

966. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खांडसारी एकक अवैध शराब बनाने के लिए शीरे का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). चीनी उत्पादक राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

रेलवे जोन

967. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नए रेलवे जोन बनाए गए हैं;

(ख) इन नए जोनों को बनाए जाने के लिए कौन सा मापदण्ड अपनाया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला जोन कौन सा है; और

(घ) दूसरे जोनों की तुलना में सर्वाधिक कार्य भार तथा सर्वाधिक संचालन वाला रेलवे जोन कौन-सा है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नया जोन नहीं बनाया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे की आमदनी सर्वाधिक रही है।

(घ) मध्य, उत्तर और पश्चिम रेलवे सर्वाधिक कार्य भार वाली रेलें हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक मार्ग किलोमीटर भी हैं।

सागौन की लकड़ी का निर्यात

968. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुवैत, कतार और संयुक्त अरब अमीरात को सागौन की लकड़ी का निर्यात करने हेतु विद्यमान नियमों में जिसमें भारत से इमारती लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध है, छूट देकर विशेष नीति के रूप में मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) किस उद्देश्य से सागौन के निर्यात की अनुमति दी गई है; और

(घ) निर्यात किए गए सागौन की कुल मात्रा और इसकी कीमत क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). लगभग 3 करोड़ रूपए मूल्य की कुल 1500 मीटरी टन सागौन की लकड़ी कुवैत, कतार और संयुक्त अरब अमीरात देशों के शासकों के उपयोग के लिए जलपोतों और नौकाओं के निर्माण के प्रयोजन के लिए विशेष सद्भावना के रूप में निर्यात करने की अनुमति दी गई थी।

[हिन्दी]

शोध छात्र

969. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1993 तक विश्वविद्यालय में अपना शोध–प्रबंध प्रस्तुत कर चुके शोध छात्रों की पात्रता के संबंध में अपने निर्णय को लागू करने के लिए तथा राज्य सरकारों और सभी विश्वविद्यालयों को किस तिथि को सूचित किया था;

(ख) राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा इस निर्णय को किन–किन तिथियों से लागू करना शुरू किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन राज्यों में अपने इस निर्णय को लागू करवाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया है जहां यह निर्णय लागू नहीं किया जा रहा है; और

(घ) इस निर्णय को लागू न करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार उन शोध अध्येताओं को जिन्होंने अपने शोधग्रंथ 31-12-93 तक दे दिए थे, लेक्चररशिप के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए दी गई छूट के संबंध में लिए गए निर्णय के बारे में विश्वविद्यालयों को 10-2-93 को अवगत करा दिया गया था। यह निर्णय तत्काल से लागू होना था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि सभी विश्वविद्यालयों ने अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं या उठा रहे हैं। इसने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, राज्य सरकारों व विश्वविद्यालयों को 3 अक्तूबर, 1994 को बता दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के साथ मामले पर कार्रवाई कर रहा है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में आरक्षण सीमा

970. श्री मुही राम सैकिया :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
डा. सुधीर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल–मई, 1994 में जारी केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की रिक्तियां भरने से संबंधित विज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तब से इस अनियमितता का सुधार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह सूचित किया है कि वह अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों आदि के आरक्षण के बारे में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करता है। शिक्षकों की भर्ती के लिए मई, 1994 के दौरान जारी किए गए विज्ञापन में भी कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधन

971. श्री अन्ना जोशी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 में बोर्ड की परीक्षाओं में बैठे दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के छात्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य–वार इन परीक्षाओं में कथित हेराफेरी एवं अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने के मामलों की संख्या कितनी है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) इस दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् ही दो ऐसे अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा बोर्ड हैं जिनसे देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में स्थित स्कूल सम्बद्ध हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् द्वारा संचालित वर्ष 1994 की कक्षा X और XII की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों

की संख्या और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों की सूचित संख्या को दर्शाने वाला विवरण जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् द्वारा दिया गया है, संलग्न है।

(ग) परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को कम से कम करने के लिए निवारक और दंडात्मक दोनों ही उपाय अपेक्षित हैं। निवारक उपाय मुख्य तौर पर परीक्षा सुधार के क्षेत्र में होने चाहिए जैसे शैक्षिक और गैर–शैक्षिक उपलब्धियों का निरन्तर और विस्तृत मूल्यांकन, आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन, का मिला–जुला रूप और प्रश्न पत्रों की उपयुक्त प्रणाली को तैयार करना। विधि प्रवर्तन एजेन्सियो का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के अलावा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रवर्तन तंत्र को भी सरल और कारगर बनाया है। यह अनेक सैटों वाले प्रश्नपत्रों का भी प्रयोग कर रहा है।

जहां तक राज्य बोर्डों, जो पूरी तरह अपनी–अपनी राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन हैं, द्वारा संचालित परीक्षाओं का संबंध है, यह संबद्ध राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह परीक्षाओं में कदाचार और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करे।

विवरण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् द्वारा संचालित वर्ष 1994 की कक्षा X और कक्षा XII की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या और कदाचार एवं अनुचित साधनों के प्रयोग के संबंध में सूचित किए गए मामलों की संख्या

भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद्

क्र. स.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	अभ्यर्थियों की संख्या		अनुचित साधनों के प्रयोग के संबंध में सूचित किए गए मामलों की संख्या	
		कक्षा X	कक्षा XII	कक्षा X	कक्षा XII
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2371	507	27	–
2.	असम	165	00	–	–
3.	बिहार	3930	1321	88	–
4.	दिल्ली	205	132	–	–
5.	गोवा	47	00	–	–
6.	गुजरात	130	56	–	–
7.	हरियाण	173	07	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	566	85	–	–
9.	कर्नाटक	2043	317	–	–
10.	केरल	1279	458	–	–
11.	मध्य प्रदेश	322	123	–	–
12.	महाराष्ट्र	2293	76	–	–
13.	मेघालय	150	25	–	–
14.	उडीसा	2340	350	03	–
15.	पंजाब	1635	182	–	–
16.	राजस्थान	293	127	–	–
17.	सिक्किम	149	135	–	–
18.	तमिलनाडु	682	138	27	01
19.	त्रिपुरा	124	31	–	–
20.	उत्तर प्रदेश	9696	5073	03	–
21.	पश्चिम बंगाल	8916	3001	04	01

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

क्र. स.	क्षेत्र	अभ्यर्थियों की संख्या		अनुचित साधनों के प्रयोग के संबंध में सूचित किए गए मामलों की संख्या	
		कक्षा X	कक्षा XII	कक्षा X	कक्षा XII
1.	अजमेर	20866	14031	–	03
2.	इलाहाबाद	48216	31074	10	24
3.	चंडीगढ	33514	21076	09	24
4.	दिल्ली	142706	89473	272	167
5.	गुवाहाटी	15114	7199	10	36
6.	मद्रास	41194	19479	01	04

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन स्मारकों का अतिक्रमण

972. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **मानव संसाधन और विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के संरक्षणाधीन कुछ प्राचीन स्मारकों तथा भवनों का अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात तथा अन्य राज्यों में ऐसे कितने स्मारक हैं; और

(ग) इस प्रकार के अवैध अतिक्रमणों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) यह बताया गया है कि गुजरात राज्य के लगभग 15 स्मारकों तथा अन्य राज्यों के लगभग 172 स्मारकों पर अतिक्रमण किया गया है।

(ग) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की पहरा–निगरानी करने के अलावा, जब कभी गैर–कानूनी अतिक्रमण होते हैं, तो उन्हें रोकने और हटाने के लिए राज्य सरकारों के स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता से कार्यवाई की जाती है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन/खेती

973. **श्री अरविंद त्रिवेदी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1993–94 में कपास के उन्पादन में तथा इसके जोत क्षेत्र में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान राज्य में किस सीमा तक जोत क्षेत्र में सुधार किए जाने तथा कितना अनुमानित उत्पादन प्राप्त करने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). जी, हां। वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान गुजरात में कपास का उत्पादन और उसकी खेती का क्षेत्र इस प्रकार था :–

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

(उत्पादन प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की हजार गांठें)

वर्ष	क्षेत्र	उत्पादन
1992–93	1151.1	1988.5
1993–94	1126.0	1622.8

गुजरात में 1992–93 की तुलना में 1993–94 में कपास के उत्पादन में कमी मुख्यतया इस राज्य के कुछ भागों में वर्षा अपर्याप्त रहने के करण हुई।

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान गुजरात राज्य में कपास का क्षेत्र बढकर 120 हैक्टेयर तक होने और इसका उत्पादन प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की गांठ के हिसाब से 1623 हजार गांठें तक होने की सभावना है।

मछुआरों को मिट्टी के तेल पर राजसहायता

974. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मछुआरों को डीजल पर राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बडी संख्या में छोटी नावें जिनमें कि ओ.बी.एम. लगा है, ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो ओ.बी.एम. के लिए मिट्टी के तेल पर राजसहायता न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) मिट्टी के तेल पर राजसहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ). मिट्टी का तेल अनिवार्य रूप से घरेलू उपयोग के लिये तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसके उपयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तथापि, राज्य सरकारें मछली पकडने के लिए आउट बोर्ड मोटर प्रचालित करने वाले मछुआरों को अपने आबंटित एकल एस.के.ओ. कोटा में से अथवा मत्स्यन के उद्देश्यों के लिये उनको आबंटित किये गये विशेष एस.के.ओ. कोटा में से राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल (एस.के.ओ.) की आपूर्ति करती है। पैट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस कारण से मछुआरों में वितरण के लिये केवल/अतिरिक्त एस.के.ओ. कोटा की आपूर्ति करने में बार–बार सरकार की असमर्थता जाहिर की है कि मिट्टी का तेल एक घाटे का उत्पादक है तथा एक–तिहाई से भी अधिक मिट्टी के तेल का आयात विदेशी मुद्रा की अत्यधिक लागत पर किया जा रहा है।

इन परिस्थितियों में मछुआरों द्वारा आउट बोर्ड मोटरों को प्रचालित करने के लिये केवल मिट्टी के तेल पर राजसहायता देने का सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दुधवा नेशनल पार्क

975. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दुधवा नेशनल पार्क में वन्य जीव–जन्तु की प्रमुख प्रजातियों जैसे हिरण, हाथी और शेर आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पार्क में वन्य जीव–जन्तुओं के धीरे–धीरे कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान रख–रखाव के लिए सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) "बाघ परियोजना और बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि–विकास" स्कीम के तहत

पिछले पांच वर्षों के दौरान दुधवा बाघ रिजर्व को बंटित की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :–

1989–90	18.727 लाख रूपये
1990–91	41.970 लाख रूपये
1991–92	42.950 लाख रूपये
1992–93	28.485 लाख रूपये
1993–94	29.590 लाख रूपये

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

976. श्री अमर रायप्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़, इलाहाबाद तथा बडौदा हाऊस, नई दिल्ली स्थिति उत्तर रेलवे के अधिकारियों को एक जनवरी, 1993 से आज तक उत्तर रेलवे के मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों से प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इन आवेदन–पत्रों में वर्ष 1994 के दौरान संसद सदस्यों द्वारा अनुशासित आवेदन–पत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या संसद सदस्यों को कोई पावती/उत्तर भेजा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ये नियुक्तियां कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चिल्का पर्यावरणीय प्रबंधन

977. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उडीसा सरकार द्वारा यूरोपीय समुदाय द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था के लिए भेजे गई "चिल्का पोषणीय पारिस्थितिक संरक्षण एवं पर्यावरणीय प्रबंधन" परियोजना की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) इस पर क्या कारवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख). उडीसा सरकार ने द्विपक्षीय कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए पांच वर्ष की अवधि तथा 60 करोड रूपये की कुल लागत वाली "चिल्का धारणीय पारिस्थितिकीय परिरक्षण और पर्यावरणीय प्रबंध" नामक एक परियोजना प्रस्तुत की है। इस परियोजना के मुख्य घटकों में जलगुणवत्ता और लवणता ग्रेड मे सुधार; गाद–भरण को रोकने के लिए झील परिसर प्रबंध, झील संसाधन विकास; अपतृण प्रबंध नियंत्रण, पक्षिजात, सामुदायिक सहभागिता सहित साझा संपत्ति संसाधन विकास और प्रबंध, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली स्कीमें, अवसंरचना तथा संस्थागत विकास, शामिल हैं।

(ग) यूरोपीय समुदाय से वित्तीय सहायता के [illegible]; उक्त परियोजना प्रस्ताव जांचाधीन है।

पशु आहार पूरक सामग्री का वर्गीकरण

978. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशुधन आहार विनिर्माता संघ ने पशु आहार पूरक सामग्री के वर्गीकरण को एच.एस.एन. (नामावली की सुसंगत प्रणाली) के वर्गीकरण–23 में शामिल करने का आग्रह किया है ताकि दूध का उत्पादन और पशुधन बढ़ाने के लिए किसानों को पशु आहार उपयुक्त दामों पर उपलब्ध कराया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य संबंधित मंत्रालय/संगठनों के परामर्श से अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

979. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन माह से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठप्प पड़ी है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में आम आदमी आवश्यक वस्तुओ की अनुपलब्धता के कारण बहुत अधिक परेशान है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समुचित ढग से कार्य करे?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन संबंधी जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो की होती है। हाल ही मे केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया था कि वे विशेषकर त्यौहार के मौसम को ध्यान मे रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति की अनुवीक्षा करें ताकि उपभोक्ताओं को इन वस्तुओ को प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पडे। राज्य सरकार ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वस्तुओ की आसान उपलभ्यता की सूचना दी है। उन्होने यह भी सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उपलब्धता की स्थिति पर रोजाना नजर रख रहे है। उत्तर प्रदेश सरकार ने [illegible] क्षेत्रो मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध मे किसी [illegible] समस्या की ओर ध्यान नहीं दिलाया है।

[हिन्दी]

प्याज का मूल्य

980. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में प्याज के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्याज के मूल्य को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) विगत कुछ महीनों से प्याज की कीमतों में वृद्धि होती रही है फिर भी विगत वर्षों की कीमतों की तुलना में अभी तक ये कीमतें निम्नस्तर पर बनी हुई हैं। 19.11.94 को प्याज का थोक मूल्य सूचकांक विगत वर्ष के इसी अवधि के थोक सूचकांक से 14 प्रतिशत कम था। इस समय प्याज की कीमतों की स्थिति संतोषजनक है और यह उपभोक्ता की पहुंच के भीतर ही है।

(ख) प्याज की कीमतों में होने वाली वृद्धि का मुख्य कारण महाराष्ट्र सहित अधिकांश उत्पादक क्षेत्रों में सितम्बर 94 के मध्य में लगातार वर्षा होने की वजह से खरीफ के प्याज की फसल देरी से प्राप्त होने और रोपी गई फसलों का क्षतिग्रस्त हो जाना है।

(ग) प्याज की कीमतों के बढ़ते हुए रूख पर काबू पाने के लिए सरकार ने 22 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 94 तक इस जिंस के निर्यात को स्थगित कर दिया है।

[अनुवाद]

चीनी मिलें

981. **श्री राम कापसे :**
श्री सुकदेव पासवान :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन चीनी मिलों की जांच करवाई है जो या तो बंद हो चुकी हैं या बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार एवं अन्य राज्यों में चीनी मिलों के बेहतर प्रबंधन के लिए संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बंद होने के कारण उत्पादन और राजस्व के संदर्भ में राज्यवार कितना घाटा हुआ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार मंत्रालय में हाल में ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नही हुए हैं।

(ङ) कुछ चीनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और विभिन्न कारणों से जिसमें गन्ने का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होना आदि भी शामिल है, काफी समय से कार्यरत नहीं हैं। उत्पादन और राजस्व से संबंधित घाटे को आंका नही जा सकता क्योंकि उत्पादन स्वयं ही विभिन्न तथ्यों जैसे गन्ने की उपलब्धता, प्लांट और मशीनरी की स्थिति, प्रबंधकीय कौशल आदि पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

"वाल्लन परियोजना"

982. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सूरत में वाल्लन परियोजना के लिए वन भूमि मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). गुजरात राज्य सरकार से सूरत जिले में वाल्लन सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 433.08 हे. वन भूमि के अंतरण संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वनस्पतिजात और प्राणिजात पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभावों सहित प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उसको नामंजूर कर दिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना

983. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कतिपय विशिष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये संस्थान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग के उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ). इंजीनियरी, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में विशुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों में शिक्षा और अनुसंधान के जरिए ज्ञान की उन्नति और समुदाय तथा राष्ट्र के लिए सेवा प्रदान करने के वृहत उद्देश्यों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना की गई थी । प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 विजिटर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। इस

प्रकार की समीक्षा वर्ष 1986 में की गई थी। समीक्षा समिति ने उन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिए अपना सन्तोष व्यक्त किया, जिन्होंने उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया, जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी।

गेहूं की खेती

984. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य–वार कुल कितने क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों की तुलना में अब गेहूं की पैदावार वाले क्षेत्र में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान गेहूं की पैदावार वाले क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1993–94 के दौरान देश में गेहूं की खेती के तहत कुल भू–क्षेत्र का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गेहूं के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये 1994–95 से समूचे देश में समेकित मोटे अनाज विकास कार्यक्रम–गेहूं कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, 1993–94 तक देश के सात राज्यों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम–गेहूं कार्यान्वित किया जा रहा था। महाराष्ट्र राज्य में यह योजना 1993–94 में केवल बीज घटक के लिये कार्यान्वित की गई थी। 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

1993-94 के दौरान गेहूं की खेती के तहत क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा

(क्षेत्र हजार हे. में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993–94 (अग्रिम)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	8
अरूणाचल प्रदेश	–
असम	100
बिहार	2115
गुजरात	553
हरियाणा	1998
हिमाचल प्रदेश	336
जम्मू और कश्मीर	150
कर्नाटक	237
मध्य प्रदेश	3925
महाराष्ट्र	753
मेघालय	–
नागालैंड	–
उड़ीसा	30
पंजाब	3280
राजस्थान	2013
सिक्किम	–
तमिलनाडु	–
त्रिपुरा	–
उत्तर प्रदेश	9034
पश्चिम बंगाल	307
दादर और नगर हवेली	–
अन्य	55
अखिल भारत	24894

"अन्य " शीर्ष के तहत शामिल।

विवरण–II

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम गेहूं के लिए दी गई धनराशि

(रु. लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
बिहार	19.41	181.150	306.409
गुजरात	–	25.550	85.839
हरियाणा	280.00	634.685	701.240
महाराष्ट्र	–	–	86.849
मध्य प्रदेश	116.49	255.925	75.000
पंजाब	215.81	755.295	1317.051
राजस्थान	167.57	179.210	193.540
उत्तर प्रदेश	1179.62	1875.240	1550.59

[अनुवाद]

नीलम्बूर रेलवे लाइन

985. श्री के. मुरलीधरन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालघाट डिवीजन में नीलम्बूर रेलवे लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ वांछित भूमि प्राप्त करने में कोई कठिनाई आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाय हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) ऐसा कोई स्वीकृत कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पशु/भैंस प्रजनन

986. श्री डी. पांडियन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक अनुसंधान केन्द्रों में पशु/भैंस प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति बछड़े/बछिया के प्रजनन पर कितनी लागत आती है;

(ख) क्या इन कतिपय केन्द्रों को बन्द करने और निजी एजेंसियों, अधिमानतः ऐसी सरकारी समितियों, जो कृषकों द्वारा चलाई जाती हैं, को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) बछड़ों के उत्पादन के लिए कोई प्रशासनिक अनुसंधान केन्द्र नहीं हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पर्यावरण एवं वन को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना

987. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन विषय पहले राज्य सूची में शामिल था;

(ख) क्या अब इसे संवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे संवर्ती सूची में सम्मिलित करने के पश्चात् प्राप्त परिणाम बेहतर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). यद्यपि पर्यावरण से संबंधित कई विषय केन्द्रीय, राज्य और समवर्ती सूचियों में शामिल हैं, लेकिन पर्यावरण को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की विधायी प्रविष्टियों में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, 'वनों' का विषय पहले राज्य सूची में था परन्तु संविधान के 42वें संशोधन के परिणामस्वरूप ''वन'' और ''जीव–जन्तुओं पक्षियों का संरक्षण'' संबंधी विषय 3 जनवरी, 1977 से सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंग बन गए हैं।

(ग) और (घ). वनों तथा जीवजन्तुओं और पक्षियों के संरक्षण के समवर्ती सूची में शामिल करने से भारत सरकार राज्य सरकारो द्वारा क्रियान्वित वन परिरक्षण और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने में सक्षम हो गई है। विशेषकर वनों के वनेतर प्रयोजनों के लिए अंधाधुंध अंतरण की रोकथाम के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत किसी वन भूमि को बहेतर प्रयोजनों के लिए अंतरित करने से पहले केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अंतरणों की अनुमति प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने की शर्त पर ही होती है। वन (संरक्षण) अधिनियम के क्रियान्वयन से वनेतर प्रयोजनों के लिए वन क्षेत्र के अंतरण की औसत 1.5 लाख हेक्टेयर की दर से कम होकर 0.25 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष रह गई है। इससे वन संरक्षण के कार्यों में मदद मिल रही है।

[अनुवाद]

महिला विकास

988. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित योजना को कार्यान्वित करने और तत्संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार किस हद तक धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के विकास के लिए ''महिलाओं के लिए कार्य योजना–2000 ई.'' तैयार की है।

(ख) इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम

989. **डा. पी. वल्लल पेरूमान** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

चीनी मिलों को सहायता

990. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 से अब तक जिन चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हो, उनके नामों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित इन चीनी मिलों ने इस राशि का पूर्ण उपयोग किया है; और

(ग) उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जिनका इस निधि के माध्यम से आगामी वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) वर्ष 1993–94 के दौरान चीनी विकास निधि से ग्यारह चीनी प्रतिष्ठानों को ऋण मंजूर किया गया है। राज्य सहित चीनी मिलों के नाम संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) इस अवस्था में, यह कहना कठिन होगा कि विभिन्न राज्यों में मिलों को मंजूर किए गए ऋण का उनके द्वारा पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया गया है। ऋण की प्रशासनिक मंजूरी के बाद त्रिपक्षीय करार से छूट देने और प्रभारों को लगाने आदि जैसी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जानी होती हैं जिसमें कुछ समय लगता है। आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण दो समान किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है और चीनी विकास निधि की दूसरी किस्त पहली किस्त का इस्तेमाल करने के बाद निर्मुक्त की जाती है। इसके अलावा, ऋण का इस्तेमाल परियोजना की कार्यान्वयन अनुसूची पर निर्भर करेगा, जिसमें सामान्यतया 1 से 2 वर्ष के बीच अथवा जैसी भी स्थिति हो, समय लगता है।

(ग) इस समय 30.11.94 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों से चीनी मिलों के ग्यारह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पडे हुए हैं। ऐसी चीनी मिलों के नाम संलग्न विवरण II में दिए गए हैं। इन आवेदन पत्रों में से एक आवेदन पत्र अर्थात् मै. संजीवनी एस.एस.के. लि. (महाराष्ट्र) का आवेदन पत्र अपूर्ण है।

विवरण–I

उन चीनी प्रतिष्ठानों के नाम, जिन्हें 1993-94 के दौरान आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किया गया है (30.11.94 तक निर्मुक्त की गई राशि सहित)

क्र. स.	चीनी प्रतिष्ठान का नाम	मंजूर की गई राशि और इसकी तारीख (लाख रू. में)	निर्मुक्त की गई राशि (लाख रू. मे)
1	2	3	4
1.	मै. श्री सरवरया शुगर्स लि. चेलुरू, जिला पूर्वी गोदावरी, आ.प्र.	640.00 / 28.5.93	640.00
2.	मै. निजाम शुगर फैक्ट्री लि. यूनिटः बोबिल्ली–सीतानगरम्, आंध्र प्रदेश	98.68 / 28.5.93	98.68
3.	मै. हिरिनगर शुगर मिल्स लि. पी.ओ. पश्चिम चम्पारन, बिहार	387.00 / 13.12.93	193.50
4.	मै. सहयाद्रि एस.एस.के. लि. सतारा, महाराष्ट्र	222.43 / 28.5.93	222.43
5.	मै. जवाहर एस.एस.के. लि. हुपरी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	811.90 / 28.5.93	811.90
6.	मै. छत्रपति शाहू एस. एस.के. लि.,कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	442.88 / 13.12.93	221.88
7.	मै. भगवती एस.एस.के. लि., शाहूनगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	182.992 / 17.2.94	—
8.	मै. वृद्धेश्वर एस.एस.के. लि., आदिनाथनगर, अहमदनगर, महाराष्ट्र	853.00 / 17.2.94	426.50
9.	मै. दि सेकरिया बिसवां सुगर फैक्ट्री लि., बिसवां, सीतापुर, उत्तर प्रदेश	170.60 / 13.12.93	170.60
10.	मै. दि खलीलाबाद सुगर मिल्स (प्रा.) लि., खलीलाबाद, बस्ती (उ.प्र.)	942.00 / 8.2.94	471.00
11.	मै. अस्क को–आपरेटिय सुगर नौगांव, गुंजम, , उड़ीसा	767.264 / 13.12.93	717.632

विवरण-II

आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

1. मै. धामपुर शुगर मिल्स लि., धामपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश
2. मै. प्रतापपुर शुंगर इंडस्ट्रीज लि., प्रतापपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश
3. मै. कनौरिया शुगर एंड जनरल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि., कप्तानगंज, देवरिया, उत्तर प्रदेश
4. मै. शाहबाद कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि., शाहबाद, हरियाणा
5. मै. विष्णु शुगर लि., गोपालगंज, बिहार
6. मै. के.सी.पी. लि., व्ययूरू, आन्ध्र प्रदेश
7. मै. दूधगंगा एस.एस.के. नियमित लि., चिकोडी, बेलगांव, कर्नाटक
8. मै. सतारा एस.एस.के. लिमिटेड, किसनवीरनगर, सतारा, महाराष्ट्र
9. मै. कन्नड एस.एस.के. लि., महात्माफुलेनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
10. मै. दौलत एस.एस.एस.के. लि., हलकर्णी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
11. *मै. संजीवनी एस.एस.के. लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र

* आवेदन पत्र अपूर्ण है (ये आवेदन न तो वित्तीय संस्थानों के आशय पत्रों से समर्थित थे और न ही निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुए थे)।

[अनुवाद]

भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र

991. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों में 1.1.94 तक विश्वविद्यालय-वार कितने विदेशी छात्र हैं;

(ख) पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम, पूर्व स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर सामान्य पाठ्यक्रम तथा अन्य पाठ्यक्रमों के राज्य स्तर के अलग-अलग आंकडे क्या हैं;

(ग) सरकारी अखिल भारतीय छात्रवृत्तियों तथा विदेशी छात्रवृत्तियों के धारकों तथा स्ववित्तपोषित विद्यार्थियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) ये विद्यार्थी किस देश से कितने-कितने और किस मूल के हैं; और

(ङ) क्या विदेशी विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश सरकार की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन दिया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

शीरे पर से नियंत्रण हटाना

992. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गन्ना उत्पादन करने वाले राज्यों ने शीरे पर आंशिक मूल्य नियंत्रण लागू करके केन्द्र सरकार की नीति का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या शीरे के मूल्य पर से नियंत्रण हटाने के पश्चात् गन्ने के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार शीरे तथा शराब पर पुनः नियंत्रण लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) शीरे के मूल्य का विनियन्त्रण करने से खुले बाजार में इसके मूल्य में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, इससे चीनी फैक्ट्रियों को अधिक राशि प्राप्त हुई है जिससे वे किसानों को गन्ने का बेहतर मूल्य अदा कर सकें। अतः गन्ने के उत्पादन में हुई गिरावट का कारण शीरे के विनियन्त्रण को नहीं ठहराया जा सकता है।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्लेटफार्म और शेड का निर्माण

993. **डा. असीम बाला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्यालदाह मंडल में मयूरहट हाल्ट पर प्लेटफार्म और शेड न होने के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानियों की जानकारी है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था मानदण्डों के अनुसार की जाती है तथा तदनुसार मयूर हाट हाल्ट स्टेशन पर पटरी सतह वाले प्लेटफार्मों और प्रतीक्षा शेड एवं बुकिंग कार्यालय की पहले ही व्यवस्था कर दी गई है। यात्री यातायात में वृद्धि के कारण अपेक्षित होने पर इन सुविधाओं का ग्रेडोन्नयन कर दिया जाएगा।

विद्युत "लोको शेड"

994. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डब्ल्यू.ए.पी.–1 और डब्ल्यू ए.पी.–4 ईंजनों की मरम्मत और रख–रखाव का कार्य करने वाले विद्युत "लोको शेड" कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या यह कार्य हावड़ा और आसनसोल में किया जा सकता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वार हावड़ा में इन इंजनों के रख–रखाव के लिए गाजियाबाद के कर्मचारियों को यात्रा भत्ते की कितनी राशि दी गई; और

(ङ) क्या हावड़ा और आसनसोल में मरम्मत और रख–रखाव की सुविधाएं प्रदान कर इस व्यय को बचाया जा सकता था?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) उन बिजली "इंजन शेडों के नाम, जहां डब्ल्यू ए पी–I श्रेणी के रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण किया जाता है, इस प्रकार हैं :–

झांसी, मुगलसराय, गाजियाबाद, अरकोणम, वडोदरा.

फिलहाल भारतीय रेलों पर डब्ल्यू ए पी–4 श्रेणी के बिजली रेल इंजन उपयोग में नहीं हैं।

(ख) और (ग). इस प्रकार के कार्य आसनसोल शेड में किये जा सकते हैं न कि हावड़ा शेड में क्योंकि फिलहाल शेड में केवल जाने वाले इंजनों की देखभाल की ही सुविधा है और न कि किसी भी प्रकार की मरम्मत और अनुरक्षण की।

(घ) गाजियाबाद शेड के कर्मचारी रेल इंजनों की देख–रेख के लिए हावड़ा नहीं भेजे गये थे, केवल रास्ते में ही देख–रेख आवश्यक होने पर, के लिए भेजे गये थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान गाजियाबाद शेड के कर्मचारियों को भुगतान किए गए टी ए को अनुमानित राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	भुगतान किया गया टी ए रुपयों में
1991–92	84000
1992–93	21000
1993–94	कुछ नहीं

(ङ) हावड़ा और आसनसोल में मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के बावजूद ये खर्चे अपरिहार्य थे।

मुक्त विधालयों को वित्तीय सहायता

995. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय सोसायटी, हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश सरकार का एक स्वायत्तशासी संगठन है, से फरवरी, 1994 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर गैर–औपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक स्तर पर प्रायोगिक और नवाचारी कार्यक्रमों की मंत्रालय की योजना के अंतर्गत सोसायटी को 405 लाख रू. का सहायता अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यह अनुदान आंध्र प्रदेश के 9 जिलों में 2700 मुक्त विद्यालय केन्द्र स्थापित करने के लिए था। 28.3.1994 को 202.50 लाख रू. की प्रथम किस्त, जो अनुमोदित सहायता अनुदान का आधा है, सोसायटी को जारी की जा चुकी है।

परिचालन अनुपात में वृद्धि

996. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड ने वर्ष 1994–95 के दौरान परिचालन अनुपात में सुधार किए जाने हेतु कौन–कौन सी नीति अपनाई है; और

(ख) इसके फलस्वरूप रेलवे को कितनी बचत होने का अनुमान है?

रेल मंत्री (श्री सी. के जाफर शरीफ) : (क) रेलों पर 1994–95 में आमदनी बढ़ाकर तथा संचालन व्यय पर नियंत्रण रख कर परिचालन अनुपात में 2 प्रतिशत का सुधार हासिल करने की एक कार्य–योजना शुरू की गई है।

(ख) उपर्युक्त कार्य–योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप होने वाली बचत की मात्रा के बारे में भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी। प्रसंगवश, यह उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष किए गए ऐसे उपायों के फलस्वरूप लगभग 200 करोड़ रूपये की बचत की जा सकी थी।

विद्यार्थियों पर शिक्षा का बोझ

997. **श्री के.एम. मैथ्यू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिक विद्यार्थियों पर शिक्षा के बोझ को कम करने हेतु राज्य सरकारों के लिए आदर्श दिशा–निर्देश तैयार करने और इन्हें जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए उपाय सुझाने हेतु

प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर स्कूली शिक्षा के सभी चरणों पर अपनाए जाने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेश के प्रशासनों को 7 जून, 1994 को कार्य–विधि का एक व्यापक ढांचा सुझाया गया है। पूर्व–प्राथमिक और प्राथमिक चरणों से संबंधित ढांचे की प्रमुख विशेषताएं अनन्य रूप से निम्नलिखित हैं :–

(i) स्कूली शिक्षा अधिनियमों/नियमों में पूर्व–स्कूलों के संबंध में विनियामक मानदंडों का तथा पूर्व–प्राथमिक चरणों पर प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार और विषयों के औपचारिक शिक्षण को बंद करने के लिए प्रावधान।

(ii) छात्रों को शारीरिक दंड देना बंद करना।

(iii) स्कूलों में न्यूनतम भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करना।

(iv) प्राथमिक कक्षाओं में गृह कार्य/परियोजना कार्य समाप्त करना।

(v) प्राथमिक चरण पर गणित के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर संबंधी मानदंडों का लागू किया जाना तथा छात्रों में समझ और बोधगम्यता पैदा करने के लिए गणित की पाठ्यचर्या की समीक्षा करना।

(vi) भाषा की पाठ्यपुस्तकों का संशोधन ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें बोले जाने वाले मुहावरे पर्याप्त मात्रा में प्रतिबिंबित हों तथा बच्चों के जीवन के अनुभवों पर प्रकाश डाले गए हों।

(vii) विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से महत्वहीन सामग्री निकालना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों को ऋण

998. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सहकारी क्षेत्र के अधीन चीनी मिलों के निर्माण हेतु ऋण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋणदाता संस्थानों की शर्तों से इस संबंध में चीनी मिलों को कितनी सहायता मिल सकती है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यवहार्यता पर आधारित नए चीनी एककों को फंड उपलब्ध होने पर आवधिक ऋण दिये जा रहे हैं।

कृषि विकास योजनाएं

999. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विकास संबंधी कुछ योजनाएं केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से *(ग). मध्य प्रदेश सरकार ने जलाशय मात्स्यिकी के विकास, चम्बल नदी के बीहड़ क्षेत्रों में बीहड़–भूमि सुधार के लिए समेकित पनधारा प्रबन्ध कार्यक्रम और आम रोपण संबंधी परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिसके लिये विदेशी सहायता की आवश्यकता है। ये विभिन्न प्रक्रियात्मक चरणों के अधीन हैं।*

कृषि क्षेत्र में भारत-फ्रांस समझौता

1000. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : *क्या* **कृषि मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नवम्बर, 1994 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि उत्पादों और आम, लीची और अन्य फलों एवं फूलों का फ्रांस के बाजारों में अधिक निर्यात होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं। भारत और फ्रांस के बीच कृषि और कृषि खाद्य उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते पर वास्तव में फरवरी, 1994 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए थे। फिर भी समझौते में जैसा प्रावधान किया गया था, नई दिल्ली में नवम्बर, 1994 में दोनों देशों द्वारा एक कार्य अनुसूची पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) से (घ). समझौते में कृषि, मात्स्यिकी, वानिकी, ग्रामीण विकास और कृषि खाद्य उद्योगों के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक सहायता के विकास की व्यवस्था है। इसे संयुक्त अनुसंधान कार्यकलापों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों, सामग्रियों और सूचना के आदान प्रदान प्रशिक्षण और सामग्रियों और उपस्कर की आपूर्ति तथा साथ ही विचार गोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजना, प्रौद्योगिक तथा सहकारिता के कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। समझौते के अनुसार इसके अधीन आने वाले सभी सहयोग पारस्परिक रूप से सहमत कार्यसूची के अनुसार किये जाने हैं तथा सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भारत और फ्रांस में बारी–बारी से प्रत्येक वर्ष कार्य सत्र का आयोजन किया जाना है। तदनुसार नई दिल्ली में 7 से 9 नवम्बर, तक कार्यकारी दल की पहली बैठक हुई तथा इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

विभिन्न कृषि क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम, परामर्शी सेवा, प्रौद्योगिकी, अंतरण उपस्कर की आपूर्ति, संयुक्त अनुसंधान परियोजना आदि के अलावा कार्यसूची में फलों, फूलों आदि जैसे कृषि उत्पादन के निर्यात प्रवर्धन हेतु विभिन्न उपायों का पता लगाने तथा शुरू करने के लिए भी व्यवस्था है। इसमें यह सहमति हुई कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय

और बे–मौसमी फलों और सब्जियों के निर्यात के फ्रांसीसी आयातकों के बीच जागरूकता मे वृद्धि करने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार मिशन का आदान–प्रदान हो सकता है। कार्यसूची में इस बात पर भी सहमति हुई कि फूलों सामान्यतया फूलों के कलमों के कटाई बाद प्रबंध के क्षेत्र में वृद्धि तथा सहयोग को संयुक्त उद्यमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए।

अफ्रीकी ताड़

1001. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अफ्रीकी ताड़ को उपयुक्त पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अफ्रीकी ताड़ की पैदावार और विकास की क्षमता निर्धारित करने के लिए चलाई गई परीक्षण परियोजनाओं और अध्ययन का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां। अफ्रीकी पाम (आयल पाम) से तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में कुल 7.96 लाख हैक्टेयर ऐसे क्षेत्र का पता लगाया गया है जहां आयल पाम की खेती की जा सकती है।

1988–89 के दौरान जैव–प्रौद्योगिकी विभाग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में से प्रत्येक में 1,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचित स्थितियों के अधीन आयल पाम की खेती की संभावना का प्रदर्शन करने के लिए आयल पाम प्रदर्शन परियोजना प्रारंभ की थी। इन बागानों की अच्छी प्रगति हो रही है तथा परिणाम उत्साहवर्धक हैं। इस परियोजना के अधीन प्राप्त अनुभवों के आधार पर एक योजना तैयार की गई है जिसमें आठवीं योजना के दौरान पता लगाए गए राज्यों में सिंचित स्थितियों के अधीन 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा तथा यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

नए इंजीनियरिंग/मेडिकल कालेज

1002. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा 1993–94 और 1994–95 के दौरान कितने नए इंजीनियरिंग/मेडिकल और अन्य व्यावसायिक कालेजों के खोले जाने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या ए.आई.सी.टी.ई. ने कर्नाटक में चार नए इंजीनियरिंग कालेजों को खोलने की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनको इसके लिए अनुमति दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान शुरू किए जाने के लिए अभी तक 80 नए इंजीनियरी कालेजों की अनुमति दी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद् ने एक चिकित्सा कालेज शुरू करने की स्वीकृति दी है।

(ख) और (ग). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कर्नाटक में चार नए इंजीनियरी कालेज शुरू करने के लिए निम्नलिखित चार संगठनों को अनुमति दी है :–

(i) नेहरू स्मारक विद्या केन्द्र न्यास, बंगलौर

(ii) बंगलौर तकनीकी प्रतिष्ठान न्यास, बंगलौर

(iii) श्रीमान निरंजन जगदगुरू पंचम श्री निजालिगेशर महास्वामीगल न्यास, बेलगांव और

(iv) अमृत शिक्षा और संस्कृति संस्था, बंगलौर।

कम प्रदूषण के साथ विद्युत उत्पादन

1003. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्तमान संयंत्रों में प्रदूषण पर पर्याप्त रोक लगा करके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु विद्युत परियोजनाओं के कार्यकरण का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्तमान विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण की कमी और अतिरिक्त विद्युत उत्पादन सहित सहायक लाभों के लिए सम्भावनाओं की जांच की है। इनमें निम्नलिखित शामिल है : –

(1) प्रदूषण को कम करने और अतिरिक्त विद्युत पैदा करने के लिए संयंत्र भार कारक में वृद्धि,

(2) पारेषण और वितरण क्षतियों को कम करके बिजली की बचत और प्रदूषण में कमी, और

(3) राख की मात्रा को कम करने के लिए कोयले की सफाई और उसके परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन प्रणालियों में सुधार,

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों को संबंधित संगठन के ध्यान में लाया गया है, यह भी निर्णय लिया गया है कि नए विद्युत संयंत्रों में साफ किए हुए कोयले के उपयोग की आवश्यकता का आकलन किया जाए जिसके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है।

उर्वरक के मूल्य और खपत

1004. श्री पी. कुमारासामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आयातित एवं देशी उर्वरकों के वर्तमान मूल्य क्या हैं और उन पर कितनी राज–सहायता दी गई है;

(ख) क्या वर्ष 1991 के उर्वरकों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत वर्षों की तुलना में यह वृद्धि कितनी है;

(घ) इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण उर्वरकों की खपत में कमी आई है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में यह कमी कितनी है; और

(छ) सरकार द्वारा उर्वरकों के मूल्य युक्ति–युक्त बनाने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ताकि उर्वरकों की खपत बढ़ाई जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) इस समय, सरकार द्वारा केवल यूरिया का मूल्य ही सांविधिक रूप से नियंत्रित है। नियंत्रित उर्वरकों के समय–समय पर निर्धारित मूल्य उत्पादन या आयात की वास्तविक लागत से कम रहे हैं। किसानों को बिक्री के लिए उर्वरकों (जो नियंत्रणाधीन है) के वर्तमान मूल्य इस प्रकार हैं :–

	(रूपये प्रति मी. टन)
यूरिया (46 प्रतिशत एन)	3320
निर्जल यूरिया	5300
जिंक युक्त यूरिया	4480

नियंत्रित उर्वरक के उत्पादन की लागत की तुलना में बिक्री मूल्य के रूप में होने वाली कम वसूली के लिए निर्माताओं की क्षतिपूर्ति करने के लिए अवधारक–सह–राजसहायता योजना के तहत प्रत्येक निर्माण एकक को राजसहायता दी जा रही है।

आयातित नियंत्रित उर्वरकों (जो फिलहाल केवल यूरिया ही हैं) के मामले में राजसहायता) आयात की लागत और अधिसूचित बिक्री मूल्य के बीच का अंतर है।

अद्यतन अधिसूचित अवधारण मूल्यों के अनुसार, यूरिया का प्रति टन भारित औसत अवधारण मूल्य 4888 रुपये प्रति टन बैठता है। इसी प्रकार, आयातित उर्वरकों पर सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता में अन्तर आता रहता है जो आयात के लिये अनुबंधित मूल्य पर निर्भर करता है। अद्यतन संविदा के अनुसार, यूरिया के आयात का अनुबंध 205 अमेरिकी डालर पोत पर्यन्त निःशुल्क प्रति मी.टन पर तय किया गया है।

(ख) से (घ). 1986 से लागू यूरिया का मूल्य जुलाई 1991 में 2350 रुपये प्रति मीटरी टन से बढाकर 3300 रुपये प्रति मी.टन कर दिया गया। अगस्त, 1991 में इसे कम करके 3060 रुपये प्रति टन कर दिया गया। 1994 की मूल्य वृद्धि 1991 में चल रहे मूल्य से केवल आठ प्रतिशत अधिक है।

फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के मूल्य उर्वरक मूल्यन से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति की संस्तुतियों पर नियंत्रण रहित करने के कारण, अगस्त, 1992 में बढ़ा दिए गए थे।

(ङ) से (छ). पिछले तीन वर्षों के दौरान में उर्वरक पोषक तत्वों की खपत इस प्रकार है :–

पोषक तत्व	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (संभावित)
एन.	80.46	84.27	87.89	98.00
पी.	33.21	28.44	26.69	33.26
के.	13.61	8.84	9.08	12.61
योग	127.28	121.55	123.66	143.87

देश में फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार एम.ओ.पी. तथा स्वदेशी डी.ए.पी. पर 1000/– रुपये प्रति मी.टन की रियात स्वदेशी योगों पर प्रति टन समानुपातिक रियायत तथा स्वदेशी एस.एस.पी. पर 340/– रुपये प्रति मी.टन की रियायत दे रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी क्षेत्र

1007. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्षेत्र के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली कितनी सहायक रही है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ देश के आर्थिक रूप से सुविधाहीन आबादी तक पहुंचें, 1992 से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देश के 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1700 से अधिक ब्लाकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की आपूर्ति विशेष रूप से राज–सहायता प्राप्त मूल्य पर कर रही है, जो संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरण हेतु सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50/–रू. प्रति क्विंटल कम हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों के लोगों को वितरित करने हेतु सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन के अलावा, वर्ष के दौरान अतिरिक्त आबंटन हेतु खाद्यान्नों की 32 लाख मी. टन

मात्रा निर्धारित की गई है। तदनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन क्षेत्रों को आबंटन किए जाने की सूचना है। ये कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ समाज के गरीब वर्गों तक पहुंचें।

साबुनों और कपड़े धोने वाले पाउडरों का गुणवत्ता परीक्षण

1008. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में ऐसे टायलेट/लांड्री साबुन, डिटरजेन्ट, सफाई और कपड़े धोने वाले पाउडरों की बिक्री हो रही है जिनकी गुणवत्ता और सुरक्षा का परीक्षण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो ने इन वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता के संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) और भारतीय मानक संस्थान ने मानदण्ड निर्धारित कर दिए हैं और जिनका अनुपालन आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो ये आदेश किस तिथि से लागू हुए हैं;

(ङ) ऐसी वस्तुओं का परीक्षण कितनी बार किया गया;

(च) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अनेक उत्पादों को बिना ऐसे परीक्षणों के सरकारी संस्थाओं और बाजार में बेचा जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख). नहाने/कपड़े धोने के साबुन, अपमार्जक, बर्तन और कपड़े धोने के पाउडर अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के तहत नहीं हैं। कपड़े धोने के पाउडरों, साबुनों और अपमार्जकों पर भारतीय मानक उपलब्ध हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण–I पर दिया गया है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में प्रावधान है कि नहाने के साबुन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार होंगे। नहाने के साबुन भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप न होने पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ). विभिन्न कानूनी उपबंधों के तहत अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के अंतर्गत होने वाले मदों की सूची तथा उनके प्रभावी होने की तिथि संलग्न विवरण–II पर दी गई है।

(ङ) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित मदों में से कोई भी अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के तहत नहीं है।

(च) और (छ). इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण–I

साबुनों, अपमार्जनों इत्यादि के लिए भारतीय मानक

1.	आई. एस.	285:1992	कपड़े धोने के साबुन (तृतीय संशोधन)
2.	आई. एस.	2887:1993	कपड़े धोने के साबुन पाउडर (द्वितीय संशोधन)
3.	आई. एस.	2888:1993	नहाने का साबुन (द्वितीय संशोधन)
4.	आई. एस.	4199:1990	नहाने का तरल साबुन (द्वितीय संशोधन)
5.	आई. एस.	4955:1993	घरेलू उपयोग के कपडे धोने के अपमार्जक पाउडर (तृतीय संशोधन)
6.	आई. एस.	4956:1977	औद्योगिक प्रयोजन हेतु सिन्थेटिक अपमार्जक (प्रथम संशोधन)
7.	आई. एस.	6047:1970	स्काउटिंग पाउडर
8.	आई. एस.	7532:1974	सॉफ्ट साबुन
9.	आई. एस.	8180:1992	घरेलू उपयोग के कपड़े धोने के डिटरजेंट बार (द्वितीय संशोधन)
10.	आई. एस.	9458:1994	ऊन और अन्य मुलायम वस्त्रों को धोने के लिए सिंथेटिक अपमार्जक
11.	आई. एस.	10523:1983	बच्चों के नहाने का बेबी सोंप
12.	आई. एस.	10813:1984	कपडे धोने के प्रयोजन के लिए सोप जेली
13.	आई. एस.	11303:1985	नहाने के पारदर्शी साबुन
14.	आई. एस.	11479:1985	नहाने के प्रति जीवाणु साबुन
15.	आई. एस.	12767:1989	रंगे हुए तेलों को धोने के लिए तरल साबुन
16.	आई. एस.	13498:1992	नहाने के सोप बार

विवरण—II

प्रमाणन

अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत उत्पाद

* भारतीय मानक ब्यूरो, जो पहले भारतीय मानक संस्था के नाम से जाना जाता था, की प्रमाणन चिन्ह योजना वर्ष 1995 में शुरू हुई थी और बाद में, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के महत्व पर विचार करते हुए, विभिन्न अधिनियमों/नियमों और अधिसूचनाओं के तहत आम खपत की कुछ मदों को अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह योजना के अंतर्गत लाया गया। 31 मार्च, 1993 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न अधिनियमों/नियमों के तहत अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के अंतर्गत शामिल उत्पादों की एक सूची नीचे दी गई है। यह सूची आपूर्तिकर्ताओं, क्रेताओं और उपभोक्ताओं को उपयोगी सूचना प्रदान करेगी।

1. खाद्य रंग और खाद्य रंग निर्मितियां

(खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954)	प्रभावी तारीख	
आई एस 1694 : 1974	टाट्राजाइन फूड ग्रेड	23 फरवरी, 1975
आई एस 1695 : 1974	सनसेट येलो एफ सी एफ फूड ग्रेड	23 फरवरी, 1975
आई एस 1967 : 1974	एरिथ्रोसीन, फूड ग्रेड	23 फरवरी, 1975
आई एस 1698 : 1974	इंडिगो कारमाईन, फूड ग्रेड	23 फरवरी, 1975
आई एस 2558 : 1974	पौनिशियू 4आर, फूड ग्रेड	23 फरवरी, 1975
आई एस 2923 : 1974	कारमोजाईन, फूड ग्रेड	23 फरवरी, 1975
आई एस 5346 : 1975	कोलतार खाद्य रंग निर्मितियां और मिश्रण	23 फरवरी, 1975
आई एस 6022 : 1977	फास्ट ग्रीन एफ. सी. एफ, फूड ग्रेड	23 फरवरी, 1975
आई एस 6406 : 1977	ब्रिलियेंट ब्ल्यू एफ सी एफ, फूड ग्रेड	23 फरवरी, 1975

2. प्राकृतिक खाद्य रंग

(खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954)		
आई एस 3827 : 1966	रिबोफ्लेविन	15 नवम्बर, 1985
आई एस 3041 : 1966	बी—कैरोटीन	15 नवम्बर, 1985
आई एस 4446 (भाग 1) : 1986	क्लोरोफिल (मैगनीशियम कम्प्लेड)	15 नवम्बर, 1985
आई एस 4446 (भाग 2) : 1986	क्लोरोफिल (कॉपर कम्पलेक्स)	15 नवम्बर, 1985
आई एस 6386 : 1971	बीटा—एपो—8—कैरोटीनल, फूड ग्रेड	15 नवम्बर, 1985
आई एस 6405 : 1971	कैन्थेक्सेन्थाइन, फूड ग्रेड	15 नवम्बर 1985
आई एस 6797 : 1972	मिथाइल ईस्टर ऑफ बीटा—एपो—8—कैरोटेनॉइक एसिड	15 नवम्बर, 1985
आई एस 7260 : 1974	इथाइल ईस्टर ऑफ बीटा—एपो—8—कैरोटेनॉइक एसिड, फूड ग्रेड	15 नवम्बर, 1985

3. खाद्य संयोज्य

(खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954)		
आई एस 2557 : 1963	अन्नाटो कलर फॉर फूड प्रोडक्ट्स	27 मार्च, 1985
आई एस 4447 : 1967	सोडियम बेनजोइट, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 4448 : 1967	बेनजोइक एसिड, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 4467 (भाग 1) : 1980	कैरामेल (प्लेन)	27 मार्च, 1985
आई एस 4467 (भाग 2) : 1980	कैरामेल (अमोनिया प्रोसेस)	27 मार्च, 1985
आई एस 4467 (भाग 3) : 1980	कैरामेल (अमोनिया सल्फाइट प्रोसेस)	27 मार्च 1985
आई एस 4750 1968	सोरबिटोल, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 4751 1968	पोटाशियम मेटाबाईसल्फाइट, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 4752 1968	सोडियम मेटाबाईसल्फाइट, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 4818 : 1968	सोरबिक एसिड, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985

आई एस 5191 : 1969	सोडियम एलजिनेट, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 5306 : 1970	सोडियम कारबोक्सी मिथाइल सैल्यूलोस, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1905
आई एस 5342 : 1969	एसकोरबिक एसिड, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 5343 : 1969	बूटीलेटिड हाईड्रोक्सीएनिकजोल, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 5707 : 1970	अगर, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 5719 : 1970	जिलैटिन, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 6030 : 1971	सोडियम प्रोपिओनेट, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 6031 : 1971	कैलशियम अलगिनेट, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 6793 : 1972	फ्यूमेरिक एसिड, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 7905 : 1975	कैल्शियम प्रोपिओनेट, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 7908 : 1975	सल्फर डाइऑक्साइड, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 7928 : 1975	एल्जिनिक एसिड, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985
आई एस 8356 : 1977	टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फूड ग्रेड	27 मार्च, 1985

4. माइनर्स सेफ्टी लेदर बूट और शूज

(माइन्स एक्ट, 1952)

आई एस 1989 (भाग 1) : 1986	लेदर सेफ्टी बूट्स एंड शूज फॉर माइनर्स	29 अप्रैल, 1972
आई एस 1989 (भाग 2) : 1986	लेदर सेफ्टी बूट्स एंड शूज फॉर हैवी मेटल इंडस्ट्रीज	29 अप्रैल, 1972
आई एस 3976 : 1982	सेफ्टी रबर–केनवास बूट्स फॉर माइनर्स	29 अप्रैल, 1972

5. सीमेंट

(आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955)

आई एस 269 : 1989	ग्रेड आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट	1 जुलाई, 1983
आई एस 455 : 1989	पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट	1 जुलाई, 1983
आई एस 1489 : 1991	पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेंट	1 जुलाई, 1983
भाग–I	फ्लाइएश बेस्ड	
भाग–II	केलसाइन्ड क्ले बेस्ड	
आई एस 3466 : 1988	मेसनरी सीमेंट	1 जुलाई, 1983
आई एस 6452 : 1989	हाई एल्यूमिन सीमेंट फॉर स्ट्रक्चरल यूज	1 जुलाई, 1983
आई एस 6909 : 1990	सुपरसल्फेटेड सीमेंट	1 जुलाई, 1983
आई एस 8041 : 1990	रेपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट	1 जुलाई, 1983
आई एस 8042 : 1989	सफेद पोर्टलैंड सीमेंट	1 जुलाई, 1983
आई एस 8043 : 1991	हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट	1 जुलाई, 1983
आई एस 8112 : 1989	43 ग्रेड आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट	1 जुलाई, 1983
आई एस 8229 : 1986	ऑयल वैल सीमेंट	1 जुलाई, 1983
आई एस 12269 : 1987	53 ग्रेड ओ पी सी	1 जुलाई, 1983
आई एस 12330 : 1988	सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट	1 जुलाई, 1983
आई एस 12600 : 1989	लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट	1 जुलाई, 1983

6. सेफ्टी हेलमेट्स यूज इन माइन्स

(माइन्स एक्ट, 1952)

आई एस 2925 : 1984	इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट्स	20 अगस्त, 1973

7.	**माईनर्स कैप लैम्प बैट्रीज**		
	(माइन्स एक्ट, 1952)		
	आई एस 2512 : 1978	माइनर्स कैप लैम्प बैट्रीज (लीड एसिड टाइप)	19 दिसम्बर, 1960
8.	**फ्लेमप्रूफ इलेक्ट्रीकल इक्विपमेंट्स**		
	(माइन्स एक्ट, 1952)		
	आई एस 2148 : 1981	फ्लेमप्रूफ इन्क्लोजर ऑफ इलेक्ट्रिक्लस एपरेट्स	22 अगस्त, 1973
9.	**एल पी जी सिलिंडर**		
	(गैस सिलिंडर रूल, 1981)		
	आई एस 3196 : 1992	वैल्डिड लो कार्बन स्टील गैस सिलिंडर एक्सीडिंग 5 लीटर वाटर कैपेसिटी फॉर लो प्रैसर लिक्वीफिएबल गैसिज	1 जुलाई 1967
	भाग–I	सिलिंडर फॉर लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस (एल पी जी)	
10.	**वायर रोप्स यूज्ड इन माइन्स**		
	(माइन्स एक्ट, 1952)		
	आई एस 1855 : 1977	स्टैन्डर्ड स्टील वायर रोप्स फॉर वाइंडिंग एंड मैन–राइडिंग हॉलेजेज इन माइन्स	23 अप्रैल, 1966
11.	**माइल्ड स्टील ट्यूब्स**		
	(आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955)		
	आई एस 1161–1979	स्टील ट्यूब्स फॉर स्ट्रक्चरल परपजेज	
	आई एस 1239 (भाग–1) : 1990	माइल्ड स्टील ट्यूब्स	1 अगस्त, 1978
	आई एस 4270 : 1992	स्टील ट्यूब्स यूज्ड फॉर वाटर वैल्स	1 अगस्त, 1978
12.	**स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स**		
	(इस्पात और खान मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1–2 (44)/63–IV दिनांक 26 मार्च, 1977)		
	आई एस 226 : 1975	स्ट्रक्चरल स्टील (स्टैंडर्ड क्वालिटी)	1 अप्रैल, 1965
	आई एस 277 : 1985	गल्वानाइज्ड स्टील शीट (प्लेन और कोरूगेटिड)	1 अप्रैल, 1965
	आई एस 279 : 1981	गल्वानाइज्ड स्टील वायर फॉर टेलीग्राफ एंड टेलीफोन परपजेज	1 अप्रैल, 1965
	आई एस 280 : 1978	माइल्ड स्टील वायर फॉर जनरल इंजीनियरिंग परपजेज	1 अप्रैल, 1965
	आई एस 432 (भाग 1) : 1982	एस एस एंड मीडियम टेंसिल बार्स	1 अप्रैल, 1965
	आई एस 432 (भाग 2) : 1982	माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसिल स्टील बार्स एंड हार्डड्रान स्टील वायर फॉर कंक्रीट रिइनफोर्समेंट : भाग 2 हार्ड ड्रान स्टील वायर	1 अप्रैल, 1965
	आई एस 513 : 1986	कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप्स	1 अप्रैल, 1965
	आई एस 961 : 1975	स्ट्रक्चरल स्टील (हाई टेंसिल)	1 अप्रैल, 1965
	आई एस 1029 : 1970	हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स (बेलिंग)	1 अप्रैल, 1965
	आई एस 1079 : 1988	हॉट रोल्ड कार्बन स्टील शीट एंड स्ट्रिप	1 अप्रैल, 1965

आई एस 1148 : 1982	हॉट रोल्ड स्टील रिवेट बार्स (अप टु 40 एम एम डायामीटर) फॉर स्ट्रक्चरल परपजेज	1 अप्रैल, 1965
आई एस 1149 : 1982	हाई टेंसिल स्टील रिवेट बार्स फॉर स्ट्रक्चरल परपजेज	1 अप्रैल, 1965
आई एस 1786 : 1985	हाई स्ट्रैन्थ डिफोरम्ड स्टील बार्स एंड वायर्स फॉर कंक्रीट रिइनफोर्समेंट	1 अप्रैल, 1965
आई एस 1977 : 1075	स्ट्रक्चरल स्टील (आर्डिनरी क्वालिटी)	1 अप्रैल, 1965
आई एस 1990 : 1973	स्टील रिवेट एंड स्टे बार्स फॉर बॉइलर्स	1 अप्रैल, 1965
आई एस 2002 : 1982	स्टील प्लेट्स फॉर प्रैशर वैसल्स फॉर इंटरमीडिएट एंड हाई टैम्परेचर सर्विस इन्क्लूडिंग बॉइलर्स	1 अप्रैल, 1965
आई एस 2062 : 1992	वेल्डेबल स्ट्रक्चरल स्टील	1 अप्रैल, 1965
आई एस 2830 : 1992	कार्बन स्टील बिलेट्स, ब्लूम्स एंड स्लेब्स फॉर रि-रोलिंग इनटू स्ट्रक्चरल स्टील (स्टैंडर्ड क्वालिटी)	1 अप्रैल, 1965
आई एस 2831 : 1975	कार्बन स्टील बिलेट्स, ब्लूम्स एंड स्टील फॉर रि-रोलिंग इनटू स्ट्रक्चरल स्टील (आर्डिनरी क्वालिटी)	1 अप्रैल, 1965
आई एस 2879 : 1975	माइल्ड स्टील फॉर मैटल आर वैल्डिंग इलेक्ट्रोड कोर वायर	1 अप्रैल, 1965
आई एस 3502 : 1981	स्टील चेकर्ड प्लेट्स	1 अप्रैल 1965
आई एस 3748 : 1990	टूल एंड डाई स्टील्स फॉर हॉट वर्क	1 अप्रैल 1965
आई एस 3749 : 1970	टूल एंड डाई स्टील्स फॉर कोल्ड वर्क	1 अप्रैल 1965
आई एस 3930 : 1979	फ्लेम एंड इन्डक्शन हार्डनिंग स्टील्स	1 अप्रैल 1965
आई एस 4368 : 1967	एलॉय स्टील बिलेट्स, ब्लूम्स एंड स्लेब्स फॉर फॉरजिंग फॉर जनरल इंजीनियरिंग परपजेज	1 अप्रैल, 1965
आई एस 4397 : 1972	कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील स्ट्रिप्स फॉर बाल्स एंड रोलर बियरिंग केजेज	1 अप्रैल, 1965
आई एस 4398 : 1972	कार्बन करोमियम स्टील फॉर द मैनयूफैक्चर ऑफ बाल्स, रोलर्स एंड बियरिंग रेसेज	1 अप्रैल, 1965
आई एस 4430 : 1979	मोल्ड स्टील्स	1 अप्रैल, 1965
आई एस 4431 : 1978	कार्बन एंड कार्बन मैगनीज फ्री कटिंग स्टील	1 अप्रैल, 1965
आई एस 4432 : 1988	गेस हार्डनिंग स्टील्स	1 अप्रैल, 1965
आई एस 4882 : 1979	लो कार्बन स्टील बायर फॉर रिवेट्स फॉर सूज इन बियरिंग इंडस्ट्री	1 अप्रैल, 1965
आई एस 5489 : 1975	कारबुराइजिग स्टील्स फॉर यूज इन बियरिंग इडस्ट्री	1 अप्रैल, 1965
आई एस 5517 : 1978	स्टील्स फॉर हार्डनिंग एंड टेम्परिंग	1 अप्रैल, 1965
आई एस 5518 : 1979	स्टील्स फॉर हार्डनिंग एंड टेम्परिंग	1 अप्रैल, 1965
आई एस 5522 : 1992	स्टेनलेस स्टील फॉर एटेन्सिल्स शीट्स एंड स्ट्रिप्स	1 अप्रैल, 1965

13.	**वनस्पति**		
	(आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955)		
	आई एस 10633 : 1986	वनस्पति	1 अक्तूबर, 1985
14.	**वनस्पति कन्टेनर्स**		
	(आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955)		
	आई एस 2552 : 1989	स्टील ड्रम्स (गैलवानाइज्ड एंड, अवगैलवानाइज्ड)	15 अप्रैल, 1986
	आई एस 10325 : 1989	15 कि. ग्रा. स्क्वेयर टिन्स फॉर वनस्पति एंड एडिबल आयल्स	15 अप्रैल, 1986
	आई एस 10339 : 1988	घी एंड एडिबल आयल टिन्स	1 जुलाई, 1986
	आई एस 10840 : 1986	घी एंड एडिबल आयल्स टिन्स ब्लो गोल्डिड	1 जुलाई 1986
	आई एस 11352 : 1985	एच डी पी ई कन्टेनरस फॉर वनस्पति फ्लेक्सिबल पैक्स फॉर द पैकिंग ऑफ एडिबल आयल्स एण्ड वनस्पति	1 जुलाई 1986
15.	**मिल्क प्रोडक्ट्स एंड इनफेंट फूड्स**		
	(खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954)		
(क)	मिल्क प्रोडक्ट्स		
	आई एस 1165 : 1992	मिल्क पाउडर	4 जुलाई, 1986
	आई एस 1166 : 1986	कन्डेन्स्ड मिल्क	4 जुलाई, 1986
(ख)	**इन्फेंट फूड**		
	आई एस 1547 : 1985	इन्फेंट मिल्क फूड	3 नवम्बर, 1991
	आई एस 1656 : 1985	मिल्क सीरियल बेस्ड वीजिंग फूड्स फारमूला	3 नवम्बर, 1991
	आई एस 11156 : 1985	इन्फेंट फॉरमूला	3 नवम्बर, 1991
16.	**प्रेशर स्टोव्स**		
	(आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955)		
	आई एस 1342 : 1986	ऑयल प्रेशर स्टोव्स	1 अक्तूबर, 1987
	आई एस 2787 : 1986	आयल प्रेशर हीटर	1 अक्तूबर, 1987
	आई एस 8808 : 1986	बर्नर्स फॉर ऑयल प्रेशर स्टोव्स एंड ऑयल प्रेशर हीटरस	1 अक्तूबर, 1987
	आई एस 10109 : 1981	ऑयल प्रेशर स्टोव्स ऑफसेट बर्नर टाइप	1 अक्तूबर, 1987
17.	**नॉन प्रेशर स्टोव्स**		
	(आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955)		
	आई एस 2980 : 1986	नॉन–प्रेशर स्टोव्स	1 फरवरी, 1992
18.	**ड्राई सेल बैट्रीज**		
	(आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955)		
	आई एस 203 : 1984	ड्राई बैट्रीज फॉर फ्लेशलाईट	1 अप्रैल, 1987
	आई एस 2576 : 1975	ड्राई बैट्रीज फॉर ट्रांसिस्टर रेडियो रिसीवर्स	1 अप्रैल, 1987
	आई एस 8144 : 1976*	मल्टीपरपेज ड्राइ बैट्रीज	1 अक्तूबर, 1987
19.	**जी एल एस लैंप्स**		
	(आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955)		
	आईएस 418 : 1978	टंग्सटन फिलामेंट जनरल सर्विस इलेक्ट्रिक लैंप्स	24 अप्रैल, 1989

20.	**इलैक्ट्रिकल एप्लांयसेज**		
	(आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955)		
	आई एस 302 (पार्ट 2/सैक्शन 201) : 1992	सेफ्टी ऑफ हाउसहोल्ड एण्ड सिमिलर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज इलेक्ट्रिक इमरशन वॉटर हीटर्स	24 फरवरी, 1993
	आई एस 302 (पार्ट 2/सैक्शन 202) : 1992	सेफ्टी ऑफ हाउसहोल्ड एंड सिमिलर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज इलैक्ट्रिक आयरन	24 फरवरी 1993
	आई एस 302 (पार्ट 2/सैक्शन 202) : 1992	सेफ्टी ऑफ हाउसहोल्ड एंड सिमिलर इलैक्ट्रिकल एप्लायंसेज इलैक्ट्रिक स्टोव्स	24 फरवरी, 1993
	आई एस 302 (पार्ट 2/सैक्शन 30) : 1992	सेफ्टी ऑफ हाउसहोल्ड एंड सिमिलर इलैक्ट्रिकल एप्लायंसेंज इलैक्ट्रिक रेडिएटर्स	24 फरवरी, 1993
	आई एस 1293 : 1988	3 पिन प्लगस एंड सॉकेट आउटलेट्स	24 फरवरी, 1993
	आई एस 3854 : 1988	स्विचेज फॉर डॉमेस्टिक एंड सिमिलर परपजेज	24 फरवरी, 1993
	आई एस 4949 : 1960	2 एम्पीयर स्विचेज फॉर इलैक्ट्रिक एंड सिमिलर परपजेज	24 फरवरी, 1993

* भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत

गन्ने का मूल्य

1009. श्री हरिन पाठक : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान में देश में गन्ना उत्पादकों को गन्ने का अलग–अलग मूल्य दिया जाता है;

(ख) क्या औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने अलग–अलग मूल्य को धीरे–धीरे समाप्त करके सारे देश में मूल्य की एक दर लागू करने की सिफारिश की थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ब्यूरो की इस सिफारिश को स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने अपनी 1994 की अद्यतन रिपोर्ट में ऐसे किसी प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की थी।

(ग) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

1010. श्री श्याम बिहारी मिश्र :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीरा को नियंत्रण मुक्त करते समय चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने हेतु विभिन्न राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र और समेकित की जा रही है।

(ग) चीनी उद्योग को लाइसेंस–मुक्त करने के विकल्प सहित लाइसेंसिंग नीति सरकार की जांच के अधीन है।

अवध एक्सप्रैस की दुर्घटना

1011. श्रीमती सूर्य कान्ता पाटिल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे क्षेत्र में अगस्त, 1994 के अन्तिम सप्ताह में मुम्बई जाने वाली अवध एक्सप्रैस गाडी सज्जन और मिलाड के बीच पटरी से उतरी हुई माल गाडी से टकराई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और मारे गये व्यक्तियों के सगे सम्बन्धियों और घायलों को किस प्रकार की सहायता दी गई?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 28.8.94 को 5063 अप गोरखपुर–बांद्रा (बंबई) अवध एक्सप्रेस पश्चिम रेलवे के बंबई मंडल के बिरार–सूरत खंड के संजाण और भिलाड स्टेशनों के बीच डाउन मालगाडी के पटरी से उतरे माल डिब्बों से टकरा गई थी।

(ख) इस दुर्घटना में 3 व्यक्ति मारे गये थे, 12 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई थीं और 8 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई थीं।

(ग) जी, हां। रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य क्षेत्र ने इस दुर्घटना की जांच की थी और अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य क्षेत्र ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण "उपस्कर की खराबी" और "कर्मचारियों की गलती" बताया है। मारे गए यात्रियों के आश्रितों और घायल यात्रियों को 33,750/–रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। दावाकर्त्ताओं द्वारा दुर्घटना के संबंध में दावे प्रस्तुत करने और संबंधित रेल दावा अधिकरणों द्वारा दी गई डिक्रियां पारित करते ही क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1012. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :
श्री नीतीश कुमार :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** 8.8.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1438 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर मंत्रियों की समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और इस संबंध में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान इस कार्य के लिए गठित की गई अन्य समितियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक दी गई और कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग). सार्वजनिक वितरण पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इसलिए कार्यान्वयन हेतु कोई समय सीमा निश्चित करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

भुगतान न करना

1013. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :**
श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बदरपुर संयंत्र द्वारा रेलवे को भुगतान नहीं करने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ख) इन संयत्रों द्वारा रेलवे को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) रेलवे को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेलों ने 16.11.94 से, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के बदरपुर ताप बिजली घर के लिए बुक किए गए कोयले के पारेषणों के लिए भाड़े का अग्रिम में भुगतान आवश्यक कर दिया है। बकाया प्रभारों के भुगतान के लिए मामले को विद्युत मंत्रालय तथा दिल्ली के मुख्य मंत्री के पास भेजा गया है।

(ख) 30.9.94 का बकाया रेलवे प्रभारों के रूप में राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के बदरपुर ताप बिजली घर द्वारा 596.36 करोड़ रूपए का भुगतान करना है जबकि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा 93.6 करोड़ रूपये का भुगतान करना है।

(ग) बदरपुर ताप बिजली घर (बी.टी.पी.एस.) द्वारा उत्पन्न लगभग सारी बिजली दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को बेची जानी है। अतः रेलों सहित विभिन्न लेनदारों और आपूर्तिकर्त्ताओं को किये जाने वाले भुगतानों के लिए बी.टी.पी.सी. की क्षमता प्रत्यक्षता खरीदी गई ऊर्जा के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बी.टी.पी.एस. को किये जाने वाले भुगतान पर निर्भर है।

पोयामकुट्टी पन विद्युत परियोजना

1014. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पोयामकुट्टी पन विद्युत परियोजना को औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु केरल राज्य सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के लिए किसी अन्य भूमि का चयन किया है/निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कहां–कहां और कौन–कौन सा क्षेत्र निर्धारित किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख). केरल राज्य सरकार से मांगे गए आवश्यक स्पष्टीकरणों के संबंध में केवल क्षतिपूरक वनरोपण के बारे में ही ब्यौरे प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ). वनीकरण के लिए मालपुरम मे 464 है., पाथीपारा में 220 है. कोजीकोड में 97 है., कोट्टायम में 100 है. और तिरूवनन्तपुरम में 52.6 है. भूमि निर्धारित की गई है।

विश्वविद्यालयों में पुनः रोजगार

1015. **श्री बारेलाल जाटव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय

के विभिन्न विभागों, संस्थानों और लाइब्रेरी में उसी पद पर व्यक्तियों को पुनःनियोजित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय में पुनःनियोजित व्यक्तियों का पदनाम बताते हुए ब्यौरा दीजिए;

(ग) क्या विश्वविद्यालय के सेवा नियम ऐसे पुनःनियोजित व्यक्तियों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस समय पुनःनियोजित व्यक्ति किन नियमों के अंतर्गत इन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). दिल्ली विश्वविद्यालय के संगत अध्यादेश के प्रावधान के अनुसार, कार्यकारी परिषद् यदि इस बात से संतुष्ट है कि किसी प्रतिष्ठित अध्यापक की सेवाएं विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है तो वह कुलपति की सिफारिश पर ऐसे अध्यापक की 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात् अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए परंतु अधिक से अधिक 65 वर्ष की आयु तक उन्हें पुनर्नियोजित कर सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार आजकल एक लेक्चरर, 23 रीडर, 87 प्रोफेसर व 8 पुस्तकालय स्टाफ सदस्य पुनर्नियोजन क्षमता में कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि सामान्यतः ऐसे पुनर्नियोजित व्यक्तियों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

[हिन्दी]

बंजर भूमि

1016. श्री पंकज चौधरी :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य–वार बंजर भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या सरकार बंजर भूमि के विकास के लिए कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ). अनुमान है कि ऊसर भूमियों सहित बंजर भूमि का क्षेत्र 129.50 मिलियन हैक्टेयर है। रज्य–वार वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इन भूमियों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की जा रही हैं :–

(I) एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना,

(II) प्रौद्योगिकी प्रसार;

(III) निवेश प्रवर्धन योजना;

(IV) सहायता अनुदान;

(V) बंजर भूमि विकास बल।

इन योजनाओं की मुख्य विशेषताओं में मृदा एवं नमी संरक्षण, पौध रोपण, प्राकृतिक पुनर्जनन, बागवानी तथा अन्य भू–आधारित कार्यकलाप शामिल हैं। ये योजनाएं वर्षानुवर्ष आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

बंजर भूमियों का आकलन

(मिलियन है.)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर वनीय अवक्रमित क्षेत्र	वनीय अवक्रमित क्षेत्र	कुल
आन्ध्र प्रदेश	7.682	3.734	11.416
असम	0.935	0.795	1.730
बिहार	3.896	1.562	5.458
गुजरात	7.153	0.683	7.836
हरियाणा	2.404	0.074	2.478
हिमाचल प्रदेश	1.424	0.534	1.958
जम्मू व कश्मीर	0.531	1.034	1.565
कर्नाटक	7.122	2.043	9.165
केरल	1.053	0.226	1.279
मध्य प्रदेश	12.947	7.195	20.142
महाराष्ट्र	11.560	2.841	14.401
मणिपुर	0.014	1.424	1.438
मेघालय	0.815	1.103	1.918
नागालैण्ड	0.508	0.878	1.386
उडीसा	3.157	3.227	6.384
पंजाब	1.151	0.079	1.230
राजस्थान	18.001	1.933	19.934
सिक्किम	0.131	0.150	0.281
तमिलनाडु	3.392	1.009	4.401
त्रिपुरा	0.108	0.865	0.973
उत्तर प्रदेश	6.635	1.426	8.061
पश्चिम बंगाल	2.177	0.359	2.536
संघ शासित प्रदेश	0.889	2.715	3.604
योग	93.685	35.889	129.574

रेलवे नेटवर्क

1017. श्री एन.जे. राठवा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के अल्प-विकसित क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में छोटा उदयपुर क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र में बडी लाइन के लिए सर्वेक्षण करने अथवा पहले की तरह छोटी लाइन रखने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :-

(i) दिल्ली-अहमदाबाद खंड का आमान परिवर्तन अच्छी प्रगति कर रहा है तथा गुजरात में पड़ने वाले भाग को 1995-96 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ii) वीरमगाम-मेहसाणा को भी 1995-96 में परिवर्तित किया जाएगा।

(iii) राजकोट-वेरावल का आमान परिवर्तन स्वीकृत किया गया है।

(iv) कपडवंज-मोडासा नई लाइन से संबंधित कार्य, जिसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, पुनः शुरू कर दिया गया है।

नई लाइनों/आमान परिवर्तन के लिए भी कुछ सर्वेक्षण किए गए हैं :-

(i) सुरेन्द्रनगर-भावनगर मीटर लाइन का बडी लाइन में परिवर्तन तथा परिवर्तित लाइन को अलंग के रास्ते भावनगर से विपावाव तक बढाना।

(ii) भड़ौच-जम्बूसर छोटी लाइन तथा बोटाद-सुरेन्द्रनगर मीटर लाइन का बडी लाइन में आमान परिवर्तन तथा कम्बे की खाडी पर रेल-एवं-सडक पुल जम्बूसर से बोटाद तक नई बडी लाइन का निर्माण।

(ग) जी, हां।

(घ) यह विनिश्चय किया गया है कि जिन छोटी लाइनों को मानसून में बन्द कर दिया गया था उन्हें पुनः खोला जाएगा तथा इन लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकार, रेलें तथा योजना आयोग सम्पर्क करेंगे, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे लाइन का दोहरीकरण

1019. श्री एम. रमन्ना राय :
श्री के. मुरलीधरन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोंकण रेलवे प्राधिकरण द्वारा शोरानूर-मंगलोर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए किए गए प्रस्ताव की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए आरक्षण कोटा

1020. श्री राम कृपाल यादव :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मेल और एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में प्रत्येक श्रेणी में अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए आपातकालीन आरक्षण कोटे की प्रतिशतता क्या है;

(ख) रेलगाड़ियों के प्रस्थान करने से कितने घंटे पूर्व अप्रयुक्त कोटा आम जनता के लिए जारी कर दिया जाता है; और

(ग) अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए निर्धारित अप्रयुक्त कोटे के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गऐ हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) आपातकालीन कोटे के रूप में सीमित संख्या में शायिकाएं/सीटें रखी गई हैं जो कि आवश्यकता के अनुसार गाडी से गाडी तथा स्टेशन से स्टेशन भिन्न-भिन्न होती हैं। यह सामान्यतः 2 से 45 शायिकाओं/सीटों के बीच होता है।

(क) और (ग). आपातकालीन कोटा, नामित अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अनुसार रिलीज किया जाता है तथा आपातकालीन कोटे के अप्रयुक्त भाग को, चार्ट बनाते समय आरएसी तथा प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आवंटित कर दिया जाता है। कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में, कंप्यूटर आपातकालीन कोटे के अप्रयुक्त भाग को स्वतः ही चार्ट मुद्रण से पहले आरएसी/प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के लिए रिलीज कर देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अचानक तथा आवधिक जांच की जाती है कि आपातकालीन कोटे का उचित रूप से उपयोग हो रहा है तथा इसके अप्रयुक्त कोटे को आरएसी/प्रतीक्षा सूची के यात्रियों में उनकी वरीयता क्रम से आबंटित किया जा रहा है।

आगरा और बांदीकुई रेल स्टेशनों के बीच गेज परिवर्तन

1021. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **रेल मंत्री** 2 अगस्त, 1994 को दिए गए अतारांकित प्र.सं. 1442 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आगरा और बांदीकुई रेल स्टेशनों के बीच गेज परिवर्तन को अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और परिचालन कब से शुरू हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद यह कार्य शुरू किया जाएगा। कार्य अनुमोदित होने के बाद ही लक्ष्य तिथि निर्धारित की जा सकती है।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाएं

1022. श्री चित्त बसु :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में सियालदाह स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाएं अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). सियालदाह स्टेशन पर इस समय संभाले जाने वाले यातायात के स्तर तथा यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों के अनुरूप पहले ही यात्री सुविधाओं की व्यवस्था है। तथापि सुविधाओं में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है तथा यात्री यातायात में वृद्धि के कारण अपेक्षित होने पर ऐसा किया जाएगा।

अपक्षीण वन भूमि

1023. श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री गोविंद राव निकम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परती तथा अपक्षीण भूमि के विकास हेतु उन्हें निजी पार्टियों को आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए सामान्य नीति तथा मानदण्ड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). देश में अवक्रमित वन भूमि पर अवैध कब्जों के बढ़ते हुए खतरों तथा इस पर तत्काल वनरोपण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हरित आवरण में वृद्धि करने, अवैध कब्जों को रोकने तथा मृदा निरावरण को रोकने तथा ईंधन और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने और विद्यमान प्राकृतिक एवं सुरक्षित वनों पर दबाव कम करने के उद्देश्य से सरकार राज्य वन विकास निगमों की सहभागिता से अत्यधिक अवक्रमित क्षेत्रों में वनरोपण के कार्यों में उद्योगों को शामिल करने पर विचार कर रही है ताकि केन्द्र और राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और जन सहकारिताओं की वनरोपण स्कीमों के लिए प्रयासों और वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जा सके।

जैसी कि परिकल्पना की गई, इस स्कीम का उद्देश्य बायोमास, जलाने की लकड़ी और चारे की उपलब्धता बढ़ाकर और ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करके ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को लाभ पहुंचाना है। विचारार्थ स्कीम को विभिन्न शामिल मुद्दों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और ग्रामीण तथा आदिवासी समुदायों को प्राप्त परम्परागत अधिकारों और रिआयतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जायेगा।

उड़ीसा में वनों की कटाई

1024. श्री के. प्रधानी :
डा. कृपासिंधु भोई :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उडीसा में, विशेष रूप से भीतरकनिका क्षेत्र में बडे पैमाने पर वनों की कटाई होने की जानकारी है, जिसके कारण राज्य की पारिस्थितिकी प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य की पारिस्थितिकी की प्रणाली को पुनः बहाल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग). उडीसा राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि का अधिग्रहण

1025. श्री काशीराम राणा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने सूरत नगर के वड्डाच्छा रोड पर रहने वाले लोगों को रेल की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु सूरत नगरपालिका को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने रेलवे प्रशासन को यह भूमि सौंपने हेतु कोई अधिसूचना जारी की है; और

(ग) अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित इस भूमि पर कौन-कौन सी नई सुविधाएं दी जाएंगी, इस पर कितनी लागत आएगी?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सूरत नगर निगम को इस भूमि पर परिचलन क्षेत्र और पार्किंग सुविधाओं का विकास करना है। राज्य सरकार ने भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चूंकि परिचलन क्षेत्र और पार्किंग स्थल का विकास सूरत नगर निगम द्वारा स्वय किया जाना है इसलिए रेलें भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगी तथा भूमि और उस पर सुविधाओं की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

[हिन्दी]

अतिरिक्त रेलवे भूमि का आबंटन

1026. श्री सुकदेव पासवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षण के लिए लम्बी प्रतीक्षा, यातायात के लिए

रेल मार्गों का विस्तार, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए फालतू रेल भूमि शिक्षित बेरोजगारों को आबंटित करने आदि जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए एक सर्वदलीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलों पर पहले ही महाप्रबंधकों, मंडल रेल प्रबंधकों की क्षेत्रीय सांसदों के साथ आवधिक बैठकें करने की प्रणाली विद्यमान है। यात्री सुविधाओं में सुधार करने तथा उपयोगकर्त्ताओं को पेश आ रही अन्य समस्याओं के बारे में उनसे सिफारिशें प्राप्त होती हैं। रेलों पर विभिन्न यात्री सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए श्री आर एस फंजहजारी, पूर्व सांसद की अध्यक्षता में एक यात्री सुविधा समिति भी कार्य कर रही है। इसके अलावा, रेलवे के कार्य संचालन की जांच करने तथा उसके बारे में सिफारिशें करने के लिए विभिन्न सांविधिक संसदीय समितियां हैं। रेलवे के कार्य संचालन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझी जाने वाली विशेष संसदीय समितियां तथा दलों का भी गठन किया जाता है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न

1027. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992, 1993 और 1994 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण 1994 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्यान्नो की बिक्री में कितनी कमी आई है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जनवरी से अक्तूबर, 1994 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का उठान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उठान की तुलना में 6.77 प्रतिशत कम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के कम उठान का मुख्य कारण लगातार दो वर्षों (1992–93 और 1993–94, जुलाई–जून) में अच्छा उत्पादन होने की वजह से मोटे अनाज, चावल और गेहूं की स्थानीय रूप से बेहतर उपलब्धता है।

विवरण

1992, 1993 और 1994 के वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि प्रतिशतता

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (दर रुपए प्रति क्विंटल)

निम्नलिखित तारीख से लागू	साधारण	वृद्धि प्रतिशतता में	बढ़िया	वृद्धि प्रतिशतता में	उत्तम वृद्धि	प्रतिशतता में
1. चावल						
28.12.1991	377.00		437.00		458.00	
11.01.1993	437.00	15.9 प्रतिशत	497.00	13.73 प्रतिशत	518.00	13.1 प्रतिशत
01.02.1994	537.00	22.9 प्रतिशत	617.00	24.1 प्रतिशत	648.00	25.1 प्रतिशत
2. गेहूं						
28.12.1991	280.00					
11.01.1993	330.00	17.86 प्रतिशत				
01.02.1994	402.00	21.8 प्रतिशत				
		2. समन्वित आदिवासी विकास परियोजना/सार्वजनिक वितरण प्रणाली				
1. चावल						
28.12.1991	327.00		387.00		408.00	
11.01.1993	387.00	18.3 प्रतिशत	447.00	15.5 प्रतिशत	468.00	14.7 प्रतिशत
01.02.1994	487.00	25.8 प्रतिशत	567.00	26.8 प्रतिशत	598.00	27.7 प्रतिशत
2. गेहूं						
28.12.1991	230.00					
11.01.1993	280.00	21.7 प्रतिशत				
01.02.1994	352.00	25.7 प्रतिशत				
मोटे अनाज :	सार्वजनिक वितरण प्रणाली		समन्वित आदिवासी विकास परियोजना/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली			
01.10.1990	199.00				149.00	

[हिन्दी]

होली-डे-होम्स

1028. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रेलवे द्वारा कितने होली–डे–होम्स चलाये जा रहे हैं और वे कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने कर्मचारियों को इस सुविधा से लाभ हुआ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मे इन होली–डे- होम्स पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) वर्ष 1994–95 के दौरान कितने नये होली–डे–होम्स स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है? तथा वे कहां--कहां स्थापित किये जायेगे?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुवाहाटी-माल्दाह रेल लाइन

1029. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** :
श्री सुब्रत मुखर्जी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुवाहाटी–माल्दाह और माल्दाह से नई जलपाईगुड़ी मार्ग के विद्युतीकरण और इनके दोहरीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). इस मार्ग पर यातायात के कम घनत्व के कारण इन खंडों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहां तक गुवाहाटी–माल्दाह टाउन और माल्दाह–न्यू जलपाईगुडी खंड का संबंध है, न्यू जलपाईगुडी और माल्दाह के बीच कहीं–कहीं दोहरी लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। माल्दाह से एकलाखी, हरिश्चन्द्रपुर से कुमेदपुर, कुमेदपुर से बारसोई, धूलाबडी से न्यू जलपाईगुडी, बारसोई से दलकोल्हा और धूलाबाडी से अलुआबाडी खंड चालू कर दिए गए हैं। न्यू जलपाईगुडी से अम्बारी फालाकाटा 1994–95 में चालू कर दी जाएगी और अलुआबाडी से किशनगंज 1995–96 में चालू कर दी जाएगी। शेष खंडो के दोहरीकरण के बारे में आगामी वर्षों में यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

टिड्डियों के कारण हानि

1030. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और उससे लगे हुए राज्यों में गत दो माह में टिड्डियों के कारण फसल को हुई हानि क्या है;

(ख) किसानों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु उनको केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) (क) और (ख). महोदय, गत दो महीनों के दौरान दिल्ली और उससे लगे राज्यों में टिड्डियों के होने का कोई समाचार नहीं मिला है। अतः किसानों को फसलों की क्षति के लिये मुआवजा देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निकट भविष्य मे टिड्डियों से फसलों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के अनुसूचित मरूस्थली क्षेत्रों में स्थापित टिड्डी चेतावनी संगठन के टिड्डी केन्द्रों और स्थानीय केन्द्रों के एक नेटवर्क द्वारा टिड्डियों के रहने की जगहों का नियमित सर्वेक्षण करना।

(2) आधुनिक पौध संरक्षण उपकरणों और निरापद कीट नाशियों से टिड्डी चेतावनी संगठन की नियंत्रण क्षमता को सुदृढ करना।

(3) क्षेत्रीय कर्मचारियों और किसानों को टिड्डी नियंत्रण कार्य कलाप में प्रशिक्षण देना।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1031. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनरीक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल की गई गुजरात और राजस्थान की कुल जनसंख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबध में राज्य सरकारों से शिकायते एवं सुझाव प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है; और

(घ) वर्ष 1993–94 के दौरान इस प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए राज्यों को राज्यवार अब तक कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार गुजरात और राजस्थान में सपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाली आबादी क्रमशः 86.18 लाख और 195. 74 लाख है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा सपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यन्वयन की अनुवीक्षा, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सहमत कार्यवाही के मुद्दों के अनुसार की जा रही है। विभिन्न कार्रवाई के मुद्दों के लक्ष्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं तय किए गए थे। किसी भी राज्य सरकार से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारों के सुझावों पर उनके साथ क्षेत्रीय बैठकों में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद् की बैठकों में समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से निर्धारित खाद्यान्नों के अतिरिक्त आबंटन में वर्ष 1994-95 के दौरान 12 लाख मी.टन प्रति वर्ष की वृद्धि की है, ताकि संबंधित राज्य सरकारें संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों को पर्याप्त आबंटन कर सकें।

(घ) •किसी राज्य के भीतर, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों सहित, सभी क्षेत्रों में आबंटन स्वयं सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 1993-94 और 1994-95 (अक्तूबर, 1994 तक) के दौरान गुजरात और राजस्थान के संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों हेतु विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर गेहूं और चावल की उठाई गई मात्रा निम्नवत है :

(हजार मी.टन में)

	1993-94		1994-95 (अक्तूबर, 1994 तक)	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
गुजरात	130.08	181.66	68.09	86.28
राजस्थान	11.95	483.88	9.33	226.54

[हिन्दी]

हिन्दी को लोकप्रिय बनाना

1032. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मे गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में इस प्रयोजन हेतु व्यय की गई धनराशि का व्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

अहिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण

यह योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी और आठवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत, हिंदी शिक्षकों के वेतन और केवल एक योजनावधि के लिए प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना/उन्हें सुदृढ़ करने के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए हिंदी का अध्यापन : केंद्रीय हिंदी निदेशालय अहिंदी भाषी भारतीयों तथा विदेशी मूल के भारतीयों तथा विदेशियों को पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिंदी अध्यापन की एक योजना चला रहा है।

विस्तार कार्यक्रम : इस योजना के अंतर्गत, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप आरंभ किए जाते हैं:

(1) अहिंदी भाषी लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं; (2) नवलेखकों की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं; (3) राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं; (4) अहिंदी भाषी छात्रों के लिए संचालित दौरे आयोजित किए जाते हैं; (5) अहिंदी भाषी हिंदी अनुसंधान अध्येताओं को अनुसंधान यात्रा अनुदान दिए जाते हैं; (6) विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रख्यात हिंदी अध्येताओं के लेक्चरों की व्यवस्था की जाती है।

हिंदी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण :

इस योजना के अंतर्गत, अहिंदी भाषी क्षेत्रों को निःशुल्क वितरण के लिए प्रत्येक वर्ष पुस्तकें खरीदी जाती हैं।

स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना :

इस योजना के अंतर्गत, स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को, हिंदी को बढ़ावा देने तथा उसका प्रचार करने की दृष्टि से पुस्तकों की खरीद, प्रकाशन तथा अनुवाद के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

हिंदी शिक्षक अध्यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम :

इस योजना के अंतर्गत, केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी शिक्षण निष्णात, हिंदी शिक्षण पारंगत, हिंदी शिक्षण प्रवीण जैसे पाठ्यक्रम, चार वर्षीय हिंदी अध्यापन डिप्लोमा पाठ्यक्रम का चौथा वर्ष और अहिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लेक्चररों तथा शिक्षकों के लिए विशेष गहन हिंदी अध्यापन एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है।

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए खर्च की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(रूपये लाखों में)

		1991–92	1992–93	1993–94
(1)	अहिंदी भाषी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण	313.19	197.05	495.00
(2)	पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए हिंदी का अध्यापन	25.77	26.84	27.95
(3)	विस्तार कार्यक्रम	5.00	5.00	3.94
(4)	हिंदी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण		15.91	12.99
(5)	स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना	319.41	260.18	272.66

[अनुवाद]

"पूर्वी दिल्ली में गैस का रिसाव"

1033. श्रीमती गिरिजा देवी :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी-क्षेत्र में पिछले महीने हानिकर गैस का रिसाव होने की मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या गैस रिसाव की दुर्घटना राजधानी में आपातकालीन स्थितियों को संभालने वाली एजेंसियों की असफलता को दर्शाती है;

(घ) प्रभावित क्षेत्र से नमूने एकत्रित करने और कारणों का विश्लेषण करने में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या भूमिका अदा की; और

(ङ) राजधानी और दूसरे स्थानों पर भविष्य में इस प्रकार की जहरीली गैस के रिसाव को रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कर्दमपुरी, पूर्वी दिल्ली में उत्सर्जित विषावत गैस का परीक्षण किया है। इस परीक्षण के अनुसार 13 नवंबर, 1994 के प्रातः काल विषाक्त भाप निकली थी और सेलेनियम केडमियम, सीसा, जस्ता, लोहा जैसे वाष्पशील धातुओं और विषाक्त गैस में उनके मिश्रण पाए गए जिसमें से सेलेनियम और लोहे की प्रधानता थी। उत्सर्जित गैस की विषाक्तता संभवतः साइनाइट और सल्फेट्स की विद्यमानता से बढ़ी है। आशंका है कि कबाड़ी द्वारा धात्विक स्क्रैप/धात्विक चूर्ण के परिष्करण/धातु संग्रहण की प्रक्रिया के दौरान विषाक्त गैस की भाप निकली थी।

(ग) जी, नहीं। 13 नवम्बर, 1994 को लगभग 4.18 बजे प्रातः जब पुलिस को उक्त घटना के बारे में पता लगा तो पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहनों, एम्बूलैंस और अग्निशमन दल की मदद से लोगों को वहां से हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई। यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रभावित लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जाए।

(घ) उसके अध्यक्ष के नेतृत्व में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दल ने उक्त स्थल और आसपास के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मिट्टी, अवक्षेपण खुरचन, कच्ची सामग्री, विक्षालन तत्वों के नमूने लिए गए और गैस उत्सर्जन के स्रोत तथा उसके संभावित संघटन का पता लगाने के लिए उनका विश्लेषण किया गया ।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तुरंत निम्नलिखित, कार्रवाई करने के लिए कहा है :

(1) परिसंकटमय पदार्थों के अंधाधुंध रूप से खुले में जलाए जाने पर रोक लगाना;

(2) अनधिकृत स्थानों पर परिसंकटमय पदार्थों के भण्डारण और हैंडलिंग पर रोक लगाना;

(3) समुदायों में स्थानीय व्यक्तियों की शिनाख्त करना और उन्हें यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपना कि ऐसे कार्यों की अनुमति न दी जाए; और

(4) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के पश्चात परिसंकटमय अपशिष्टों के निपटान हेतु शीघ्रता से स्थान अभिनिर्धारित करना।

रॉंची रेलवे स्टेशन

1034. श्री राम टहल चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रॉंची रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के क्षेत्र में सौन्दर्यकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई है और इनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) यहां सौन्दर्यकरण का कार्य कब शुरू होगा और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्लेटफार्म सं. 1 पर कोटा पत्थर लगाने की व्यवस्था (लागत 4.98 लाख रू.) और परिचलन क्षेत्र के सड़क सतह की मरम्मत के कार्य (लागत 5.62 लाख रू.) को स्वीकृति दे दी गई

है, जिस पर चालू वर्ष के दौरान क्रमशः 1.20 लाख रू. और 1.50 लाख रू. का आबंटन किया गया है। निर्माण कार्यों को अपेक्षित औपचारिकताएं पूरा करने के पश्चात् शुरू किया जाएगा और वर्ष 1995–96 में इसके पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

प्राणी उद्यानों में सफारी उद्यान

1035. **श्री बलराज पासी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने देश के प्राणी उद्यानों मे सफारी उद्यानों की स्थापना हेतु निर्देश तैयार कर लिए हैं/जारी किए है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी. नहीं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सफारी पार्कों के लिए अभी दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं; तथापि, इस मामले पर चर्चा की गई और विचार विमर्श के बाद दिशा–निर्देश तैयार किए जायेगे।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

चीनी आयातक

1036. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण गैर–सरकारी चीनी आयातकों को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे को पूरा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ). सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है तथा चीनी के आयात के लिए निजी चीनी आयातकों को उनके उच्च वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार मूल्य, पार्टी, मात्रा इत्यादि तथा बिक्री की व्यवस्था भी अपने आप करने सहित अनुबंधित किया गया है। चीनी आयात में होने वाले लाभ अथवा हानि के संबंध में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

हुबली-कारवार रेलवे लाइन

1037. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली–कारवार रेलवे लाइन आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सम्मिलित की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस लाइन को योजना में सम्मिलित करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) कोंकण रेल लाइन के पूरा हो जाने तथा हुबली–वास्को खण्ड के आमान–परिवर्तन हो जाने से हुबली और कारवार के बीच एक बड़ी लाइन बरास्ता मडगांव 1995–96 तक उपलब्ध हो जाएगी। इस क्षेत्र में कोंकण रेल तथा आमान–परिवर्तन पूरा हो जाने और यातायात प्रतिमान में स्थायित्व आ जाने के पश्चात् हुबली और कारवार के बीच एक सीधी बड़ी लाइन की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

पहाड़पुर रेलवे स्टेशन

1038. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के पहाडपुर रेलवे स्टेशन (धनबाद–गया स्टेशनों के बीच) का अपना ताप बिजलीघर है और वहां रेलवे की आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है तथा अतिरिक्त बिजली को बेचा भी नहीं जाता है;

(ख) क्या बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को यह बिजली बेचने से हजारों स्थानीय किसान लाभान्वित होंगे और रेलवे भी लाभ अर्जित कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस अतिरिक्त बिजली को न बेचने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पहाड़पुर में रेलवे का कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। पहाड़पुर में कर्षण प्रयोजनों के लिए रेलवे बिहार राज्य बिजली बोर्ड से बिजली खरीदती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलवे कार्य का निजीकरण

1039. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा** :
श्री शरत पटनायक :
श्री केशरी लाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल लाइनों के आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण तथा प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे–स्टेशनों के अनुरक्षण का निजीकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश तैयार किये है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां। आमान परिवर्तन विद्युतीकरण एवं अन्य परियोजनाओं में निर्माण–स्वामित्व पट्टा–अंतरण (बी.ओ.एल.टी.) आधार पर तथा बड़े शहरों में रेलवे स्टेशनों के अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष

1040. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों की मरम्मत करने के लिए निगमित क्षेत्र की मदद से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). जी, हां। ऐसे कोष के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

मूल्य में अन्तर

• **1041. श्री नीतीश कुमार** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 1994 के दौरान "आबजर्वर" में "हाई डोमेस्टिक प्राइसेस हिट वीद एक्सपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में देश में गेहूं और चावल का मूल्य अधिक है; और

(ग) यदि नहीं, तो अक्तूबर 1994 के दौरान गेहूं और चावल के मूल्यों का अलग–अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने निकट भविष्य में खाद्यान्न के आयात का निर्णय लिया है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मूल कृषि खाद्य पदार्थों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर केवल प्रधान बाजारों में उंचे व्यवधानों का ही दबाव नहीं है बल्कि इस पर विकसित देशों द्वारा मंजूर की गई निर्यात सब्सिडी का भी दबाव है। सब्सिडियों के बिना विश्व मूल्य मौजूदा मूल्यों से अधिक होंगे और भारतीय अनाज के निर्यात में निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करेंगे।

बासमती चावल के भारतीय निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी हैं और इनमें पिछले कुछ वर्षों से सतत वृद्धि हो रही है। तथापि, फिलहाल भारतीय गैर–बासमती उत्तम चावल और गेहूं अन्तर्राष्ट्रीय रूप से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं है।

अक्तूबर, 1994 के दौरान देश में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और चावल की तुलनात्मक किस्मों के मूल्य निम्नानुसार थे :

(रुपये प्रति मीटरी टन में)

		घरेलू थोक मूल्य (औसत) अक्तूबर, 1994
गेहूं	उत्तर	3905
	पश्चिम	4850
	पूर्व	5233
	दक्षिण	6862
चावल	उत्तर	6994
	पश्चिम	6849
	पूर्व	6720
	दक्षिण	7296

(अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन)

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य

गेहूं (एच.आर.डब्ल्यू. 11: प्रोटीन अमरीका)	163–169
चावल (थाई टोटा 10:)	231–243

(घ) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के स्टाक की अच्छी स्थिति की दृष्टि में सरकार ने 1994–95 के दौरान खुले बाजार से बिना न्यूनतम निर्यात मूल्य के गैर–डुरूम गेहूं का निर्यात करने के लिए 5 लाख मीटरी टन की सीमा तक की मात्रा रिलीज की है और भारतीय खाद्य निगम को भी 5 लाख मीटरी टन की सीमा तक केन्द्रीय पूल से गैर–डुरूम गेहूं निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम को शुरू में निर्यात के प्रयोजन से राज्य व्यापार निगम को खुले बाजार में बिक्री करने के लिए निर्धारित किए गए मूल्यों पर 50,000 मी. टन तक गेहूं की बिक्री करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने अब तक गेहूं की किसी भी मात्रा का निर्यात नहीं किया है। केन्द्रीय पूल से चावल का निर्यात करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में ऊपरि-पुल

1042. श्री राजवीर सिंह :
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने रेलवे ऊपरि–पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई तथा इनका निर्माण किन–किन स्थानों पर किया जाएगा;

(ख) क्या इसके लिए निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो इन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(घ) इस निर्माण कार्य के कब तक पूरे होने की संभावना है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने ऊपरि-पुलों का निर्माण किया गया?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

(ख) ये कार्य निर्माण हेतु योजना के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) रेलपथों के ऊपरि-पुलों का निर्माण, राज्य सरकारों द्वारा पहुंच मार्गों को पूरा करने के साथ-साथ किया जाएगा।

(ङ) 11(ग्यारह)।

विवरण

(क) और (ग). पिछले दो वर्षों के दौरान अनुमोदित किए गए ऊपरि-पुलों की संख्या तथा स्थान से संबंधित सूचना

क्र.स.	रेलवे	व्यौरा/स्थान	लागत रेलवे	लागत राज्य सरकार	राज्य
1	2	3	4	5	6
		1993-94 में अनुमोदित निर्माण कार्य(निर्माण कार्यक्रम)			
1.	मध्य	सतना कोतवाली समपार सं 386/ए के बदले निचले सड़क पुल	1.50 करोड़	3.75 करोड	मध्य प्रदेश
2.	मध्य	फरीदाबाद समपार सं. 577/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	2.12 करोड	2.12 करोड़	हरियाणा
3.	दक्षिण	इरूगुर-कोयम्बतूर-पदम-समपार सं. 20 के बदले निचला सड़क पुल	0.91 करोड़	उपलब्ध नहीं	तमिलनाडु
4.	दक्षिण पूर्व	चक्रधरपुर-"क" श्रेणी के समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	0.99 करोड	1.02 करोड़	बिहार
		1994-95 में अनुमोदित निर्माण कार्य(निर्माण कार्यक्रम) अंबरनाथ			
5.	मध्य	कल्याण-समपार सं. 41 के बदले ऊपरी सड़क पुल अंबरनाथ	1.59 करोड	7.85 करोड़	महाराष्ट्र
6.	पूर्व	फतुआ-समपार सं. 70/ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	1.53 करोड	1.62 करोड़	बिहार
7.	उत्तर	इटावा के निकट निचला सड़क पुल (मूल रूप) से 1991-92 में शामिल किया गया जिसे 1992-93 मे छोड़ दिया गया। कार्य को 1994-95 में पुनः शामिल किया गया।	4.00 करोड़	उपलब्ध नहीं	उत्तर प्रदेश
8.	उत्तर	मुरादाबादः मौजूदा ऊपरी सड़क पुल सं. 1147-ए को ऊँचा उठाना तथा इसमे पुनः गर्डर डालना (समपार के बदले में नहीं)	0.83 करोड	उपलब्ध नहीं	उत्तर प्रदेश
9.	पूर्वोत्तर	कानपुर-नेत्र(हल्लेट) अस्पताल के निकट समपार सं. 6 के बदले ऊपरी सड़क पुल	3.26 करोड़	7.41 करोड	उत्तर प्रदेश
10.	दक्षिण	एर्णाकुलम-एलेप्पी-विलिंग्टन द्वीप तथा कोचीन बाई पास को जोड़ने वाला ऊपरी सड़क पुल	3.90 करोड़	3.90 करोड	केरल
11.	दक्षिण मध्य	चिराला-समपार सं. 244 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2.07 करोड़	2.37 करोड़	आन्ध्र प्रदेश
12.	दक्षिण मध्य	जहीराबाद-समपार सं. 30/13 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1.67 करोड़	1.71 करोड़	आन्ध्र प्रदेश
13.	पश्चिम	उधना-जलगांव (नरदाना) समपार सं.12सी ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	2.68 करोड़	उपलब्ध नहीं	महाराष्ट्र
14.	पश्चिम	विलेपार्ले समपार सं. 22 के बदले ऊपरी सड़क तथा पैदल पुल	1.61 करोड़	उपलब्ध नहीं	महाराष्ट्र

मेधावी छात्रों की सहायता

1043. श्री दत्ता मेघे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों को विदेशों मे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई छात्रवृत्ति अथवा अन्य कोई सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में कौनसी योजना चलाई जाने वाली है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना शुरू करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। सरकार सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तथा अन्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय प्रबन्धों के अन्तर्गत विभिन्न विषय क्षेत्रों मे विदेशों में अध्ययन करने वाले मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति के कुछ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। ये वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर संचालित किये जाते हैं। इसके अलावा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार विदेश मे अध्ययन करने के लिए केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इत्यादि के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना का संचालन करती है।

(ख) और (ग). वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई दूसरी योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विद्यमान योजनाओं के विस्तृत ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं।

विवरण

I. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

(क) बहु/द्विपक्षीय प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां :

क्रम. सं.	देश/कार्यक्रम	वर्ष 1993–94 में प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति की राशि
1.	राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां (ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड इत्यादि)	66	दाता(डोनर) देशों द्वारा पूर्णतः निधि प्राप्त/एक वर्ष से दूसरे वर्ष तथा एक देश से दूसरे देश में विभिन्न दरें
2.	नेहरू शताब्दी ब्रिटिश अध्येतावृत्ति		
3.	ब्रिटिश उद्योग विदेशी छात्रवृत्ति परिसंघ	1	–वही–
4.	आस्ट्रेलियाई विकास सहयोग छात्रवृत्ति	23	–वही–
5.	जर्मन शैक्षिक विनिमय सेवा छात्रवृत्ति	11	–वही–
6.	जापान मोनबुशी छात्रवृत्ति	14	–वही–
7.	नार्वे (नोराड़)	8	–वही–
8.	अगथा हरीसन स्मारक छात्रवृत्ति	1	भारत सरकार द्वारा निधिप्राप्त
	(ख) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई छात्रवृत्तियां		
1.	आयरलैण्ड	3	दाता (डोनर) देशों द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित। कुछ मामलों में, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार किफायती–श्रेणी/अनुपूरक अनुदान का हवाई जहाज का खर्च वहन करती है जो देश के आधार पर भिन्न–2 हो सकता है।
2.	फ्रांस	2	
3.	चीन	15	
4.	टर्की	2	
5.	इटली	3	

II. कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष 1993–94 में प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति की राशि
1.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां	30	(क) स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री/पी एच डी और उत्तर डॉक्टरल अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष क्रमशः 5940, 6600 और 7700 अमेरिकी डालर का भरण भत्ता। (ख) पुस्तकों/आवश्यक उपकरण/अध्ययन दौरे/शोध के टंकण और जिल्दबन्दी के लिए वार्षिक 385 अमेरिकी डालर का आकस्मिक भत्ता। (ग) आकस्मिक यात्रा खर्चों को शामिल करने के लिए 15 डालर तक 1100 रू. का उपकरण भत्ता। (घ) भारत से और वापिस भारत के लिए मितव्ययी वायुमार्ग से यात्रा (ङ) ट्यूशन तथा अन्य अनिवार्य विश्वविद्यालय शुल्क तथा चिकित्सकीय बीमा, यदि कोई हो तो।

विश्व बैंक सहायता

1044. श्री राम पूजन पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना को कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता राशि में से उत्तर प्रदेश की सरकार को कितनी राशि दी गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धि रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) 1993–94 और 1994–95 के दौरान क्रमशः 18.39 और 24.76 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई ।

(ख) 1993–94 और 1994–95 में समेकित उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एन.ए.ई.पी. के अन्तर्गत समेकित प्रगति—उत्तर प्रदेश

I. वित्तीय

रूपये मिलियन में

परियोजना	परियोजना लागत	व्यय*
एन.ए.ई.पी.–I	1219.07	1008.22
एन.ए.ई.पी.–III	1069.02	1283.05

* समाप्ति अगस्त, 1994

विवरण

परियोजना	घटक	लक्ष्य	उपलब्धि
[illegible]	(i) कर्मचारियों की तैनाती	4308	3293
	(ii) सिविल कार्य	1489	1177
	(iii) गाड़ियां	224	283
एन.एइ.पी.–III (1)	(i) कर्मचारियों की तैनाती	5657	3938
	(ii) सिविल कार्य	1954	1030
	(iii) गाडियां	175	156

[अनुवाद]

क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना

1045. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री सुधीर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के क्षेत्रीय केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी राज्यों में ऐसे केन्द्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना और कार्यकरण संबंधी योजना की जांच करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। इस समिति की सिफारिशों पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गाजियाबाद, गुवाहाटी, भोपाल, पुणे तथा हैदराबाद मे आयोग के 5 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये कार्यालय अपने–अपने क्षेत्राधिकार में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

ए.बी.बी. रेल इंजनों का आयात

1046. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री अमल दत्त :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः हजार हार्स पावर–तीन अवस्था वाले रेल इंजनों का आयात करने के लिए भारतीय रेल और एशिया ब्राउन ब्रिवरी कंपनी के बीच समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एक रेल इंजन की आयात लागत क्या है;

(घ) क्या इन इंजनों में किसी एक के निष्पादन और क्षमता के लिए भारत अथवा विदेश में इसका परीक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या रेलवे की स्वयं की उत्पादन ईकाईयां इस प्रकार के इंजन का निर्माण करने की स्थिति में हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). अतिरिक्त पुर्जों और प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण सहित 6000 अश्व शक्ति 25 कि.वा. तीन फेज ए सी बिजली रेल इंजनों की आपूर्ति के लिए 169,689,970 स्विस फ्रेंक और 139,140,250 ड्यूश मार्क की कुल पोतपर्यन्त निःशुल्क लागत पर जुलाई, 1993 में एबीबी स्विटजरलैण्ड को ठेके दिये गये हैं।

(ग) रेल इंजनों की सुर्पुदगी अभी तक शुरू नहीं हुई है। चालू विनिमय दर पर माल गाड़ी इंजन की पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत 17.76 करोड़ रूपये और यात्री गाड़ी इंजन की लागत 19.53 करोड़ रूपये हैं भारत को इंजन भेजने के समय उतराई लागत में मौजूदा विनिमय दर पर माल भाड़ा और इंश्योरेन्स प्रभार भी शामिल होंगे।

(घ) और (ङ). इन रेल इंजनों का निर्माण किया जा रहा है और प्राप्त होने के पश्चात् इनके निष्पादन और कुशलता की भारत में जांच की जाएगी।

(च) प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण और आवश्यक सुविधाएं जुटाने के पश्चात् इन रेल इंजनों के निर्माण के लिए चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने को चुना गया है।

जमाखोरी और चोर बाजारी करने वाले लोग

1047. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या राज्य सरकारों को जमाखोरी और चोर बाजारी करने वाले लोगों की अत्यंत निगरानी और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने को कहा गया है ताकि सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान आज तक चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1976 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में राज्य वार कितने लोग निरुद्ध किए गए; और

(घ) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर राज्यों से अनुरोध किया है कि वे सतर्क रहें तथा प्रवर्तन उपाय तीव्र करें और जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं चोरबाजारी जैसे कदाचारों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाएं।

(ग) इस वर्ष (30.11.94 तक) चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत देश के विभिन्न भागों में सत्तर व्यक्तियों को नजरबंद किया गया है। इस संख्या का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है :

	राज्य	नजरबंद व्यक्तियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	24
2.	असम	02
3.	गुजरात	38
4.	कर्नाटक	01
5.	मध्य प्रदेश	01
6.	महाराष्ट्र	01
7.	उत्तर प्रदेश	03

(घ) चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के वास्तविक संचालन का कार्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी आदेशों के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने वाले तथा चोरबाजारी निवारण अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंद व्यक्ति अनिवार्य कारावास की शर्त के साथ उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित दण्ड के भागी होते हैं।

[हिन्दी]

शिव मन्दिर

1048. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री गोविन्द राव निकम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के हरीश चन्द्र गढ़ में शिव मन्दिर की मरम्मत का कितना कार्य हुआ है;

(ख) इस मरम्मत कार्य पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा; और

(घ) सरकार का विचार इस मन्दिर की ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्ता को देखते हुए इसके रख-रखाव के लिए क्या कार्यवाही करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) अब तक हुई प्रगति निम्न प्रकार है:

(1) मुख्य मंदिर की पश्चिमी दिशा और नाले के किनारे की ढह चुकी प्रांगण-भित्ति को फिर से ठीक किया गया है।

(2) मंदिर के पूर्व दिशा के दो छोटे-छोटे मंदिरों की छतों का जीर्णोद्धार कर दिया गया है।

(3) मुख्य मंदिर के सामने पडने वाले छोटे मंदिर की गिरी हुई छत को फिर से ठीक कर दिया गया है।

(4) सारे परिसर की घास-पात साफ कर दी गई थी।

(5) गुफाओं को जाने वाला मार्ग साफ कर दिया गया था तथा गुफाओं के सामने नालियों एवं मोरियों की समुचित व्यवस्था कर दी गई थी।

(ख) इस स्मारक पर 1993-94 से संरक्षण कार्य पर 55,520 रु. व्यय हुआ।

(ग) और (घ). यह मंदिर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है और इसके रखरखाव एवं संरक्षण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है।

डीजल इंजन

1049. श्री सूर्यनारायण यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर गेज लाइनों का बड़ी लाइनों का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन होने के कारण मीटर गेज लाइनों पर चलने वाले डीजल इंजन बेकार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन इंजनों को अन्य स्थानों पर चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). मीटर लाइन खंडों, जो बड़ी लाइन में बदल दिए गए हैं, से निर्मुक्त हुए डीजल रेल इंजनों को अवशिष्ट मीटर लाइन खंडों पर लाभप्रद रूप से पुनः सेवा में लगाया जा रहा है। मुख्यतः मीटर लाइन के भाप इंजनों को सेवा से हटाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इन रेल इंजनों की निर्यात संभाव्यता का भी पता लगाया जा रहा है। अब तक इरकान के माध्यम से मलेशिया को 14 रेल इंजन लीज पर दिए गए हैं तथा 10 और रेल इंजन भेजे जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

1050. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और भी संस्थान बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) ये संस्थान कब तक बन जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). छः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई (महाराष्ट्र), मद्रास (तमिलनाडु), कानपुर (उत्तर प्रदेश), खड़गपुर (पश्चिम बंगाल), दिल्ली और गुवाहाटी (असम) में स्थित हैं। फिलहाल, कोई और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में प्राइवेट स्कूल

1051. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और देश के अन्य शहरों में पब्लिक और प्राइवेट स्कूल मनमाना शिक्षण शुल्क और वार्षिक प्रभार ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खुली लूट को रोकने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार का विचार प्रखंड और जिला स्तरों पर निगरानी अभिकरण स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ). केन्द्र/राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों ने निःशुल्क या मामूली शुल्क पर स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का सृजन किया है। ऐसे स्कूलों में दाखिले की पर्याप्त क्षमता है। जो लोग निजी-गैर सहायता प्राप्त स्कूलों का शुल्क तथा अन्य प्रभार वहन कर सकते हैं वे लोग ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत-रूस समझौता

1052. श्री तेज नारायण सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में रूस के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस समझौते के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के परस्पर आदान-प्रदान के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने छात्रों का आदान-प्रदान किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते में सोवियत संघ की उच्च शिक्षा संस्थाओं में इंजीनियरी, चिकित्सा तथा अन्य विशिष्ट विषयों में भारतीय छात्रों के दाखिले का प्रावधान है। भारतीय छात्र स्वयं ही मान्य मुद्रा में शिक्षा की लागत तथा वहां पर रहन सहन आदि का व्यय वहन करेंगे। भर्ती के लिए एजुकेशनल कांसल्टेंट (इंडिया) लि. तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् नामोद्दिष्ट अभिकरण हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दोहरी रेल लाइन बिछाना

1053. डा. लक्ष्मीजी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने जिले राज्य की राजधानी से दोहरी रेल लाइन से जुड़े हुए हैं;

(ख) किन-किन जिलों का राज्य की राजधानी से कोई रेल संपर्क नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी जिलों को रेल लाइन से राज्य की राजधानी से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक रेल लाइन से जोड़ दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 26 जिले।

(ख) चमौली, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, पिथौरागढ़ तथा अलमोड़ा।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दौर में भारतीय प्रबंध संस्थान

1054. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्दौर में भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना हेतु सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संस्थान कब से चालू हो जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). इंदौर में शीघ्रातिशीघ्र भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ परामर्श करने, चरण-I के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और परियोजना के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सलाह लेने संबंधी प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता

1055. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष *1992–93, 1993–94* और *1994–95* के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि के विकास और अनुसंधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू विदेशी सहायता के रूप में प्रत्येक राज्य को कितना–धन आवंटित किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संसाधनों की कमी

1056. **कुमारी सुशीला तिरिया** :
श्री गुरूदास कामत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को संसाधनों के अत्यधिक अभाव का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से उबरने/निपटने के लिए कौन–से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). देश में समग्र वित्तीय अभाव है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को उद्योगों के दान और योगदान के रूप में और परामर्श, उद्योग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान, सतत शिक्षा कार्यक्रम आदि द्वारा आंतरिक संसाधनों की व्यवस्था करके अतिरिक्त संसाधनों को जुटाकर भार को उठाना पड़ेगा। हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी को छोड़कर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को संचित निधि सृजित करके वित्त पोषण की एक नई पद्धति के अंतर्गत लाया गया है जिससे संस्थान और अधिक स्वायत्तता का उपयोग करेंगे और अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करेंगे।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा कोयले की आपूर्ति

1057. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में स्थित ताप विद्युत सयत्रों को कोयला भेजने के लिए पाराद्वीप पत्तन तक कोयला ले जाने के लिए प्रस्तावित रेल लाइन बिछाने का कार्य पाराद्वीप में निर्मित की जा रही कोयला हैंडलिंग परियोजनाओं के पूरा होने से पहले पूरा कर दिया जायेगा; और

(ख) दक्षिण भारत में स्थित विद्युत संयंत्रों की बढती हुई कोयले की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्नानास का उत्पादन

1058. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्नानास के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान अन्नानास और इसके उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अन्नानास उत्पादों का संवर्धन करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से कोई फैक्टरी स्थापित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) अन्नानास का पिछले तीन वर्ष का वर्षवार उत्पादन उपलब्ध नहीं है। फिर भी खाद्य और कृषि संगठन उत्पादन वर्ष पुस्तिका 1992 के अनुसार 1990 से 1992 तक के उत्पादन आंकडे इस प्रकार हैं :

वर्ष	उत्पादन (1000 मी.टन में)
1990	787
1991	800
1992	820

(ख) सरकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क तथा शीतोष्ण क्षेत्रीय फसलों की केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत विकास योजना के तहत आठवीं योजना के दौरान 12.43 लाख रूपये की कुल लागत से प्रत्येक 0.5 हैक्टेयर के 111 प्रदर्शनों के जरिए अन्नानास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार सहायता उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी झूम खेती योजना की समाप्ति के लिए नागालैण्ड को तथा प्रदर्शन और क्षेत्र विस्तार के लिए मध्य प्रदेश खासकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) और (ङ). पिछले वर्षों के दौरान अन्नानास और इसके उत्पादों का निर्यात बढ़ा है जो इस प्रकार है :–

वर्ष	निर्यात (लाख रूपये में)
1991–92	7.89
1992–93	9.29
1993–94	21.15

(च) यूरोपीय कॉमन मार्किट की सहायता से केरल में अनन्नास प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

(1) कारखाने के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा इसके विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(2) पादप और मशीनरी की आपूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदा मंगाने के लिए निविदा दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं जिन्हें वित्तपोषक एजेंसी यूरोपीय आर्थिक समुदाय को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है।

आई.आई.टी. दिल्ली में उपकरणों का कम उपयोग

1059. डा. सुधीर राय :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित आई.आई.टी. परिसर में लगभग 9 करोड़ रूपये के उपकरण बेकार पड़े हुए हैं;

(ख) क्या इन उपकरणों का कम उपयोग किये जाने के लिए संकाय के सदस्य जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या इन उपकरणों की एक केंद्रीय सूची बनाई गई है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है/करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). जी, नहीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा प्राप्त किए गए उपकरण, संकाय और छात्रों द्वारा अध्यापन, प्रदर्शन और अनुसंधान संबंधी प्रयोजनों हेतु अधिकाधिक प्रयोग में लाए जा रहे हैं। परिसंपत्ति–रजिस्टर के रूप में एक केंद्रीय सम्पत्ति सूची 1,000 रू. से अधिक की लागत के सभी उपकरणों के लिए रखी जा रही है चाहे वे देशज प्राप्त किए गए हैं अथवा विदेश से आयात किए गए हैं।

श्री विरूपाक्ष स्वामी मन्दिर

1060. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने श्री विरूपाक्ष स्वामी मन्दिर, हम्पी (कर्नाटक) को "संरक्षित स्मारक" घोषित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान में इस मन्दिर परिसर के प्रबन्ध, देखरेख तथा संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय, कर्नाटक राज्य, कर्नाटक द्वारा इस स्मारक को पहले से ही संरक्षित घोषित किया जा चुका है।

(ग) राज्य सरकार इस मन्दिर का रखरखाव पुरातत्व के मानकों के अनुसार करती है।

कृषि के लिए राजसहायता

1061. श्री रामनिहोर राय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि के लिए राजसहायता के वितरण की वर्तमान प्रणाली को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसानों को सीधे राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). राजसहायता में कमी और अनुप्रेषण समग्र आर्थिक नीति सुधार के मुख्य घटकों में से एक है। कृषि नीति संकल्प के प्रारूप का लक्ष्य है :– अवसंरचनात्मक विकास में सार्वजनिक निवेश के जरिए गतिशीलता प्रदान करना तथा अनुकूल व्यापार और निवेश वातावरण के जरिए निजी निवेश के लिए और अधिक प्रोत्साहन देना ।

(ग) और (घ). रबी 1992–93 में लागू फास्फेटयुक्त और पोटासयुक्त उर्वरकों पर रियायत की योजना 1994–95 के दौरान भी जारी रखी जा रही है। राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त बिक्री की रिपोर्टों के आधार पर उर्वरक विनिर्माताओं/आयातकों को सीधे भुगतान किया जा रहा है।

फसलोत्पादनोन्मुख योजनाओं के तहत राज्य सरकारों के जरिए किसानों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं तथा किसानों को सीधे ही प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फूलों की खेती

1062. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फूलों की खेती की व्यापक सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प कृषि व्यापार में भारत का हिस्सा कितना है;

(ग) इस क्षेत्र में कुल कितना पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) कितना पूंजी निवेश इस समय किया जा रहा है; और

(ङ) इस क्षेत्र को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) 1992 के दौरान विश्व में फूलों का कुल व्यापार जो 3.5 बिलियन अमेरिकी डालर था, उसमें भारत का अंश 0.06 प्रतिशत था।

(ग) और (घ). इस समय फूलों की खेती के 10 निर्यातोन्मुखी यूनिट हैं जिनकी कुल अनुमानित पूंजी निवेश 75 करोड रुपये हैं। 1995–96 के दौरान 10 से 12 और यूनिट पूरे होने की संभावना है जिन पर और 75 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होने की संभावना है।

(ङ) कृषि मंत्रालय आठवीं योजना के दौरान 10 करोड रुपये के कुल परिव्यय के साथ वाणिज्यिक पुष्पकृषि की एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना कर्यान्वित कर रहा है। इस योजना के मुख्य घटक आठवीं योजना में फूलों की खेती के विकास के केन्द्रीय यूनिटों के रूप में कार्य करने हेतु माडल पुष्पकृषि केन्द्रों की स्थापना, प्राइवेट क्षेत्र में आठ बडे और 20 छोटे टिशु कल्चर यूनिटों में रोपण सामग्री के बडे पैमाने पर बहुलीकरण, 2000 हैक्टेयर में इसके विस्तार से जुड़े हुए है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एक करोड़ रुपये प्रति यूनिट तक उदार ऋण की सुविधा के साथ पुष्पकृषि की परियोजनाओं मुख्यतया कटाई उपरान्त प्रबन्ध सहित उत्पादन और विपणन पर समेकित परियोजनाओं के लिये सहायता दे रहा है। यह सुविधा सार्वजनिक/निजी/सहकारी/गैर सरकारी संगठन क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।

वाणिज्य मंत्रालय "आपेडा" की अपनी योजनाओं के जरिए बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास पैकेजिंग विकास, निर्यात संवर्धन और मंडी विकास, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता, परामर्श और डाटा–बेस एवं हवाई भाडे पर राजसहायता से संबंधित घटको के लिये निर्यातोन्मुखी पुष्पकृषि परियोजनाओं को सहायता दे रहा है।

यात्री किलोमीटर में गिरावट का रूख

1063. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991–92 की तुलना मे 1992–93 के दौरान सकल टन किलोमीटर, यात्री किलोमीटर और प्रति किलोमीटर प्रतिमार्ग कि.मी. में गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1992–93 के दौरान 1991–92 की तुलना में शुद्ध टन किलोमीटर में कोई गिरावट नहीं आई थी। तथापि, 1992–93 के दौरान बंबई, कलकत्ता और देश के कुछ अन्य भागों में अशांति के कारण यातायात में रुकावट होने से यात्री किलोमीटर प्रति मार्ग किलोमीटर में 4.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

(ख) यात्री यातायात में सुधार लाने के लिए रेलवे ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(1) अतिरिक्त गाड़ियां चलाई गई, कुछ सेवाओं का विस्तार किया गया और कुछ अन्य गाडियों का भार बढ़ाया गया, दैनिक यात्रियों को सेवित करने के लिए कुछ खंडों पर डीजल मल्टीपल यूनिट गाडियां शुरू की गई। (2) टिकट जांचों में तेजी लाई गई। (3) जालसाजी गतिविधियों के विरुद्ध कडी कार्रवाई करने के अलावा सभी बुकिंग खिडकियों पर टिकटों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। प्रतीक्षारत यात्रियों को टिकट जारी करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर माइक्रोप्रोसेसर आधारित टिकट वाली मशीनें प्रतिष्ठापित की गई थीं। इससे उनके समय में काफी बचत होती है।

वन भूमि का आवंटन

1064. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तीर्थस्थल पर आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु केरल के सबरीमाला में वन भूमि आवंटित किए जाने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रस्ताव कब से लंबित है; और

(घ) सरकार ने प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). केरल राज्य सरकार से भगवान अय्यप्पा मन्दिर मे आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पथनामथिट्टा जिले में 115.60 है. वन भूमि के अंतरण संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जाच करने के बाद, दिनाक 23.4.1994 को राज्य सरकार से कुछ अनिवार्य ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है। इन ब्यौरों के प्राप्त हो जाने से प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

ड्रिप सिंचाई हेतु आबंटन

1065. **श्री शंकरसिंह वाघेला :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रिप सिंचाई योजनाओं हेतु राज्य–सरकारों को विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य–सरकारों ने इस उद्देश्य हेतु दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य–सरकारों ने उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने जिलों को चुना गया/शामिल किया गया है; और

(च) कितने समय में शेष जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). 1993–94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी, जो उपलब्ध करा दी गई थी।

(घ) कुछ राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गये हैं।

(ङ) और (च). यह योजना उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी जिलों में लागू है जहां पर बागवानी फसलें पैदा की जाती हैं।

विवरण

राज्य	1991–92 वास्तविक निर्मुक्ति	1992–93 वास्तविक निर्मुक्ति	1993–94 वास्तविक निर्मुक्ति*
1	2	3	4
महाराष्ट्र	400.00	150.00	595.31
तमिलनाडु	100.00	200.00	345.31
कर्नाटक	50.00	300.00	450.00
राजस्थान	74.00	120.00	30.19
आन्ध्र प्रदेश	130.00	160.00	350.00
गुजरात	200.00	400.00	103.12
हरियाणा	5.00	50.00	51.31
पश्चिम बंगाल	5.00	5.00	32.81
उड़ीसा	25.00	25.00	112.50
पंजाब	20.00	80.00	25.88
केरल	80.00	80.00	93.00
हिमाचल प्रदेश	80.00	80.00	49.12
उत्तर प्रदेश	120.00	125.00	93.19
मध्य प्रदेश	100.00	150.00	91.50
बिहार	30.00	20.00	43.72
जम्मू व कश्मीर	30.00	30.00	29.44
सिक्किम	5.00	5.00	8.59
गोवा	5.00	5.00	9.82
त्रिपुरा	5.00	5.00	9.71
मणिपुर	5.00	5.00	8.59
असम	5.00	5.00	16.76
मेघालय	5.00	5.00	8.59
मिजोरम	5.00	5.00	23.13
अरूणाचल प्रदेश	5.00	5.00	8.59
नागालैण्ड	5.00	5.00	8.59
पाण्डिचेरी	5.00	5.00	8.59
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1.00	5.00	8.59
दिल्ली	–	5.00	8.59
चण्डीगढ़	–	–	9.70
लक्षद्वीप	–	5.00	8.59
दमन द्वीव	–	5.00	8.59
दादर व नागर हवेली	–	5.00	8.59
योग	1500.00	2050.00	2660.01

* इसमें "ग्रीन हाउस" और "मल्चिंग" के लिए छोटे अनुपात की धनराशि शामिल है।

[अनुवाद]

रेलवे को नुकसान

1066. **श्री मोहन रावले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1994 में आंदोलनकारी दैनिक यात्रियों ने नई रेल गाडियों में आग लगा दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन मांगों/कारणों की वजह से रेल यात्री उत्तेजित हुए थे;

(ग) उक्त आंदोलन के कारण रेलवे को कितना नुकसान हुआ; और

(ङ) वहां स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :–

रेलवे	तारीख	गाड़ी	जिसके सवारी डिब्बों को आग लगाई गई
पश्चिम	7.10.94	45 डी एन	4
पश्चिम	7.10.94	ई एम यू रेक	3
पश्चिम	7.10.94	950 माल गाड़ी	2 कंटेनर
	(सभी भायंदर स्टेशन पर)		
	14.10.94	ई एम यू रेक	3
	14.10.94	9022 अप (फ्लाईंग रानी)	4
	(बोरीवली स्टेशन पर)		

(ग) गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण व्यस्त अवधि के दौरान उपनगरीय गाड़ियों के विलम्ब से चलना ऐसे कारण हैं जिनसे रेल दैनिक यात्री उत्तेजित हो गए थे।

(घ) लगभग 1.66 करोड़ रुपये।

(ङ) उपनगरीय गाड़ियां समय सारणी के अनुसार चलाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रेलों ने बम्बई में सेवाओं में सुधार करने के लिए षड्मुखी नीति की भी योजना बनाई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) पुराने आठ रेकों को बदलकर और उनको विकल्प के रूप में रखकर प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार करना। इसके अलावा, रेलपथ मशीनों का उपयोग करके तथा यात्री सूचना प्रणाली पर निगरानी रखकर रेलपथ नवीकरण की गति तेज की जाएगी।

(2) प्रणाली क्षमता में वृद्धि।

(3) राज्य सरकार और बम्बई नगर निगम की सहायता से समपार फाटकों तथा अतिक्रमणों को हटाना।

(4) स्टेशन परिसरों और प्रसाधन जैसी सामान्य सेवाओं में सुधार आदि।

(5) परिचलन क्षेत्र तथा प्लेटफार्मों का सुधार करने तथा यात्रियों की शीघ्र निकासी के लिए मास्टर योजना तैयार करना।

(6) दीर्घकालिक क्षमता बढ़ाना जैसे बोरीवली–विरार के बीच चौहरी लाइन बिछाना और सांताक्रुज से बोरीवली तक 5वीं लाइन का विस्तार और अन्य टर्मिनल क्षमता कार्य।

भेद्य स्थलों पर अतिरिक्त रे.सु.ब./रा.रे.पु. कर्मी तैनात करके संरक्षा उपाय भी सुदृढ़ किए गए हैं।

[हिन्दी]

आयातित चीनी

1067. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ब्राजील से आयात की गई चीनी घटिया किस्म की है तथा बोरियों में निर्धारित मात्रा से कम चीनी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बोरी में कितनी मात्रा में चीनी कम पाई गई है;

(ग) इसका आयात किन एजेंसियों के माध्यम से किया गया था; और

(घ) चीनी का आयात किस भाव पर किया गया है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). खाद्य मंत्रालय को पी डी एस के लिए आयात की गई चीनी की मात्रा के संबंध में गुणवत्ता और वजन कम होने के बारे में ब्राजील से कोई शिकायत नहीं है।

(ग) सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के तहत चीनी का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दे दी है। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे भारतीय राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि. ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी का आयात शुरू कर दिया है।

(घ) भारतीय राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार ये उपक्रम अर्थात एस टी सी और एम एम टी सी ने अमेरिकन डॉलर 387.00, प्रति. मि. टन की औसत सी आई एफ दर पर चीनी के आयात का अनुबंध दिया है।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम

1068. श्री शिवाजी पटनायक :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा और ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी धन राशि आवंटित की गई;

(ख) इस कार्यक्रम से कितने स्वयंसेवी संगठन जुड़े हैं;

(ग) प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) इस धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नामक ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम को अप्रैल, 1991 से समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि समीक्षाओं से यह पता चला था कि यह कार्यक्रम अत्यधिक प्रभावशाली तथा लागत प्रभावी नहीं था। प्रौढ़ साक्षरता को अब पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। ये अभियान क्षेत्र विशिष्ट हेतु [illegible] स्वेच्छाधारित तथा लागत प्रभावी हैं। तथापि, जिन दुर्गम [illegible] के इलाकों में ये अभियान तुरंत शुरू नहीं किए जा सके हैं [illegible] ब एक नव-निर्मित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम का[illegible]त किया जा रहा है।

केन्द्रीय क्षेत्र में निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। जिला स्तर पर तैयार किए गए प्रस्तावों के आधार पर पूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए विशेष रूप से निधियां प्रदान की जाती हैं।

सातवीं योजना के दौरान, कुल 312.45 करोड़ रू. के व्यय में 130 करोड़ रू. का आवंटन तथा आठवीं योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए कुल 1,400 करोड़ रू. का आवंटन किया गया था।

1988 में शुरू किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में प्रतिवर्ष जिन स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है, उनकी संख्या निम्नवत् है:

वर्ष	स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या
1988–89	250
1989–90	390
1990–91	424
1991–92	270
1992–73	160
1993–94	163

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा छात्रवृत्ति

1069. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों को कृषि अनुसंधान कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कोई छात्रवृत्ति योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान और अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां देकर, कृषि शिक्षा को बढ़ावा दे रही है जिससे कृषि और संबंधित विषयों में अनुसंधान कार्यकलापों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जा रहा है।

विवरण

भा.कृ.अ. परिषद द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों का ब्यौरा

(I) मान्यताप्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए कुल छात्रों को 7½ प्रतिशत को योग्यता तथा साधन छात्रवृत्ति दी जाती है जो विद्यार्थी की योग्यता तथा माता-पिता की आय के द्वारा निर्धारित की जाती है। पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान 170/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब से यह छात्रवृत्ति दी जाती है।

(II) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति-कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में डिग्री स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए दी जाती है। यह छात्रवृत्ति 750/- रु. प्रतिवर्ष फुटकर अनुदान के साथ 300/- रु. प्रतिमाह के हिसाब से दी जाती है।

(III) कनिष्ठ शिक्षावृत्ति:- स्नातकोत्तर डिग्री स्तर मे अध्ययन/अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन 24 महीनों के लिए 3000/- रु. प्रतिवर्ष के फुटकर अनुदान सहित रु.1200/- प्रतिमाह की दर पर शिक्षावृत्ति दी जाती है। यह 24 महीने के लिए होती है जिसे 3 माह और बढ़ाया जा सकता है।

(IV) पी.एच.डी. स्तर की शिक्षा में अध्ययन/अनुसधान के लिए वरिष्ठ शिक्षावृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा के जरिए चयन किया जाता है। पहले दो वर्षों के लिए 1800/- रु. प्रतिमाह की दर से तथा 1 से 1½ वर्षों के लिए 1800 रु. प्रतिमाह की दर से शिक्षावृत्ति तथा 5000 रु. प्रतिवर्ष आकस्मिक अनुदान दिया जाता है।

(V) पी.एच.डी. की डिग्री पूरा करने के बाद उनके अनुसधान कार्य को जारी रखने के लिए सुअवसर प्रदान करने हेतु डाक्टोरल के बाद शिक्षावृत्ति 5000/- रु. प्रतिवर्ष के फुटकर अनुदान के साथ 2700-100-3200 रु. की दर से शिक्षावृत्ति।

(विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के हाल ही के अनुदेशों के अनुसार स्नातकोत्तर शिक्षावृत्ति की दर में संशोधन के लिए प्रस्ताव परिषद के विचाराधीन है।)

फसल बीमा योजना

1070. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसल बीमा योजना के मूल्यांकन के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ). इस योजना का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस योजना में निम्नलिखित आशोधन किए गए :

(I) ऋण राशि के 150 प्रतिशत के पूर्व प्रावधान के मुकाबले बीमित राशि को घटाकर फसल ऋण के 100 प्रतिशत कर दिया गया है जो प्रति किसान अधिक से अधिक 10,000 रुपये है।

(II) उपज के उतार-चढाव को देखते हुए प्रतिपूर्ति के विभिन्न स्तर लागू किए गए।

[अनुवाद]

कोंकण रेल परियोजना

1071. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के स्थानीय लोगों को कोंकण रेल निगम में रोजगार देने में वरीयता दी जाएगी;

(ख) वर्तमान में कितने प्रतिशत स्थानीय लोग कार्यरत हैं; और

(ग) सिन्धु दुर्ग तथा रत्नागिरी जिले में कार्यरत ऐसे लोगों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) 77.5 प्रतिशत।

(ग) सिन्धु दुर्ग तथा रत्नागिरी जिलों में ऐसे कर्मचारियो की संख्या क्रमशः 240 तथा 383 है।

गंगा कार्य योजना

1072. **श्री प्रकाश वी. पाटील** :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गंगा कार्य योजना के लिए और धनराशि देने पर रोक लगाने संबंधी दिये गये हाल के निर्णय पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण को अप्रभावी ढंग से लागू करने के क्या कारण हैं तथा धनराशि के अत्यधिक अपव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली उपचारात्मक कार्यवाही क्या है;

(घ) क्या गंगा तथा अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु चल रही और प्रस्तावित योजनाओं की पुनरीक्षा और आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का कोई विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के पहले चरण की चल रही स्कीमों एवं यमुना कार्य योजना के लिए धनराशि जारी करने के संबंध में आगे के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण की स्कीमों, जो प्रतिबंध लगाने की सीमा में हैं, के संबंध में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यों की प्रगति एवं तरीके के संबंध में एक शपथ-पत्र दायर करने के लिए निर्देश दिया गया है।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा पहले किए गए एक अन्तरिम मूल्यांकन से निष्कर्ष निकला था कि यह कार्यक्रम काफी सफल रहा है तथा, गंगा नदी की जल गुणवत्ता में वहां पर काफी सुधार हुआ है जहां पर स्कीमों को पूरा किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में सुधार हेतु दिए गए सुझावों को, गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करते समय, ध्यान में रखा गया है। इस कार्यक्रम में न तो किसी प्रकार का अप्रभावी कार्यान्वयन और न तो धन का दुरुपयोग हुआ है।

(घ) से (च). गंगा कार्य योजना के पहले चरण के कार्यों के बारे में एक स्वतंत्र मूल्यांकन कराने के लिए, जिसमें विदेशी विशेषज्ञ शामिल हों, के संबंध में सुझाव देने हेतु योजना आयोग से सम्पर्क किया गया है।

[हिन्दी]

हाथरस किले से ई.एम.यू. रेलगाड़ियां

1074. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाथरस किला (उत्तर रेलवे) से ई.एम.यू. रेलगाडियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जानवरों की खालों को जब्त करना

1075. श्री फूल चंद वर्मा :
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री मोहन रावले :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ असामाजिक तत्व देश से वन्य पशुओं/पक्षियों तथा वन्य जीव उत्पादों की तस्करी कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा 1994-95 में अब तक गुजरात, दिल्ली और देश के अन्य भागों में जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और उनकी मात्रा तथा कीमत आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने व्यक्ति पकडे गए तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां। देश से वन्य जीवों और अन्य जीव उत्पादों की तस्करी के कुछ रिकार्ड हैं।

(ख) और (ग). दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में तैनात इस मंत्रालय के वन्य जीव परिरक्षण उप-निदेशकों ने समय-समय पर वन्य जीवों के अवैध पारेषणों को जब्त किया है और गत तीन वर्षों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन सभी मामलों मे अपराधियों के खिलाफ वन्य जीव (सरंक्षण) अधिनियम, 1972 अथवा सीमाशुल्क अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने भी बहुत से मामलों का पता लगाया है जिनके ब्यौरे उनके द्वारा रखे जाते हैं।

विवरण

	जब्त की गई मद	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95 (भाग)	
1.	सर्प की खाल/वस्तुएं	4628		3385		7477		21	
2.	सियार की खाल/वस्तुएं	5	कि.ग्रा.	2		1		539	
3.	तेंदुए की खाल/वस्तुएं	2		1		43		9	(कटपीस)
4.	तेंदुए की खाल	–		–		2		–	
5.	कच्ची खाल/वस्तु	30		10		13		1	
6.	घड़ियाल की खाल/वस्तु	1		13		–		–	
7.	मुश्क बिलाव की खाल	–		–		5		145	
8.	हिरण की खाल/वस्तु	–		1		7		6	
9.	विस्रक/चितराला की खाल	1153	पीस+4कि.ग्रा	553	कि.ग्रा.	–		–	
10.	शश की खाल/वस्तु	103	कि.ग्रा.	92	कि.ग्रा.	–		–	
11.	सामान्य लोमड़ी/लाल	77	कि.ग्रा.	2	कि.ग्रा.	–		416	पीस
	लोमड़ी की खाल/वस्तु	–		–		90	पीस	–	
12.	धूसर भेडिये की खाल	–		–		9		3	(कटपीस)
13.	बाघ की खाल	3		–		–		–	
14.	बंगाल भालू की खाल/वस्तु	1		–		5		934	
15.	जंगली बिल्ली की खाल	–		–		129		–	
16.	उदबिलाव की खाल/वस्तु	–		–		3		7	
17.	फिशिंग कैट की खाल	–		–		2		–	
18.	मरूस्थली बिल्ली की खाल	–		–		3		–	
19.	मेघश्याम तेंदुए की खाल	–		–		–		1	
20.	साकिन की खाल	–		–		–		105	
21.	एलेक्जंदरिन पेरोकीट	–		–		–		15	
22.	पहाडी मैना	–		–		–		1000	
23.	मुनिया	–		–		–		1,000	
24.	काले सिर वाली मुनिया	–		–		–		120	

[अनुवाद]

खाद्य तेलों के मूल्य

1076. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में खाद्य तेलों की प्रत्येक किस्म का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या रहा है; और

(ख) देश में खाद्य तेल की प्रत्येक किस्म का वर्तमान मूल्य क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य खाद्य तेलों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों और देश में चुनिंदा केन्द्रों पर प्रत्येक किस्म के मौजूदा मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में मुख्य खाद्य तेलों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण

(यू.एस. डॉलर प्रति मी.टन में)

अवधि	सोयाबीन		बिनौला		सूरजमुखी		मूंगफली		ताड़	रेपसीड	नारियल
	यूएस	रोट	यूएस	रोट.	यूएस	रोट	यूएस	रोट	मलेशिया	रोट	रोट
1991–92 (औसत)	422	437	443	545	477	459	563	541	365	416	605
1992–93 (सितंबर, 93)	521	489	631	651	617	558	874	845	349	466	424
1993–94 (सितंबर, 94)	576	672	540	672	644	674	शून्य	1018	610	660	622

देश में थोक मूल्य (रू. प्रति मी.टन में)

दिनांक	मूंगफली का तेल		सरसों का तेल		रेपसीड तेल	सोयाबीन तेल		नारियल तेल	बिनौले का तेल
	बंबई तैयार	दिल्ली मिल डिलीवरी	कलकत्ता डिलीवरी	दिल्ली कच्ची धानी	बंबई रिफाइंड	बंबई रिफाइंड	दिल्ली मिल डिलीवरी	कोची	बंबई
8.12.94	34500	34800	34000	34670	32700	32700	30300	36500	32900

यूएस – संयुक्त राज्य अमेरिका
रोट – रोटरडम

धनराशि का अनियत मदों पर खर्च किया जाना

1077. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न पर्यावरण विकास परियोजनाओं विशेष रूप से बिहार में सूखा पीडित पलामू बाघ अभ्यारण्य के लिए नियत धनराशि का अन्य मदों पर खर्च किए जाने से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके ऊपर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) निधियों के अंतरण के संबंध में कुछ समाचार–पत्रों में रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। तथापि, बिहार राज्य सरकार ने ऐसे किसी अंतरण से इन्कार किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मुर्गी पालन विकास

1078. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में केन्द्रीय सहायता से मुर्गी पालन विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में मुर्गी पालन विकास क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुक्कुट विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई केन्द्र प्रवर्तित योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षक

1079. **श्री भीम सिंह पटेल :**
श्री ललित उरांव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में क्षेत्र–वार शिक्षकों के लिए कितने पद मंजूर किए गए और 1992–93 तक इनमें से कितने शिक्षक नियुक्त किए गये;

(ख) 1993–94 के लिए क्षेत्र–वार कितने पद मंजूर किए गये और इनमें से की गई नई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1994–95 में क्षेत्र–वार की जाने वाली नई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1993–94 और 1994–95 में केन्द्रीय विद्यालयों में पुरूष और महिला अध्यापकों की पृथक–पृथक कितनी नियुक्तियां की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). वर्ष 1992–93 और वर्ष 1993–94 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के अनुमोदित पदों की क्षेत्र–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्ष 1993–94 के दौरान लगभग 6,500 शिक्षकों का चयन किया गया है और उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई हैं।

चालू वर्ष 1994–95 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी श्रेणियों की बकाया तथा वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए 3,607 शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों के पदों की संख्या

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	अनुमोदित		भरे गए पद	
		1992–93	1993–94	1992–93	1993–94
1.	अहमदाबाद	1539	1280	949	954
2.	भोपाल	2110	1897	1667	1628
3.	बम्बई	2262	1981	1728	1648
4.	भुवनेश्वर	2150	1662	1338	1255
5.	कलकत्ता	1754	1564	1329	1297
6.	चंडीगढ़	2312	2040	1837	1711
7.	दिल्ली	3051	2966	2829	2715
8.	गुवाहाटी	1421	1324	787	1078
9.	हैदराबाद	2238	1831	1748	1620
10.	जयपुर	2268	1915	1804	1576
11.	जम्मू	1886	1568	1251	1030
12.	लखनऊ	2599	2248	2249	2142
13.	मद्रास	2304	2181	1881	1933
14.	पटना	2065	1858	1527	1493
15.	सिल्चर	1344	1026	618	671
16.	मुख्यालय द्वारा प्रबंधित केन्द्रीय विद्यालय	139	54	71	50
17.	बंगलौर	–	1622	–	1318
18.	देहरादून	–	1826	–	1589
19.	जबलपुर	–	1536	–	1098

गन्ने के मूल्य में वृद्धि

1080. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आदानों के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए वर्तमान पेराई मौसम में गन्ने की कीमत बढ़ाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में वर्तमान पेराई मौसम में गन्ने की प्रति क्विंटल निर्धारित मूल्य/दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों ने इस सम्बन्ध में अपना असन्तोष व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार सभी राज्यों में गन्ने के एक समान मूल्य लागू करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य-वार गन्ने के प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित नहीं करती है। तथापि, यह 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और उस स्तर से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए प्रीमियम देने की व्यवस्था है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (छ). जी, हां। केन्द्रीय सरकार 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जो सभी राज्यों में एक समान होता है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार के विरुद्ध शिकायतें

1081. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 और 26 नवंबर, 1994 के "सांध्य टाइम्स" और "दैनिक जागरण" में प्रकाशित "सुपर बाजार के विरुद्ध उपभोक्ता मंच में एक और शिकायत दर्ज करने" संबंधी समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) वर्ष 1994 के दौरान सुपर बाजार के खिलाफ उपभोक्ता मंच में दर्ज शिकायतों का ब्यौरा क्या है और विचार की दृष्टि से ये किस अवस्था में हैं;

(घ) सुपर बाजार में सुधार लाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) सुपर बाजार द्वारा खुले बाजार की अपेक्षा कीमतों पर माल के बेचे जाने के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) सुपर बाजार को इस संबंध में उपभोक्ता मंच से अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जनवरी, 1994 से 30 नवम्बर, 1994 तक सुपर बाजार को अंतर्ग्रस्त करते हुए उपभोक्ता मंच में तीन शिकायतें दायर की गई हैं। मामलों के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए विवरण में दर्शाए गए हैं। समाचार में संदर्भित शिकायत चौथी शिकायत है, जिसके बारे में सुपर बाजार को मंच से अभी सूचना नहीं मिली है।

(घ) सुपर बाजार के कार्य परिणामों की इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा और सुधार करने के उपायों का सुपर बाजार को सुझाव दिया जाता है।

(ङ) सुपर बाजार स्थानीय बाजार के रुख और मूल्य-निर्धारण के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वस्तुएं प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर बेच रहा है।

विवरण

वर्ष 1994 के दौरान उपभोक्ता मंच में सुपर बाजार के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायतों की कुल संख्या तीन है, जिसका ब्यौरा निम्नवत है:

(I) सतीश कुमार वर्मा बनाम सुपर बाजार

उपर्युक्त शिकायत के तथ्य ये हैं कि स्वीकार तेल (5 लीटर के डिब्बे में) के मद पर मैसर्स मैरिको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा शुरू की गई बिक्री संवर्धन योजना के तहत सुपर बाजार द्वारा एक खुदरा विक्रेता के रूप में उपभोक्ताओं को केवल 24/- रु. मूल्य का मुफ्त उपहार दिया गया, जबकि मैरिको उद्योग लिमिटेड द्वारा विज्ञापित योजना में 25/- रु. मूल्य का उपहार देने की बात की गई थी। पेशे से पत्रकार श्री सतीश वर्मा ने 12.5.1994 को उपर्युक्त शिकायत दर्ज कराई जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि ऐसा करके सुपर बाजार और मैरिको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने मुक्त रूप से उपभोक्ताओं को धोखा दिया है जो अनुचित व्यापारिक व्यवहार के तहत आता है।

सुपर बाजार ने अपने बचाव में कहा है कि चूंकि सुपर बाजार ने केवल मैरिको इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा शुरू की गई योजना को पूर्णतः उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है, अतः सुपर बाजार को शिकायत में आरोपित किसी बात के लिए दोषी नहीं कहा जा सकता है। सुपर बाजार की ओर से उत्तर दर्ज कराने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 6.1.1995 निश्चित की गई है।

(II) अब्दुल रजिया बनाम सुपर बाजार

सुपर बाजार के विरुद्ध उपर्युक्त शिकायत 4.10.1994 को दायर की गई थी। मामले के तथ्यों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने "अलकेरान" नामक औषधियां 8.9.1993 को सुपर बाजार की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शाखा से खरीदी थीं। आरोप के अनुसार खरीदी गई औषधि की तिथि पहले ही जून, 1993 में समाप्त हो चुकी थी। शिकायतकर्ता ने उसके द्वारा भोगी गई मानसिक पीड़ा और

शारीरिक क्षति के लिए 2 लाख रू. की क्षतिपूर्ति का दावा किया है सुपर बाजार के विवरण के अनुसार उक्त औषधि काउंटर पर औषध विक्रेता द्वारा अनजाने में उपभोक्ता को गलती से बेच दी गई थी, क्योंकि औषधि पर समाप्ति की तारीख स्पेनिश भाषा में दी गई थी। मामले पर आगे कार्रवाई के लिए 4.5.1995 की तारीख नियत की गई है।

(III) आर.डी. गोयल बनाम सुपर बाजार

शिकायतकर्त्ता द्वारा यह शिकायत अप्रैल, 1994 के महीने में दायर की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा 26.4.1993 को कनॉट सर्कस में सुपर बाजार के घड़ी काउंटर से एक एच.एम.टी. घड़ी खरीदी गई थी और यह घड़ी खरीद की तारीख से ही खराब पड़ी हुई है। उपभोक्ता ने उस घड़ी को बदलने के लिए सुपर बाजार से संपर्क किया परंतु उसे इस बात की अनुमति नहीं दी गई। सुपर बाजार के विवरण के अनुसार उक्त घड़ी एच.एम.टी. वॉच लि. द्वारा विनिर्मित है और इस संबंध में दी गई गारंटी में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि गारंटी केवल घड़ी की मरम्मत के लिए है और इस प्रकार बेची गई घड़ी वापस नहीं ली जा सकती या बदली नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता को सलाह दी गई थी कि वह गारंटी के प्रमाण-पत्र के तहत एच.एम.टी. के प्राधिकृत मरम्मत केन्द्र से घड़ी की मरम्मत करवा लें, परंतु उसने इसके स्थान पर उपभोक्ता अदालत से संपर्क किया। मामले पर अन्तिम बहस के लिए अगली तारीख 3.4.1995 नियत की गई है।

कालीकट रेलवे स्टेशन

1082. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो और तीन की मरम्मत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कब तक मरम्मत कार्य पूरा किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। संभाले जाने वाले यातायात के मौजूदा स्तर के लिए प्लेटफार्म सं. 2 और 3 पर्याप्त हैं और उनका अनुरक्षण भलीभांति किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गोदामों के लिए निधि

1083. **श्री बापू हरि चौरे :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को दूरस्थ एवं अन्तः प्रदेशों में गोदाम स्थापित करने हेतु कुछ धनराशि स्वीकृत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो गोदामों के निर्माण पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गोदामों के निर्माण के लिए कुल 13.16 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। यह वित्तीय सहायता 50:50 की दर पर ऋण राजसहायता आधार पर मंजूर की जाती है।

मछियारिनों के लिए बचत व राहत योजना

1084. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से "मछियारिनों के लिए बचत व राहत योजना" प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को प्रशासन की स्वीकृति कब तक मिल जायेगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने वर्तमान बचत सह-राहत योजना जो कि इस समय समुद्रतटीय राज्यों के सक्रिय मछुआरों (पुरूष) के मामले में लागू है, के अंतर्गत मछली बेचने के लिए महिला श्रमिकों को लगाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) वर्तमान बचत-सह-राहत योजना में इस प्रस्ताव को शामिल करने की कठिनाइयों पर अन्य राज्य सरकारों/एजेन्सियों के परामर्श से अध्ययन करना जरूरी है, अतः इसको अनुमोदित किये जाने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

रेल डिब्बे

1085. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान निजी क्षेत्र से खरीदे जाने वाले रेल डिब्बों की संख्या में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के इस निर्णय से रेल डिब्बे निर्माण करने वाले निजी एकक प्रभावित होंगे और ये बंद होने की कगार पर होंगे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार श्रमिकों की छंटनी और अन्य कठिनाइयों के कारण इस निर्णय पर पुनः विचार करेगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) माल-डिब्बों के प्रापण का संबंध यातायात की जरूरतों से संबंधित होता है, तथा इस आधार पर 1994-95 के दौरान माल-डिब्बों की आवश्यकता पिछले वर्ष की तुलना में कम है, तदनुसार, निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को दिए जाने वाले माल-डिब्बों के क्रय आदेशों में कमी आई है।

(ग) अभी तक इस कारण से कोई निजी इकाई बंद नहीं हुई है।

(घ) सरकार का निर्णय यातायात की जरूरतों पर आधारित है और आवश्यकता पड़ने पर इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है.

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास योजनाओं के लिए संगठनों को अनुदान

1086. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महिला और बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी संस्थाओं/संगठनों को प्रति वर्ष राज्य–वार कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ख) ऐसे संगठनों को अनुदान प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं;

(ग) क्या इन अनुदानों और सहायता के उचित उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री : (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सरकार द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार दी गई अनुदान की राशि का ब्यौरा एक ही स्थान पर नहीं रखा जाता। तथापि, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में आमतौर पर इस प्रकार के अनुदानों का ब्यौरा दिया जाता है। ये वार्षिक रिपोर्टें माननीय संसद सदस्यों को भेजी जाती हैं और संसद के पुस्तकालय में भी रखी जाती है। फिर भी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदान का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ऐसे संगठनों को अनुदान और सहायता प्रदान करने के लिए मापदण्ड स्कीम पद्धति पर आधारित होता है, जो अलग–अलग स्कीमों में अलग–अलग होता है। फिर भी, मुख्य रूप से संगठनों का पंजीकृत होना और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

(ग) और (घ). दिए गए अनुदान और सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार आवधिक रिपोर्टें/विवरणियां तथा खातों के लेखा–परीक्षित विवरण के साथ–साथ उपयोगिता प्रमाण–पत्र मंगाकर कार्यक्रमों का प्रबोधन करती है। प्रमुख अनुसंधान और शैक्षिक संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों की मदद से समय–समय पर प्रमुख कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी किया जाता है।

विवरण

बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	निर्मुक्त अनुदान (रु. लाखों में)		
		1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	59.36	28.92	69.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.85	4.36	10.74
[illegible]	असम	0.79	1.55	5.68
	बिहार	17.58	10.37	11.52
	गुजरात	1.14	2.79	12.46
	हरियाणा	–	4.61	–
	जम्मू और कश्मीर	7.70	15.39	–
	कर्नाटक	45.13	51.14	69.94
	केरल	72.85	81.41	118.98
	मध्य प्रदेश	19.94	6.85	11.69
	महाराष्ट्र	131.37	171.47	158.21
	मणिपुर	8.25	7.99	11.77
	मेघालय	5.37	5.37	4.50
	मिजोरम	1.37	–	1.50
[illegible]	नागालैंड	4.53	14.27	7.54
16	उड़ीसा	14.50	20.21	28.20

1.	2.	3.	4.	5.
17.	पंजाब	6.37	6.06	20.53
18.	राजस्थान	17.18	1.78	18.33
19.	तमिलनाडु	28.85	35.16	9.50
20.	त्रिपुरा	3.71	–	7.84
21.	उत्तर प्रदेश	55.78	79.99	81.52
22.	पश्चिम बंगाल	37.98	50.18	40.05
23.	चण्डीगढ़	–	20.43	9.11
24.	दिल्ली	4.92	7.72	–
25.	पाडिचेरी	0.68	2.03	1.20
	महिलाओं हेतु रोजगार कार्यक्रमों के लिए सहायता (स्टेप)			
1.	बिहार	96.17	25.00	–
2.	गुजरात	48.72	258.93	70.70
3.	हरियाणा	109.895	–	–
4.	हिमाचल प्रदेश	58.88	–	–
5.	कर्नाटक	61.245	–	–
6.	केरल	–	80.8975	–
7.	राजस्थान	255.46	152.530	582.43
8.	उत्तर प्रदेश	202.40	250.574	530.352
9.	पश्चिम बंगाल	17.23	147.328	321.51
	अल्पावास गृह			
1.	आंध्र प्रदेश	26.56	36.27	38.92
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.94	3.55	4.68
3.	असम	2.62	1.92	3.71
4.	बिहार	5.85	5.96	11.75
5.	गोवा	1.76	1.82	0.79
6.	गुजरात	4.20	2.19	4.97
7.	हरियाणा	6.08	3.75	3.75
8.	हिमाचल प्रदेश	3.75	4.52	3.69
9.	जम्मू और कश्मीर	1.43	4.06	3.08
10.	कर्नाटक	7.53	8.11	10.84
11.	केरल	11.25	6.29	19.29
12.	मध्य प्रदेश	4.60	6.98	5.02
13.	महाराष्ट्र	24.20	21.52	39.03
14.	मणिपुर	1.65	1.86	2.44
15.	उडीसा	8.66	24.58	39.03
16.	पंजाब	4.09	4.78	4.32
17.	राजस्थान	7.48	10.67	7.29
18.	सिक्किम	2.87	0.64	0.94

1.	2.	3.	4.	5.
19.	तमिलनाडु	7.37	9.07	18.85
20.	त्रिपुरा	2.80	1.81	6.60
21.	उत्तर प्रदेश	8.09	21.26	27.06
22.	पश्चिम बंगाल	18.73	29.26	34.60
23.	अंडमान और निकाबार द्वीप समूह	0.53	0.68	1.33
24.	चण्डीगढ़	1.64	4.04	1.47
25.	दादर और नगर हवेली	–	0.77	0.94
26.	दिल्ली	4.49	6.45	2.84
27.	पांडिचेरी	1.00	2.54	2.81

नोराड स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण-सहउत्पादन केन्द्र हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम

1.	आंध्र प्रदेश	38.92	86.31	24.19
2.	बिहार	13.48	6.35	11.74
3.	गुजरात	9.02	–	27.34
4.	हरियाणा	21.25	49.42	17.67
5.	जम्मू और कश्मीर	1.80	13.88	1.79
6.	कर्नाटक	–	12.78	52.57
7.	केरल	4.66	–	2.71
8.	मध्य प्रदेश	–	10.83	20.42
9.	महाराष्ट्र	3.85	7.63	9.86
10.	उड़ीसा	10.44	6.63	13.54
11.	पंजाब	36.99	78.27	73.19
12.	राजस्थान	1.57	1.89	0.81
13.	तमिलनाडु	–	29.09	32.23
14.	उत्तर प्रदेश	23.16	35.30	34.07
15.	पश्चिम बंगाल	19.11	15.55	10.93
16.	दिल्ली	2.17	24.32	32.75

बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1991-92	1992-93	1993-94
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	18.59	18.55	34.10
2.	असम	4.10	4.23	7.38
3.	बिहार	1.32	4.37	8.20
4.	गुजरात	8.40	9.10	14.31
5.	हरियाणा	11.63	11.25	21.27
6.	हिमाचल प्रदेश	2.41	2.43	4.17

1.	2.	3.	4.	5.
7.	जम्मू और कश्मीर	1.85	2.09	3.08
8.	कर्नाटक	4.87	4.82	6.80
9.	केरल	8.84	8.29	16.25
10.	मध्य प्रदेश	12.85	12.71	24.57
11.	महाराष्ट्र	10.59	10.26	17.97
12.	मणिपुर	4.66	4.63	8.72
13.	मेघालय	0.42	0.57	0.47
14.	नागालैंड	0.58	0.41	1.09
15.	उड़ीसा	5.26	5.21	9.10
16.	पंजाब	2.54	2.66	5.41
17.	राजस्थान	4.19	3.54	5.78
18.	तमिलनाडु	2.38	2.47	2.74
19.	त्रिपुरा	3.67	3.65	6.62
20.	उत्तर प्रदेश	37.83	13.75	25.57
21.	पश्चिम बंगाल	12.73	12.76	20.56
22.	अरूणाचल प्रदेश	0.21	0.20	0.23
23.	चण्डीगढ़	0.53	1.39	1.87
24.	दादर और नगर हवेली	0.27	0.29	0.64
25.	दिल्ली	3.19	3.36	3.58
26.	पांडिचेरी	0.10	0.12	0.16

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा

क्र.स.	राज्य/के.शा. प्रदेश	1991–92	1992–93	1993–94
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	46.41	49.26	54.04
2.	असम	11.22	9.92	10.81
3.	बिहार	22.37	28.94	24.79
4.	जम्मू और कश्मीर	2.38	3.21	3.71
5.	मध्य प्रदेश	26.73	24.15	26.63
6.	राजस्थान	22.26	20.86	23.31
7.	उड़ीसा	22.83	23.66	26.01
8.	उत्तर प्रदेश	90.18	85.40	93.65
9.	पश्चिम बंगाल	66.17	91.57	91.91

समेकित बाल विकास सेवाएं*

क्र.स.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1991–92	1992–93	1993–94
1.	पश्चिम बंगाल (रामकृष्ण मिशन, नरेन्द्रपुर, पश्चिम बंगाल को निर्मुक्त अनुदान)	11.57	12.00	17.24

* समेकित बाल विकास सेवा स्कीम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और इसका कार्यान्वयन सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्वैच्छिक संगठन का नाम	आबंटित सहायता अनुदान राशि (रू. में)		
	1991–92	1992–93	1993–94
1. 2.	3.	4.	5.
समेकित बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम			
भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली	297,59,092	308,08,871	326,72,000
उत्तर प्रदेश भारत स्काऊटस एण्ड गाईड्स, लखनऊ	27,12,984	30,01,000	542,5,000
एवोकेशनल प्रोफेशनल एजूकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	28,515	89,734	19,999
होम इकानामिक्स एजूकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	11,801	95,395	19,179
बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम			
भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली	30,00,000	35,00,000	47,00,000

खाने हेतु तैयार भोजन निर्माण एककों की स्थापना हेतु राज्य संगठनों को सहायता अनुदान

(रू. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	1991–92	1992–93	*1993–94
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	7.5
2.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	22.5

सामान्य सहायता अनुदान स्कीम

(रु० लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/के.शा.प्र. का नाम	निर्मुक्त अनुदान		
		1991–92	1992–93	1993–94
1.	2.	3.	4.	5.
1.	गुजरात	2.39	1.22	3.50
2.	पश्चिम बंगाल	1.10	4.25	–
3.	दिल्ली	1.80	–	1.80
4.	उड़ीसा	–	3.65	1.22
5.	राजस्थान	–	–	1.34
6.	महाराष्ट्र	–	–	11.73
7.	कर्नाटक	1.10	–	–

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान शिशुगृह कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता अनुदान का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1991–92	1992–93	1993–94
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	186.01	168.23	210.42
2.	असम	20.66	25.03	28.19
3.	बिहार	42.52	56.76	24.48
4.	गुजरात	87.66	98.10	121.67
5.	हरियाणा	46.55	56.91	70.73
6.	हिमाचल प्रदेश	42.56	42.90	87.26
7.	जम्मू और कश्मीर	9.05	4.61	12.10
8.	कर्नाटक	69.50	64.51	75.74
9.	केरल	102.96	78.69	80.33
10.	मध्य प्रदेश	163.30	206.99	217.53
11.	महाराष्ट्र	182.61	149.95	188.34
12.	मणिपुर	20.71	22.87	34.42
13.	मेघालय	19.40	23.19	22.29
14.	नागालैंड	0.19	0.03	
15.	उड़ीसा	74.77	55.03	53.37
16.	पंजाब	15.85	28.96	34.23
17.	राजस्थान	38.13	41.08	67.08
18.	सिक्किम	24.84	12.95	12.96
19.	तमिलनाडु	113.38	124.79	149.34
20.	त्रिपुरा	20.44	21.00	22.86
21.	उत्तर प्रदेश	101.51	83.33	156.23
22.	पश्चिम बंगाल	68.74	76.34	79.72
23.	अरूणाचल प्रदेश	4.98	3.85	6.42
24.	गोवा	3.27	7.40	4.14
25.	मिजोरम	17.51	15.45	15.86
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.43	10.15	9.92
27.	चण्डीगढ़	4.15	5.09	5.40
28.	दादर और नगर हवेली	0.88	1.04	1.41
29.	दिल्ली	27.65	26.11	35.14
30.	लक्षद्वीप	0.97	0.15	0.40
31.	पांडिचेरी	8.55	11.05	16.03
32.	दमन और दीव	–	–	–

नेटवर्किंग स्कीम और पोषक खाद्यों के उत्पादन के अन्तर्गत गैरसरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

क्र.स.	राज्य/ के.शा.प्र.	1991–92	1992–93	1993–94
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	–	5.12	5.13
2.	बिहार	–	0.12	0.15
3.	दिल्ली	–	5.41	1.37
4.	गुजरात	–	0.12	5.26
5.	कर्नाटक	–	0.12	0.37
6.	महाराष्ट्र	–	0.36	11.10
7.	मेघालय	–	0.12	–
8.	उडीसा	–	5.12	0.10
9.	पांडिचेरी	–	0.12	0.24
10.	राजस्थान	–	–	5.0
11.	तमिलनाडु	–	1.31	0.97
12.	पश्चिम बंगाल	–	0.36	0.94

[अनुवाद]

कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग

1087. श्री एम. रमन्ना राय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में प्रयोगार्थ आयात किए गए कीटनाशक स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक सिद्ध हो रहे है और इनके कारण अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति आयात के लिये अथवा घेरलू उत्पादन के लिए किसी कीटनाशक का पंजीकरण मानव जाति, जन्तुओं तथा पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से स्वयं को आश्वस्त कर लेने के पश्चात ही करती है तथा उस विधि का निर्धारण करती है जिसके द्वारा इसका उपयोग करना है। अतएव, आयातित अथवा घरेलू रूप से निर्मित ये कीटनाशक यदि दिशा–निर्देशों के अनुसार उपयोग में लाये जाते है तो इनसे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

चीनी आयात संबंधी ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक पत्र मिला है और काफी समय से मैं सभी माननीय सदस्यों के साथ इस मामले पर चर्चा करना चाहता था। मैं 12.12.1994 के उस पत्र को पढ़ना चाहता हूं और आप उस पत्र पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यह श्री सैयद शहाबुद्दीन का पत्र है, जिसमें कहा गया है :

> "आज शून्य काल के सवा घंटे में से अधिकांश समय दो विषयों पर विचार करने में ही व्यतीत हो गया। पहले विषय ने चालीस मिनट लिये और 25 से अधिक सदस्यों ने उस दौरान विचार प्रकट किये। अधिकांश सदस्यों ने उस विषय के सम्बन्ध में अपने नाम नहीं दिये थे। पहले यह निर्णय किया गया था कि शून्य काल 30 मिनट से अधिक समय का नही होगा जिसमे छः से आठ विषयों पर चर्चा करने की अनुमति दी जायेगी और जिस विशेष विषय के लिए सदस्यों ने अपने नाम भेजे हैं केवल उन्हें ही बोलने की अनुमति दी जायेगी। आप इस बात की सराहना करेंगे कि जो सदस्य नियमों का अनुपालन करते हैं, उनके लिए नियमों में बार–बार परिवर्तन करना अनुचित है।

मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि ड्रॉ निकाल कर छह से आठ विषय चुने जा सकते हैं और अगर किसी विषय के लिए एक से अधिक सदस्यों ने विकल्प दिये हों तो पहले सदस्य को उसे उठाने के लिए कहा जाना चाहिये जबकि अन्य सदस्य संक्षेप में अपने विचार रख सकते हैं। मेरा यह भी सुझाव है कि शून्य काल के दौरान किसी भी उल्लेख में पांच मिनट से अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिये। अगर उस विषय में बहुत से सदस्य रूचि दिखायें, तो पीठासीन अधिकारी नियमों के अनुसार एक संक्षिप्त चर्चा का सुझाव दे सकते हैं।"

मैं इस पत्र से पूर्ण रूप से सहमत हूं। अब, आप इस पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, कल मैंने विधिवत् नोटिस दिया था . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हमने फैसला किया है कि इस मामले पर अधिक से अधिक तीस मिनट का समय दिया जाना चाहिये। इसमें तीस मिनट से अधिक समय नहीं लगाया जाना चाहिये और आप अध्यक्ष को यह निर्णय करने की अनुमति दीजिये कि पहले किस पर विचार किया जाये। कृपया आप अपनी बात अध्यक्ष पर मत थोपिये, अन्यथा अगर आप ऐसा करेंगे तो अन्य लोग भी ऐसा ही करेंगे जब मैं आपका नाम पुकारूं तभी उठिये अन्यथा अपने स्थान पर रहिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी आपने कहा है कि आधे घंटे के अंदर 6–7 विषय होने चाहिए। मेरा अनुरोध है कि वह क्रम यदि बता दिया जाए, जो हम लोग नौ या साढ़े नौ बजे वहां आकर जो नोटिस देते हैं और फिर भी हमारा नंबर काट दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें बता दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, आगे की बैंचों पर बैठने वालों ने ही बोलने का क्या ठेका ले रखा है। राम विलास पासवान जी प्रायः प्रतिदिन बोलते हैं। **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, जब आप निर्णय ले लें कि फलां–फलां आदमी बोलेंगे, तो उनको पहले से ही बता दिया जाए, ताकि वे शून्य काल में उठकर अपनी बात कह सकें और अन्य लोग बीच में नहीं टोकें और हल्ला–गुल्ला न करें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेजर जनरल खण्डूरी जी सबसे पहले आपको नियम पढ़ने चाहिये। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग नौ बजे प्रतिदिन आकर नोटिस देते हैं, लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं मिलता।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात कभी नहीं सुनी गई । मान्यवर, एक बात यह बताई जाए कि हम पीछे बैठे हुए लोगों की बात कब सुनी जाएगी। इस लोक सभा में आज चार वर्ष हम लोगों के पूरे रहे हैं। लेकिन हमारी बात कभी नहीं सुनी गई। हम लोगों को अपनी बात कहने का कभी मौका नहीं मिला। चाहे हमारे क्षेत्र की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात हम बताना चाहते हों, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। क्या आगे बैठने वाले लोगों ने ही बोलने के लिए इसको अपना शतरंज के खेल का स्थान बना रखा है?

जो आगे बैठे हुए हैं, उन्हीं को बोलने का मौका मिलता है। . . .**(व्यवधान)**

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। हम लोगों को कभी बोलने का मौका नहीं मिलता है। हम लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। हम लोग भी अपने क्षेत्रों से चुनकर आये हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : आप उनको कितना भी प्रावधान दें। ...**(व्यवधान)** आप उनको 25 मिनट बोलने का समय देते हैं और हमें केवल 18 मिनट ही देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने बोल दिया और मैं समझ गया। मेम्बर्स बार–बार मेरे चेम्बर में आकर यह सवाल उठाते रहे हैं और मैं उन्हें समझाता रहा हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप सुनिये। हमने इसकी चर्चा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में की, मगर उसका असर तो होना चाहिए था। असर हुआ भी और नहीं भी हुआ इसलिए मैंने समझा कि जब शहाबुद्दीन जी ने गुस्से में लैटर लिखा है तो

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह अच्छा लैटर है। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं कि उन्होंने गुस्से में या सुझाव देने के लिए लिखा है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि हमारे रूल्स यह कहते हैं कि अगर मामला

ऐसा है जो कुछ दिन पहले हुआ हो तो आप उसे प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं और अगर कोई अर्जेंट मामला है, जो कहर हुआ है और पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है तो उसे कॉल अटेंशन के रूप में पूछ सकते हैं या दूसरे तरीके से उसके ऊपर चर्चा कर सकते है। मगर यदि आप एक महीने पहले की चीजें उठायेंगे और वह भी बिना नोटिस दिये बगैर उठायेंगे। उस पर प्रश्न पूछने के बाद भी आप बोलेंगे कि मुझे बोलने का मौका दीजिए तो यह बड़ी परेशानी वाली बात होगी।

आप यह भी ध्यान में रखिये कि यहां पर 545 मेम्बर्स बैठे हुए हैं। अगर सभी एक ही दिन में बोलने चाहेंगे तो सबको एक ही दिन में बोलने का टाइम नहीं मिल सकता है। जब तक आप कॉपरेट नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। अगर मुझे आपको मदद देनी होती है तो मुझे अपनी आवाज तेज करनी पड़ती है। बार-बार आवाज तेज करने पर मुझे बहुत बुरा लगता है, परन्तु उसके बगैर काम नहीं होता है। इसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगता हूं मगर आपको ध्यान में रखना है कि रूल्स को फॉलो करना है तो सब कुछ ठीक हो जायेगा। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जायेगी।

(व्यवधान).

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं इस पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कमेटी ऐपाइन्टेड हुई थी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे प्रश्न के रूप में क्यों नहीं पूछा?

श्री राम विलास पासवान : . . . **(व्यवधान)** क्या आप सब लोग इसके विरोधी हैं? . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिये पासवान जी . . . **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : बहुत दुख के साथ हमको कहना पड रहा है कि इस मामले को टैक्नीकेलिटीज में लिया जा रहा है **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट रूकिये।

[हिन्दी]

आप पहले मेरी बात सुनिये?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये। आप पहले मेरी बात सुनिये। मैं आपको बाद में सुनूंगा।

यह सवाल ऐसा है कि लास्ट सैशन में आया था। इसके बारे में अगर आप क्वश्चन पूछना चाहते तो पूछ सकते थे। आपने प्रश्न पूछा नहीं है। आप इसे जीरो आवर में भी उठा रहे हैं। फिर भी कल भी और आज भी बताया गया है कि इसकी जो रिपोर्ट है, आपको दी जायेगी और उसके ऊपर चर्चा भी की जायेगी।

श्री राम विलास पासवान : कब? सरकार ने कुछ नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय : कल बताया गया है।

श्री राम विलास पासवान : कल आपके चैम्बर में क्या हुआ, उसको मैं यहां नहीं बताना चाहता हूं लेकिन सरकार की तरफ से यहां कुछ नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : चैम्बर में लीडर्स की मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है कि बिजनेस क्या लेना है, वह तय होता है।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है। उस समय पर हम लोगों ने आपके चैम्बर में कहा था . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप यहां पर दूसरे अच्छे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की पालिसी है, इकोनोमिक पालिसी है, फैमिली प्लानिंग है, इसके ऊपर चर्चा करने का भी उन्होंने कह दिया है। इसके बाद भी आप उसको मुद्दा बनाएंगे?

श्री राम विलास पासवान : इसका मतलब करप्शन का कोई मुद्दा ही नहीं है? आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में पूरी की पूरी सरकार करप्शन में चली गई . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप रैगुलरली डिस्कस कीजिए, मैं डिस्कशन दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : वहां पूरी की पूरी सरकार करप्शन पर गई है और यह करप्शन नहीं है? यह मामला बोफोर्स से कम नहीं है। यदि आप एक मिनट मुझे सुन लें तो मैं समझता हूं कि फ्यूज हो सकता ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डिफ्यूज कीजिए, फ्यूज नहीं। डिफ्यूज हो सकता है।

श्री राम विलास पासवान : यह फ्यूज भी हो सकता है। आप एक मिनट के लिए मुझे सुन लीजिए। हम लोग कभी-कभी बहुत एजीटेटिड होते हैं। उसका कुछ कारण होता है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि लैफ्ट फ्रण्ट, नेशनल फ्रण्ट की बैठक हुई है ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वे रिपोर्ट कब तक देंगे। वे उसे सभा में पेश नही कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने अपनी बैठक में डिसीजन लिया है कि जो करप्शन का मामला है, उसको हम किसी आड में छोड़ने नहीं देंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे नहीं मालुम कि आपके कक्ष में क्या बचा हुआ था। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ज्ञान प्रकाश कमेटी सरकार की फोर्मर सी. ए. जी. की बनाई हुई कमेटी है, उसने जो चार्ज लगाया है और कैबिनेट सेक्रेटरी श्री सैफुल्ला ने जिस तरह से सरकार के ऊपर चार्ज लगाया है ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है। लोगों ने इस पर उनके विरुद्ध मतदान किया है। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यहां खाद्य मंत्री बैठे हुए हैं, उसने इनको कटघरे में खड़ा किया है कि 2500 करोड़ रुपये की बंगलिंग हुई है ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रिपोर्ट, दो महीने पहले पेश की गई थी। इसे सभा में अभी तक नहीं रखा गया है। इसके क्या कारण हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनके पास सारी जानकारी है। वे इसे हमें बताने से इंकार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप यह डिस्कशन ले रहे हैं तो मुझे दूसरों को डिस्कशन देना पड़ेगा। मिनिस्टर के पास इन्फोर्मेशन नहीं है और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस विषय में गवर्नमेंट का क्या कहना है, वह सुन लीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : इन्फोर्मेशन सब लोगों को है, हम लोगों के पास इतनी मोटी फाइल पहुंच गई है और उनको इन्फोर्मेशन नहीं है? इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? सरकार उस रिपोर्ट को यहां पर रखने में क्यों कतरा रही है? 2500 करोड़ रूपये की बंगलिंग का कोई मामूली मामला नहीं है। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आपके पास जो कुछ भी जानकारी है, उसे आप यहां क्यों नहीं रखते . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आपने प्रश्न पूछ लिया है। मंत्री महोदय आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं। उन्हें जवाब देने दीजिये।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): महोदय, इस मामले पर आपके कक्ष में विस्तार से चर्चा की गई थी। हम इसमें कुछ संशोधन करने पर सहमत हो गये हैं।

श्री राम विलास पासवान : हम सहमत नहीं हुए हैं। (**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मुझे अपना जवाब पूरा करने दीजिये और उसके पश्चात् अगर वे मुझसे सहमत नहीं हों, तो वे ऐसा बता सकते हैं।

हम आपके कक्ष में, आपकी मौजूदगी में कुछ संशोधन करने पर सहमत हो चुके हैं। रिपोर्ट को सभा में क्यों नहीं रखा जा सकता, इसके कारण मैंने स्पष्ट कर दिये थे।

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों नहीं रख सकते?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह स्पष्ट कर दिया था। आप उससे सहमत हों अथवा न हों।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप उन्हें यहां स्पष्ट कीजिये। . . .(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनें।

श्री बसुदेव आचार्य : सभा को यह मालुम होना चाहिये कि रिपोर्ट को यहां पेश क्यों नहीं किया जा सकता।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, उन्हें मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने दीजिये। मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मंत्री जी यह बात स्पष्ट कर देंगे कि सभा में क्या रखा जायेगा और क्या नहीं रखा जायेगा तथा क्यों नहीं रखा जायेगा।

(**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मेरा उन माननीय सदस्यों से, जो तथ्य जानना चाहते हैं, अनुरोध है कि वे मेरी बात धैर्यपूर्वक सुने और उसके बाद आप उन्हें कोई भी प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकते हैं।

हमने उसे स्पष्ट कर दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक सदस्य इस मामले का स्पष्ट रूप से विश्लेषण करें और सच्चाई बताने से डरे नहीं . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं उसे स्पष्ट करूंगा। आपको रिपोर्ट मिल चुकी है। आप उस रिपोर्ट के बारे में सभा को सूचित करेंगे या नहीं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, महोदय। मैं अभी उसी के बारे में ही स्पष्टीकरण दे रहा था। उस रिपोर्ट के आधार पर हम सभा में एक वक्तव्य देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप रिपोर्ट को सभा पटल पर क्यों नहीं रख रहे हैं? इसकी क्या वजह है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, ऐसा इसलिए है क्योंकि समिति के सामने उपस्थित हुए लोगों ने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी या हो सकता है कि जनता उसे पसंद न करे। उनकी पहचान जगजाहिर न हो इसलिए गुमनामी के आधार पर उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें बताईं जो सच्चाई तक पहुंचने में, तथ्यों को प्राप्त करने में फायदेमंद हैं । अगर उन्हें मालूम हो कि उनके नाम जाहिर किये जायेंगे और उन्हें हर प्रकार के प्रश्नों, आरोपों का सामना करना पड़ेगा और हर प्रकार से परेशानी होगी, तो वह ऐसी समितियों के सामने, जहां रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता हो, सच्चाई नहीं बतायेंगे। अतः रिपोर्ट के आधार पर, सच्चाईपूर्वक, समुचित और सही-सही रूप में हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमें सभा को गुमराह नहीं करना चाहिये। इस रिपोर्ट से मिले संकेत के आधार पर हमें ऐसे कार्य करने चाहिये जो ऐसे मामलों में हमें समुचित कार्यवाही की ओर अग्रसर करे। दोषियों को सजा दी जायेगी और अगर कहीं कोई दोष पाया जाता है, तो उसे सुधारा जायेगा। दोषी पाये जाने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जायेगा। इस बारे में मैं आपको तथा इस सभा को भी आश्वासन दे सकता हूं। लेकिन अगर सदस्य यह चाहें कि रिपोर्ट को सभा में रखा जाये तो हम रिपोर्ट को सभा में नहीं रखेंगे बल्कि हम इस मामले पर की गई कार्यवाही के कारण और ब्यौरे देने वाला एक व्यापक वक्तव्य अवश्य देंगे ताकि इससे माननीय सदस्यों को संतुष्ट किया जा सके।

महोदय, मेरा अंतिम अनुरोध यह है कि यहां वक्तव्य दिये जाने के बाद आप उस वक्तव्य पर नियम 193 या जो भी नियम आप चाहें, के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं और उस मामले पर चर्चा करने के लिए आपको पूरा एक दिन मिलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : गुमनामी तो नामों के बारे में है। तर्क और तथ्यों के बारे में क्या समस्या है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में आपने मंत्री जी को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि सरकार का उस रिपोर्ट के बारे में क्या करने का प्रस्ताव है, यह वह सभा को अवश्य बता दें और अगर कोई संकोच है, तो वह क्यों है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अभी दिया गया वक्तव्य इस सभा को संतुष्ट नहीं कर सकता। एक इतने बड़े घोटाले के बारे में सार्वजनिक रूप से घोषित जांच की रिपोर्ट को सरकार इस सभा से किस प्रकार छिपा सकती है और किस आधार पर छिपा सकती है? ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट की जानकारी सदस्यों को न दी जाये, मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता। सिवाय इसके कि सरकार कुछ छिपाना चाहती हो, इसकी कोई वजह नहीं है।

महोदय, जो भी हो, यह संसदीय समिति नहीं है। लेकिन संसदीय समिति में भी, अध्यक्ष सबसे पहले गवाह को यह चेतावनी देता है: "आप यहां जो कुछ कहेंगे, उसे गुप्त रखा जायेगा और अगर आप चाहें कि आपके साक्ष्य का कोई अंश कार्यवाही-वृतांत में न जाये, तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।" लेकिन इसके साथ ही, वह उन्हें यह बताते हैं कि इसकी जानकारी संसद सदस्यों को दी जायेगी।

संसदीय समितियों के संबंध में भी यही प्रथा है और मुझे विश्वास है कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि संसदीय समितियां इस प्रकार की सरकारी जांच से बेहतर स्तर की होती है। संसद को यह जानने का पूरा अधिकार है कि समिति की रिपोर्ट में आख़िर क्या है और यदि इसके पीछे कोई तकनीकी कारण है जिसकी वजह से सरकार इस रिपोर्ट को दबाना चाहती है तो मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों में और इस प्रकार के घोटालों में सरकार तकनीकी कारणों की आड़ में अपने आप को जितना छिपाना चाहेगी, उसकी स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। जैसा कि मेरे साथी ने अभी-अभी कहा है, आज भ्रष्टाचार राष्ट्र के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते हैं। मैंने आपके कक्ष में अपनी अन्य बातों को रखा था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी की आवाज को दबा नहीं सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैंने आपके कक्ष में एक और निवेदन किया था कि वक्तव्य देने के पश्चात यदि माननीय नेतागण इस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं होते हैं अथवा वे इसके अतिरिक्त और कुछ जानना चाहेंगे तो हम आपको रिपोर्ट दे देंगे और आप माननीय नेतागण रिपोर्ट को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अध्यक्ष जी के कक्ष में रिपोर्ट उनकी अभिरक्षा में होगी ओर वाजपेयी जी, आडवाणी जी तथा अन्य नेतागण यदि वे और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वे रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन इसके कतिपय कारण हैं। यह निष्पक्ष जांच के हित में है, कि जनता बिना किसी डर के, बिना किसी खतरे के अथवा बिना यह सोचकर कि उनके नाम भी बता दिए जायेंगे जिससे बाद में उनको परेशान किया जाएगा, सच्चाई व्यक्त कर सकें। हम चाहते हैं कि लोग आकर सब कुछ स्पष्ट और उचित रूप से कह दें। अतः मैं किसी तकनीकी कारण की बात नहीं कर रहा हूं। हम यह सब कुछ निष्पक्ष जांच के हित में, साम्यता के हित में कर रहे हैं ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। किसी को भी बचाने में हमारी रूचि नहीं है। हम सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो जवाब है और जो आपने व्यवस्था दी है तथा शहबुद्दीन जी का पत्र

आपने पढा, इन सारी चीजों को मिलाकर मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे मत कहिए, जो कुछ कहना है, वह हाउस को क़हिए।

[अनुवाद]

मुझसे कुछ कहना आपका काम नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं आपके थ्रू हाउस से कह रहा हूं। आपने पत्र पढ लिया और आप कह रहे हैं कि आप से मत कहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सदन तथा पीठासीन अधिकारियों की प्रतिष्ठा एवं गरिमा के अनुकूल नहीं है कि आप यूं हर समय अध्यक्ष को निर्देश देते रहें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं आपको डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं। आपके थ्रू कहना जरूरी है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री शरद यादव : आप इतने नाराज क्यों हो जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको यूं हर समय मुझे हिदायत नहीं देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैंने कभी नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : फिर अच्छा है।

श्री शरद यादव : आपको इस तरह से नाराज नहीं होना चाहिए। आप कहिए, तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बताइए, प्लीज। इतना लम्बा मत कीजिए।

श्री शरद यादव : आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं, आप बताइए। आप फिर उसको लम्बा कर रहे हैं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मुझे तकलीफ हुई, आपके इस तरह से टोकने सें। मैं बोलने वाला था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या करना चाहिए, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कभी नहीं कहा है। आप कहते हैं, तो मैं वापिस ले लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसको आप छोड़िए। बताइए, आपको जो कुछ कहना है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मंत्री जी ने कहा है और जो बात राम विलास जी और आडवाणी जी ने उठायी है। ज्ञान प्रकाश की जो एन्क्वायरी है, वह सरकार ने कान्स्टीट्यूट की है। यह कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को टेबल करिए। उस रिपोर्ट को टेबल करने के मामले में कई तरफ से, यानि जिस तरह से विद्याचरण शुक्ल जी, संसदीय मंत्री, का कहना है, उनके कहने के अनुसार, वे इस पर वक्तव्य देंगे और हम सभी लोग सेटिसफाइ हो जायेंगे। मैं यह जानता हूं, पिछले चार वर्षों में इस संसद में ...(**व्यवधान**) पिछले साढ़े तीन वर्षों में भ्रष्टाचार की बाबत इतनी बड़ी बहस हुई है, लेकिन यह पूरा सदन किसी भ्रष्टाचारी को कभी किसी मौके पर पकड़ नहीं पाया है। जब नहीं पकड़ पाया है, तो यह सारी बहस जो ए टी आर का मामला है, जो इतना बड़ा मामला है, इसमें हम अभी तक कहीं पर भी नहीं पहुंच पाए हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके तहत निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन चले और सब लोगों को मौका मिले, लेकिन यह सारी बहस की सभा होगी और किसी सवाल को उठाए जाने पर कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यदि नतीजा नहीं निकलेगा, तो सदन की जो व्यवस्था है, डैकोरम है, डिसेंसी है, यह बनाए रखने का मंतलब क्या है, अर्थ क्या है। जिस बात के लिए आप स्ट्रैस करते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डिसेंसी रहनी चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए तथा सब विषय होने चाहिए। किसी विषय का समाधान इस सदन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सदन कभी किसी आदमी को यानि देश भर मे जो भ्रष्टाचार है, घोटाला है और देश की जनता बैलेट पेपर पर विद्रोह करके बता रही है और यहां सदन मे बात पकड़ी नहीं जा रही है। जनता बैलेट पेपर पर विद्रोह करके बता रही है, लेकिन यह सदन बांझ हो जाए। बहस यहा की बांझ हो जाए। मैं यह देख रहा हूं, लगातार इस सदन में हम नियमो और कानूनों के तहत, जो सच्चाई है, उसको किस तरह से सप्रैस करना चाहते हैं। यह सप्रैशन नहीं चलेगा। सदन से भले ही बाहर निकाल दिए जायें। आपके कानून यदि कहते हैं, हम सदन से बाहर चले जायें, तो हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सदन मे खड़े होकर जो पूरे देश की करोड़ों रूपए की सम्पत्ति को डुबोने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं और यहा सदन मे कानून और नियमों का हवाला देकर सारी चीजों को कर सकें, तो यह चलने वाला नहीं है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं आप इस सदन के कस्टोडियन हैं, हम आपका यानि राष्ट्र के तहत आपका सम्मान करते हैं, इस सदन में आपके बैठे कोई एक चोर, कोई एक भ्रष्टाचारी, एक लूटखोर हम पांच वर्षों में कभी भी नहीं पकड सके।

अध्यक्ष महोदय : न मैं जज हूं और न आप पुलिस हैं।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : पुलिस कैसे नहीं हैं। यह सदन इस बात के लिए कैसे जिम्मेदार नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप किस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, आप हमेशा कानून की आड़ में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, क्या इस हाउस में बेकानून से काम चलेगा?

श्री शरद यादव : नहीं, मैं कहता हूं कि कानून से काम चलेगा, लेकिन इस सदन में देश की जनता ने जिस बात के लिए हमें पहुंचाया है उसका काम भी होगा, उसकी ड्यूटी होगी या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप रेगुलरली नोटिस दीजिए, कानून देखिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कहां है? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, आपसे मेरी एक ही विनती है, हमको तकलीफ यह है हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं लेकिन आप कम से कम बाधा तो मत डालिए, कम से कम इनको पकड़ने में सहायता तो कीजिए। . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप रूल के मुताबिक नोटिस दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आपने एटीआर के मामले में हमको कहा कि यहां आ जाइए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, वह यह नहीं कह सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय बाधा डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

आप जो यह कह रहे हैं कि यह बाधा डाल रहे हैं, यह कहना आपका बिल्कुल गलत है आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए। . . . **(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग सकता हूं। . . . **(व्यवधान)** कोई भ्रष्टाचार, करप्शन का जवाब आप ठीक से नहीं देंगे, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। . . . **(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, मैंने आप पर अगर कोई बात कही हो तो मैं क्षमा मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं उनके तहत आपसे गुस्सा जाहिर कर रहा हूं, मेरा आपसे गुस्सा नहीं है, मेरा गुस्सा तो इनसे है, इस निकम्मी सरकार से है . . . **(व्यवधान)** मेरा कहने का मतलब यह है कि डूबने के बाद भी अब यह होश में आने को तैयार नहीं है। . . . **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, कल जो बात हुई, उसके बाद इस सरकार को चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। ...**(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इस विशेष मामले में सदन के कानून अथवा नियम अथवा परम्परायें भी इस सदन को यह जानने से रोक सकती हैं कि समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मोटे तौर पर कहे तो सरकार हमेशा जनता के हित और राष्ट्रीय हित की आड में पनाह ले सकती है। परन्तु सरकार सभा पटल पर उस दस्तावेज को क्यो नहीं रख सकती है? यह सच है कि जब तक आप निर्देश नहीं देते अथवा जब तक कोई नियम मुझे ऐसे करने का अधिकार नहीं देता तब तक मैं सरकार को कतिपय दस्तावेज सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन मेरा यह कहना है कि सरकार उसे छिपा नहीं सकती विशेषकर ऐसे में जब कि आपने निर्देश दिया है कि उन्हें सदन को विश्वास में लेना चाहिए। अतः अन्यथा उनको किसी कानून अथवा नियम का हवाला देना चाहिए कि आखिर दस्तावेज को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सकता है। वे केवल इस बात से दस्तावेज रखने से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि कतिपय लोगों ने जो कि अधिकारी है, साक्ष्य दिया है। उनको कौन दण्डित करेगा। क्या सरकार ऐसा करेगी क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से सब कुछ बताया है और क्या यह सब इसलिए हो रहा है। इसलिए, इस प्रकार के बहानों पर हमें विश्वास नहीं है। इसमें कोई जनता का हित शामिल नहीं है। यह एक घोटाले का घोखाधड़ी का मामला है जिसके संबंध में जनता की ओर से सदन में मांग की गई थी और मुझे विश्वास है कि इस जांच का आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया है। जांच पूरी होने के पश्चात् इस रिपोर्ट को सरकार के हवाले कर दिया गया है और सदन इस रिपोर्ट की मांग कर रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने इसकी मांग की है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समझता हूं कि सरकार को इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि यह आज की कार्य सूची में शामिल नहीं है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : वह एक अलग मामला है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं कि ऐसे कुछ नियम है जिसके तहत इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमें रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री बसुदेव आचार्य : जब तक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होती है तब तक हम चर्चा कैसे कर सकते है? . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, हम बोलना चाहते हैं। वे कानून का हवाला दे रहे हैं, वे किस कानून का हवाला दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं कह रहा हूं कि आपको नियमों का अध्यन करना चाहिए और नियमों का उपयोग करना चाहिए ताकि सरकार को बाध्य कर सकें कि वह आपको इसकी जानकारी दें। इसकी बजाय, आप किसी नियम की बात न करके इस मामले को उठा रहे हैं जबकि सूची में न शामिल किये गये कार्य को लिया गया है। क्या यह ठीक है?

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। परन्तु यहां पर सरकार ने इस बात को मुद्दा बनाया है कि वह रिपोर्ट के आधार पर वक्तव्य देने के लिए तैयार है। परन्तु वह रिपोर्ट को सदन में रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसी की बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा कानून है अथवा सदन का ऐसा कौन सा नियम है जो पूरी रिपोर्ट को सदन में रखने से उन्हें रोक रहा है? वे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम जांच के निष्कर्षों के आधार पर वक्तव्य देंगे परन्तु हम जांच रिपोर्ट की जानकारी आपको नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कानूनी पक्ष से मैं आप दोनों की बातें सुनूंगा। मैं सरकार की बात भी सुनूंगा जो कि यह कह सकती है कि उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है और मैं आपकी बात भी सुनूंगा। आप दोनों की बातें सुने बगैर मैं कानून के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं कानून के बारे में आप दोनों की आते सुनूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : जहां तक मैं माननीय मंत्री जी को जानता समझता हूं वे किसी भी कानूनी मुद्दे पर निर्भर नहीं रहे हैं। उन्होंने कौन से कानूनी मुद्दे अथवा नियम का हवाला दिया है? उन्होंने केवल तकनीकी की बात कही है, यदि आप इस बात को आधार मानना चाहे तो मान सकते हैं कि इसमें कतिपय लोग शामिल हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके नाम उदघाटित हो क्योंकि इससे बाद में वे लोग मुश्किल में पड सकते हैं। क्या यही कानूनी मुद्दा है अथवा यह प्रक्रिया सत्य थी नियमों का कोई भाग है? वह ऐसा कुछ लोगों की सुविधा के लिए कह रहे हैं कि वह पूरी रिपोर्ट सामने रखना नहीं चाहते हैं ताकि कुछ लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। उन्होंने और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक वक्तव्य देगी जिसमें वे जिस निष्कर्ष पर पहुचे हैं, उसकी जानकारी देंगे। लेकिन हम उनके निष्कर्षों पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। हम रिपोर्ट के जांच परिणामों से अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमें सरकार के प्रति सन्देह है जिसका कहना है कि वे रिपोर्ट से निष्कर्ष निकालेंगे और उन निष्कर्षों के आधार पर वक्तव्य देंगे। हमने इस सदन में ऐसी कहानी को कुछ दिन पहले भी कई बार सुना है। हमें सरकार की इस बात पर विश्वास नहीं हैं कि वह कभी इस सदन के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत करेगी। सरकार इस रिपोर्ट को छिपाने की कोशिश करती रहेगी। यदि सरकार उन कतिपय व्यक्तियों के नाम छिपाना चाहती है, जो सरकार के समक्ष यह कहते हुए गये हैं कि वे परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि और कोई रास्ता निकाला जा सकता है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि रिपोर्ट के मूल निष्कर्षों को भी सदन से छिपा कर रखना चाहिए। इसका क्या कारण हैं? उनको हमें बताना चाहिए। जहां तक समिति द्वारा पता लगाए गये निष्कर्षों एवं तथ्यों का संबंध है, पूरी रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि रिपोर्ट के निष्कर्षों को सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निष्कर्ष नहीं, जांच परिणामों को रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : निष्कर्ष ही जांच परिणाम है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन्हें ऐसा करने का निर्देश क्यों नहीं दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों पक्षों की बात सुने बगैर कोई निर्देश नहीं दूंगा न ही कुछ करूंगा। यदि आप और वो मुझे विश्वास दिलाएंगे तो मैं आपकी बातें सुनूंगा।

श्री गुमान मल लोढा : मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक माननीय सदस्य के इस कथन का कि जिन गवाहों के नामों का उल्लेख किया गया है, उन्हें परेशान करने अथवा उन पर दबाव डालने अथवा उनके उत्पीड़न का सम्बन्ध है, उन्हें क्षमा प्रदान करने को स्वीकृति तक प्रदान की जा चुकी है। जिन गवाहों ने भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, उन्हें सरकार द्वारा इनाम दिया जाना चाहिये और उनकी सराहना की जानी चाहिये। अगर सरकार गवाहों का उत्पीड़न करना चाहती है, तो उसे यह कहना चाहिये कि वह गवाहों को उत्पीड़ित करना चाहती है। सरकार उन लोगों के नाम जानती है। वे लोग पहले ही उन लोगों का नाम उजागर कर चुके हैं, जो भ्रष्ट हैं। यह सभा उनकी सराहना करेगी। यह सभा उन्हें इस घोटाले का, जिसने इस देश के लोगों को बचाया है, खुलासा करने के लिए उन्हें सम्मान देगी और इसीलिए मेरा सरकार से सादर निवेदन है कि सरकार को इस बात का सहारा नहीं लेना चाहिये। ऐसा कोई कानून नहीं है, जो इसका निषेध करता हो। उन्हें सभा में रिपोर्ट अवश्य रखनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप तो अत्यधिक व्यापक वक्तव्य दे रहे हैं। वे कल मुझे कानून के बारे में बतायेंगे।

श्री गुमान मल लोढा : उन्हें रिपोर्ट सभा पटल पर अवश्य रखनी चाहिये और सभा की सर्वसम्मति भी यही है। यहां पर बैठे हुए सभी लोगों में से कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्ति चटर्जी, आपको संक्षिप्त प्रश्न पर बोलना है इसकी विषय वस्तु पर नहीं बोलना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, मैं आपसे तथा सरकार से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि आंध्र प्रदेश के चुनाव, कर्नाटक के चुनाव और स्वयं इस सभा को छोड़कर ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो उन्हें रिपोर्ट सभा में रखने के लिए मजबूर करता हो। हम शून्य काल में बहुत सी ऐसी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनका नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : निर्मल जी, एक मिनट के लिये मेरी बात सुन लीजिये।

[अनुवाद]

अब अगर आपको यह चिंता है, तो आप किसी समुचित नियम के अन्तर्गत अपनी बात क्यों नहीं रखते।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं भी यही कह रहा हूं। मैं समस्या आपके समक्ष रखता हूं। समस्या यह है कि सुस्पष्टता के बारे में विगत में भी ऐसा हुआ था। संयुक्त संसदीय समिति में होने के नाते हम उसके बारे में जानते हैं। शुरू में पेश की गई जो रिपोर्ट हमें भेजी जा रही थी, उसके कुछ भाग हटा दिए गए थे। यह सुस्पष्टता के बारे में उनके स्नेह को दर्शाता है। अतः रिपोर्ट उपलब्ध कराने में उनकी केवल यही मजबूरी है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा संभव है कि कुछ लोगों ने साक्ष्य इस शर्त पर दिए हों कि उन्हें मौत के सौदागरों द्वारा अथवा इस कीमत वृद्धि के लिए जिम्मेदार सौदागरों या सरकार द्वारा किसी मुसीबत में नहीं डाला जायेगा। हम इस बात को समझते हैं। लेकिन उनके साक्ष्य क्या थे? निष्कर्ष क्या थे। हम निष्कर्षों के संबंध में भी प्रश्न उठा सकते हैं। उसे संसद से क्यों छिपाया जाना चाहिये? आखिकार जिस प्रकार से उन्हें लोगों ने चुना है, हमें भी जनता ने चुना है। आज उनकी शक्ति गलत तरीकों से प्राप्त हुई है। लेकिन आखिरकार, उनका उन लोगों के प्रति जिन्होंने तकलीफें उठाई हैं, जिनका चीनी घोटाले में करोड़ों रूपये का नुकसान हो गया है, दायित्व है।

अध्यक्ष महोदय : जब आप ऐसे विषय पर जा रहे हैं, जिसके लिए आपको समय दिया जायेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि रिपोर्ट वहां नहीं होगी। फिर वहां क्या होगा? हमें इसकी जानकारी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि हम उस आधार पर काम करें?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं चाहता कि आप मेरे मार्गनिर्देशन में चलें। आप नियमों का पालन कीजिये। आप मेरे पास नियमों के साथ आइये। मैं निर्णय दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जो नियम उन्हें मजबूर कर सकता है, वह स्वयं यह सभा है। कोई अन्य नियम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक संकल्प पारित करें। आप एक संकल्प पारित करवा सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम एक संकल्प पारित करवा सकते हैं। अतः हमारा सुझाव यह है कि एक उपबंध है, कम से कम एक पूर्वोदाहरण, एक प्रथा ऐसी है, जब आप उन्हें मजबूर करने में सफल हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं कानून के अनुसार काम करूंगा। अगर कोई ऐसा कानून विद्यमान है, जो उनका बचाव करता है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अतः, पहले आप इस बात का पता लगाइये कि कोई ऐसा कानून है या नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या मैं आपको पिछले सत्र की घटनाओं की याद दिला सकता हूं? क्या बगैर संशोधित कार्यवाही रिपोर्ट लाने का निश्चय किया जाता? ऐसा मजबूरन किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हर रोज मुझे हस्तक्षेप करने के लिए मत कहिये। ऐसा करना अच्छी बात नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप ऐसा क्यों नहीं करते? कुछ मामलों में हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करते हैं। अतः हम सभी के लिए यह एकजुट बुद्धिमत्ता की बात है कि हमारे विचार आपके माध्यम से अभिव्यक्त हों इसी कारण हम चाहते हैं कि आपके पास संसद की गरिमा को बनाये रखने के लिए शक्ति अन्तर्निहित अधिकार हो।

अध्यक्ष महोदय : अन्तर्निहित अधिकार को आपके विवेक से नहीं मेरे विवेकानुसार प्रयुक्त किया जाना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने हमेशा सहयोग दिया है और बदले में हमने भी अपना सहयोग दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आपको पीठासीन अधिकारी को किसी कठिन स्थिति में नहीं रखना चाहिये। आप नियम बता सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया गया है, मंत्री महोदय ने जानकारी अपने पास ही रखने के लिए न तो जनहित और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया है। उन्होंने जो कारण बताया है वह सिर्फ यह है कि कुछ अधिकारियों के नाम, जिनके साक्ष्य रिपोर्ट में शामिल हैं, सार्वजनिक हो जायेंगे और इस प्रकार उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी और इस प्रकार उन पर दबाव पड़ने की संभावना है।-

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें ये नाम छिपा लेने दीजिये।. . . **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : हम इस बात पर आयें, इससे पहले ही सरकार को वे नाम मालूम हैं। सरकार को पहले से ही इस बात की पूर्ण जानकारी है कि उस रिपोर्ट मे किसने किस प्रकार का साक्ष्य दिया है। उसके बाद भी, अगर सरकार यह सोचती है कि उन अधिकारियों को सही बात कहने के लिए कौन सजा देगा तो यह कार्य सरकार ही कर सकती है। उन्हें और कोई सजा नहीं दे सकता। अतः, इसमें न तो जनहित की बात है और न ही किसी प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न शामिल है। अब सरकार का इस बात पर अडे रहना कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए पेश नहीं किया जायेगा क्योंकि किसने क्या कहा, यह सार्वजनिक हो जायेगा, तो यह कोई युक्तियुक्त बात नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री पंडित विद्याचरण शुक्ल ने उस दिन बोफोर्स के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी दी थी। हमें जानकारी न देने से उन्हें मुश्किल हो सकती थी। लेकिन वह ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर पर्दा डालने के लिए वह यह तर्क नहीं दे सकते । ...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट आपके कक्ष में दिखाई गई थी। हम कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आप इसे छिपा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब इस मुद्दे को समाप्त करने दीजिये क्योंकि हम इस पर चालीस मिनट तक चर्चा कर चुके हैं। पासवान जी ने इस मुद्दे पर चालीस मिनट तक प्रकाश डाला । हां, स्थिति यह है ...

श्री अमल दत्त : (डायमंड हार्बर) : महोदय ...

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सचमुच आवश्यक है?

श्री अमल दत्त : जी हां महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बिल्कुल संक्षेप में बोलिये।

श्री अमल दत्त : यह रिपोर्ट सभा की मांग का परिणाम है और इस बारे में सभा को आश्वासन दिया गया है। अगर इस रिपोर्ट के निष्कर्ष से वह आश्वासन पूरा होता है, तो फिर इस रिपोर्ट की जानकारी सभा को अवश्य दी जानी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई जांच-पड़ताल की जाये और उसके पश्चात् रिपोर्ट को दबा दिया जाये। जब यह कहकर सभा को आश्वासन दिया जाये कि इसकी जांच-पड़ताल की जायेगी तो उसका यही अर्थ होता है कि जांच के परिणामों से सभा को अवगत कराया जायेगा। अतः यह आश्वासन सभा को दिया गया है और इसका उल्लंघन स्वयं इस सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करना है। ऐसी स्थिति में इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजना आपका काम है। दूसरी बात यह है कि ...

अध्यक्ष महोदय : अगर आश्वासन पूरा नहीं किया जाता है तो यह मामला आश्वासनों संबंधी समिति को भेजा जाता है विशेषाधिकार संबंधी समिति को नहीं।

श्री अमल दत्त : दूसरी बात यह है कि यह एक सुस्थापित परंपरा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी तथ्यों को दबाया नहीं जाता । विभिन्न समितियों द्वारा दी गई रिपोर्ट, विशेष रूप से रक्षा से संबंधित रिपोर्टें, जिनमें वे "एक्स", "वाई", "जेड", और इसी प्रकार के कोड चिह्न प्रयुक्त करते हैं, पेश की जाती है। और बाद में, जिन व्यक्तियों को इन्हें स्पष्ट किया जा सकता है, स्पष्ट कर दिया जाता है, और इसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्त भी पूरी हो जाती है। अतः, उसे इस मामले मे क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? अगर सरकार यह सोचती है कि उन्हें संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा करनी है तो वह हमेशा ऐसा कर सकती है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात कह चुके हैं। हम पहले ही समय ले चुके हैं स्थिति यह है ...

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार दूसरे विषयों के लिए समय नहीं बचेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, इसको आप दूसरे साधारण विषयों की तरह मत देखिये, मेरी आपसे महज इतनी प्रार्थना है और यह भी नहीं कि हम अनलिस्टेड विषय यहां पर उठा रहे हैं। जिस दिन आपने लीडर्स मीटिंग बुलाई थी, पहले ही दिन आपकी बैठक में इस सदन में किस-किस विषय पर चर्चा जरूरी है और उस वक्त मैंने इस सवाल को उठाया था कि शुगर स्कैण्डल की रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। सिर्फ यह नहीं है कि पांच सौ या ढाई हजार करोड़ रूपए का नुकसान हो गया। सारे देश की जनता को इसमें सफर करना पड़ा। चीनी का दाम 20 रूपए किलो तक पहुंच गया। सारे देश में इसकी चिन्ता हुइ। ऐसे सवाल के ऊपर जबकि विवाद है, टीवी और रेडियो पर इनके पूर्व अधिकारी जाकर बात कर रहे हैं, अखबारों में चर्चा हो रही है, मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच में तनाव हो रहा है और यहां हमने पहले इसलिए उठाया था कि ज्यूडीशियल इनक्वायरी कराओ क्योंकि यह मसला बहुत गंभीर है, देश की आम जनता से भी इसका संबंध है। उसको नहीं माना गया।

आपको याद होगा कि पिछले सैशन में सरकार ने कहा था कि अभी हम एक उच्च-अधिकारी से जांच करा रहे हैं लेकिन तथ्यों के आने पर यदि जरूरी हुआ तो हम जुडीशियल इंक्वायरी भी करायेंगे। हम लोग कब से मांग कर रहे हैं कि आप रिपोर्ट पेश करिये लेकिन मंत्री जी बड़ी टोन में कहते हैं कि हम नहीं पेश करने वाले हैं। क्या कारण है कि मंत्री जी रिपोर्ट पेश नहीं करने वाले हैं जबकि सारा देश जानने का आतुर है क्योंकि ढाई हजार करोड़ रूपये के भ्रष्टाचार का मामला है। जनता इस मामले में सफर कर रही है लेकिन आप कहते हैं कि हम पेश करने वाले नहीं है । अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मंत्री जी से आज दो बातें साफ करवा दीजिये ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पुन : मुझे निर्देश दे रहे हैं कि मुझे उन्हें निर्देश देना चाहिये। मैं पुस्तकें नहीं पढ़ रहा था। मेरे पास सारी सामग्री उपलब्ध है। लेकिन कृपया मेरी कठिनाई को समझिए । मैं यह पढ़कर सुनाता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं आपसे इसलिये कह रहा हूं कि आप कुर्सी पर विराजमान हैं। जो बात मंत्री जी ने कहा, उसके संबंध में ही मैं आपसे कह रहा हूं। मंत्री जी का कहना है कि यदि आपके चैम्बर में रिपोर्ट मंगाकर और दिखाना चाहते हैं तो वे रिपोर्ट को दिखाने के लिये तैयार हैं इसीलिये मैंने आपसे निवेदन किया है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि रिपोर्ट के जो कन्क्लूजन हैं, जो फाइन्डिंग्स हैं, उसे पेश करने के लिये मंत्री जी तैयार हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इन दो बातों पर आज ही कोई निर्णय हो जाना चाहिये। आप रिपोर्ट को अपने चैम्बर में मंगवाईये ...(**व्यवधान**)... ठीक है, आप पहले मेरी बात तो सुनिये। ...(**व्यवधान**) यह बात तो सर्व सम्मति से उठी थी और आपको स्मरण होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर सभी माननीय सदस्यों ने एक राय से कहा था कि रिपोर्ट को हाउस में पेश किया जाये मगर सरकार ने चूंकि अपनी कुछ दिक्कते बताई थी। ...(**व्यवधान**)... मेरा निवेदन है कि दो बातों पर आज ही कोई निर्णय होना जरूरी है ताकि इस सदन को और सारी जनता को पता चल सके कि उस रिपोर्ट में कौन अपराधी हैं और किस तरह से इस देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ। सारे तथ्यों का देश को पता चलना जरूरी है और किसी तथ्य पर पर्दा न पड़े, हम चाहते हैं कि इसका कोई रास्ता आप निकालिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, यह सर्वमान्य है, स्वीकृत है कि दो मंत्रियों के बीच में जो पत्र-व्यवहार हुआ है, वह गोपनीय है और कभी कोई माननीय सदस्य यदि सदन में खड़ा होकर कहता है कि अमुक मंत्री ने प्रधानमंत्री को क्या लिखा, उसे सदन के पटल पर रखा जाये तो स्वाभाविक है कि स्पीकर साहब कहेंगे

[अनुवाद]

ऐसा नहीं किया जा सकता।

मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

लेकिन मुझे स्मरण है कि एक समय ऐसा आया था जब इस सदन में डिमांड की गयी थी कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो पत्र-व्यवहार हुआ है, वह सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये। स्पीकर ने यही कहा लेकिन चूंकि वह मामला भ्रष्टाचार का था, भ्रष्टाचार के आरोप प्रधान मंत्री पर और सरकार पर लग रहे थे इसलिये सरकार ने यह निर्णय किया कि ठीक है हम ऐसा करने के लिये तैयार हैं लेकिन हमें कोई प्रोहिबिट नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

कोई भी ऐसा करने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही कोई भी हमें इसे सभा पटल पर रखने से भी रोक नहीं सकता है। इसलिए प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि हम इसे सभा पटल पर रखते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिस पर पूरे देश को चिंता है। इसलिए यदि हम या अध्यक्ष महोदय आप पर इसके लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं तब भी यह आपके हित में है, सार्वजनिक रूप से जनता के हित में है कि आप कोई तकनीकी या कानूनी सहारा न लें और इसे सभा पटल पर रखें। दलों के नेताओं को कक्ष में इसके बारे में जानकारी दी जाये।

[हिन्दी]

उसका अपना एक लिमिटेड महत्त्व है, बाद में पता तो सबको लगेगा, कोई उसे छिपा नहीं सकता फिर इस प्रकार की टैक्नीकैलिटी की बाते क्यों की जायें। यह आपके अपने इंटरैस्ट में हैं। आप कहें कि कुछ भी छिपाना नहीं चाहते और सदन के साथ शेयर करने के लिये तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमें नहीं मिल रही है ...

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मेरे विचार से आप भिन्न मुद्दे पर बोल रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इसी मुद्दे पर बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या इसी पर बोलना चाहते हैं। ज्यादा मालूमात हो गया तो फिर उसको समझकर दूसरे सवाल उठ सकते हैं।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बासुदेव आचार्य : मुझे ऐसा कोई कारण या नियम नहीं दिखाई देता जिसके अंतर्गत इस सभा के सदस्यों को प्रतिवेदन सम्बन्धी जानकारी से वंचित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपके कहने के अनुसार सरकार को निदेश दे दूंगा। अब आप बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। जिन्होंने साक्ष्य दिया है उनके नाम बताये बिना प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा सकता है क्योंकि हमारी नाम जानने में रूचि नहीं है। हमको केवल रिपोर्ट में रूचि है। हम चाहते हैं कि प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाए न कि कक्ष में।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : क्या आप यह कल्पना कर सकते है कि भूतपूर्व मंत्रीमंडल सचिव ने दूरदर्शन पर अनेक बातें बताई और कहा कि 2500 करोड रुपये इस घोटाले में शामिल हैं और सरकार का यह कहना है कि वह सभा में प्रतिवेदन नहीं रखेगी? पूरा राष्ट्र जानना चाहता है कि प्रतिवेदन में क्या है। वह किसे संरक्षण देना चाहते हैं? वास्तव में यह अत्यंत रूचिकर है। इसलिए पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाए। इसमें कोई हेरा–फेरी नहीं होनी चाहिए और जब तक पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रख दिया जाता तब तक हम इस मुद्दे को नहीं छोडेंगे। उन्हें विवेक से काम लेते हुए तत्काल यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : सभी पत्राचार सहित इसे रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार सभा की कार्यवाही नही चला सकता। आपको, कृपया, बैठना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने सदस्यों के विचार सुन लिए हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि ...

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : बिना खड़े हुए मैं केवल बटन दबा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को बोलने की अनुमति दी है।

श्री भोगेन्द्र झा : अन्य मुद्दे भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं 545 सदस्यों को बोलने का समय नहीं दे सकता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, 545 सदस्य नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा ऐसा करते हैं। कृपया इस बार मुझे अनुमति दें।

श्री भोगेन्द्र झा : हमने किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया है। हम केवल बटन दबा रहे हैं जो आपने एक नई व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां आप कभी मानेंगे नहीं!

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मै दो बातों पर जोर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जोर दीजिए, मगर रिपीट मत कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : आपने कहा बहस के लिए। इसके लिए नियम 193 है, लेकिन बगैर रिपोर्ट को जाने हम अंधेरे में घाट करेंगे। हम पूरी बात जान नहीं पाएंगे, तो बहस निरर्थक हो जाएगी। मंत्री जी ने कहा है कि कुछ लोगों ने बयान दिया है। बिना रिपोर्ट सदन में आए, तो वे भी ट्रबल में फंसेगे। अगर रिपोर्ट खुल कर सामने आ जाएगी, तो वह उनके लिए कवच का काम करेगी।

अध्यक्ष महोदय : वह आडवाणी जी ने बता दिया है। उसको आप रिपीट मत कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखिए।

अध्यक्ष महोदय : मैम्बर्स की क्या राय है, वह सदन के सामने आ गई है। गवर्नमेंट की क्या राय है वह भी मंत्री जी की तरफ से सदन में आ गई है। बसुदेव आचार्य जी ने उठकर कहा कि कोई कानून, कोई रूल, कोई डिसीजन है जिसकी वजह से आप यहा नहीं रख सकते हैं। ऐसा बता सकते हैं, तो वह आप बता दीजिए। मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर आपके पास कुछ है, तो वह आप भी बता दीजिए। दोनों को सुनकर मैं अपनी बात कहूंगा।

श्री राम विलास पासवान : हाउस तो कम्पैल कर ही सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बोलने दीजिए। इस मामले में सरकार ने कहा है कि प्रतिवेदन की सिफारिशें और निष्कर्ष सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

श्री राम विलास पासवान : हम पूरा प्रतिवेदन चाहते है और सरकार को यह बताना चाहिए कि वह इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहती।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए और मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं एक सादर निवेदन कर सकता हूं? सिफारिशें और निष्कर्ष एक बात नहीं है। जांच आयोग के निष्कर्ष एक अलग बात है और उन्हें वे हम से छुपा नहीं सकते हैं। लेकिन सिफारिशें सरकार द्वारा निष्कर्षों के आधार पर निकाली जाती है।

अध्यक्ष महोदय : निष्कर्ष जांचकर्त्ता द्वारा दिए जाते हैं, इसका अर्थ है जांच के क्या निष्कर्ष रहे न कि सरकार ने उससे क्या निष्कर्ष निकाला। इसलिए सरकार ने यह कहा है कि जांचाधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों तथा सिफारिशों के बारे में सभा को जानकारी दी जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूसरे, प्रतिवेदन नेताओं के लिए उपलब्ध होगा यदि वह इसे देखना चाहते हैं। तीसरे, सभा को दी गई जानकारी के आधार पर चर्चा की जा सकती है। चौथे, यदि आप यह समझते हैं कि उन पर सभा पटल पर प्रतिवेदन रखने के लिए जोर डाला जा सकता है, तब आप बताइए। यदि वे समझते हैं कि इस संबंध में कोई नियम, कानून या विनिर्णय है कि सभा पटल पर प्रतिवेदन रखने के लिए जोर डाला जा सकता है, तब आप मुझे बताइए। उस साधारण विधिक मुद्दे पर मैं अपना निर्णय दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब इस पर चर्चा हो रही थी तो मैं हाउस में नहीं था। इसका मुझे अफसोस है। आपने कहा कि नेता लोग आपके चेम्बर में आकर रिपोर्ट देख सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप नियम जानते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा नियम है कि यदि सरकार दावा करती है कि यह जनहित में नहीं है अथवा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यदि सरकार यह कहती है कि यह बताना जनहित में नहीं है और वह कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगी तो यह विवाद आपके और उनके बीच है कि क्या यह जनहित में है या नहीं। तब अध्यक्ष महोदय को कहा जाता है कि इसकी जांच करे और निर्णय करे कि क्या यह जनहित में है या नहीं। दूसरी बात यह है कि बीच का रास्ता अपनाया जाएं। अब अध्यक्ष को कोई निर्णय न लेने देने की स्थिति में कभी-कभी यह कहा जाता है कि प्रतिवेदन नेता देख लें। इससे यह सार्वजनिक दस्तावेज नहीं बन जाएगा। अनेक दस्तावेजों के बारे में जनता जानती है। लेकिन जब तक उन्हें सभा पटल पर नहीं रखा जाता है तब तक वह प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माने जा सकते हैं। दोनों में यही भिन्नता है।

श्री जसवन्त सिंह : उन्होंने जनहित की बात नहीं कही है।

अध्यक्ष महोदय : जब वे ऐसा कह देंगे, मैं अपना विनिर्णय दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल स्पष्टीकरण मांग रहा हूं कि अगर आपके चेम्बर में हमें रिपोर्ट दिखाई गयी और देखने के बाद हमने कहा कि इसे सभा पटल पर रख देना चाहिए तो इसे रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तब क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : इसे रख नहीं सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसे किसलिए नहीं रख सकते?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह अध्यक्ष महोदय का निर्णय है। अब आपको उस विनिर्णय के बारे में पता लगाना होगा जिसमें अध्यक्ष महोदय के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प न रहा हो कि वह सरकार पर इस बात के लिए जोर डाले कि इसे सभा पटल पर रखा जाए और उनके पास मुझे यह बताने का विकल्प हो कि वे किसी नियम, कानून या विनिर्णय के अंतर्गत यह दावा करें कि वे इसे सभा पटल पर नहीं रखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें नियम उद्धत करने दीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें यह कहने दीजिए कि जनहित में वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यह नियम का प्रश्न है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मुद्दा यह है कि क्या इसमें कोई घोटाला हुआ है या नहीं। आप इस पर अपनी इच्छानुसार तभी चर्चा कर सकते हैं जब यह मामला सभा में लाया जाएगा और चर्चा के दौरान आप यह कह सकते हैं कि प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। यदि आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते तो वह आपकी अपनी इच्छा है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस चर्चा के बाद प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों में मैं बिना सोच-विचार किए निर्णय नहीं दे सकता। आप नियमों के अनुसार मेरे समक्ष मामले को प्रस्तुत करें। यदि आप नियम नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस नियम के अंतर्गत इसे उठाएं और मैं उस बारे में उपयुक्त निर्णय दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : सभा मांग कर रही है। सरकार को पूछिए। वे हमें बताए कि किस नियम या कानून के अंतर्गत वे इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

1.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : आज दोनों मुझसे मिलें।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों को भी लटका रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, इन सभी बातों पर चर्चा के बाद आप सरकार को निदेश दें। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप फिर मुझे निदेश दे रहे हैं कि मुझे उन्हें ऐसा कहना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, जब हम मांग कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार से मांग करें। आप मुझसे मांग नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या यह जनहित है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, जो स्थिति रूल्स एंड रैगुलेशन्स के अनुसार है, वह आपने बता दी। हमारे निवेदन व आग्रह के बाद

भी यह ... पूरी नहीं हो रही है। हम मजबूती और पूरी तरह से महसूस करते हैं कि भ्रष्टाचार के बाबत यह सरकार बराबर टालमटोल करती है। इस बाबत ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट को सदन की टेबल पर ले करना चाहिए, यह हमारी स्ट्रांग फीलिंग है, इसमें किसी तरह की सीक्रेसी मेनटेन करने का सवाल ही नहीं है। यदि सरकार रिपोर्ट ले नहीं करती तो उसके विरोध में मैं अपने व वामपंथी साथियों के साथ वाक–आउट करना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम वाक–आउट नहीं करेंगे।

1.02 म.प.

(तत्पश्चात् श्री शरद यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा सदन से बाहर चले गए) ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने जवाब दे दिया है कि हम डिस्कशन करवाएंगे। उन्होंने फाइनल कनक्लूजन देने के लिए कह दिया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसमें क्या जनहित शामिल है। ...(व्यवधान)

हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया है। ...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कृपया सरकार को ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। एक घंटे की इस चर्चा के बाद हम क्या करेंगे– क्या सरकार हमें इस बारे में बताना चाहती है अथवा नहीं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं और इस रिपोर्ट को निहितार्थ, इसके परिणामों और पर सरकार द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के संबंध में एक वक्तव्य भी देना चाहते हैं तथा इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? आप जवाब चाहते हैं और सुनते भी नहीं है। कृपया अब बस कीजिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं एक बार फिर आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते और न ही हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। यदि हम देखते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है और कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल है, तो हम उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करते हैं। लेकिन बिना सच्चाई का पता लगाए, हम कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं कर सकते है। इस संबंध में वस्तुतः सच्चाई क्या है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। प्रतिपक्ष का तकाजा, प्रतिपक्ष की मांग है कि पूरी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाए लेकिन मंत्री महोदय एक सुझाव लेकर आए हैं। रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, और बातें जो कही गई हैं, वे उनके आधार पर एक वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। हम उस वक्तव्य को देखना चाहेंगे और देखने के बाद यदि हमें लगा कि भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए कुछ तथ्य छिपाए जा रहे हैं तो फिर हम पूरी रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग करेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जरूर, मैं आपसे इस मामले मे सहमत हूं। ...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमने उस बारे में काफी कुछ सुना है। हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ पत्र सभा पटल पर रखे जायेगे।

1.05 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचना भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (टिकटों का रद्दकरण और किराये का प्रतिदाय) संशोधन नियम, 1994, जो अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 737 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6571/94]

(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या. एल.टी. 6572/94]

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचना

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए.के. एन्टनी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उप–धारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं)

दूसरा संशोधन नियम, 1994 जो 20 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6573/94]

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत अधिसूचना

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप–धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (पहला संशोधन) विनियम, 1994, जो 26 मई, 1994 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या इपी.17–11/90 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. 6574/94]

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायु (प्रदुषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 53 की उप–धारा (2) के अंतर्गत वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संघ राज्यक्षेत्र) संशोधन नियम, 1994 जो 12 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 569(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल.टी. 6575/94]

(2) अधिसूचना संख्या का.आ. 595 (अ), जो 16 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 114 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी तटीय क्षेत्र विनियमों में संशोधन किया जा सके तथा उनका शुद्धि पत्र, जो 19 सितम्बर की अधिसूचना संख्या का.आ. 690 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6576/94]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप–धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 814(अ), जो 17 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 अक्तूबर, 1994 से 31 मार्च, 1995 (1994–95 रबी मौसम) तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्डों को घरेलु उर्वरक निर्माताओं द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति दर्शाने वाला आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6577/94]

वर्ष 1992-93 के लिए संघ सरकार, विनियोग लेखाओं (डाक सेवाएं) तथा संघ सरकार विनियोग लेखाओं (दूरसंचार सेवायें)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1992–93 के लिए संघ सरकार, विनियोग लेखाओं (डाक सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6578/94]

(2) वर्ष 1992–93 के लिए संघ सरकार, विनियोग लेखाओं (दूर संचार सेवायें) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6579/94]

ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :–

(1) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6580/94]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6581/94]

(4) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6582/94]

(6) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1991–92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1991–92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6583/94]

1.05 ½ म.प.

इस समय डा. राम चन्द डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आकर फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : सभा–2.05 म.प. पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.0.6 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह भोजन के लिए 2.05 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.0.8 म.प.

मध्याह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.08 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(व्यवधान)

इस समय डा. राम चन्द डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आकर फर्श पर खड़े हो गये।

डा. राम चन्द डोम (बीरभूम) : रिपोर्ट कहां है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थानों पर वापस चले जाइए। हमें कार्य करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाये। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : आप सरकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहिए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उसे अध्यक्ष महोदय ने पहले ही ले लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृप्या अपने स्थान पर जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 3.15 म.प. पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

2.12 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 3.15 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

3.17 म.प.

मध्याह भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.17 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)
(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आज आप हाउस चलाने के मूड में नहीं है।

(व्यवधान)

3.17 ½ म.प.

इस समय श्री राम कृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आकर फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आपने बात कर ली है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा 4.30 म.प. पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

3.20 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 4.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

4.31 म.प.

लोक सभा 4.31 म.प. पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस समय श्री राजेश कुमार, श्री राम कृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आकर फर्श पर खड़े हो गए

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप अपने स्थान गृहण कीजिए। नेतागण इस मुद्दे के बारे में माननीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह चुका हूं कि नेतागण मिल रहे हैं, वे इस मुद्दे पर माननीय अध्यक्ष के कक्ष में चर्चा कर रहे हैं, अतः आप लोग कृपया अपने स्थानों पर चले जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझ लीजिए कि कीमती वक्त नष्ट न हो।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 5.30 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

4.34 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 5.30 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

5.30 म.प.

लोक सभा 5.30 म.प. पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

5.30½ म.प.

इस समय श्री राजेश कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आकर फर्श पर खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस चले जाएं। पूरा दिन बेकार चला गया। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 9, महासचिव।

संसदीय समितियां—कार्य-सारांश

5.32 म.प.

महासचिव : महोदय, मैं 1 जून, 1993 से 31 मई, 1994 तक की अवधि से संबंधित संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के अतिरिक्त) के कार्य—सारांश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

5.32½ म.प.

लोक लेखा समिति

सतहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 'परियोजना आयात' संबंधी तेईसवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का सतहत्तरवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

5.33 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री थाइल जॉन अंजलोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

5.33½ म.प.

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : महोदय, मैं श्री बलराम जाखड की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुत करता हूं :

> "कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 4(सात) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से चार सदस्य नियुक्त करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 4(सात) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य

ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से चार सदस्य नियुक्त करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

5.34 म.प.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)–1994-95

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : मैं वर्ष 1994–95 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अंनुदांनों की मांगे दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6584/94]

5.34 ½ म.प.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1994–95 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6585/94]

5.35 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 14 दिसम्बर, 1994/23 अग्रहायण 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी. एल. एस.–48/36/5/94 (एन.)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और **डाटा प्वाईंट**, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।